नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 2022 की समाप्त वर्ष के लिए

मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मार्च 2022 के समाप्त वर्ष के लिए

विषय सूची

		पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
अवलोकन		iv - x
अध्याय-1	परिषद की वित्तीय स्थिति – बजट दस्तावेज वर्ष 2021–22 का विश्लेषण	1 - 15
अध्याय-2	परिषद के वार्षिक लेखा 2021–22 पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	16 - 31
अध्याय-3	वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही	32 - 34
अध्याय-4	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनडीएमसी के अनुबंध प्रबंधन का लेखापरीक्षा	35 - 61
अध्याय-5	अनुबंध प्रबंधन (इलेक्ट्रिकल), एनडीएमसी की लेखापरीक्षा	62 - 95
अध्याय-6	एनडीएमसी में संपत्ति कर के मूल्यांकन और संग्रहण की लेखापरीक्षा	96 - 129
अध्याय-7	पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल, एनडीएमसी के कामकाज का लेखापरीक्षा	130 - 162
अध्याय-8	अधिशेष बिजली की खरीद और बिक्री का लेखापरीक्षा	163 - 175
अध्याय-9	एनडीएमसी, नई दिल्ली के शहरी गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा	176 -184
अध्याय-10	जीएसटी संग्रहण का लेखापरीक्षा	185 - 191

संक्षिप्त	अनुलग्नक संख्या	पैरा नं.	पृष्ठ
अध्याय-4			
निष्पादन गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होना	I	4.5.3.4	192-194
उचित दरों में भिन्नता की अनुमेय सीमा से नीचे/अधिक निविदा की स्वीकृति	II	4.5.4.3	195-198
कार्य के लिए नियोजित किए जाने वाले तकनीकी और प्रशासनिक कर्मियों का विवरण (फॉर्म 'जी' बोली के समय अपलोड किया गया)	III	4.5.5.2	199
कार्य में नियोजित किए जाने वाले तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मियों का विवरण (फॉर्म 'जी' तकनीकी बोलियां खुलने के बाद भौतिक रूप से जमा किया गया)	IV	4.5.5.2	200
बिलों से जीएसटी राशि न रोकना	V	4.5.6.3	201
आयकर की कम कटौती	VI	4.5.6.4	202-204
लेबर सेस के कारण कम वसूली	VII	4.5.6.5	205-206
ठेकेदार से श्रमिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना भुगतान	VIII	4.5.7.1	207-208
लक्ष्य पूरा न करने पर राशि न रोकना	IX	4.5.7.2	209-210
तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती न होने के बावजूद वसूली न होना	X	4.5.7.3	211-212
निष्पादित आइटम जो कार्य की प्रकृति और दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	XI	4.5.7.9	213-215
प्रक्रियात्मक चूक	XII	4.5.8	216-224
अध्याय-5			
54 अनुबंधों की सूची	I	5.2	225-228
निविदा की प्रक्रिया और अनुबंध देने में देरी	II	5.5.10.1	229
तकनीकी बोली खोलने से लेकर अनुबंध देने तक लिया गया कुल समय	III	5.5.10.2	230
ए ए एवं इ एस से कार्य आदेश देने तक लिया गया कुल समय	IV	5.5.10.3	231
काम पूरा होने में देरी	V	5.5.10.4	232
प्रक्रियात्मक चूक	VI	5.5.11	233-234
अध्याय-7			
वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए औषधियों की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)	I	7.6.3.9 (i) तालिका 7.16	235-236
वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए सर्जिकल वस्तुओं की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)	II	7.6.3.9 (i) तालिका 7.16	237-238

शुद्धिपत्र - पृष्ठ संख्या 239

प्रस्तावना

मार्च–2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा–59 की उप–धारा–17 के संदर्भ में परिषद को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

रिपोर्ट में वर्ष 2021–22 के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वित्तीय खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और

(i) सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनडीएमसी के अनुबंध प्रबंधन की लेखापरीक्षा

(ii) अनुबंध प्रबंधन (इलेक्ट्रिकल), एनडीएमसी की लेखापरीक्षा

(iii) एनडीएमसी में संपत्ति कर के मूल्यांकन और संग्रहण की लेखापरीक्षा

(iv) पालिका मातृत्व अस्पताल, एनडीएमसी के कामकाज पर लेखापरीक्षा

(v) अधिशेष बिजली की खरीद और बिक्री की लेखापरीक्षा

(vi) एनडीएमसी, नई दिल्ली के शहरी गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा

(vii) जीएसटी के संग्रह का लेखापरीक्षा

पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं।

अवलोकन

इस रिपोर्ट में वर्ष 2022–23 के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वित्त की स्थिति पर एक अध्याय, 2022–23 के लिए परिषद के वित्त खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर एक अध्याय, वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही पर एक अध्याय है। ऑडिट के उदाहरण पर की गई वसूलियों के साथ ऑडिट रिपोर्ट (₹5.10 लाख) एवं सात अध्यायों जिनमें ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं (i) अनुबंध प्रबंधन – सिविल विभाग (ii) अनुबंध प्रबंधन – बिजली विभाग (iii) एनडीएमसी में संपत्ति कर का मूल्यांकन और संग्रह (iv) पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल का कामकाज (v) अधिशेष बिजली की खरीद और बिक्री (vi) शहरी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण (vii) जीएसटी का संग्रह शामिल है।

परिषद की वित्तीय स्थिति – बजट दस्तावेजों का विश्लेषण (अध्याय–1)

2020–21 में कुल प्राप्तियाँ (राजस्व और पूंजी) ₹3915.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 के लिए ₹4146.00 करोड़, 5.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ₹4146.00 करोड़ की प्राप्तियों में ₹991.70 करोड़ का कर राजस्व, ₹2493.87 करोड़ का गैर–कर राजस्व, ₹654.40 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति और ₹6.03 करोड़ का राजस्व अनुदान/योगदान और सब्सिडी आदि शामिल हैं। कुल व्यय (राजस्व और पूंजी) 2020–21 में ₹3236.69 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹3596.26 करोड़ हो गया, जो 11.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ₹3596.26 करोड़ के व्यय में ₹1482.44 करोड़ का स्थापना व्यय, ₹124.87 करोड़ का प्रशासनिक व्यय, ₹1184.48 करोड़ का संचालन और रखरखाव आदि और ₹804.47 करोड़ का अन्य व्यय शामिल है।

वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ (अध्याय–2)

वर्ष 2022–23 के लिए परिषद के खातों पर प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(क) **देनदारियां:**

- भविष्य निधि (पीएफ) के कारण ₹954.04 करोड़ की देनदारी और उसके बदले में किए गए निवेश को एनडीएमसी के खातों में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा पीएफ ट्रस्ट का भी गठन नहीं किया गया.
- विभाग ने पेंशन देयता के लिए ₹35.64 करोड़ का कम प्रावधान प्रदान किया।

(ख) **अचल संपत्तियां:**

- 31 मार्च 2022 तक कैपिटल–वर्क–इन–प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत मौजूद ₹2706.94 करोड़ की राशि को 2004–05 से अचल संपत्तियों में परिवर्तित नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी ने अचल संपत्तियों का अशुद्ध आंकड़ा प्रस्तुत किया और इन अचल संपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया।

(ग) **वर्तमान संपत्ति**

- विभाग ने लेखापरीक्षा को बैंक समाधान विवरण प्रदान नहीं किया, इसलिए, संभावित जोखिम क्षेत्रों जैसे बैंक द्वारा गलत डेबिट, अनधिकृत भुगतान, चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया और पुराने चेक की स्थिति आदि की जांच नहीं की जा सकी।

(घ) **आय**

- वसूली की अनिश्चितता के कारण ₹147.55 करोड़ की आय को लेखांकन नीति संख्या 2 के तहत लाइसेंस शुल्क के कारण आय के रूप में दर्ज किया गया था।

- 2009 के उपनियमों के आधार पर 2021–22 के दौरान संपत्ति कर के कारण ₹1527.28 करोड़ की आय जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आलोक से प्राप्त राशि ओवरस्टेटमेंट था।

(ड) **व्यय**

- व्यय संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने के लिए दी गई ₹38.74 करोड़ की छूट का हिसाब नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय को कम दिखाया गया और 'अधिशेष' और 'प्राप्य' को अधिक बताया गया।
- मूल्यह्रास दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹2.54 करोड़ से अधिक मूल्यह्रास लगाया गया।

वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही (अध्याय–3)

(क) 546 उप–पैरा वाली कुल 111 ऑडिट रिपोर्ट बकाया हैं।

(ख) स्कैन बैठक में 23 बकाया ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है।

(ग) स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट के कुल 2302 ऑडिट पैरा बकाया हैं।

(घ) लेखापरीक्षा के कहने पर ₹5.10 लाख की वसूली की गई।

अनुबंध प्रबंधन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट – सिविल विभाग (अध्याय–4)

- अनुबंध एक ऐसी एजेंसी को दिया गया था जो एनआईटी के नियमों और शर्तों के तहत आवश्यक बोली जमा करने की अंतिम तिथि पर किसी भी एजेंसी के साथ सूचीबद्ध नहीं थी।
- बोली में संशोधन के बाद संशोधित तकनीकी बोलियों के आधार पर अयोग्य बोली लगाने वाले को अनुबंध सौंपना।
- निविदाएं उचित दर से 10.22 प्रतिशत से लेकर 72.94 प्रतिशत तक कम पर स्वीकार की गईं जो कि 10 प्रतिशत की स्वीकार्य भिन्नता से परे थी।
- एनडीएमसी के क्लास–1 ठेकेदारों, जिनके पास ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का कार्य अनुभव नहीं था, के लिए ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के कार्य अनुभव की शर्त में छूट दी गई और अनुभवहीन ठेकेदार को काम सौंप दिया गया।
- कार्य की प्रकृति और दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं की गई वस्तुओं को निष्पादित किया गया और ठेकेदार को ₹0.87 करोड़ का भुगतान किया गया।
- प्रदर्शन गारंटी की जब्ती के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 3 के तहत अंतिम कार्यवाही नोटिस के लिए परिषद की मंजूरी प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पीबीजी और सुरक्षा जमा की जब्ती के ₹1.34 करोड़ का नकदीकरण नहीं हुआ। साथ ही, विभाग ने अनुबंध की सामान्य शर्त, 2014 के खंड 2 के तहत ₹2.47 करोड़ (निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) मुआवजा लगाने के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी।
- ₹24.25 करोड़ (7 वर्षों के लिए) के कुल अनुबंध मूल्य के मुकाबले विभाग ने एक वर्ष के अनुबंध मूल्य ₹3.46 करोड़ पर पीबीजी प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ के पीबीजी की कम जमा राशि हुई।
- जीएसटी की कुल कटौती योग्य राशि ₹11.86 लाख के विरुद्ध, विभाग ने ठेकेदार के बिलों से केवल ₹2.88 लाख की कटौती की। इस प्रकार, ₹8.98 लाख कम काटा गया। (पैरा 4.5.6.1)
- ठेकेदार को 12 प्रतिशत जीएसटी के बजाय 15 प्रतिशत वैट के कारण ₹0.72 करोड़ की अधिक राशि दी गई। साथ ही, ठेकेदार के दावे के अनुसार 15 सितंबर 2020 को जीएसटी और वैट के अंतर के कारण ठेकेदार को

0.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई। प्रतिपूर्ति राशि सहित कुल अतिरिक्त भुगतान ₹1.22 करोड़ था।

- रिटर्न की प्रतियों के साथ जीएसटी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को ₹9.61 करोड़ का जीएसटी जारी किया गया था।
- सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर काटा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹23.66 लाख का आयकर कम काटा गया।
- अनुबंध समझौते की सामान्य शर्तों के खंड 7ए और 19 का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को श्रम लाइसेंस जमा किए बिना ₹11.08 करोड़ का भुगतान किया गया था।
- विभाग ने तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती न करने पर ठेकेदार पर ₹1.97 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया।
- विभाग ने आरएफपी/रियायत समझौते के खंड 1.4 (एफ) का उल्लंघन करते हुए, ईडीएमसी के बजाय सीधे रियायतग्राही को प्रसंस्करण शुल्क के कारण ₹5.75 करोड़ का भुगतान किया और ईडीएमसी द्वारा जारी किए गए प्रसंस्करण शुल्क बिल प्राप्त किए बिना।
- निर्माण के कुल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर काटा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.58 लाख की कम कटौती हुई।
- वित्तीय बोलियां खोलने से पहले एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी से तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

संविदा प्रबंधन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट – विद्युत विभाग (अध्याय–5)

- संशोधित ए ए और ई एस प्राप्त किए बिना ₹1.57 करोड़ (39.44 प्रतिशत अधिक) की अतिरिक्त खरीद की गई।
- निविदा की गई राशि/कार्य मूल टीएस के 10 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद विभाग ने संशोधित तकनीकी मंजूरी (टीएस) प्राप्त नहीं की।
- विभाग ने पात्रता मानदंडों में ढील दी और समान कार्य अनुभव और औसत वार्षिक कारोबार वाले कम वित्तीय क्षमता वाले बोलीदाताओं को अनुमति दी।
- विभाग ने माल की खरीद के लिए नियमावली 2017 की धारा 7.3.5 का उल्लंघन करते हुए तकनीकी बोलियां खोलने के बाद नए/अतिरिक्त दस्तावेज मांगे।
- अनुबंध अनुबंध संख्या 05/ईई(एस–आई)/2020–21 में विभाग ने तकनीकी पात्रता मानदंड में ढील देकर तकनीकी बोलियों में अधूरे दस्तावेजों/जानकारी वाले दो बोलीदाताओं की सशर्त बोलियां स्वीकार कीं।
- तकनीकी मूल्यांकन उप–समिति (टीईसी) के सामने मामला रखे बिना एजेंसी को ₹3.46 करोड़ का अनुबंध दे दिया गया।
- औचित्य विवरण प्रचलित बाजार दरों के बजाय पुरानी दरों, अनुमानित लागत और तकनीकी बोली खोलने के बाद प्राप्त दरों के आधार पर तैयार किए गए थे।
- विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और सीवीसी दिशानिर्देशों की धारा 20.4.3.2 का उल्लंघन करते हुए, बिना किसी असाधारण स्थिति के दरों को 5 प्रतिशत की भिन्नता की स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के इरादे से एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत की।
- 10 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के मुकाबले उचित लागत से 13.79 प्रतिशत से 36.52 प्रतिशत कम तक की निविदाएं स्वीकार की गईं।

- 17 अनुबंधों में, कोडल प्रोविजनल के उल्लंघन में एनआईटी में एक शर्त शामिल की गई थी कि प्रदर्शन गारंटी को पुरस्कार पत्र के 14 दिनों के भीतर जमा करने के बजाय आरए बिलों से लॉट के अनुसार कटौती की जाएगी। इस तरह की छूट के परिणामस्वरूप, 2 अनुबंधों में, कोई निष्पादन गारंटी जमा नहीं की जा सकी, 8 अनुबंधों में, इसे 51 दिनों से लेकर 343 दिनों तक की देरी से और 7 अनुबंधों में जमा किया गया। आरए बिलों से पीजी की कटौती 725 दिनों तक की देरी से की गई।
- आपूर्ति के समय एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग के परीक्षण के लिए, विभाग ने नामांकन के आधार पर एक फर्म का चयन किया, और ₹2.31 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। फर्म द्वारा ली गई दरें अन्य फर्म की तुलना में अधिक थीं। तकनीकी योग्यता के समय नमूना परीक्षण के समय कोटेशन प्राप्त करके चयन किया जाता है।
- दो अनुबंधों में, विभाग ने ₹2.21 करोड़ (100 प्रतिशत) और ₹0.29 करोड़ (100 प्रतिशत) और एक अनुबंध में, अनुबंध के मूल्य के ₹0.30 करोड़ (50 प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान किया। 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा और आवश्यकतानुसार फर्म से बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान किया।
- अनुबंध के निष्पादन के बिना 10 नवंबर 2017 से 9 मई 2021 की अवधि के लिए एजेंसी को ₹62.07 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।
- सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर आयकर काटा गया। कटौती की गई कुल राशि ₹15.56 लाख थी।
- श्रम उपकर सकल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य पर काटा गया। लेबर सेस की कम कटौती ₹6.75 लाख थी।
- अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 19 और 7ए का उल्लंघन करते हुए श्रमिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना ठेकेदार को ₹40.28 करोड़ का भुगतान किया गया।
- विभाग ने विस्तृत अनुमान में प्रावधान किए बिना आकस्मिक शुल्क के विरुद्ध ₹55.7 लाख का भुगतान किया।
- विभाग ने तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती न करने और चल रहे बिलों में एई द्वारा सत्यापित खंड 36 के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र दर्ज न करने के लिए ठेकेदार पर ₹91.58 लाख का जुर्माना नहीं लगाया, जिसे योग्य इंजीनियरों ने देखा था। कार्य के बाद उसके निष्पादन के दौरान।
- एनआईटी जारी होने की तारीख से लेकर अनुबंध दिए जाने की तारीख तक निविदा के प्रसंस्करण में लगने वाला कुल समय 4 महीने के मानक के मुकाबले एनआईटी की मंजूरी की तारीख से 6 से 22 महीने तक था।
- तकनीकी बोली खोलने से लेकर अनुबंध देने तक का समय 3 से 4 महीने की स्वीकार्य अवधि के मुकाबले 6 से 20 महीने तक था।
- ए ए और ई एस से लेकर अनुबंध देने तक की प्रक्रिया में 10 महीने से लेकर 11 साल तक का समय लगा।

संपत्ति कर पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट – (अध्याय–6)

- एनडीएमसी को यूनिट एरिया मेथड (यूएएम) को जारी रखने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) के फैसले (22 जनवरी 2019) के आलोक में एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद, अधिनियम में संशोधन के बिना यूएएम के तहत कर का मूल्यांकन और संग्रह किया गया था। एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन के अभाव में एनडीएमसी द्वारा उपनियम 2009 के आवेदन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- करदाताओं के खिलाफ मार्च–2022 तक भारी कर बकाया (₹6479.72 करोड़) होने के बावजूद, विभाग ने वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए धारा 100, 101 और 102 के तहत आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया।

- ₹10 करोड़ से ऊपर की कर निर्धाय मूल्य की 48 संपत्तियां (15053 संपत्तियों में से) कर बकाया की राशि में ₹4125.63 करोड़ (64 प्रतिशत) का योगदान करती हैं।
- वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान उठाई गई मांग (वर्तमान और बकाया) के विरुद्ध कर संग्रह क्रमशः ₹523.58 (9.08 प्रतिशत), ₹646.02 (9.34 प्रतिशत) और ₹896.65 (11.77 प्रतिशत) था।
- वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान कुल 15053 संपत्तियों में से केवल 207 (1.37 प्रतिशत), 331 (2.2 प्रतिशत) और 280 (1.86 प्रतिशत) संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) ऑनलाइन दाखिल किए गए थे।
- पीटीआर की प्राप्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और इसलिए विभाग एक वर्ष में प्राप्त सभी पीटीआर की प्रोसेसिंग सुनिश्चित नहीं कर सका।
- विभाग ने वर्ष 2010–11 से 2021–22 की अवधि से संबंधित 3588 नोटिसों को अंतिम रूप नहीं दिया, जिसमें ₹3528.11 करोड़ का कर राजस्व शामिल था.
- शून्य मूल्य वाली संपत्तियों के वर्तमान मूल्यांकन योग्य मूल्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹591.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका।
- परीक्षण–जांच (10 मामलों) में, धारा 72 के तहत ₹798 करोड़ के संपत्ति कर से संबंधित नोटिसों को 61 महीने से 131 महीने तक की देरी से अंतिम रूप दिया गया।
- ₹17.37 करोड़ का राजस्व नुकसान (i) धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने में देरी और (ii) वित्तीय वर्ष के अंत में नोटिस जारी करने के कारण देखा गया।
- मुख्य वास्तुकार, भवन के नवीकरण के पूरा होने की वास्तविक तारीख (11 अक्टूबर 2017) के बजाय एनडीएमसी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख (13 दिसंबर 2017) से होटल ओबेरॉय (पी–11229) के संबंध में रिक्ति छूट की अनुमति देने के कारण ₹95.45 लाख की हानि।
- संपत्तियों 5, सिकंदरा रोड (पी–3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926 और 3927) के संबंध में संपत्ति कर में दो तिहाई के बजाय 100 प्रतिशत छूट की अनुमति देने से ₹3.24 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि इमारत को ध्वस्त नहीं किया गया था उसे आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि के कारण सील कर दिया गया।
- रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण ₹5.68 करोड़ के स्थानांतरण शुल्क की वसूली न होना।
- होटल मौर्या शेरेटन के संबंध में 5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की गलत छूट लागू करने के कारण शीघ्र भुगतान के कारण ₹40.22 लाख की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी गई थी।
- वर्ष 2017 से 2022 की अवधि से संबंधित अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध ₹44.87 लाख के संपत्ति कर की वसूली न होना।

पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल (पीएमएच) पर ऑडिट रिपोर्ट – (अध्याय–7)

- पीएमएच अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से प्रत्यायन (प्रमाणन) प्राप्त किए बिना चल रहा है।
- अस्पताल द्वारा जारी किए गए 12421 एएनसी कार्डों के मुकाबले वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान केवल 4242 (34.15 प्रतिशत) प्रसव कराए गए।
- भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक 93 प्रकार की दवाओं के मुकाबले अस्पताल में केवल 64 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध थीं।

- तीन ओटी में से, एक ओटी जो चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं के लिए थी, सितंबर–2017 से गैर–कार्यात्मक बनी हुई थी। अन्य दो ओटी भी आंशिक रूप से चालू रहे।
- नर्सरी में जगह की भारी कमी और परिषद द्वारा अनुमोदित 15 बिस्तरों के मुकाबले केवल 8 बिस्तर होने के कारण, एकल बिस्तरों को अक्सर दो या तीन बच्चों द्वारा साझा किया जाता था।
- शाम 4 बजे के बाद पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं यानी आपातकालीन ओटी, विशेषज्ञ डॉक्टर, परीक्षण/जांच के लिए महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपीडी और आईपीडी रोगियों की संख्या 2017–18 में 76949 और 1908 से घटकर 2021–22 में 55747 और 1808 हो गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान क्रमशः 1587 मामले लेबर रूम और वार्ड से दूसरे अस्पताल में रेफर किए गए।
- समग्र बिस्तर अधिभोग अनुपात वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक केवल 34.49 प्रतिशत था, जबकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित 80 प्रतिशत था।
- रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण, मार्च–2019 से जुलाई–2022 के दौरान रोगी को अल्ट्रासाउंड सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जैसे लेप्रोस्कोपिक, कोल्पोस्कोप और हिस्टेरोस्कोप का कम उपयोग/नहीं उपयोग किया गया।
- सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट (उपकरण स्टरलाइजेशन के लिए), वायु शोधन प्रणाली (नवंबर–2019 से) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (अगस्त–2018 से फरवरी–2022 तक) के अकार्यशील होने से अस्पताल में विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।
- विशेषज्ञ और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के कैडर जैसे एनेस्थीसिया, गायनी और रेडियोलॉजिस्ट और तकनीकी कैडर की कमी। तकनीशियन एवं लैब सहायक डॉक्टरों (जूनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर) और नर्सों, कर्मचारियों के अन्य संवर्गों का इष्टतम तरीके से उपयोग नहीं किया गया।
- केंद्रीय भंडार से प्राप्त और स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं करना।

पावर पर ऑडिट रिपोर्ट – (अध्याय–8)

- अवास्तविक मांग पूर्वानुमान के कारण अधिशेष बिजली की स्थिति। विभाग ने मौसम पूर्वानुमान, उपभोक्ताओं के उपभोग के पैटर्न में बदलाव और तकनीकी आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करके वैज्ञानिक आधार पर अपनी अनुमानित मांग का उचित पूर्वानुमान नहीं लगाया।
- अधिशेष बिजली खरीदी गई दरों से कम दरों पर बेची गई जिसके परिणामस्वरूप ₹156.92 करोड़ का परिहार्य व्यय/हानि हुई और दिल्ली में संचालित अन्य डिस्कॉम के साथ एनडीएमसी की तुलनात्मक स्थिति हुई।
- डीईआरसी द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक में अनिर्धारित अंतर परिवर्तन (यूआई) तंत्र के माध्यम से बिक्री के परिणामस्वरूप ₹9.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने में विचलन और उपलब्धियों में कमी 14.58 प्रतिशत से 81.97 प्रतिशत तक थी। यह देखा जा सकता है कि डीईआरसी ने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए एनडीएमसी पर कुल ₹1.81 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
- बिजली के नए दीर्घकालिक स्रोतों को अंतिम रूप देने और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने में देरी के कारण प्रति वर्ष लगभग ₹80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय टाला जा सकता है।

कल्याण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट – (अध्याय 9)

- मृत घोषित व्यक्तियों के नाम पर जारी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन: ₹7.80 लाख।
- 13 लाभार्थियों को हितकारी निधि योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति: ₹2.5 लाख।
- उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के 410 मामलों में विभाग को लाभार्थियों के दावे के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में 6 से 14 महीने लग गए।
- बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के 447 मामलों में, कर्मचारियों को उनके बच्चों की शादी के 3 से 8 महीने बाद जारी किया गया।
- हितकारी निधि योजना के तहत कोई लाभ नहीं लेने वाले 9 कर्मचारियों को एकमुश्त लाभ से वंचित करना: ₹29,400/–।
- वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना से संबंधित पैनल में शामिल 10 अस्पतालों (चयनित 14 में से) के मेडिकल बिल ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
- पैनल में शामिल अस्पतालों को दवाओं, गुब्बारों (कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए उपचार) आदि की लागत का भुगतान किया गया था, जो पैकेज दर के तहत कवर नहीं थे: ₹5.10 लाख।

जीएसटी पर ऑडिट रिपोर्ट – (अध्याय–10)

- जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(2) के प्रावधानों का पालन न करने के कारण एनडीएमसी पर ₹40.32 करोड़ की देनदारियां हैं। इस संबंध में धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार ₹7.09 करोड़ का दंडात्मक ब्याज भी लगाया गया है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच बकाया मांग में ₹1.67 लाख का अंतर आंका गया है।
- बी2बी और बी2सी स्टेटमेंट में दिखाया गया डेटा संयुक्त रूप से 2020–21 के दौरान आरपीटी90ई के मासिक स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता है।

अध्याय-1

परिषद की वित्तीय स्थिति – बजट दस्तावेजों का विश्लेषण

1.1 परिचय

यह अध्याय परिषद के बजट दस्तावेजों में निहित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद के खाते एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 58 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। एनडीएमसी ने वर्ष 2004–05 से परिषद संकल्प संख्या 3(XII) दिनांक 24 अप्रैल 2002 के तहत उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाया। वर्ष 2020–21 के लिए खातों को एक निजी विक्रेता द्वारा एनडीएमसी के लिए विकसित ई–फाइनेंस नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर तैयार किया गया था। लेखा तैयार करने का प्रारूप राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) में निर्धारित होना चाहिए। परिषद की वित्तीय स्थिति नई दिल्ली नगरपालिका निधि के माध्यम से परिलक्षित होनी चाहिए, जिसे एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 44 के तहत परिषद द्वारा बनाए रखा जाता है। सभी प्राप्तियों और व्यय को इस निधि के तहत बुक किया जाना है।

1.3 धन के स्रोत और अनुप्रयोग

परिषद की निधियों के मुख्य स्त्रोत इस प्रकार थेः–

- राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020–21 के लिए ₹3126.44 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 के लिए ₹3491.60 करोड़ हो गईं, जो 11.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2020–21 के लिए ₹789.35 करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 के लिए ₹654.40 करोड़ हो गईं, जो 17.09 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

इस प्रकार, कुल प्राप्तियां (राजस्व और पूंजी) 2020–21 में ₹3915.79 करोड़ से 2021–22 में ₹4146.00 करोड़ हो गई, जिसमें 5.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ₹4146.00 करोड़ की प्राप्तियों में ₹991.70 करोड़ का कर राजस्व, ₹2493.87 करोड़ का गैर–कर राजस्व, ₹654.40 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति और ₹6.03 करोड़ का राजस्व अनुदान/योगदान और सब्सिडी आदि शामिल हैं।

परिषद की निधियों का मुख्य उपयोग इस प्रकार था:–

- वर्ष 2020–21 के लिए राजस्व व्यय ₹3061.06 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 के लिए ₹3325.50 करोड़ हो गया, जो 8.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- पूंजीगत व्यय वर्ष 2020–21 के लिए ₹175.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 के लिए ₹270.75 करोड़ हो गया, जो 54.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इस प्रकार, कुल व्यय (राजस्व और पूंजी) 2020–21 में ₹3236.69 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹3596.26 करोड़ हो गया, जो 11.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ₹3596.26 करोड़ के व्यय में ₹1482.44 करोड़ का स्थापना व्यय, ₹124.87 करोड़ का प्रशानिक व्यय, ₹1184.48 करोड़ का संचालन और रखरखाव आदि और ₹804.47 करोड़ का अन्य व्यय शामिल है।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 44 के अनुसार, परिषद द्वारा 'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' के रूप में जाना जाने वाला एक फंड रखा जा रहा है। परिषद द्वारा या परिषद की ओर से किसी भी स्रोत से प्राप्त धन को निधि का एक हिस्सा बनाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिषद पर या उसकी ओर से व्यय इस निधि से किया जाना है। वर्ष 2021–22 के लिए इस निधि के तहत कुल प्राप्तियां और व्यय निम्नानुसार थे:

तालिका 1.1 वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान (₹करोड़ में)

क्र.सं.	साल	2021-22	2020-21
1	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष	6762.44	6154.10
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ जोड़ें	4146.00	3915.79
3	**कुल *(1+2)***	**10908.44**	**10069.89**
4	वर्ष के दौरान कम व्यय	3596.26	3236.69
5	प्रोद्भवन समायोजन	188.74	(-) 70.75
6	31 मार्च को समापन शेष **(3-4+5)**	**7500.92**	6762.45
7	**वर्ष के दौरान शुद्ध अधिशेष (+)/घाटा(–)**	**738.48**	**608.35**

फंड का समापन शेष वर्ष 2021–22 के लिए ₹6762.44 करोड़ से बढ़कर 2021–22 के अंत में ₹7500.92 करोड़ हो गया है और वर्ष 2020–21 के लिए शुद्ध अधिशेष ₹608.35 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹738.48 करोड़ हो गया है।

1.5 प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1.1 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

परिषद की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के अलावा मुख्य रूप से कर और गैर–कर राजस्व शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है

तालिका 1.2 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी(-)
2021-22	3491.60	11.68
2020-21	3126.44	(-) 5.50
2019-20	3308.63	(-) 0.42
2018-19	3322.72	6.20
2017-18	3128.72	4.42

1.5.1.2 राजस्व प्राप्तियों के घटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार हैं–

तालिका 1.3 राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
कर राजस्व	991.70 (28.40)	724.86 (23.18)	731.78 (22.12)	711.17 (21.40)	784.29 (25.07)
गैर कर राजस्व	2493.87 (71.43)	2326.46 (74.41)	2566.21 (77.56)	2527.37 (76.07)	2246.51 (71.80)
दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	6.03 (0.17)	75.12 (2.41)	10.64 (0.32)	84.18 (2.53)	97.92 (3.13)
कुल	**3491.60 (100)**	**3126.44 (100)**	**3308.63 (100)**	**3322.72 (100)**	**3128.72 (100)**

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशत दर्शाते हैं।

- गैर–कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक बना रहा, गैर–कर राजस्व का हिस्सा 2020–21 में 74.41 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 71.43 प्रतिशत हो गया। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 2020–21 में 2.41 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 0.17 प्रतिशत हो गया और कर–राजस्व का हिस्सा 2020–21 में 23.18 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 28.40 प्रतिशत हो गया। यह नीचे ग्राफिक रूप से दर्शाया गया है।

ग्राफ 1.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक

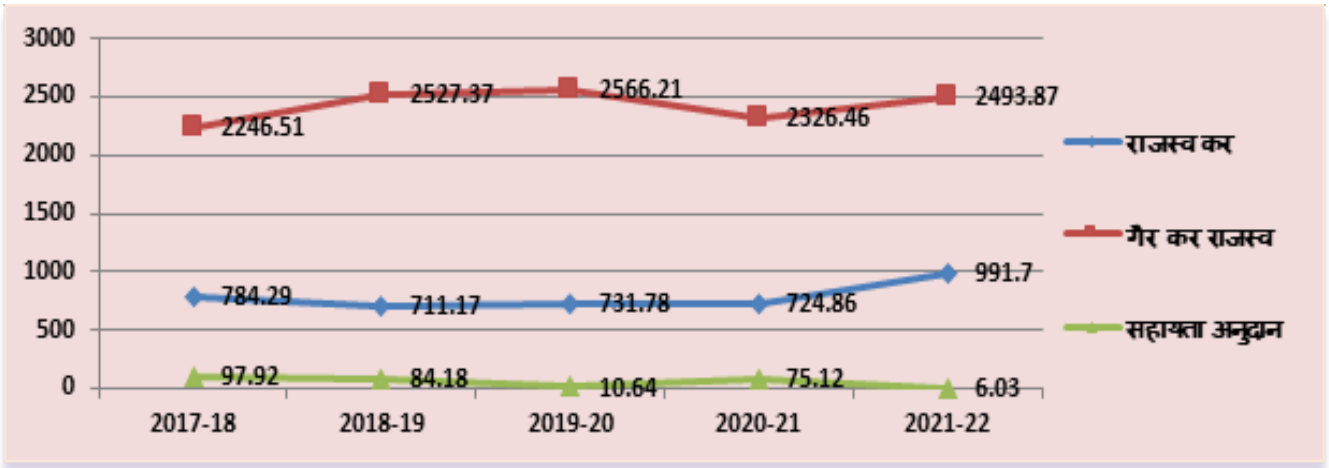

1.5.1.3 कर राजस्व के घटक

पिछले पांच वर्षों में कर राजस्व के घटकों की वृद्धि पैटर्न नीचे दी गई है:–

तालिका 1.4 कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
संपत्ति कर	896.04 (90.35)	647.99 (89.39)	523.86 (71.59)	603.53 (84.86)	641.54 (81.75)
संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क	52.53 (5.29)	42.78 (5.91)	163.34 (22.32)	34.53 (4.86)	69.45 (8.85)
चुनाव/विज्ञापन/प्रदर्शन कर	35.33 (3.57)	30.80 (4.24)	42.30 (5.78)	43.72 (6.15)	38.11 (4.86)
करों का निर्दिष्ट हिस्सा (दिल्ली वित्त आयोग के संदर्भ में निधि का हस्तांतरण)	7.80 (0.79)	3.29 (0.46)	2.28 (0.31)	29.39 (4.13)	35.61 (4.54)
कुल	**991.70**	**724.86**	**731.78**	**711.17**	**784.71**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशत दर्शाते हैं।

कर राजस्व के विभिन्न घटकों का हिस्सा ग्राफिक रूप से नीचे दर्शाया गया है:–

ग्राफ 1.2 2020–21 के लिए कर राजस्व के घटक (प्रतिशत)

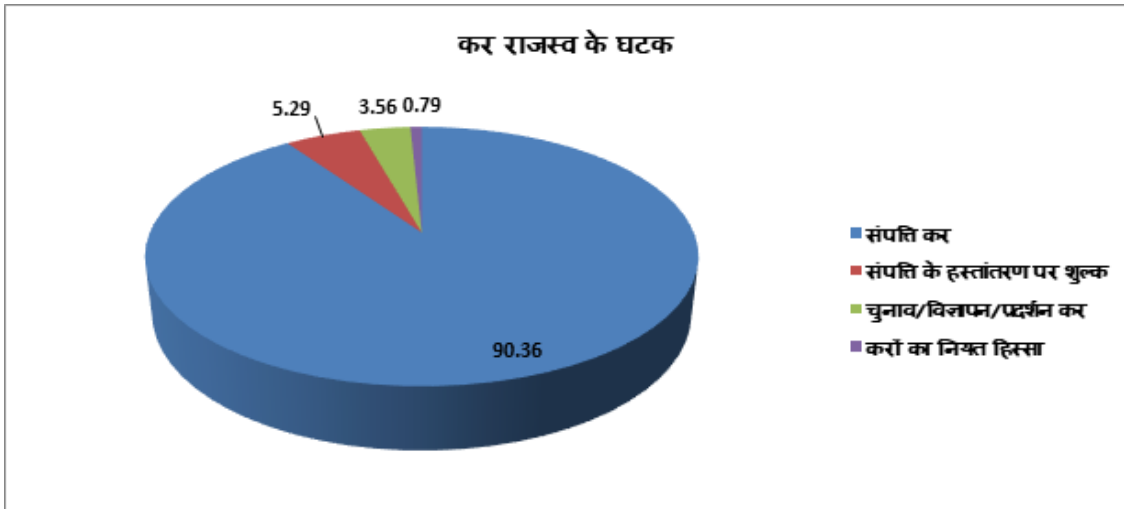

कर राजस्व में संपत्ति कर का प्रमुख योगदान रहा। पिछले वर्ष की तुलना में संपत्ति कर का हिस्सा 0.96 प्रतिशत बढ़ गया।

1.5.1.4 गैर–कर राजस्व प्राप्तियां

गैर–कर राजस्व में वृद्धि

गैर–कर राजस्व की वर्ष–वार प्रवृत्ति (वृद्धि) नीचे दर्शाई गई है:–

तालिका 1.5 गैर–कर राजस्व की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर–कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (–)
2021-22	2493.87	7.12
2020-21	2326.46	(-) 9.34
2019-20	2566.21	1.54
2018-19	2527.37	12.50
2017-18	2246.41	(-)0.49

ग्राफ 1.3 गैर कर राजस्व की वृद्धि

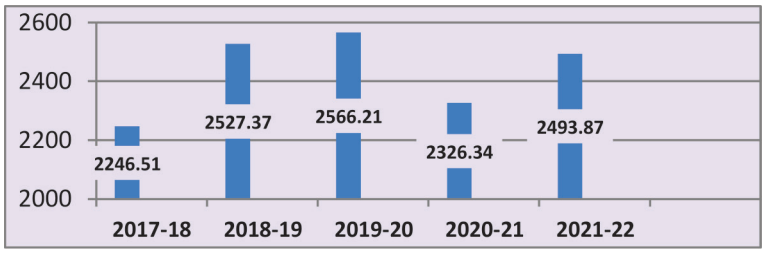

- **निरपेक्ष रूप से, गैर–कर राजस्व 2020–21 में ₹2326.46 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹2493.87 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।**

1.5.1.5 गैर–कर राजस्व की संरचना

पिछले पांच वर्षों में गैर–कर राजस्व के विभिन्न घटकों का विकास पैटर्न नीचे दिया गया था:

तालिका 1.6 गैर–कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
ऊर्जा की बिक्री	1237.28 (49.61)	1144.41 (49.19)	1363.36 (53.13)	1301.55 (51.50)	1195.19 (53.20)
पानी, सीवरेज की बिक्री	254.31 (10.20)	227.72 (9.79)	191.88 (7.47)	229.40 (9.08)	191.68 (8.53)
किराया/लाइसेंस शुल्क और वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्तियां	542.82 (21.77)	523.05 (22.49)	467.75 (18.23)	485.40 (19.20)	403.48 (17.96)
फीस, जुर्माना और विविध. प्राप्तियां	83.15 (3.33)	9.23 (0.39)	75.8 (2.96)	68.26 (2.70)	60.33 (2.69)
निवेश पर ब्याज	376.31 (15.09)	422.05 (18.14)	467.42 (18.21)	442.76 (17.52)	395.73 (17.62)
कुल	**2493.87 (100)**	**2326.46 (100)**	**2566.21 (100)**	**2527.37 (100)**	**2246.41 (100)**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिषद के गैर–कर राजस्व में ऊर्जा/पानी की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, निवेश पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

ग्राफ 1.4 गैर–कर राजस्व के घटक (प्रतिशत)

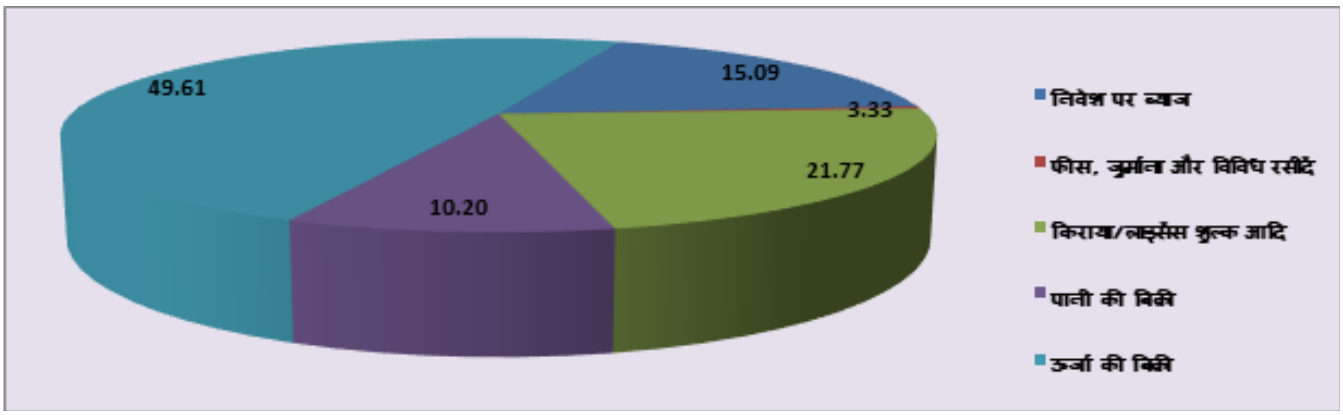

गैर–कर राजस्व के प्रमुख स्रोत ऊर्जा की बिक्री (49.61 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (15.09 प्रतिशत) और किराया/लाइसेंस शुल्क और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्तियां (21.77 प्रतिशत) थीं।

1.5.1.6 सहायता अनुदान प्राप्तियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता

परिषद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान (शिक्षा – कर्मचारियों का वेतन, मध्याह्न भोजन और स्वास्थ्य योजना आदि) के रूप में सहायता प्राप्त होती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की प्रवृत्ति निम्नानुसार थीः–

तालिका 1.7 सहायता अनुदान (₹करोड़ में)

वर्ष	अनुदान सहायता	प्रतिशत कुल प्राप्तियों का
2021-22	6.03	0.17
2020-21	75.12	2.40
2019-20	10.64	0.31
2018-19	84.18	2.12
2017-18	97.92	2.70

ग्राफ क्रमांक 1.5 सहायता अनुदान

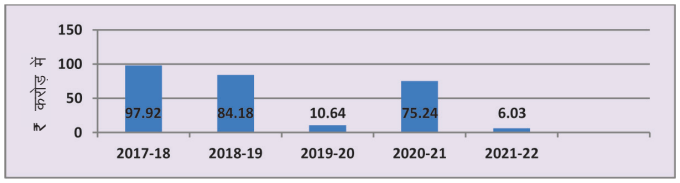

1.5.1.7 राजस्व प्राप्तियों का बकाया

खातों में मार्च–2022 तक कुल प्राप्तियों की बकाया राशि ₹9991.73 करोड़ दर्शाई गई थी, तथापि, बकाया राशि का वर्ष–वार ब्यौरा नहीं दिया गया था। पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में भी इसका उल्लेख किया गया था लेकिन विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाने अभी बाकी थे। बकाया राशि की वसूली की बेहतर निगरानी के लिए बकाया राशि का वर्ष–वार ब्यौरा रखे जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

राजस्व प्राप्तियों की बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है

तालिका 1.8 (₹ करोड़ में)

मार्च खत्म	मात्रा
2022	9991.73
2021	8667.41
2020	7412.40
2019	6946.50
2018	6088.76

ग्राफ संख्या 1.6

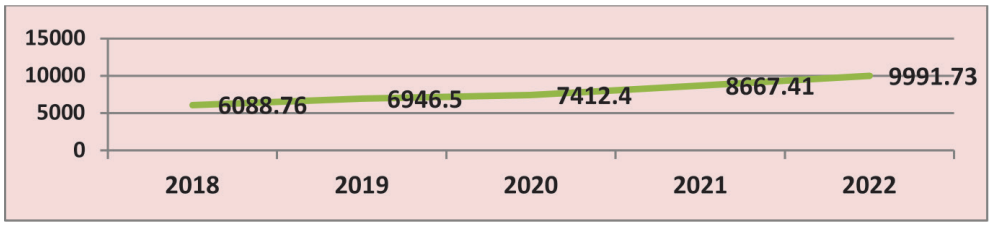

- वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्ति के बकाये में भारी वृद्धि संपत्ति कर उप–नियमों 2009 के आधार पर राजस्व की बुकिंग के कारण हुई थी। हालांकि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय (10 अगस्त 2017) और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (22 जनवरी 2019) द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन एनडीएमसी ने इसे प्राप्य के रूप में चित्रित करना जारी रखा और इसकी पुनर्गणना नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप बकाया के रूप में भारी मात्रा में अप्राप्य राजस्व प्राप्तियां हुईं।

1.6 व्यय

व्यय की प्रवृत्ति

कुल व्यय सभी व्यय, राजस्व और पूंजी दोनों, और एनडीएमसी कर्मचारियों को ऋण के संवितरण को दर्शाता है। परिषद ने 2021–22 में कुल ₹3596.26 करोड़ खर्च किए। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान व्यय का रुझान नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.9 व्यय की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

साल	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल
2021-22	3325.50	270.76	3596.26
2020-21	3061.06	175.63	3236.69
2019-20	3246.75	441.21	3687.96
2018-19	3060.79	299.14	3359.93
2017-18	2927.39	258.76	3186.15

व्यय की प्रवृत्ति का चित्रमय चित्रण नीचे दिखाया गया है:–

ग्राफ 1.7 : व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

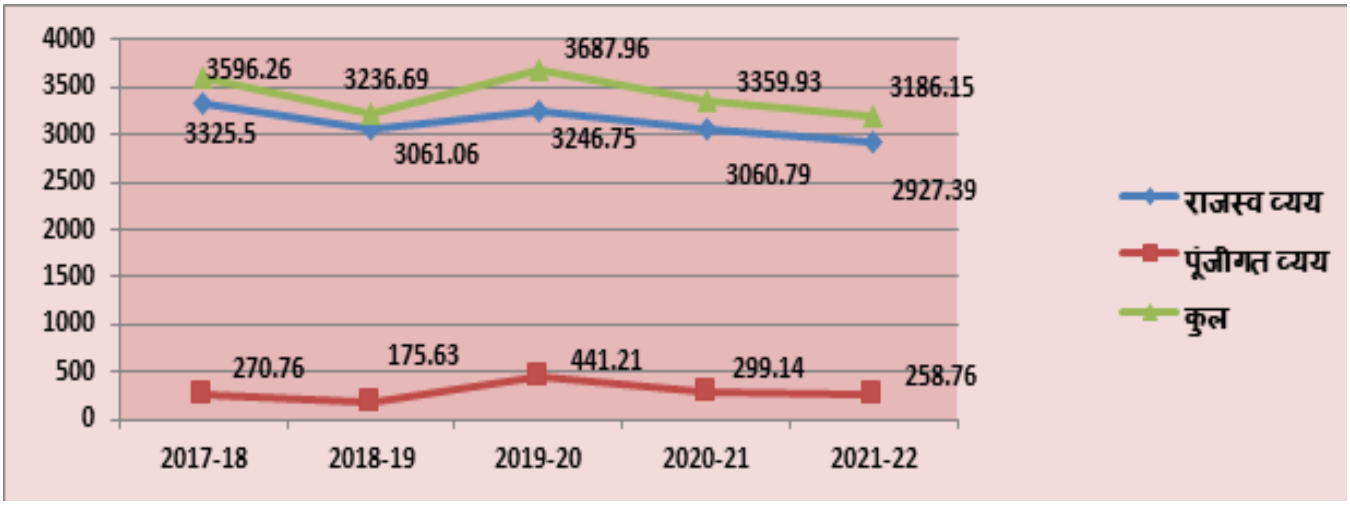

- कुल व्यय 2020–21 में ₹3236.69 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹3596.26 करोड़ हो गया। 2021–22 के दौरान किए गए व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पूंजीगत व्यय 2020–21 में ₹175.63 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹270.76 करोड़ हो गया, जो 54.16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्व व्यय 2020–21 में ₹3061.06 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹3325.50 करोड़ हो गया, जो 8.64 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

1.7 गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद गैर–सरकारी संगठनों/स्कूलों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनडीएमसी द्वारा विभिन्न संस्थानों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान की मात्रा निम्नानुसार है

तालिका 1.10 परिषद द्वारा सहायता अनुदान (₹ लाख में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1	नवयुग स्कूल सोसायटी	5547.75	5916.75	5274.73	5098.93	4840.83
2	आर. एम. आर्य गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, नंबर 2	50.78	307.80	53.00	40.00	26.50
3	निर्मल प्राइमरी स्कूल, कोटा हाउस	163.77	125.45	121.72	113.77	106.30
4	आर. एम. कन्या प्राथमिक विद्यालय, क्रमांक 1	7.58	787.10	104.07	95.54	96.74
5	वर्षा जल संचयन के लिए सब्सिडी	129.10	123.96	161.24	0.00	142.14
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन/एनजीओ	0.00	0.00	0.00	10.50	11.36
7	समाज कल्याण समिति	119.09	131.56	136.80	136.93	164.64
8	धोबी घाटों के लिए बिजली जल शुल्क पर सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	पशु जन्म नियंत्रण सोसायटी	20.00	10.00	10.00	18.05	16.96

क्र. सं.	संस्था का नाम	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
10	पोषण – मध्याह्न भोजन	4.84	180.00	171.48	300.51	75.38
11	ऊर्जा शुल्क पर छूट	6.17	0.00	0.00	0.00	1.76
	कुल	**6049.08**	**7582.62**	**6033.04**	**5814.23**	**5492.61**

- **परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान 2020–21 में ₹7582.62 लाख से घटकर 2021–22 में ₹6049.08 लाख हो गई, जो 20.22 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।**

1.8 अधिशेष और आरक्षित निधियां

एनडीएमसी के पास विभिन्न सेगमेंट फंड हैं। ये फंड एनडीएमसी फंड के भीतर अधिशेष राजस्व की अभिवृद्धि हैं। 2021–22 के दौरान इन फंडों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.11 अधिशेष और आरक्षित निधि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान व्यय	जमा शेष
1.	विद्युत निधि				
	(i) विनियामक आरक्षित निधि	**5.00**	**0.26**	**--**	**5.26**
	(ii) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	**307.22**	**15.77**	**0.45**	**322.54**
	कुल विद्युत निधि	**312.22**	**16.03**	**0.45**	**327.80**
2.	जल आपूर्ति एवं सीवरेज निधि				
	(i)डीआरएफ	**293.67**	**14.91**	**3.49**	**305.09**
3.	संपदा निधि				
	(i) कॉम. बिल्डिंग फंड	**361.79**	**18.49**	**2.03**	**378.25**
	(ii) ट्रांस. बाजार निधि	**137.24**	**7.05**	**0.15**	**144.14**
	(iii) डीआरएफ	**378.90**	**19.44**	**0.64**	**397.70**
	(iv) सार्वजनिक कला कोष	**5.00**	**0.26**	**--**	**5.26**
	कुल संपदा निधि	**882.93**	**45.24**	**2.82**	**925.35**
4.	कर्मचारी निधि				
	(i) पेंशन निधि (अनुसूची बी–2)	**860.28**	**2792.44**	**460.73**	**3191.99**
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	**9.83**	**0.07**	**8.31**	**1.59**
	कुल कर्मचारी निधि	**870.11**	**2792.51**	**469.04**	**3193.58**
5.	सामान्य निधि				
	(i) मेरे पास नकदी है	**265.05**	**357.98**	**--**	**623.03**
	(ii) निवेश सामान्य निधि	**6496.51**	**381.20**	**--**	**6877.01**
	कुल सामान्य निधि	**6761.56**	**739.18**	**--**	**7500.04**
	एनडीएमसी फंड (1+2+3+4+5)	**9120.49**	**3607.87**	**475.80**	**12252.56**

1.9 बजटीय अनुमानों का विश्लेषण

बजट आंकड़ों के तीन सेट प्रस्तुत करता है (ए) पिछले वर्ष के लिए वास्तविक, (बी) चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, और (सी) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान। यह खंड बजटीय अनुमानों के संदर्भ में परिषद के वित्त के विभिन्न घटकों में भिन्नताओं पर चर्चा करता है।

1.9.1 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रह

पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक संग्रह निम्नानुसार था–

तालिका 1.12 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रह (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	आरई पर वृद्धि / कमी	आरई पर प्रतिशत वृद्धि
2021-22	3336.45	3491.60	155.15	4.44
2020-21	3143.25	3126.44	(-) 16.81	(-) 0.53
2019-20	3606.88	3308.63	-298.25	-8.27
2018-19	3390.53	3322.72	-67.81	-2.00
2017-18	3183.52	3128.72	- 54.80	- 1.72

संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में ₹99.21 करोड़ की कमी थी।

1.9.2 **निम्नलिखित 5 कार्यों के संबंध में, संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियों में कमी 2021–22 के दौरान ₹267.13 लाख से ₹805.33 लाख तक थीय 2021–22 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ संशोधित अनुमान से कम थीं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:**

तालिका 1.13 प्राप्तियों में कमी (₹ हजार में)

क्र. सं.	प्रयोजन कोड	प्रयोजन विवरण	आरई (2021-22)	वास्तविक प्राप्तियाँ (2021-22)	कमी
1	5	सम्पदा	6281100	5475763	805337
2	81	बिजली	12499797	12372821	126976
3	99	अन्य कर	541050	431309	109741
4	7	भण्डार एवं खरीद	61200	15358	45842
5	82	शिक्षा	27305	592	26713

संशोधित अनुमान के संबंध में प्राप्तियों में बड़ी कमी 5 कार्यों (संपदा, बिजली, अन्य कर, भंडार और खरीद और शिक्षा) में थी।

1.9.3 संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियां निम्नलिखित मामलों में 17.06 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक अधिक थीं।

तालिका 1.14 प्राप्तियों का अतिरिक्त संग्रह (₹ हजारों में)

क्र. सं.	प्रयोजन कोड	प्रयोजन विवरण	आरई (2021-22)	वास्तविक प्राप्तियाँ (2021-22)	डब्लू आर टी बढ़ाएँ संशोधित अनुमान	डब्लू आर टी प्रतिशत वृद्धि डब्लू आर टी दोबारा
1	12	भवन विनियमन	10010	14318	4308	43.0
2	58	नगरपालिका बाजार	59970	85103	25133	41.9
3	55	सामुदायिक/विवाह केंद्र	10010	13059	3049	30.5
4	91	सम्पत्ति कर	7500040	9485791	1985751	26.5
5	42	सार्वजनिक सुविधा	16350	20018	3668	22.4
6	11	शहर एवं नगर नियोजन	383851	462631	78780	20.5
7	14	अतिक्रमण हटाना	13129	15703	2574	19.6
8	21	सड़कें एवं फुटपाथ	76380	89861	13481	17.6

1.9.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रह

पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रह निम्नानुसार था:

तालिका 1.15: संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रह (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	आर ई पर वृद्धि (+)/कमी (–)	आर ई पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (–)
2021-22	804.10	991.70	187.60	18.92
2020-21	759.30	724.86	(-) 34.44	- 4.53
2019-20	779.77	731.78	(-) 47.99	- 6.15
2018-19	759.18	711.17	(-) 48.01	- 6.32
2017-18	614.35	784.29	169.94	27.66

संशोधित अनुमानों के संदर्भ में कर राजस्व के वास्तविक संग्रह में 2021–22 के दौरान 14.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.9.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर–कर राजस्व का वास्तविक संग्रह

पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर–कर राजस्व का वास्तविक संग्रह निम्नानुसार था:

तालिका 1.16 : संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर–कर राजस्व का वास्तविक संग्रह (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	आर ई पर वृद्धि(+)/कमी (–)	आर ई पर प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (–)
2021-22	2532.35	2493.87	(-) 38.48	(-) 1.52
2020-21	2333.35	2326.46	(-) 6.89	(-) 0.30
2019-20	2719.71	2566.21	(-) 153.50	(-) 5.64
2018-19	2518.69	2527.37	8.68	0.34
2017-18	2431.03	2246.51	(-) 184.52	(-) 7.59

2021–22 के दौरान वास्तविक गैर–कर राजस्व संग्रह संशोधित अनुमानों की तुलना में 1.28 प्रतिशत कम था।

1.9.6 संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 1.17 संशोधित अनुमान (राजस्व) की तुलना में वास्तविक व्यय (₹करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व व्यय	अतिरिक्त(+)/ बचत(-)	प्रतिशत
2021-22	3276.36	3325.50	(-) 49.14	(-) 1.50
2020-21	3087.82	3061.06	(-) 26.76	(-) 0.86
2019-20	3492.14	3246.75	(-)245.39	(-)7.03
2018-19	3316.49	3060.79	(-)255.70	(-)7.70
2017-18	3178.14	2927.39	(-) 250.75	(-) 7.89

ग्राफ 1.8: वास्तविक राजस्व व्यय अर्थात संशोधित अनुमान (₹करोड़ में)

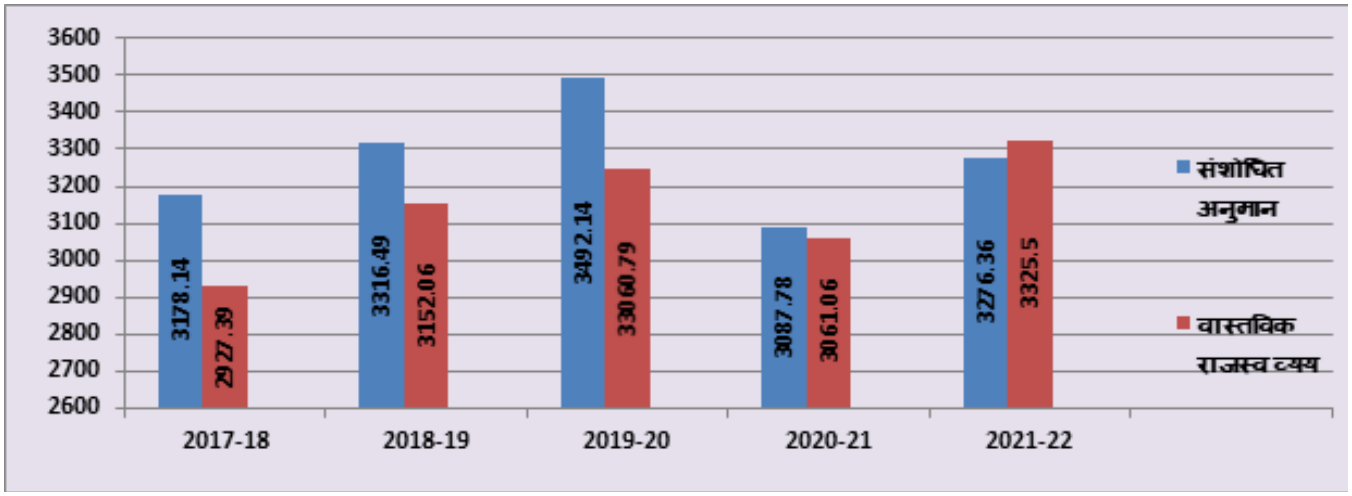

- **वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक राजस्व व्यय ₹3276.36 करोड़ के संशोधित अनुमान के मुकाबले ₹3325.50 करोड़ था।**

1.9.7 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

2020–21 के दौरान निम्नलिखित 13 कार्यों में संशोधित अनुमानों (आरई) का अधिकतम कम उपयोग देखा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.18: संशोधित अनुमान के मुकाबले कम व्यय (₹ हजार में)

क्र. सं.	कोड संख्या	प्रयोजन विवरण	संशोधित अनुमान (21-22)			वास्तविक व्यय (21-22)			आरई का उपयोग के अंतर्गत
			राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	
1	11	शहर एवं नगर नियोजन	58543	1441614	1500157	56722	596459	653181	846976
2	81	बिजली	11465113	589459	12054572	11388375	306049	11694424	360148
3	21	सड़कें एवं फुटपाथ	1030514	238843	1269357	925758	81352	1007110	262247
4	82	शिक्षा	1919723	155877	2075600	1751946	96620	1848566	227034
5	61	पार्क और उद्यान	1087465	93047	1180512	986099	31677	1017776	162736
6	52	मल	957541	107460	1065001	883034	51435	934469	130532
7	58	नगर निगम बाजार	192494	34109	226603	97064	22248	119312	107291
8	35	अस्पताल सेवा	758309	72875	831184	726903	7757	734660	96524
9	41	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1620568	12500	1633068	1565534	3385	1568919	64149
10	53	अग्निशमन सेवा एवं आपदा प्रबंधन	268826	25300	294126	246493	8358	254851	39275

संशोधित अनुमान ₹3.92 करोड़ से ₹84.69 करोड़ तक के संदर्भ में अल्प उपयोग से पता चलता है कि बजट अनुमान ठीक से तैयार नहीं किया गया था।

1.9.8 संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय

वर्ष 2021–22 के दौरान संशोधित अनुमानों के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.19: वर्ष 2021–22 के दौरान संशोधित अनुमानों के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय

क्र. सं	कोड संख्या	प्रयोजन विवरण	संशोधित अनुमान (21-22)			वास्तविक व्यय (21-22)			आर.ई. का अत्यधिक उपयोग	कम उपयोग का प्रतिशत दोबारा
			आय	राजधानी	कुल	आय	राजधानी	कुल		
1	3	वित्त एवं लेखा	179071	0	179071	1040963	5	1040968	861897	82.80
3	7	भण्डार एवं खरीद	118414	150	118564	111972	290557	402529	283965	70.55
2	6	जागीर	198050	627930	825980	696155	403691	1099846	273866	24.90
5	51	जलापूर्ति	1533840	86562	1620402	1653414	51570	1704984	84582	4.96
4	2	प्रशासन	9697575	390776	10088351	9533130	686725	10218955	131504	1.29

1.10 व्यय की तीव्रता

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 62 (3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की भीड़ को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत मार्च के महीने और वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बड़ा खर्च किया गया। व्यय की भीड़ के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.20: मार्च–2021 के महीने में व्यय की तीव्रता (₹ हजारों में)

क्र. सं	कोड संख्या	प्रयोजन विवरण	कुल व्यय	व्यय मार्च में	मार्च में प्रतिशत व्यय
1	22	पुल और फ्लाई ओवर	659	659	100
2	91	सम्पत्ति कर	8485373	8292997	98
3	6	सम्पदा	1243094	1125440	91
4	3	वित्त लेखा एवं लेखापरीक्षा	1042346	869186	83
5	51	जलापूर्ति	1920443	718259	37
6	2	प्रशासन	9700488	3504068	36
7	25	तूफानी जल नालियाँ	14821	5154	35
8	1	एमपीएल बॉडी	22261	6093	27
9	42	सार्वजनिक सुविधा	64812	14838	23
10	56	मनोरंजन	80239	18244	23
11	54	कला और संस्कृति	10801	2301	21

इसी तरह नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पिछली तिमाही में बड़ी राशि खर्च की गई थी:

तालिका 1.21: अंतिम तिमाही (जनवरी–2021 से मार्च–2021) में व्यय की भीड़ (₹ हजारों में)

क्र. सं.	फंक्शन संख्या	समारोह विवरण	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	पिछली तिमाही के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत
1	22	पुल और फ्लाई ओवर	659	659	100
2	91	सम्पत्ति कर	8485373	8300070	98
3	6	जागीर	1243094	1155205	93
4	3	वित्त लेखा एवं लेखापरीक्षा	1042346	898362	86
5	25	तूफानी जल नालियाँ	14821	12099	82
6	73	वृद्धों का कल्याण	8839	6081	69
7	51	जलापूर्ति	1920443	1035532	54
8	54	कला और संस्कृति	10801	5814	54
9	55	सामुदायिक/विवाह केंद्र	34341	17521	51
10	2	प्रशासन	9700488	4653009	48
11	56	मनोरंजन	80239	36606	46
12	1	एमपीएल बॉडी	22261	9082	41

मार्च–2022 के महीने में ग्यारह कार्यों के लिए बजट प्रावधानों का उपयोग 21 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक था (तालिका संख्या 1.20) जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 की अंतिम तिमाही में बारह कार्यों के लिए (तालिका संख्या 1.21) यह 41 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक था जो वर्ष 2021–22 के लिए एनडीएमसी में व्यय से संबंधित ठोस वित्तीय प्रबंधन अभ्यास को चित्रित नहीं करता है।

अध्याय-2

लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त एवं लेखा विभाग) परिषद के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ कार्यकारी सारांश/मुख्य बातें

देयता

- भविष्य निधि (पीएफ) के कारण ₹954.04 करोड़ की देनदारी और उसके बदले में किए गए निवेश को एनडीएमसी के खातों में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा पीएफ ट्रस्ट का भी गठन नहीं किया गया. (पैरा 2.8.1.1)
- विभाग ने पेंशन देयता के लिए ₹35.64 करोड़ का कम प्रावधान प्रदान किया। **[पैरा 2.8.1.2]**

अचल परिसंपत्तियां

- 31 मार्च 2022 तक कैपिटल–वर्क–इन–प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत मौजूद ₹2706.94 करोड़ की राशि को 2004–05 से अचल संपत्तियों में परिवर्तित नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी ने अचल संपत्तियों का विकृत आंकड़ा प्रस्तुत किया और इन अचल संपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया। **[पैरा 2.8.2.1]**

वर्तमान संपत्ति

- विभाग ने लेखापरीक्षा को बैंक समाधान विवरण का विवरण प्रदान नहीं किया, इसलिए, संभावित जोखिम क्षेत्रों जैसे बैंक द्वारा गलत डेबिट, अनधिकृत भुगतान, चेक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया और पुराने चेक की स्थिति आदि की जांच नहीं की जा सकी। **[पैरा 2.8.2.4]**
- 'सबका विश्वास योजना 2019' के तहत ₹163.69 करोड़ का भुगतान वापसी योग्य/वसूली योग्य नहीं था, लेकिन लेखांकन नीति संख्या 2 के विरुद्ध "सरकारी विभाग को अग्रिम" के रूप में दिखाया गया था। **[पैरा 2.8.2.5]**

आय

- वसूली की अनिश्चितता के कारण लेखांकन नीति संख्या 2 के विरुद्ध लाइसेंस शुल्क के कारण ₹147.55 करोड़ की आय को आय के रूप में दर्ज किया गया था। **[पैरा 2.9.1.1]**
- 2009 के उपनियमों के आधार पर 2021–22 के दौरान संपत्ति कर के कारण ₹1527.28 करोड़ की आय की बुकिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप 'प्राप्तियां' और आय को बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया। **[पैरा 2.9.1.3]**

व्यय

- संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने के लिए दी गई ₹38.74 करोड़ की छूट का हिसाब नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय को कम दिखाया गया और 'अधिशेष' और 'प्राप्य' को अधिक बताया गया। **[पैरा 2.9.2.1]**
- मूल्यह्रास दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹2.54 करोड़ से अधिक मूल्यह्रास लगाया गया। **[पैरा 2.9.2.2]**

अन्य

- ₹151.30 (₹74.47 + ₹76.83) करोड़ की राशि का व्यय संचय आधार के बजाय नकद आधार पर दर्ज किया गया था। **[पैरा 2.9.3.1]**

2. परिषद् के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के खातों पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 59 के तहत मुख्य लेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

2.1 हमने एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 59 के तहत 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाता और नकदी प्रवाह विवरण का लेखापरीक्षा किया है। प्रशासन स्थानीय निकायों के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (एनएमएएम) और स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानक शामिल हैं। इसमें वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

2.2 सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा सिद्धांतों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की गई है। इन सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि लेखापरीक्षा की योजना बनाई जाए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन किया जाए कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण के आधार पर जांच करना और प्रशासन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारे निष्कर्षों के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

2.3 हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, अस्वीकरण के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) एनएमएएम के अनुसार 31 मार्च 2022 की तुलन शीट और 2021–22 की अवधि के लिए आय एवं व्यय विवरण को अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

(ii) एनडीएमसी द्वारा बैंक मिलान विवरण (बीआरएस) को छोड़कर खातों और संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव किया गया है, जैसा कि एनएमएएम के अंतर्गत अपेक्षित है, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षण जांच से प्रतीत होता है।

(iii) हमने ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(iv) नियंत्रण जोखिम (इस बात की संभावना कि किसी सामग्री के गलत विवरण को या तो इकाई की वित्तीय जानकारी दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है या इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा पता लगाया और ठीक नहीं किया जा सकता है), एनडीएमसी में उस हद तक चिंता का विषय बना हुआ है।

अस्वीकरण: पहचान जोखिम यह संभावना है कि एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों में सामग्री गलत विवरण का पता नहीं लगा सकता है; यह उच्च बना हुआ है क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध मानव संसाधन लेखापरीक्षा अधिदेश

को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। धोखाधड़ी को रोकने की जिम्मेदारी एनडीएमसी के प्रशासन की है जिसने प्रमाणित किया है कि वर्ष 2021–22 के दौरान धोखाधड़ी, गबन और चोरी के कारण एनडीएमसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

2.4 वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

परिषद के प्राधिकारी इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में परिषद की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

2.5 लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (एनएमएएम) के आधार पर उपार्जन आधारित लेखा प्रणाली के तहत तैयार किए गए इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

एक लेखापरीक्षा में परिषद की उपार्जन आधारित लेखा प्रणाली के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरणों के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिम मूल्यांकन को बनाने में, लेखा परीक्षक ने परिषद की तैयारी और वित्तीय विवरण की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

2.6 राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण भारत में जीएएपी के अनुसार एनएमएएम द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं:

(ए) 31 मार्च 2022 तक परिषद के मामलों की बैलेंस शीट के मामले में;

(बी) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए परिषद के अधिशेष के आय और व्यय के विवरण के मामले में;

(सी) कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए परिषद के नकदी प्रवाह का।

2.7 अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर–2004 में जारी एनएमएएम के अध्याय–32 के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, परिषद ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी हैं। सभी खातों की पुस्तकें कम्प्यूटरीकृत हैं। परिषद ने "एबीएएस' नामक कार्यक्रम के तहत खाते की किताबें बनाए रखी हैं।

ग. इस रिपोर्ट में दी गई बैलेंस शीट और आय और व्यय का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।

घ. काउंसिल की अचल संपत्तियों के मामले में बैलेंस शीट में बताई गई शेष राशि भौतिक सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन और हानि, यदि कोई हो, के अधीन है। जानकारी के अभाव में, हम वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं।

ङ. बैंक बैलेंस के मामले में, लेखापरीक्षा टिप्पणी करने में असमर्थ है क्योंकि बैंक समाधान विवरण के तहत पूरी जानकारी लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। बैंक समाधान के मामले में, समाधान विवरण में पड़ी शेष राशि एक वर्ष से अधिक से संबंधित है। सभी बैंक खातों की शेष राशि बहीखाता के अनुसार समाधान के अधीन है।

च. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार परिषद के पास कुछ मुकदमे लंबित हैं, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगे।

2.8 बैलेंस शीट

2.8.1 देनदारियाँ

2.8.1.1 भविष्य निधि के लिए ₹954.04 करोड़ की देयता प्रदान न करना

एनडीएमसी के वित्तीय विवरणों की अनुसूची–23 के नोट 6(i) में कहा गया है कि "कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के तहत देनदारियों को एनडीएमसी के खातों में शामिल नहीं किया जाना है"। हालाँकि, एनएमएएम का पैरा–3.14 (बी) निर्दिष्ट करता है कि वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) कटौती को उसी अवधि में दायित्व के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें संबंधित वेतन को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, एनएमएएम के अनुसार, पीएफ के प्रबंधन के लिए ट्रस्टों के पैरा 3.14 (सी एंड डी) के गठन पर विचार किया जाएगा और यह शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रस्ट बनाए और फंड की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे। पीएफ का पैसा किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश किया जाएगा। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

क. एनडीएमसी में ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया है और कर्मचारियों के भविष्य निधि के कारण देनदारी को एनडीएमसी की बैलेंस शीट से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफ के पैसे का निवेश नहीं किया गया था। यह भी देखा गया है कि 31 मार्च 2022 तक, पीएफ के खाते में कुल देयता ₹954.04 करोड़ थी।

ख. यदि न्यासी बोर्ड भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो एनएमएएम का पैरा 14.30 लागू होना चाहिए अर्थात ऐसी स्थितियों में जहां अर्जित ब्याज कर्मचारियों को देय निर्धारित दर से कम है, ब्याज के भुगतान में कमी को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पूरा किया जाएगा। वर्ष 2021–22 के दौरान, पीएफ पर कर्मचारियों को देय ब्याज ₹64.71 करोड़ था, हालांकि, पीएफ के निवेश से

अर्जित ब्याज की गणना अक्रूवल आधार पर नहीं की गई थी। इस प्रकार देय अतिरिक्त राशि, यदि कोई (पीएफ निवेश पर अर्जित राशि से) है, जो आय और व्यय खाते पर प्रभारित है, लेखापरीक्षा में पता लगाने योग्य नहीं थी।

एक अलग भविष्य निधि न्यास न होने और इससे संबंधित नियंत्रण तंत्र/स्वतंत्रता न होने से न केवल कर्मचारियों के हित असुरक्षित हो जाते हैं बल्कि यह वर्तमान अधिनियम/नियमों/विनियमों के अनुपालन में भी नहीं है।

विभाग ट्रस्ट बनाने के लिए नियम की स्थिति की जांच करने के लिए सहमत हो गया। इसके अलावा, विभाग ने इसे एनडीएमसी खातों के माध्यम से भेजने के लिए स्वीकार किया, यदि अन्यथा अनुमति हो।

2.8.1.2 कर्मचारियों को देय पेंशन के प्रति पूर्ण दायित्व प्रदान न करना।

एनएमएएम के पैरा संख्या 3.14 (ई) में यह निर्धारित किया गया है कि पेंशन और ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट आदि सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को पूरा करने के लिए अलग से फंड भी बनाया जा सकता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ निधियों के लिए योगदान को व्यय और देयता के रूप में मान्यता दी जाएगी।

हालाँकि, यह देखा गया कि बीमांकिक या अनुमान के आधार पर प्रावधान बनाने के बजाय, एनडीएमसी स्थापना व्यय के तहत नकद आधार पर सेवानिवृत्ति खर्चों को पूरा कर रहा था। यह मुद्दा वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाया गया था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि 31 मार्च 2017 तक पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन ₹3422.63 करोड़ (छुट्टी नकदीकरण के ₹195.00 करोड़ सहित देनदारी) और परिषद ने संकल्प संख्या 06 (डी–03) के साथ पठित संकल्प संख्या 4 (डी–01) दिनांक 4 अप्रैल 2018 के तहत ₹3227.63 करोड़ (छुट्टी नकदीकरण देनदारी को छोड़कर) के कोष के साथ एक पेंशन ट्रस्ट फंड बनाने का निर्णय लिया) जिसमें से ₹1000 करोड़ प्रत्येक वर्ष एनडीएमसी फंड से पेंशन ट्रस्ट को तब तक हस्तांतरित किए जाएंगे जब तक कि राशि कॉर्पस मूल्य तक नहीं पहुंच जाती।

पेंशन फंड खाते के तहत ₹860.28 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि थी। स्थापना विभाग ने 2021–22 के दौरान जनरल फंड से पेंशन फंड खाते में ₹2792.44 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की थी। इस खाते से ₹460.73 करोड़ का भुगतान करने के बाद, 31 मार्च 2022 तक फंड खाते (खाता कोड–3101041) के तहत ₹3191.99 करोड़ की राशि शेष राशि के रूप में दिखाई दे रही थी। इस प्रकार अभी भी ₹35.64 करोड़ का कम प्रावधान था।

इसके अलावा, एनएमएएम के पैरा 3.19 (विशेष निधि) के अनुसार, विशेष निधि से किए गए निवेश पर आय को मान्यता दी जाएगी और केवल विशेष निधि में जमा किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 2021–22 के दौरान पेंशन फंड के निवेश पर अर्जित ₹90.36 करोड़ का ब्याज पेंशन फंड के बजाय जनरल फंड के तहत बुक किया गया था।

विभाग ने कहा कि 2021–22 के दौरान पर्याप्त धन हस्तांतरित किया गया है, हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमी को 2022–23 के दौरान भी प्रदान किया जाएगा।

2.8.1.3 अवितरित सब्सिडी की गलत प्रस्तुति।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एनडीएमसी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत राजसहायता के लिए एनडीएमसी को निधियां प्रदान करती है।लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वाणिज्यिक विभाग द्वारा विद्युत प्रभार बिल तैयार करते समय उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी गई थी। सब्सिडी का लेखा–जोखा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान के

समय एबीएएस में किया गया था (यानी उपार्जन आधार के बजाय नकद आधार पर)। एबीएएस के अनुसार अवितरित राज सहायता ₹27.96 करोड़ थी। तथापि, वाणिज्यिक विभाग के अनुसार संवितरित राजसहायता ₹5.50 करोड़ से अधिक थी। इस प्रकार ₹33.46 करोड़ (₹27.96 + ₹5.50 करोड़) का अंतर है जिसके परिणामस्वरूप अवितरित राज सहायता को ₹33.46 करोड़ अधिक बताया गया।

विभाग ने इस मुद्दे की समीक्षा करना स्वीकार कर लिया है और 2022–23 में सुधारात्मक कार्यवाही करेगा।

2.8.1.4 राजस्व की अग्रिम वसूली का समायोजन न होना

(ए) लाइसेंस शुल्क की अग्रिम प्राप्ति का समायोजन न होना – (खाता कोडः 3504105)

"लाइसेंस शुल्क के अग्रिम संग्रह" के संबंध में यह देखा गया कि 1 अप्रैल 2021 तक राजस्व के अग्रिम संग्रह का प्रारंभिक शेष ₹126.01 करोड़ था। वर्ष 2021–22 के दौरान, एनडीएमसी ने अग्रिम रूप से ₹27.49 करोड़ का राजस्व एकत्र किया। हालांकि वर्ष 2021–22 के दौरान कोई समायोजन (अर्थात आय मद में) नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹153.50 करोड़ का "अग्रिम लाइसेंस शुल्क" जमा हुआ और उस सीमा तक आय कम बताई गई।

(बी) लाइसेंस शुल्क जमा का समायोजन न करना– (खाता कोडः 3402003)

31 मार्च 2020 तक प्राप्त ₹47.48 करोड़ की लाइसेंस शुल्क जमा राशि को खाता कोड 3402003 के खिलाफ दिखाया गया था और इतनी ही राशि को ₹47.48 करोड़ के राजस्व के अग्रिम संग्रह के किसी भी समायोजन (यानी आय मद में) के बिना 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया जा रहा था।

राजस्व की अग्रिम प्राप्तियों का समायोजन न किए जाने के परिणामस्वरूप देनदारियों में वृद्धि हुई और ₹47.48 करोड़ की आय का कम विवरण दिया गया।

(सी) 'शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क' की अग्रिम प्राप्ति का समायोजन न होना – (खाता कोडः 3504107)

वर्ष 2021–22 के लिए 'अन्य शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क' के खाते के संबंध में, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 'शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क' के रूप में 2018–19 तक ₹10.18 करोड़ अग्रिम में प्राप्त हुए थे, हालांकि 2021–22 के दौरान केवल ₹0.21 करोड़ समायोजित किए गए थे और शेष ₹9.97 करोड़ अभी भी पिछले तीन वर्षों से असमायोजित पड़े हैं।

उपर्युक्त मामलों में राजस्व की अग्रिम प्राप्ति का समायोजन न किए जाने के परिणामस्वरूप देनदारियों में वृद्धि हुई और आय का विवरण उस सीमा तक कम हो गया, जिसका उल्लेख किया गया है।

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और 2022–23 में ऐसी अग्रिम प्राप्तियों या ऐसे लेनदेन को समायोजित करने के लिए संबंधित कार्यकारी विभागों को निर्देश जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.1.5 विभिन्न सहायता–अनुदानों/निधियों के विरुद्ध व्यय का समायोजन न किया जाना

वाणिज्यिक विवेक सिद्धांत के अनुसार, प्राप्त अनुदान या धन या अग्रिम की नियमित रूप से निगरानी, मिलान और उपयोग के बाद निपटान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2010–11 से 2016–17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान बकाया है और चालू वर्ष के खातों में भी असमायोजित है। विवरण नीचे तालिका–2.1 में दिखाया गया हैः–

तालिका 2.1 प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण

क्र. सं	विवरण	अवधि तब से दिखाई दे रही है	खाता कोड	राशि (₹ करोड़ में)
1	ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण (जेएनएनयूआरएम योजना)	2012-13	3202007	22.65
2	सड़कों एवं पुलों का निर्माण	2010-11	3202001	15.00
3	खेल एवं युवा सेवाएँ	2011-12	3202018	68.94
4	विधायक निधि–सरोजनीनगर	2011-12	3208002	3.12
5	विधायक निधि– गोल मार्केट	2016-17	3208001	1.69

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एनडीएमसी द्वारा प्राप्त सहायता–अनुदान/निधियों का समायोजन न किए जाने की समीक्षा की जाए और आवश्यक सुधारात्मक प्रविष्टियां पारित की जाएं।

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और 2022–23 में ऐसे अनुदानों/निधियों को समायोजित करने के लिए संबंधित कार्यकारी विभागों को निर्देश जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.1.6 एनएमएएम के प्रावधानों के विरुद्ध विभागीय प्रभारों का लेखा–जोखा

एनएमएएम पैरा 3.12 (च) में यह प्रावधान है कि निक्षेप कार्यों के संबंध में राजस्व (प्रतिशत प्रभार) जमा कार्य के व्यय के साथ अर्जित किया जाएगा।

वर्ष 2021–22 के लिए विभागीय प्रभार लेखा (1407004) की जांच करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनडीएमसी जमा राशियों की प्राप्ति पर विभागीय प्रभारों का लेखा–जोखा कर रही है, जबकि व्यय करने और बिल बढ़ाने के बाद इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। चालू वर्ष के दौरान, एनएमएएम के प्रावधानों के विरुद्ध विभागीय प्रभारों के रूप में ₹5.42 करोड़ की राशि का हिसाब रखा गया था।

विभाग ने स्वीकार किया और 2022–23 में सुधारात्मक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.1.7 एनपीएस योजना 2004 में एनडीएमसी अंशदान के लिए ₹3.27 करोड़ की देयता का प्रावधान न होना – (खाता संहिता 2103003)

फरवरी और मार्च–2022 के लिए नई पेंशन योजना 2004 में एनडीएमसी के योगदान के संबंध में, 2021–22 के खाते में ₹3.27 करोड़ के उपार्जन आधार पर देयता का प्रावधान नहीं किया गया था।इसके परिणामस्वरूप नई पेंशन योजना 2004 में अंशदान मद के अंतर्गत व्यय में ₹3.27 करोड़ की कमी आई है।

विभाग ने कहा कि वह उपार्जन आधार पर लेनदेन की बुकिंग से संबंधित लेखापरीक्षा के सुझाव का अनुपालन कर रहा है और 2022–23 में उपरोक्त पर कार्यवाही करेगा।

2.8.1.8 अनुदान का गैर–पूंजीकरण– (अनुसूची बी –4)

विभाग को आईपीडीएस योजना के तहत उप–पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से ₹107.97 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें से ₹71.09 करोड़ का काम पूरा हो गया (24 दिसंबर 2020) जैसा कि डीईआरसी को सूचित किया गया है)। पूंजीगत कार्य पर व्यय की गई ₹71.09 करोड़ की राशि को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था और अनुदान के खाते मद से समायोजित किया जाना चाहिए था, हालांकि, ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ग्रांट का और कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस का ओवरस्टेटमेंट हुआ।

विभाग ने कहा कि अनुदान और सीडब्ल्यूआईपी के लेखांकन की प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जा रही है और सुधारात्मक कार्यवाही 2022–23 में की जाएगी।

2.8.1.9 अलग–अलग खाता प्रमुख

ऐसे खातों के तीन प्रमुख हैं जिनके तहत 31 मार्च 2022 तक सेवा कर के तहत प्राप्तियां/देय राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिखाई दे रही है:

तालिका 2.2

क्र. सं.	खाता कोड	समापन शेष (राशि करोड़ में)
1	4311962	15.47
2	3502007	7.56
3	4311967	(-)36.41

चूंकि ये खाते सेवा कर के एक ही शीर्ष से संबंधित हैं, इसलिए 31 मार्च 2022 तक प्राप्तियों/देय की सही स्थिति को दर्शाने के लिए इनकी समीक्षा की जा सकती है।

विभाग ने उपरोक्त खातों की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की और 2022–23 में समायोजन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करेगा।

2.8.2 संपत्ति

2.8.2.1 पूंजी–कार्य–प्रगति का गैर–पूंजीकरण: ₹2706.94 करोड़ – (अनुसूची बी–11बी)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों 5(i) के अनुसार अचल सम्पत्तियाँ यह निर्धारित करती हैं कि खरीद या निर्माण के माध्यम से अर्जित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण की लागत या पूरा होने पर निर्माण की लागत पर किया जाता है। जबकि प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) से संबंधित 5 (ii) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी विशेष परिसंपत्ति के कारण होने वाले पूंजीगत व्यय को संपत्ति या परियोजना के पूरा होने या निर्माण तक सीडब्ल्यूआईपी के तहत रखा जाता है। लेखा नोट्स (2021–22) 1 (I) (vi) में कहा गया है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रत्येक संपत्ति से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता के कारण सीडब्ल्यूआईपी के तहत मौजूद राशि (2004–05 के बाद से) पूंजीकृत नहीं की गई है। 31 मार्च 2022 तक खाते में दिखाए गए पूंजी–कार्य की कुल राशि ₹2706.94 करोड़ थी। खातों में नोट लेखांकन नीति के अनुपालन में नहीं है। वर्ष 2004–05 से 2021–22 तक गैर–पूंजीकरण और मूल्यह्रास न वसूलने के कारण वित्तीय विवरण पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

विभाग ने कहा कि सीडब्ल्यूआईपी के लेखांकन की प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जा रही है और सुधारात्मक कार्यवाही 2022–23 में की जाएगी।

2.8.2.2 अचल परिसंपत्तियों/भंडारों/पूंजी–कार्य का अल्प–पूंजीकरण प्रगति पर है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मैनुअल और लागत लेखा मानक के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की लागत की परिभाषा में खरीद मूल्य, ओवरहेड्स, पैकिंग और अग्रेषण शुल्क, बीमा, उत्पाद शुल्क/आयात शुल्क और लागू अन्य कर शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने ₹37.60 करोड़ मूल्य के स्टोर मदों/अचल आस्तियों/सीडब्ल्यूआईपी की खरीद से संबंधित यादृच्छिक बिलों (14 संख्या) की समीक्षा की जिसमें ₹6.15 करोड़ केन्द्रीय/राज्य वस्तु और सेवा कर शामिल हैं। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹6.15 करोड़ की कर राशि को छोड़कर केवल ₹31.45 करोड़ का पूंजीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों/भंडारों/सीडब्ल्यूआईपी के पूंजीकरण में ₹6.15 करोड़ की कमी आई।

यह केवल एक उदाहरण है। ऐसे लेन–देन का कुल प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए सभी संबंधित विभागों को इस मुद्दे पर निर्देश जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.2.3 प्राप्तियों की गलत प्रस्तुति और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान

एनएमएएम के पैरा 3.6(i) में कहा गया है कि दो साल से अधिक की बकाया मांग के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों पर प्रावधान किया जाएगा:

दो वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक का बकाया नहीं	25 प्रतिशत
तीन वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से अधिक का बकाया नहीं	50 प्रतिशत
चार वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया	75 प्रतिशत
पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया	100 प्रतिशत

तथापि, विविध देनदार प्राप्तियों के संबंध में अनुसूची बी–15(क) एनएमएएम की आवश्यकता के अनुसार तैयार नहीं की गई है ताकि विविध देनदारों के आनुपातिक आयु–वार विश्लेषण को दर्शाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, मोटे अनुमान के आधार पर संदिग्ध प्राप्य के लिए ₹5835.42 करोड़ का संचित प्रावधान किया गया है। इसका खुलासा खाते की अनुसूची बी–23 के नोट 6 (एम) के तहत किया गया है। यही नोट बिना किसी उपचारात्मक कार्यवाही के एनडीएमसी के खातों में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विभाग ने स्वीकार कर लिया और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अगले वर्ष मामले की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.2.4 नकद और बैंक शेष

31 मार्च 2022 तक बैंक मिलान विवरण (बीआरएस) का पूरा विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था। बीआरएस के पूर्ण विवरण के अभाव में निम्नलिखित जोखिमों से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(i) खातों से किए गए अनधिकृत भुगतान या निकासी

(ii) बैंक द्वारा गलत डेबिट और निकाली गई राशि अज्ञात रहती है

(iii) बैंक द्वारा किसी अन्य के खाते में जमा या जमा नहीं की गई धनराशि

(iv) बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(v) शेष पाए गए पुराने चेकों की स्थिति

(vi) बैंक द्वारा अनधिकृत प्रभार/लेवी का पता नहीं चल पाया है

हालांकि, लेखापरीक्षा ने लेखा विभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुसार बीआरएस (31 मार्च 2022) की जांच की। इस संबंध में संबंधित अभिलेखों के साथ निम्नलिखित और जानकारी/विवरण मांगे गए थे लेकिन प्रदान नहीं किए गए थे:–

(i) मार्च–2022 तक बैंक द्वारा दी गई असंबद्ध डेबिट राशि (₹66.44 करोड़)

(ii) चेक और नकद जमा लेकिन बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया गया (₹29.76 करोड़)

(iii) 1 अप्रैल 2005 तक किया गया समायोजन – ₹2.32 करोड़

(iv) अतिरिक्त नकदी (2009–10) – ₹2.17 करोड़

(v) कम नकदी आहरण (2009–10) – ₹3.03 करोड़

(vi) अतिरिक्त नकदी (2013) – ₹4.33 लाख

(vii) अतिरिक्त नकदी (2013) – ₹4.33 लाख

पूर्ण/समुचित मिलान, ब्यौरे की उपलब्धता, कारणों आदि के अभाव में लेखापरीक्षा बीआरएस में दर्शाए गए आंकड़ों की सटीकता को सुरक्षित नहीं कर सकी। नतीजतन बैंक द्वारा गलत डेबिट, बैंकों द्वारा गलत क्रेडिट, बैंकों द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों को भुगतान के हस्तांतरण के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पुराने विवरणों सूचना आदि की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की।

2.8.2.5 सरकारी कर्मचारियों के प्रति देनदारियों के विरुद्ध अग्रिम– (खाता कोड: 4605008)

एनडीएमसी अपनी संपत्तियों से अर्जित विभिन्न सेवाओं और किराए के संबंध में सेवा कर विभाग को सेवा कर एकत्र करने और भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, एनडीएमसी अपनी सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों से कर वसूलने में विफल रही।

एनडीएमसी ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत वर्ष 2019–20 और 2020–2021 में सेवा कर विभाग को ₹163.69 करोड़ का भुगतान किया।

सेवा कर के रूप में ₹163.69 करोड़ का भुगतान एनडीएमसी को किया जा रहा व्यय है जो पिछले वर्षों में ग्राहकों से समान वसूली के बिना किया जा रहा है। विभाग को अपने ग्राहकों से 31 मार्च 2022 तक केवल ₹2.85 करोड़ मिले। इस प्रकार 31 मार्च 2022 तक अग्रिम (खाता संहिता: 460508) के रूप में दिखाई देने वाली शेष राशि ₹160.84 करोड़ (₹163.69 करोड़ – ₹2.85 करोड़ की वसूली की गई) को चालू वर्ष के दौरान व्यय के रूप में बुक किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, लेखा नीति सं–2 को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य आय/प्राप्तियां जो अनिश्चित प्रकृति की हों अथवा जिनके लिए राशि का पता नहीं लगाया जा सके अथवा जब एनडीएमसी के नियमित प्रचालन के दौरान मांग नहीं की जाती हो, को वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर मान्यता दी जाती है। चूंकि ग्राहकों की प्राप्ति/वसूली अनिश्चित है, इसलिए यदि भविष्य में कोई प्राप्तियां आती हैं, तो उन्हें लेखा नीति के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर आय के रूप में लिया जाएगा।

विभाग ने कहा कि व्यय को एक बार में या एक बार में बुक करने के बजाय, उपरोक्त अग्रिम की राशि को 2022–23 में 'प्राप्य' में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आगे कहा गया है कि उपरोक्त के विरुद्ध रसीद को वास्तविक रसीद के आधार पर आय में लिया जाएगा। शेष राशि के लिए प्राप्तियों के विरुद्ध 'संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान' नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

2.9 आय और व्यय

2.9.1 आय

2.9.1.1 लेखा नीति और लेखा मानक के विरुद्ध आय का लेखांकन

एनडीएमसी की लेखा नीति संख्या (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी अन्य आय, जो अनिश्चित प्रकृति की है, को वास्तविक प्राप्ति पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय सनदी संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस–9) के पैरा 9 में यह प्रावधान है कि जब कोई दावा करते समय अंतिम संग्रह और उचित निश्चितता का आकलन करने की क्षमता का अभाव होता है, तो राजस्व मान्यता को अनिश्चितता की सीमा तक स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में राजस्व को पहचानने के लिए केवल तभी विनियोजित किया जा सकता है जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि अंतिम संग्रह किया जाएगा।

एनडीएमसी ने निम्नलिखित चार लाइसेंसधारकों से लाइसेंस शुल्क के लिए ₹151.53 करोड़ की वर्तमान वर्ष की मांग सहित कुल ₹2405.29 करोड़ की मांग की। विवरण नीचे तालिका 2.3 में दिखाया गया है:–

तालिका 2.3 चालू वर्ष की मांग सहित कुल बकाया मांग

क्र. सं	निर्धारिती का नाम	वर्ष 2021–22 की मांग	2021–22 के दौरान प्राप्त राशि	31 मार्च 2022 तक ब्याज सहित कुल बकाया
1	मेसर्स भारत होटल	98.00	00	1358.17
2	सुपर बाजार	6.95	00	119.49
3	सामान्य धन समिति	6.88	00	110.51
4	मेसर्स सी.जे.इंटरनेशनल	39.70	3.98	817.12
कुल		**151.53**	**3.98**	**2405.29**

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि पक्षकारों के साथ विवाद या मामला विचाराधीन होने के कारण ₹2405.29 करोड़ की भारी बकाया राशि की वसूली के बारे में अनिश्चितता थी। इस प्रकार आय के रूप में ₹147.55 करोड़ (₹151.53 करोड़ – ₹3.98 करोड़) की बुकिंग के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अधिशेष और प्राप्तियों की अधिकता हुई है।

विभाग सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए संपदा विभाग के परामर्श से मामले की समीक्षा करने पर सहमत हुआ।

2.9.1.2 पूर्व अवधि आय के माध्यम से रूट करने के बजाय चालू वर्ष में लेखांक

लेखा मानक 5 के अनुसार, पिछले वर्ष में व्यय या आय की बुकिंग में त्रुटि या चूक को वर्तमान वर्ष के व्यय या आय को दिखाने के बजाय 'पूर्व अवधि व्यय/आय' के माध्यम से बुक या रूट किया जाना चाहिए था।

छह मामलों में, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि पिछले वर्ष के व्यय/आय को पूर्व अवधि के व्यय/आय के बजाय चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में बुक किया गया था। विवरण नीचे तालिका 2.4 में दिखाया गया है:–

तालिका 2.4

क्र. सं	व्यय का संक्षिप्त विवरण	मात्रा (₹ करोड़ में)	अवधि से संबंधित है
1	9 संपत्तियों के संबंध में संपत्ति[1] कर (पूर्व अवधि की आय)	345.92	2010-21
2	किदवई नगर (ई) से संबंधित कार्यों के संबंध में विभागीय शुल्क / 7 प्रतिशत –मेसर्स एनबीसीसी, लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली पुलिस, एम्स, सफदरजंग अस्पताल और पीडब्ल्यूडी (पूर्व अवधि की आय)	0.20	2020-21
3	एल एंड डीओ से हस्तांतरित बाजारों से लाइसेंस शुल्क (पूर्व अवधि की आय)	0.37	2020-21
4	लाइसेंस शुल्क (पार्किंग) (पूर्व अवधि की आय)	4.00	2019-21
5	अधिकारियों का अवकाश वेतन योगदान (पूर्व अवधि व्यय)	0.28	2020-21
6	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के ऊर्जा बिजली खरीद बिलों को थोक बिजली खरीद व्यय के तहत दर्ज किया गया है (पूर्व अवधि व्यय)	1.87	2020-21
	मेसर्स पीपीसीएल के ऊर्जा विद्युत खरीद बिल (पूर्व अवधि व्यय)	1.13	2018-19

इस प्रकार 2009–10 से 2020–21 की अवधि से संबंधित व्यय/आय को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में बुक किया गया था, जिसे पूर्व अवधि की आय/व्यय के माध्यम से बुक किया जाना चाहिए था।

विभाग ने कहा कि वह 'पूर्व अवधि आय/व्यय' की बुकिंग से संबंधित लेखापरीक्षा के सुझाव का अनुपालन कर रहा है और 2022–23 में उपरोक्त पर कार्रवाई करेगा।

2.9.1.3 संपत्ति कर के कारण आय की ओवरबुकिंग।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2019 के आदेश के तहत सिविल अपील में एनडीएमसी उप–नियम 2009 (यूनिट एरिया मेथड) को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया और तदनुसार, उप–नियमों से उत्पन्न कर बकाया अप्रासंगिक हैं। यह देखा गया कि एनडीएमसी ने 27 अक्टूबर 2020 और 2 अगस्त 2021 के अपने पत्रों के माध्यम से दिल्ली गोल्फ क्लब को सूचित किया कि उप–नियम 2009 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण, क्लब पर कर देयता अमान्य हो गई है और संपत्ति के मूल्य को फिर से तय करने की आवश्यकता है। हालांकि, एनडीएमसी ने यूनिट एरिया मेथड पर आधारित दिल्ली गोल्फ क्लब पर 15 नवंबर 2021 को ₹126.14 करोड़ की नई मांग सहित ₹1517.28 करोड़ के संपत्ति कर की मांग की। इस प्रकार यह मांग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और एनडीएमसी द्वारा जारी पत्रों के अनुरूप नहीं है।

इस प्रकार आय के रूप में ₹1517.28 करोड़ की मांग की बुकिंग के परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्तियों का अधिक विवरण दिया गया है।

विभाग ने स्वीकार किया और कहा कि 2022–23 में कर विभाग के परामर्श से सुधार किया जाएगा।

2.9.2 व्यय

2.9.2.1 संपत्ति कर का समय पर भुगतान करने पर करदाताओं को छूट का लेखा–जोखा न देने की अनुमति दी गई।

एनएमएएम के पैरा 6.13 के अनुसार वे करदाता जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करते हैं, छूट के हकदार हैं।

[1]पीआईडी-9619 (₹13.23 करोड़), पी-15190 (₹124.11 करोड़), पी-15717 (₹29.69 करोड़), पी-15795 (₹25.78 करोड़), पी-15796 (₹30.84 करोड़), पी-14120 (₹18.67 करोड़), पी-15713 (₹32.57 करोड़), पी-15710 (₹25.33 करोड़), पी-15192 (₹45.70 करोड़)

संपत्ति कर के लेखांकन और उसके संग्रह के लिए, विभाग ने उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के आधार पर करदाताओं को मांग नोटिस जारी किए। डिमांड नोटिस मिलने के बाद करदाता संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) दाखिल करें और भुगतान करें।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2021–22 के दौरान संपत्ति कर के संबंध में ₹1394.60 करोड़ की कुल मांग की गई थी और इसे खातों में आय के रूप में लिया गया था। तथापि, एनएमएएम के अनुसार विभाग द्वारा छूट के रूप में अनुमत ₹38.74 करोड़ आय एवं व्यय खाते में व्यय के रूप में वसूले जाने चाहिए थे। छूट का लेखा–जोखा न करने के परिणामस्वरूप व्यय को कम दर्शाया गया और अधिशेष तथा देनदारों को ₹38.74 करोड़ की अधिक राशि दी गई।

विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और कहा कि कर विभाग के परामर्श से मामले को सुलझाया जाएगा।

2.9.2.2 मूल्यह्रास दरों का गलत अनुप्रयोग।

(ए) एनडीएमसी एसेट्स वैल्यूएशन मैनुअल में कहा गया है कि कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन पर / 20 प्रतिशत का शुल्क लिया जाएगा। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में ₹17.30 करोड़ की राशि ली गई थी। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर लिखित मूल्य पर ₹4.74 करोड़ /10 प्रतिशत प्रति वर्ष का शुल्क लिया गया था। परिसंपत्तियों की खरीद के बाद से मूल्यह्रास दरों के इस दुरुपयोग के प्रभाव का आकलन किया जाए और लेखापरीक्षा को सूचना के तहत सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।

(बी) एनडीएमसी ने एनबीसीसी से ईस्ट किदवई नगर में टाइप–II के 10 फ्लैट्स ₹9.54 करोड़ मूल्य पर खरीदे। इन संपत्तियों को पूंजीकृत किया गया और 'आवासीय भवन' (खाता कोड 4102004) के बजाय 'अन्य अचल संपत्ति' (खाता कोड 4108020) के तहत दिखाया गया।

आवासीय फ्लैटों (31 मार्च 2022 तक) के गलत लेखांकन के कारण, आवासीय भवन श्रेणी के तहत ₹0.74 करोड़ @ 2 प्रतिशत के बजाय 'अन्य अचल संपत्ति श्रेणी' के तहत ₹3.28 करोड़ @ 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में ₹2.54 करोड़ की वृद्धि हुई और अधिशेष को भी इतनी ही राशि से कम बताया गया।

विभाग सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए मूल्यह्रास अनुसूची की समीक्षा करने पर सहमत हो गया।

2.9.3 अन्य

2.9.3.1 नकद आधार पर व्यय की बुकिंग

लेखापरीक्षा में एनएमएएम के तहत अपेक्षित आकस्मिक आधार के बजाय नकद आधार पर किए जा रहे लेनदेन के लेखांकन के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है।

(ए) वर्ष 2021–22 के दौरान, वर्ष 2020–21 से संबंधित विभिन्न बिलों के लिए ₹74.47 करोड़ का भुगतान किया गया और 2021–22 में नकद आधार पर बुक किया गया। विवरण नीचे तालिका 2.5 में दिखाया गया है:–

तालिका 2.5 वर्ष 2020–21 के लिए नकद आधार पर 2021–22 में दर्ज व्यय (₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	ऊर्जा/बिजली की थोक खरीद	51.76
2	संविदा कर्मियों का वेतन	7.14
3	कचरा हटाने	7.12
4	सुरक्षा निगरानी	4.59
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.04
6	जल प्रभार	0.82
	कुल	**74.47**

(बी) इसी तरह चालू वर्ष 2021–22 से संबंधित ₹76.83 करोड़ के व्यय को नकद आधार पर वर्ष 2022–23 में बुक किया गया है। विवरण नीचे तालिका 2.6 में दिखाया गया है

तालिका 2.6 वर्ष 2021–22 के लिए व्यय नकद आधार पर 2022–23 में बुक किया गया (₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	ऊर्जा/बिजली की थोक खरीद	51.02
2	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15.66
3	अस्पताल के लिए दवाओं की खरीद	0.41
4	आंतरिक उपयोग के लिए बिजली शुल्क	0.95
5	वेतन अंशदान छोड़ें	0.26
6	सुरक्षा निगरानी	4.76
7	कचरा हटाने	3.77
	कुल	**76.83**

विभाग ने कहा कि वह उपार्जन आधार पर लेनदेन की बुकिंग से संबंधित लेखापरीक्षा के सुझाव का अनुपालन कर रहा है और 2022–23 में उपरोक्त पर कार्य करेगा।

2.9.3.2 निवेश–जनरल फंड– (एसएच.बी–12)

फेडरल बैंक के पास ₹66.80 करोड़ की सावधि जमा राशि विद्युत की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से भुगतान प्रतिभूति के लिए पावर जनरेटिंग कंपनी (पीपीसीसी) के पास गिरवी रखी गई थी। राशि का खुलासा खाते के नोट्स में भौतिक जानकारी के रूप में किया जाना चाहिए था, हालांकि खाते के नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया था।

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार कर लिया और 2022–23 में सुधारात्मक कार्यवाही करने पर सहमति व्यक्त की।

2.9.3.3 'अधिशेष/घाटे' की गलत प्रस्तुति

वर्ष 2021–22 के लिए आय और व्यय खाते के तहत ₹358.11 करोड़ के अधिशेष के मुकाबले, ₹376.32 करोड़ को मुख्य शीर्ष नगरपालिका (सामान्य) निधि के तहत आरक्षित निधि में हस्तांतरित दिखाया गया था, जिससे आय और व्यय खाते में ₹18.21 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि बैलेंस शीट में म्यूनिसिपल (जनरल) फंड – अनुसूची (बी –1) के तहत, 2021–2022 के दौरान केवल ₹358.11 करोड़ (₹13092.18 करोड़ की अंतिम शेष राशि और ₹12734.07 करोड़ की शुरुआती शेष राशि) का हस्तांतरण किया गया था।

इस प्रकार, 2021–22 के दौरान वास्तविक अधिशेष से अधिक राशि आरक्षित निधि में अंतरण के आय और व्यय खाते में प्रस्तुतीकरण वाणिज्यिक विवेक के अनुसार नहीं था और गलत धारणा दे रहा था कि वर्ष 2021–22 के लिए घाटा/हानि थी, जबकि वास्तव में 2021–22 के अंत तक अधिशेष था।

विभाग ने 2022–23 में सही स्थिति दिखाने पर सहमति व्यक्त की।

अध्याय-3

वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

(ए) बकाया लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उप–पैरा, जिनका (विभाग–वार) ब्यौरा नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारंभिक जमा लेखापरीक्षा रिपोर्ट का	जोड़ना / विलोपन	मार्च–2023 तक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संख्या	उप–पैरा का प्रारंभिक शेष	जोड़ना / विलोपन	मार्च–2023 तक उप–पैरा की संख्या
1	वास्तुकार एवं पर्यावरण	9		9	29	-	29
2	असैनिक अभियंत्रण	9		9	50	-	50
3	व्यावसायिक	5		5	22	-	22
4	शिक्षा	6	+1	7	18	+29	47
5	विद्युत अभियन्त्रण	8		8	23	-	23
6	प्रवर्तन	12		12	21	-	21
7	संपदा–1	6	+1	7	17	+1	18
8	संपदा–द्वितीय	3	+1	4	15	+17	32
9	वित्त एवं लेखा	4	+1	5	7	+1	8
10	सामान्य प्रशासन	1		1	2	-	2
11	चिकित्सा सेवाएं	3		3	74	-	74
12	बागवानी	4		4	25	-5	20
13	सूचना प्रौद्योगिकी	3	+1	4	3	+5	8
14	नगरपालिका आवास	6		6	11	-	11
15	कार्मिक	4	+1	5	43	+2	45
16	शक्ति	1		1	9	-	9
17	संपत्ति कर	4		4	24	-	24
18	पीएसओआई	1		1	3	-	3
19	सार्वजनिक स्वास्थ्य	4	+1	5	16	+15	31
20	जन संपर्क	2		2	11	-	11
21	पार्किंग प्रबंधन प्रणाली	1		1	9	-5	4
22	सुरक्षा	2		2	2	-	2
23	कौशल विकास	1		1	14	-	14
24	खास कार्य	-	+1	1	-	+9	9
25	परिवहन	2		2	3	-	3
26	कल्याण	1		1	9	-	9
27	कानून	-	+1	1	-	+17	17
कुल		**102**	**9**	**111**	**460**	**86**	**546**

(बी) स्कैन की आगामी बैठक में लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगीः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	चर्चा की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का वर्ष (मार्च–2023 तक)
1.	वास्तुकार एवं पर्यावरण	2018
2.	असैनिक अभियंत्रण	2018
3.	व्यावसायिक	2012
4.	शिक्षा	2020 और 2021
5.	विद्युत अभियन्त्रण	2016
6.	प्रवर्तन	2014
7.	संपदा–1	2016
8.	संपदा–द्वितीय	2016 और 2020 और 2021
9.	वित्त एवं लेखा	शून्य
10.	सामान्य प्रशासन	शून्य
11.	स्वास्थ्य (चिकित्सा सेवाएँ)	शून्य
12.	बागवानी	2009, 2019
13.	सूचना प्रौद्योगिकी	2015
14.	कानून	2020 और 2021
15.	नगर आवास	2017
16.	कार्मिक	2013
17.	शक्ति	शून्य
18.	संपत्ति कर	शून्य
19.	पीएसओआई	2016
20.	सार्वजनिक स्वास्थ्य	2018 और 2020 और 2021
21.	जन संपर्क	2017
22.	पार्किंग प्रबंधन प्रणाली	2019
23.	सुरक्षा	शून्य
24.	कौशल विकास	2019
25.	खास कार्य	2020 और 2021
26.	परिवहन	शून्य
27.	कल्याण	2017

(सी) स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (विभागवार) के बकाया पैरा नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	विभाग का नाम	मार्च–2023 तक शेष बकाया पैराओं की संख्या
1.	लेखा एवं वित्त i. सीबीएस	14
	ii. नकद	27
	iii. निधि	4
	iv. निवेश करना	4
	v. मुख्य ए/सी ब्रांच	26
	vi. पेंशन	18
2.	वास्तुकार एवं पर्यावरण	20
3.	असैनिक अभियंत्रण	503
4.	व्यावसायिक	21
5.	शिक्षा	316
6.	बिजली	360
7.	प्रवर्तन	13
8.	एस्टेट I और II	128
	i. एमपीएल. आवास	19
9.	आग	17
10.	सामान्य प्रशासन	51
11.	चिकित्सा सेवाएँ/सार्वजनिक स्वास्थ्य	217
12.	बागवानी	28
13.	संपत्ति कर	43
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	14
15.	कानून	8
16.	कार्मिक	166
17.	जनसंपर्क	17
	पुस्तकालय	10
18.	सुरक्षा	19
	i. पालिका पार्किंग	9
	ii. परिवहन	38
19.	कल्याण	183
20.	परियोजना	9
कुल		**2302**

अध्याय-4

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनडीएमसी के अनुबंध प्रबंधन का ऑडिट

कार्यकारी सारांश / मुख्य बातें

- एनडीएमसी का सिविल इंजीनियरिंग विभाग दो क्षेत्रों सिविल–I और सिविल–II में विभाजित है, जिनका नेतृत्व मुख्य अभियंता (सीई) करते हैं। मुख्य अभियंताओं को सर्कल स्तर पर अधीक्षण अभियंताओं (एसई) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उप–मंडल स्तर (एई) पर निष्पादित कार्य की निगरानी प्रभाग स्तर (ईई) पर की जाती है। कार्य का भुगतान कार्यकारी अभियंताओं (ईई) की अध्यक्षता में डिवीजन स्तर पर किया जाता है। **(पैरा 4.1)**
- अनुबंध एक ऐसी एजेंसी को दिया गया था जो एनआईटी/कोडल प्रावधानों के नियमों और शर्तों के तहत आवश्यक बोली जमा करने की अंतिम तिथि पर किसी भी एजेंसी के साथ सूचीबद्ध नहीं थी। **(पैरा 4.5.1.1)**
- एनआईटी की अनुसूची "एफ" के अनुसार प्रधान तकनीकी प्रतिनिधियों और उनकी योग्यता के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 5.20 थे। अपलोड की गई बोली के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्राप्त अंक 2.40 थे। बोली में संशोधन के बाद बोली लगाने वाले को 5.40 अंक दिए गए और योग्य घोषित कर दिया गया, जो अनियमित था और संहिता प्रावधानों का उल्लंघन था। **(पैरा 4.5.5.2)**
- 25 अनुबंध समझौतों में निविदाएं उचित दर से 10.22 प्रतिशत से 72.94 प्रतिशत तक कम पर स्वीकार की गईं, जो 10 प्रतिशत की स्वीकार्य भिन्नता से परे थी **(पैरा 4.5.4.3)**
- एनआईटी के अनुसार, "ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का कार्य अनुभव" वाले बोलीदाता विशेष प्रकरण/कार्य के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होंगे। एनडीएमसी के क्लास–1 ठेकेदारों के लिए एनआईटी में संशोधन के माध्यम से इस शर्त में ढील दी गई थी। शर्त में छूट के कारण एनडीएमसी में पंजीकृत क्लास–1 ठेकेदार को, जिसके पास ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का कार्य अनुभव नहीं था, ठेका दे दिया गया। **(पैरा 4.5.2.2)**
- कार्य का कुल अनुबंध मूल्य ₹2.35 करोड़ था। हालाँकि, जो वस्तुएँ कार्य की प्रकृति और दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं थीं, उन्हें निष्पादित किया गया और ठेकेदार को ₹0.87 करोड़ का भुगतान किया गया। **(पैरा 4.5.7.9)**
- कार्य निष्पादन गारंटी की जब्ती के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 3 के तहत अंतिम कार्रवाई नोटिस के लिए परिषद की मंजूरी प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पीबीजी और सुरक्षा जमा की जब्ती के ₹1.34 करोड़ का नकदीकरण नहीं हुआ। साथ ही, विभाग ने अनुबंध की सामान्य शर्त, 2014 के खंड 2 के तहत

₹2.47 करोड़ (निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) मुआवजा लगाने के लिए ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। **(पैरा 4.5.3.2 एवं 4.5.7.8)**

- ₹24.25 करोड़ (7 वर्षों के लिए) के कुल अनुबंध मूल्य के मुकाबले विभाग ने एक वर्ष के अनुबंध मूल्य ₹3.46 करोड़ पर पीबीजी प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ के पीबीजी की कम जमा राशि हुई। साथ ही, 31 दिसंबर 2018 के बाद लेखापरीक्षा की तारीख तक पीबीजी का नवीनीकरण नहीं किया गया था। **{पैरा 4.5.3.3 (i) एवं (ii)}**
- 9 अनुबंध समझौतों में, ठेकेदार ने कार्य निष्पादन बैंक गारंटी को पुनः नवीकृत नहीं किया था। 9 ठेकों में से 3 का काम पूरा हो चुका है और 6 का काम प्रगति पर है। **(पैरा 4.5.3.4)**
- जीएसटी की कुल कटौती योग्य राशि ₹11.86 लाख के विरुद्ध, विभाग ने ठेकेदार के बिलों से केवल ₹2.88 लाख की कटौती की। इस प्रकार, ₹8.98 लाख कम काटा गया। **(पैरा 4.5.6.1)**
- 25वें आरए बिल तक, ठेकेदार को 12 प्रतिशत जीएसटी के बजाय 15 प्रतिशत वैट के कारण ₹0.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई थी। साथ ही, ठेकेदार के दावे के अनुसार 15 सितंबर 2020 को जीएसटी और वैट के अंतर के कारण ठेकेदार को ₹0.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई। प्रतिपूर्ति राशि सहित कुल अतिरिक्त भुगतान ₹1.22 करोड़ था। **(पैरा 4.5.6.2)**
- 9 अनुबंध समझौतों में रिटर्न की प्रतियों के साथ जीएसटी जमा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को ₹9.61 करोड़ का जीएसटी जारी किया गया था। **(पैरा 4.5.6.3)**
- 18 अनुबंध समझौतों में सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर काटा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹23.66 लाख के आयकर की कम कटौती हुई। **(पैरा 4.5.6.4)**
- 15 अनुबंध समझौतों में ठेकेदार को ₹11.08 करोड़ का भुगतान श्रम लाइसेंस जमा किए बिना किया गया था, जो अनुबंध समझौते की सामान्य शर्तों के खंड 7ए और 19 का उल्लंघन है। **(पैरा 4.5.7.1)**
- 12 अनुबंधों में, विभाग ने तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती न करने पर ठेकेदार पर ₹1.97 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया। **(पैरा 4.5.7.3)**
- विभाग ने आरएफपी/रियायत समझौते के खंड 1.4 (एफ) का उल्लंघन करते हुए, ईडीएमसी के बजाय सीधे रियायतग्राही को प्रसंस्करण शुल्क के कारण ₹5.75 करोड़ का भुगतान किया और ईडीएमसी द्वारा जारी किए गए प्रसंस्करण शुल्क बिल प्राप्त किए बिना। **(पैरा 4.5.7.6)**
- 19 अनुबंध समझौतों में निर्माण के कुल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर काटा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.58 लाख की कम कटौती हुई **(पैरा 4.5.6.5)**
- 12 अनुबंधों में, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन वित्तीय बोलियां खोलने से पहले प्राप्त नहीं किया गया था। इन 12 मामलों में से, आठ मामलों में तकनीकी बोली को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियंता (सिविल) थे और चार में मामलों में सक्षम प्राधिकारी अधीक्षण अभियंता थे। हालाँकि, सभी मामलों में तकनीकी बोलियों को कार्यकारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था जो कि संहिता प्रावधानों का उल्लंघन था। **(पैरा 4.5.4.4)**

4. संविदा प्रबंधन सिविल, एनडीएमसी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

4.1 परिचय

एनडीएमसी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैः सिविल–I और सिविल–II] जिसका नेतृत्व मुख्य अभियंता (सीई) करते हैं। मुख्य अभियंताओं को सर्कल स्तरों पर अधीक्षण अभियंताओं (एसई) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कार्य उप–मंडल स्तर (एई) पर निष्पादित किया जाता है और प्रभाग स्तर (ईई) पर निगरानी की जाती है। कार्य का भुगतान प्रभाग के स्तर पर किया जाता है ।

4.2 लेखापरीक्षा का दायरा

अगस्त–2021 से मार्च–2022 की अवधि के दौरान वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि को शामिल करते हुए सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनडीएमसी के अनुबंध प्रबंधन की लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। वर्ष 2016–2017 से 2020–21 की अवधि के दौरान 18 डिवीजनों द्वारा ₹811.84 करोड़ के मूल्य के कुल 4950 अनुबंध निष्पादित किए गए। 8 डिवीजनों[2] के ₹352.17 (43.38 प्रतिशत) करोड़ के मूल्य के 29 अनुबंधों की लेखापरीक्षा नमूना आधार पर आयोजित की गई थी।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्नलिखित का पता लगाने की दृष्टि से लेखापरीक्षा आयोजित की गई थीः–

(i) क्या दायित्व उठाने से पहले एए एंड ईएस प्राप्त किया गया था।

(ii) क्या सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति (टीएस) और विस्तृत प्राक्कलन (डीई) अनुमोदित किए गए थे।

(iii) क्या बोलीदाताओं का चयन (तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन) नियमानुसार किया गया था

(iv) क्या ठेका प्रदान करते समय स्वीकार की गई दरें औचित्यपूर्ण दरों के अनुसार उचित थीं।

(v) क्या निष्पादन सुरक्षा और प्रतिभूति निक्षेप प्राप्त किए गए थेय

(vi) क्या संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया था।

(vii) क्या आयकर, श्रम कल्याण उपकर, जीएसटी आदि जैसे अनिवार्य करों की कटौती की गई थी।

(viii) क्या यह कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया गया था।

4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

1. सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और 2019
2. सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
3. अनुबंध (निर्माण) की सामान्य शर्तें, 2014 और 2019
4. सामान्य वित्तीय नियम 2005 और 2017

[2]ईई (बीएम-I), ईई (बीएम-III), ईई (सी-III), ईई सीवरेज (प्रोजेक्ट), ईई सीवरेज (रखरखाव), ईई पालिका केंद्र (पीके), ईई स्पेशल। परियोजना एवं ईई आरआईपी (एसडी)

5. अनुबंधों पर सीवीसी दिशानिर्देश

6. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एनडीएमसी दिनांक 9 मई 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित)

7. दिल्ली दरों की अनुसूची (डीएसआर)

8. सीपीडब्ल्यूडी – रखरखाव मैनुअल।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.1 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एए और ईएस)

4.5.1.1 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (ए/ए एंड ई/एस) के बिना निविदा नोटिस (एनआईटी) जारी करना

जीएफआर 2005 के नियम 132 (ii और iii) को जी एफ आर 2017 (ii और iii) के नियम 139 (ii और iii) और सी पी डब्ल्यू डी वर्क्स मैनुअल 2014 के पैरा 1.2 के साथ पढ़ते हुए, जिसमें कहा गया है कि विस्तृत डिजाइन और अनुमान, कार्यों के लिए किसी भी मंजूरी से पहले होंगे। तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जारी करने से पहले कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

5 अनुबंधों में निविदा सूचना जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से ए/ए और ई/एस प्राप्त नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि ठेका प्रदान करते समय परिषद से कार्य का एए और ईएस प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति एवं संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के बिना निविदा सूचना (एनआईटी) जारी करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	समझौता संख्या, दिनांक और एजेंसी स्वीकृत	कार्य का नाम	अनुमानित लागत / एआईपी	स्वीकृत निविदा राशि	अनियमितता की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
1	08/ईई (आरआईपी)/ 2016–2017 मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे का संग्रह, परिवहन और डंपिंग	3.60	30.84	एनआईटी 30.01.2016 को जारी किया गया था, सक्षम प्राधिकारी से एए और ईएस की मंजूरी के बिना, जैसा कि दिनांक 05.09.2016 को आइटम संख्या 11 (ए–34) के तहत अनुबंध के पुरस्कार के समय परिषद द्वारा एए और ईएस की आवश्यकता थी।

क्र.सं.	समझौता संख्या, दिनांक और एजेंसी स्वीकृत	कार्य का नाम	अनुमानित लागत/ एआईपी	स्वीकृत निविदा राशि	अनियमितता की प्रकृति
2	03/ईई(एसपी/2016–17 मैसर्स एस.एस इंजीनियरिंग निगम	पीपीपी परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे में 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 संख्या) एसटीपी स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और 12 वर्षों तक चलने के लिए (समूह– I, II और III)	44.00	37.33	एनआईटी 18.03.2016 को ए/ए एवं ई/एस प्राधिकरण की मंजूरी के बिना जारी किया गया था। AA&ES को काउंसिल द्वारा आइटम नंबर 17(A–29) दिनांक 17.08.2016 के तहत अनुबंध प्रदान करते समय प्रदान किया गया था।
3	01/ईई(एसपी/2016–17 मैसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स प्रबंधन प्रा. लिमिटेड				
4	02/ईई(एसपी/20 16–17 मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड				
5	36/ईई(एसएम)। 07.12. 2016 को हस्ताक्षरित मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी के साथ 2 जेटिंग सह सक्शन सफाई मशीनों का संचालन और रखरखाव किराए पर लेना (सात वर्षों के लिए)	30.00	24.25	आवश्यकतानुसार ए/ए एवं ई/एस प्राधिकरण की मंजूरी के बिना एनआईटी 03.08.2016 को जारी किया गया था। AA&ES को काउंसिल द्वारा आइटम नंबर 27(A–42) दिनांक 03.11.2016 के तहत अनुबंध प्रदान करते समय प्रदान किया गया था।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि एनआईटी जारी करते समय कार्य का ए/ए एंड ई/एस उपलब्ध नहीं था। सक्षम प्राधिकारी से ए/ए और ई/एस प्राप्त किए बिना एनआईटी जारी करना अनियमित था और यह नियमों का उल्लंघन था।

4.5.1.2 संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त न करना

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.4.1 (iv) में कहा गया है कि जब निविदा में कार्य के लिए व्यय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक की देयता शामिल होती है, तो ऐसी अधिकता के लिए संशोधित व्यय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस तरह की अधिकता का पूर्वाभास होते ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

3 अनुबंधों की जांच से पता चला कि:

ए/ए और ई/एस (निविदा स्वीकार करते समय लिया गया) समझौता संख्या 03/ईई (एसपी/2016–17 मैसर्स एसएस इंजीनियरिंग), 01/ईई (एसपी/20 16–17 एम/एस इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और 02/ईई (एसपी/2016–17 मैसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के लिए 10 केएलडी के लिए अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के लिए 10 केएलडी तक अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने के लिए 10 केएलडी (10 केएलडी से 10 केएलडी तक) परियोजना का उपयोग करते हुए 12 वर्ष के लिए ₹37.33 करोड़ था। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि आरएफपी में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान था, हालांकि ए/ए और ई/एस प्राप्त करते समय, मूल्य वृद्धि /5 प्रतिशत पर विचार नहीं किया गया था और इसे ध्यान में रखा गया था। बारह वर्षों तक मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद, बोली मूल्य ₹67.04 करोड़ हो जाता

है, जो कि ए/ए और ई/एस के 10 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, विभाग ने आवश्यकतानुसार संशोधित एए और ईएस प्राप्त नहीं किया।

4.5.1.3 ग्राहक विभाग से ए/ए एवं ई/एस प्राप्त किए बिना व्यय

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 3.1.2.1 (2) में कहा गया है कि किसी भी जमा कार्य की स्वीकृति से पहले, सक्षम अधिकारी ग्राहक विभाग को प्रारंभिक अनुमान भेजेगा। एसओपी 2019 के अनुबंध (4) के सीरियल नंबर 1.6 में यह भी निर्धारित किया गया है कि विभागीय शुल्क सहित काम की पूरी अनुमानित लागत के लिए धन का आश्वासन ग्राहक विभाग द्वारा कार्य का ए/ए और ई/एस जारी करते समय दिया जाएगा।

एसओपी संख्या 3/6: सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2019 के डिपॉजिट वर्क्स (पैरा 3.1.2.1(9) और पैरा 10.3 देखें) में कहा गया है कि जब भी कोई जमा कार्य किया जाना होता है, तो काम पर कोई दायित्व होने से पहले जमा राशि की वसूली की जाती है।

उप सचिव, पुलिस नियंत्रण प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने (मई–2019) 20 मई 2019 से चंद्रलोक भवन की 10वीं मंजिल पर हाउसकीपिंग के लिए अनुरोध किया और उक्त हाउसकीपिंग के लिए मासिक व्यय का भुगतान मानदंडों के अनुसार पुलिस नियंत्रण प्राधिकरण (पीसीए) द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह इमारत एनडीएमसी की है।

एनडीएमसी के विभिन्न भवनों (ग्रुप–बी) में कार्य–यंत्रीकृत हाउस कीपिंग कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच के लिए अनुबंध समझौता संख्या 01/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 के तहत मैसर्स आरके जैन एंड संस को ₹6.96 करोड़ की निविदा राशि प्रदान की गई। 27 मई 2019 से पता चला कि 25 मई 2019 को अध्यक्ष से काम के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया था और काम के लिए प्रति माह ₹46,552.59 तय किए गए थे, जिसका भुगतान पुलिस नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनडीएमसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक प्राक्कलन और 12 प्रतिशत विभागीय अनुमान कार्य का ए/ए और ई/एस प्राप्त करने के लिए ग्राहक विभाग को नहीं भेजा गया था। एनडीएमसी ने ग्राहक विभाग से स्वीकृति और आवश्यकतानुसार ए/ए एंड ई/एस प्राप्त किए बिना लगभग 23 वें आरए बिल तक लगभग ₹11.00 लाख का खर्च किया।

लेखापरीक्षा में आगे कहा गया है कि विभाग को जमा कार्य शुरू करने से पहले कोई जमा राशि नहीं मिली थी। राशि की वसूली के लिए ग्राहक विभाग को मासिक बिल भी नहीं दिया गया था। बिना किसी जमा राशि के कार्य करना और बिल न भेजना अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप एनडीएमसी की निधियां अवरुद्ध हो गईं।

4.5.1.4 प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से परे विस्तृत अनुमान का अनुमोदन

वित्तीय शक्तियों–सामान्य स्वीकृति (एनडीएमसी) के प्रत्यायोजन के अनुलग्नक 'सी' की धारा संख्या 5 में यह निर्धारित किया गया है कि एनआईटी के विस्तृत अनुमान और अनुमोदन की मंजूरी के लिए, विभागों/पक्षों के पास पूर्ण शक्तियां (मुख्य सुरक्षा अधिकारी और अग्निशमन अधिकारियों सहित) हैं जो प्रारंभिक अनुमान (पीई) 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में टाइप–II फ्लैट के 120 नंबर के निर्माण के लिए "समझौता संख्या–02/ईई (सी–III)/एबी/2018–2019 की जांच। समझौता संख्या–02/ईई(सी)–III)/AB/2018–2019 मेसर्स बी.एल. को प्रदान किया गया। गोयल एंड कंपनी, निविदा राशि ₹41.45 करोड़ से पता चला कि अग्निशमन अधिकारी ने रुपये के अनुमोदित पीई के मुकाबले अग्निशमन कार्य के निष्पादन के लिए ₹1.95 करोड़ के विस्तृत अनुमान को मंजूरी दी थी। जो पीई ₹0.96 करोड़ से 102 प्रतिशत अधिक था।

अग्निशमन अधिकारी को सौंपी गई शक्तियों से अधिक विस्तृत अनुमान का अनुमोदन अनियमित था और सौंपी गई वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन था।

4.5.2 निविदा आमंत्रित करने की सूचना

4.5.2.1 वित्तीय पात्रता मानदंडों को कमजोर करना

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.5 (7) में कहा गया है कि "विशेष कार्य के लिए एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण निम्नानुसार 16.5 (7) के अनुसार पात्रता मानदंड को अंतिम रूप देगाः–

"आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पिछले दिन समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कार्यों को पूरा करने का अनुभव,

निविदा में रखे गए अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत से कम मूल्य के तीन समान कार्य

नहीं तो

निविदा में रखे गए अनुमानित लागत के 60 प्रतिशत से कम मूल्य के दो समान कार्य

नहीं तो

अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत से कम मूल्य का एक समान काम, निविदा के लिए रखा गया है।

मैसर्स मीटररो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹30.84 करोड़ की निविदा राशि के साथ पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के परिवहन और डंपिंग के लिए समझौता संख्या–08/ईई(आरआईपी)/2016–2017 की जांच से पता चला कि एनआईटी में एक वर्ष के लिए काम की अनुमानित लागत ₹3.60 करोड़ बताई गई थी, वार्षिक वृद्धि की दर 7 प्रतिशत थी और कहा गया था कि कार्य सात साल के लिए निष्पा. दित किया जाना था। उपर्युक्त कारकों पर विचार कुल अनुमानित लागत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.5 (7) के संदर्भ में वित्तीय पात्रता मानदंड ₹33.15 करोड़ होना चाहिए। ₹26.52 करोड़ (80 प्रतिशत से कम मूल्य का एक समान कार्य), ₹19.89 करोड़ (दो समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य 60 प्रतिशत से कम नहीं) और ₹13.26 करोड़ (तीन समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य 40 प्रतिशत से कम नहीं)। हालाँकि, समान प्रकृति के कार्य के लिए वित्तीय पात्रता मानदंड एक वर्ष की अनुमानित लागत ₹3.60 करोड़ के आधार पर ₹2.88 करोड़ (80 प्रतिशत), ₹2.16 करोड़ (60 प्रतिशत) और ₹1.44 करोड़ (40 प्रतिशत) रखा गया था। जो वित्तीय पात्रता मानदंड को कमजोर करना और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.5 (7) का उल्लंघन था।

4.5.2.2 ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के कार्य अनुभव के संबंध में एनआईटी खंड का अनियमित विलोपन

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.4 – "विशिष्ट कार्यों के लिए निविदाएं" में यह निर्धारित किया गया है कि विशेष मदें/नौकरियां/कार्य वे हैं जिनके लिए विशेष उपकरण और संयंत्र (टी एंड पी) और/या विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एसआई। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 के पैरा 16.10 में उल्लिखित अनुबंध–IV की संख्या 3 में यह निर्धारित किया गया है कि ट्रेंचलेस पाइप कार्य विशेष मदों/प्रकरणों के अंतर्गत आता है।

एनआईटी के फॉर्म एनडीएमसी 6 में कहा गया है, 'सभी बोलीदाता ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के कार्य अनुभव के लिए दस्तावेज अपलोड करेंगे'।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में 600 मिमी व्यास और 900 मिमी व्यास सीवर लाइन के स्थानांतरण के लिए 2018–19 के "समझौता संख्या–28/ईई (एसएम)" की जांच का काम मेसर्स दीपक अलाइड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स को निविदा राशि

₹6.97 करोड़" से पता चला कि 1 जून 2018 को आयोजित प्री–बिड मीटिंग के दौरान, किसी भी एजेंसी ने बैठक में भाग नहीं लिया था। हालाँकि, एनडीएमसी के क्लास–1 ठेकेदार के कार्य अनुभव की शर्त को हटाने के संबंध में 5 जून 2018 को मेसर्स चाहर कंस्ट्रक्शन (एनडीएमसी के साथ पंजीकृत) से अनुरोध प्राप्त हुआ, इस पर 8 जून 2018 को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के साथ चर्चा की गई और एक एनडीएमसी ठेकेदारों के मामले में ऐसे खंड को हटाने का निर्णय लिया गया।

शर्त हटाए जाने के कारण एनडीएमसी के पंजीकृत श्रेणी–। ठेकेदारों के लिए भी विशिष्ट मदों/नौकरियों के लिए निविदा में भाग लेने की गुंजाइश बनाई गई थी, जिनके पास ट्रेंचलेस प्रौद्योगिकी के साथ कार्य निष्पादित करने का अनुभव नहीं था। जिस एल1 ठेकेदार (मेसर्स दीपक एलाइड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स) को ठेका दिया गया था, वह भी एनडीएमसी का पंजीकृत श्रेणी–1 ठेकेदार था। कार्य अनुभव के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि एजेंसी के पास विशिष्ट कार्य के लिए अपेक्षित कार्य अनुभव है या नहीं।

ऐसे खंड को हटाना (केवल एनडीएमसी ठेकेदारों के लिए) अनियमित था और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.4 का उल्लंघन था, क्योंकि ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम एक विशेष कार्य/मद की प्रकृति का था।

4.5.2.3 आरएफपी में टिपिंग शुल्क की दर में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनियमित प्रावधान

आरएफपी के खंड 1.4 (बी) में कहा गया है कि बोलीदाता को पहले वर्ष के लिए टिपिंग शुल्क का उल्लेख करना होगा और रियायत अवधि के दौरान बाद के वर्षों के लिए पिछले वर्षों के टिपिंग शुल्क पर टिपिंग शुल्क में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत भी उद्धृत करना होगा। इसके अलावा, आरएफपी के खंड 6.6.1 में यह निर्धारित किया गया है कि सबसे कम वित्तीय प्रस्ताव करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के परिवहन और डंपिंग के लिए "अनुबंध संख्या–08/ईई(आरआईपी)/2016–2017 का कार्य" मेसर्स मीटरो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। जिसकी निविदा राशि ₹30.84 करोड़ है, से पता चला कि एनआईटी में टिपिंग शुल्क में वार्षिक वृद्धि की किसी भी निश्चित दर का कोई प्रावधान नहीं था। वार्षिक वृद्धि की ऐसी दर बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में उद्धृत की जानी थी। 15 फरवरी 2016 को आयोजित पूर्व बोली बैठक में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के सुझाव पर भी समिति और अध्यक्ष द्वारा 11 अप्रैल 2016 को सहमति नहीं दी गई। तथापि, ईई द्वारा 11 अप्रैल 2016 (उसी तारीख) को आरएफपी के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के टिपिंग शुल्क पर टिपिंग शुल्क @ 7 प्रतिशत प्रति वर्ष में वार्षिक वृद्धि को शामिल किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना टिपिंग शुल्क में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित प्रतिशत वृद्धि के संबंध में आरएफपी में शर्त को शामिल करना अनियमित था।

4.5.2.4 एनआईटी के नियमों और शर्तों और अनुबंध समझौते के दस्तावेजों के बीच बेमेल

धारा 15.9. (4) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और एसआई। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की एसओपी संख्या 4/8 की संख्या 1 (vii) में कहा गया है, प्रत्येक पृष्ठ और सुधार पर्ची के साथ–साथ एनआईटी पेपरों में किए गए अन्य सुधार और संशोधनों को एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाता है या एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है जो एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा नामित ईई के पद से नीचे नहीं होता है।

2 अनुबंध समझौतों में, यह पता चला कि अनुमोदित एनआईटी के नियम और शर्तें अनुबंध दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों से मेल नहीं खाती। लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि एनआईटी के अनुमोदन के समय किए

गए सुधार के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, जो दर्शाता है कि एनआईटी के अनुमोदन के बाद कुछ संशोधन किए गए थे। संशोधनों का विवरण नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2 अपलोड करते समय अनुमोदित एनआईटी के नियमों और शर्तों में संशोधन

क्र. सं	अनुबंध अनुबंध सं.	कार्य का नाम	में एनआईटी की शर्त को हटाना/संशोधित करना ठेका समझौता
1	97/ई ई (बी ए म–पी के)/2019–2020 मेसर्स नंदिनी एंटरप्राइजेज	एनडीएमसी में माध्यमिक विद्यालय में सुधार।	स्वीकृत एनआईटी के नियम और शर्तें, (विशेष शर्तों के पैरा 5) वाटर प्रूफिंग के निष्पादन के लिए ईई (बीएम–पीके) द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित गारंटी बांड की आवश्यकता होती है, जिसे अपलोड किए गए एनआईटी से हटा दिया गया था।
2	0/ईई(आरआईपी)/2016–2017 मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के संग्रहण, परिवहन और डंपिंग का काम मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।	क्र.सं. संख्या 6.6.6 (सी) आरएफपी के अनुच्छेद–I के तहत बोली के मूल्यांकन के संबंध में, ₹50 लाख की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त। अपलोड किए गए आरएफपी और अनुबंध अनुबंध के पैरा 5 पृष्ठ 20 से हटा दिए गए थे।

अनुमोदन के बाद एनआईटी/आरएफपी में किए गए संशोधन धारा 15.9 (4) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और एसआई। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की एसओपी संख्या 4/8 की संख्या 1 (vii) का उल्लंघन था।

4.5.3 ईएमडी/परफॉर्मेंस गारंटी/सिक्योरिटी डिपॉजिट

4.5.3.1 कम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी): ₹39.56 लाख

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 19.3 में कहा गया है कि एक ठेकेदार को निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना राशि निम्नानुसार विनियमित की जाती है, (i) ₹10 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए: 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) अनुमानित लागत का (ii) ₹10 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए: ₹20 और ₹10 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत)।

मैसर्स मीटररो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹30.84 करोड़ की निविदा राशि के साथ पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के परिवहन और डंपिंग के लिए समझौता संख्या–08/ईई (आरआईपी)/2016–2017 की जांच से पता चला कि एक वर्ष के लिए काम की अनुमानित लागत ₹3.60 करोड़ बताई गई थी, वार्षिक वृद्धि की दर 7 प्रतिशत थी और कहा गया था कि कार्य को सात साल के लिए निष्पादित किया जाना था। उपर्युक्त कारकों पर विचार करने के बाद, कुल अनुमानित लागत ₹33.15 करोड़ बैठती है और ईएमडी ₹43.15 लाख (₹20 लाख. ₹10 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत) होना चाहिए।

हालांकि, विभाग ने एक वर्ष की अनुमानित लागत (₹3.60 करोड़ का 1 प्रतिशत) के आधार पर ईएमडी का प्रावधान ₹3.60 लाख रखा, जो ₹39.56 लाख (₹43.15 लाख से ₹3.60 लाख) कम था।

इससे पता चलता है कि बोलीदाता को कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करके ₹39.56 लाख का अनुचित लाभ दिया गया था।

4.5.3.2 निष्पादन गारंटी और सुरक्षा जमा की नाकाबंदी: ₹1.34 करोड़

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 की धारा 33.3.2 के खंड 3 में यह निर्धारित किया गया है, "अनुबंध करार प्रपत्र के खंड 3 के तहत अंतिम कार्रवाई नोटिस का मसौदा तैयार किया जा सकता है और अनुबंध की अनुसूची "एफ" के तहत परिभाषित निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि तत्काल अनुबंध समझौते की अनुसूची "एफ" के तहत परिभाषित किया गया है, निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकरण परिषद है। इसके अतिरिक्त, संविदा, 2014 की सामान्य शर्त के खंड 3(क) में यह निर्धारित किया गया है कि जब ठेकेदार ने खंड 3 के अधीन कार्यवाही के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाया है तो जहां तक ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन का संबंध है, भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रभारी अभियंता को उक्त संविदा का निर्धारण करने की शक्तियां होंगी। इस तरह के निर्धारण पर, अग्रिम धन जमा, पहले से वसूल की गई प्रतिभूति जमा और अनुबंध के तहत निष्पादन गारंटी जब्त की जा सकती है और यह पूरी तरह से सरकार के निपटान में होगी।

बापू समाज सेवा केंद्र–पंचकुइया रोड, नई दिल्ली के पुनः विकास के लिए मैसर्स सतीश चंद और राजेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड को ₹24.66 करोड़ की निविदा राशि के साथ प्रदान किए गए समझौते संख्या–72/ईई (बीएम–I) एबी/2017–2018 की जांच से पता चला कि कार्य पूरा होने की विस्तारित तारीख के भीतर कार्य पूरा न होने के कारण निर्धारण के संबंध में निर्णय प्रभारी अभियंता (बीएम–1) द्वारा लिया गया था और मुख्य अभियंता (सी–II) के अनुमोदन से दिनांक 15 नवंबर 2019 के पत्र के माध्यम से ठेकेदार को खंड 3 के तहत अंतिम कार्रवाई नोटिस जारी किया गया था।

अंतिम कार्यवाही नोटिस के आधार पर, जिसे परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, ठेकेदार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें सुरक्षा जमा के लिए ₹1.23 करोड़ की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी और ₹11.01 लाख की प्रतिभूति निक्षेप बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ रोक लगाने की मांग की गई। अदालत ने बैंक को एनडीएमसी को बैंक गारंटी का भुगतान रोकने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से यह देखा गया है कि खंड 3 के अंतर्गत अंतिम कार्यवाही नोटिस जारी करने के लिए निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी अर्थात् परिषद का अनुमोदन जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, 2014 की धारा 33.3.2 के तहत अपेक्षित था, पीबीजी को जब्त नहीं किया गया जिसके कारण ₹1.34 करोड़ की जमानत राशि वसूल नहीं हो सकी।

4.5.3.3 निष्पादन गारंटी में अनियमित कमी: ₹1.04 करोड़

जीएफआर 2005 के नियम 158 और जीएफआर 2017 के नियम 171 में कहा गया है कि अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध प्रदान किए गए सफल बोलीदाता से कार्य निष्पादन सुरक्षा प्राप्त की जानी है। निष्पादन सुरक्षा संविदा के मूल्य के पांच से दस प्रतिशत की राशि के लिए होनी चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 की धारा 21.1 में यह भी निर्धारित किया गया है कि सफल टेंडरर, जिसे बाद में ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है, को कार्य निष्पादन गारंटी के रूप में निविदा और कार्य के स्वीकृत मूल्य (सीमा के बिना) के 5 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा, आरएफपी के तहत एक खंड (अन्य सूचना के तहत 36 निष्पादन गारंटी के पृष्ठ 5 पर) में यह भी निर्धारित किया गया है कि सफल बोलीदाता आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करों से मुक्त अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत (प्रदत्त दर पर गणना की जाने वाली) के मूल्य के लिए निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा।

मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹24.25 करोड़ की निविदा राशि के साथ प्रदान की गई 2016–17 के अनुबंध संख्या 36/ईई (एसएम) की जांच, वाटर री–साइक्लिंग तकनीक के साथ 2 नंबर जेटिंग सह सक्शन क्लीनिंग मशीनों को किराए पर लेना और रखरखाव (सात साल के लिए) से पता चला है कि:

(i) दिनांक 12 अगस्त 2016 को आयोजित एक बोली–पूर्व बैठक जिसमें सीई (सी–I) द्वारा सात वर्षों के लिए कुल संविदा मूल्य के बजाय प्रथम वर्ष संविदा मूल्य के पीबीजी @ 5 प्रतिशत की गणना करने का निर्णय लिया गया और अनुमोदित किया गया। निर्णय का वित्तीय प्रभाव नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3 निष्पादन बैंक गारंटी की राशि में अनियमित कमी (₹ करोड़ में)

कुल अनुबंध मूल्य (एल1 बोलीदाता मै अपशिष्ट प्रबंधन प्रा.लिमिटेड)	अनुबंध मूल्य प्रथम वर्ष के लिए	पीजी की दर	प्राप्त की जाने वाली आवश्यक पीजी राशि (कुल अनुबंध मूल्य के आधार पर)	के अनुसार पीजी की राशि प्राप्त हुई का संशोधन आरएफपी खंड (प्रथम वर्ष अनुबंध मूल्य के आधार पर)	ठेकेदार को अनुचित लाभ की अनुमति (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
24.25	3.46	5 प्रतिशत	1.21	0.17	1.04

उपर्युक्त तालिका से लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹24.25 करोड़ के कुल संविदा मूल्य की तुलना में विभाग ने एक वर्ष के संविदा मूल्य ₹3.46 करोड़ पर पीबीजी की गणना की। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा पीबीजी की ₹1.04 करोड़ की अल्प मांग और अल्प जमा राशि प्राप्त की गई जो अनियमित थी और कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था।

(ii) लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ठेकेदार ने 1 वर्ष की वैधता (यानी 31 दिसंबर 2017 तक जिसे 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया था) के साथ दिनांक 22 नवंबर 2016 को पीबीजी जमा किया था। पीबीजी को 31 दिसंबर 2018 के बाद पुनः मान्य/नवीनीकृत नहीं किया गया था।

(iii) लेखापरीक्षा ने आगे नोट किया कि सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 21.2 और जीसीसी 2014 के खंड 1 ए के तहत आरए बिलों से निविदा राशि तक 2.5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा जमा की कटौती के प्रावधान आरएफपी में प्रदान नहीं किए गए थे। अनुबंध में सुरक्षा जमा खंड का प्रावधान न रखने के परिणामस्वरूप 35वें आरए बिल तक ₹30.87 लाख की सुरक्षा जमा राशि में कटौती नहीं हुई और ठेकेदार को अनुचित लाभ की अनुमति दी गई।

4.5.3.4 निष्पादन गारंटी का गैर–पुनः वैधीकरण/नवीकरण

अनुबंध की सामान्य शर्त के खंड 1 (ii) में यह निर्धारित किया गया है कि निष्पादन गारंटी प्रारंभ में पूरा होने की निर्धारित तारीख तक और न्यूनतम 60 दिनों तक वैध होगी। यदि कार्य पूरा करने का समय बढ़ जाता है, तो ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए इस तरह के बढ़े हुए समय को कवर करने के लिए कार्य निष्पादन गारंटी की वैधता बढ़ाएगा।

9 संविदा करारों में यह पता चला था कि ठेकेदार ने निष्पादन बैंक गारंटी **(अनुलग्नक–I)** को आवश्यकतानुसार पुनः वैधीकृत नहीं किया था। पीबीजी का पुन वैधीकरण न करना संविदा करार के खंड का उल्लंघन है।

4.5.4 निविदा का उद्घाटन

4.5.4.1 तकनीकी बोली की अनियमित अस्वीकृति

एनआईटी पैरा 1.2.5 (पी–4) में कहा गया है कि बोलीदाता के पास ईई (सी–3) के नाम पर प्रोफार्मा श्बीश के अनुसार उसके बैंकर द्वारा प्रमाणित ₹29.69 करोड़ की सॉल्वेंसी होनी चाहिए।

सेक्टर–VI] पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 प्रकार–III फ्लैटों के निर्माण के लिए "अनुबंध संख्या–02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 की जांच (समग्र कार्य) मेसर्स को सौंपी गई" बी.एल. गोयल एंड कंपनी, निविदा राशि ₹68.49 करोड़" से पता चला कि कुल चार बोलीदाताओं[3] ने निविदा में भाग लिया। मेसर्स कंवरजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ईई (सी–III) के बजाय सचिव, एनडीएमसी के नाम पर सॉल्वेंसी जमा की थी। 1 जुलाई 2019 को आयोजित दूसरी बैठक के दौरान, सहायक कानून अधिकारी (एएलओ) ने टिप्पणी की कि मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एजेंसी को सचिव, एनडीएमसी के बजाय विशेष रूप से ईई (सी–III) के नाम पर सॉल्वेंसी जमा करनी थी। टिप्पणियों के आधार पर मेसर्स कंवरजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली खारिज कर दी गई, हालांकि बोलीदाता अन्य सभी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा था।

इस आधार पर अस्वीकृति कि एजेंसी ने ईई (सी–III) के नाम पर सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, बोली को अस्वीकार करने का पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता था क्योंकि यह सॉल्वेंसी के संबंध में बोलीदाता की वित्तीय क्षमता/क्रेडेंशियल्स को प्रभावित नहीं करता था और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करता था।

4.5.4.2 तकनीकी मंजूरी का अनियमित अनुमोदन और एकल निविदा की अस्वीकृति

(i) अनुबंध 'क' की धारा संख्या 5(ख) के अनुसार वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (9 मई 2013) मुख्य अभियंता के पास निक्षेप कार्यों (विधायक लैड/एमपी लैड कार्यों सहित) के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियां हैं और कार्यपालक अभियंता के पास केवल ₹5.00 लाख तक के ऐसे कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय शक्तियां हैं।

मेसर्स वर्मा ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को ₹8.85 लाख की राशि के साथ प्रदान किए गए "बीएम–1 डिवीजन के तहत पॉली फाइबर गजेबो राजा प्रदान करना और तय करना" जैसे जमा कार्य से संबंधित अनुबंध समझौता संख्या 49/ईई/बीएम–1/एबी/2019–2020 के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि ईई (बीएम–I) द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को ₹9.91 लाख की तकनीकी मंजूरी दी गई थी, जो अनियमित थी।

(ii) लेखापरीक्षा में यह भी कहा गया है कि एनडीएमसी की दिनांक 9 मई 2013 की अधिसूचना के तहत वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अधिसूचना के अनुसार यथा संशोधित किया गया है। 16 नवंबर 2016 कार्यकारी अभियंता के पास ₹50,000/– तक की सीमित/खुली निविदाओं के लिए प्राप्त एकल निविदा को स्वीकार करने की वित्तीय शक्तियां हैं और सचिव एनडीएमसी के पास ₹10.00 लाख तक की सीमित/खुली निविदाओं के लिए प्राप्त एकल निविदा को स्वीकार करने की वित्तीय शक्तियां हैं।

अनुलग्नक 'क' के खंड संख्या 11 के अनुसार एनडीएमसी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (9 मई 2013) इंजीनियरिंग विभाग, एनडीएमसी के अधिकारियों की निविदाओं को अस्वीकार करने की शक्तियां संबद्ध एओ के परामर्श से निविदा की स्वीकृति की शक्तियों को प्रत्यायोजित करने तक हैं।

रिकॉर्ड की आगे की जांच से पता चला कि निविदाओं को पहली बार आमंत्रित किया और पाया कि तीन (3) बोलीदाताओं ने बोली में भाग लिया था, जिनमें से केवल एक (1) बोलीदाता मैसर्स वर्मा ग्लोबल इंफ्राटेक। प्राइवेट लिमिटेड तकनीकी रूप से योग्य थी, लेकिन एकल बोली होने के नाते, निविदा को सक्षम प्राधिकारी यानी सचिव एनडीएमसी की सिफारिश के बिना ईई (बीएम–I) द्वारा 21 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया गया था। चूंकि निविदा की अनुमानित लागत ₹9.81 लाख थी, इसलिए निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्तियां केवल सचिव एनडीएमसी के पास हैं।

[3]मेसर्स ए.के.मेहता एंड कंपनी, मेसर्स कंवरजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स कमलादित्य कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और मेसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी

सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ईई (बीएम–I) द्वारा एकल निविदा की तकनीकी स्वीकृति और अस्वीकृति अनियमित है और एनडीएमसी द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन है।

4.5.4.3 न्यायोचित दरों में भिन्नता की अनुमेय सीमा से नीचे/ऊपर निविदा की स्वीकृति।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.4.3.2 और एसआई। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी 2019) के अध्याय–4 के तहत धारा 11 की संख्या 25 में कहा गया है कि उचित दरों पर 5 प्रतिशत तक की भिन्नता को नजरअंदाज किया जा सकता है, अजीब स्थितियों और विशेष परिस्थितियों के लिए 10 प्रतिशत तक भिन्नता की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। इस सीमा से अधिक की निविदाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

25 संविदा करारों में यह पता चला था कि निविदाओं को अनुमेय भिन्नता से परे अर्थात न्यायोचित लागत से 10.22 प्रतिशत से 72.94 प्रतिशत कम स्वीकार किया गया था। भिन्नताओं का ब्यौरा (सीमावार) तालिका 4.4 और **अनुलग्नक–II** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4 उचित दरों में अनुमेय भिन्नता से अधिक निविदा की स्वीकृति

अनुमत विविधताएँ	भिन्नता की सीमा	अनुबंधों की संख्या
5-10 प्रतिशत	10–20 प्रतिशत से ऊपर	5
	20–40 प्रतिशत से ऊपर	12
	40–60 प्रतिशत से ऊपर	6
	60–80 प्रतिशत से ऊपर	2
कुल		**25**

अनुमेय परिवर्तन सीमा से अधिक निविदा की स्वीकृति अनियमित थी और कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था।

4.5.4.4 एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा तकनीकी बोली का अनुमोदन न किया जाना।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.4 और बोली प्रणाली एसओपी संख्या 4/1 के अध्याय–4 मोड के तहत धारा 11 (23): ई–टेंडरिंग (सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2019 के पैरा 4.4 (3) को देखें) में कहा गया है कि जहां तकनीकी बोलियां भी आमंत्रित की जाती हैं, वहां उनकी स्वीकृति एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण की क्षमता के भीतर आती है।

12 अनुबंधों में वित्तीय बोली खोलने से पहले एनआईटी अनुमोदन प्राधिकरण से तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इन 12 मामलों में से, आठ मामलों[4] में तकनीकी बोली को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियंता (सिविल) थे और चार मामलों[5] में सक्षम प्राधिकारी अधीक्षण अभियंता थे। तथापि, सभी मामलों में तकनीकी निविदाओं को कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो कि कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था।

[4]31/ईई/बीएम-आई/2020-2021, 25/ईई/बीएम-आई/एबी/2020-2021, 49/ईई/बीएम-आई/एबी/2019-2020, 21/ईई/बीएम-आई/एबी/2016-2017, 27/ईई(बीएम-पीके)/2017-2018, 03/ईई/बीएम-III/2020-21,46/ईई/बीएम-III/2020-2021, 96/ईई(बीएम-III)/ 2019-20

[5]92/ईई(बीएमपीके)/2018-2019, 97/ईई(बीएम-पीके)/2019-2020, 15/ईई(एसएम) 2017-18, 53/ईई(बीएम-III)/2016-2017

4.5.5 कार्य का अनियमित पुरस्कार

4.5.5.1 गैर–पात्र बोलीदाता को अनियमित रूप से कार्य प्रदान करना।

ई–टेंडरिंग के लिए बोलीदाताओं के लिए सूचना और अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यकारी अभियंता (सी–I) मोती बाग में कौशल विकास केंद्र के निर्माण के कार्य के लिए एनडीएमसी के अनुमोदित और पात्र बी एंड आर ठेकेदार (अनुमोदित पात्र श्रेणी और वर्ग के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले) और सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीएसएनएल, रेलवे, डीडीए, एमसीडी, डीजेबी और राज्य पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) की उपयुक्त श्रेणी और वर्ग के लोगों से ऑनलाइन प्रतिशत दर बोली आमंत्रित करता है। नई दिल्ली की अनुमानित लागत ₹21.50 करोड़ है। एनआईटी ने यह भी निर्धारित किया है कि ठेकेदारों की सूची निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर मान्य होनी चाहिए।

"अनुबंध संख्या–01/ईई (सी–I)2018–2019 दिनांक की जांच। मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिए ईई (विशेष परियोजना) की 12 जून 2018 को निविदा राशि ₹16.01 करोड़ के साथ मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी (एजेंसी) को प्रदान किया गया। बोली के साथ, एजेंसी को 10 मार्च 2009 से 9 मार्च 2012 तक डीडीए के साथ सूचीबद्ध किया गया था और सूची को 9 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2018 थी।

इस प्रकार, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि यानी 21 फरवरी 2018 को ठेकेदार को डीडीए या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि पर निविदा सूचना में उल्लिखित किसी भी संगठन के साथ पंजीकृत हुए बिना एजेंसी को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करना अनियमित था। ऐसे अयोग्य बोली लगाने वाले को अनुबंध देना दर्शाता है कि एनआईटी/कोडल प्रावधानों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके बोली लगाने वाले को अनुचित लाभ की अनुमति दी गई थी।

4.5.5.2 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स की तकनीकी बोली में संशोधन के बाद।

जीएफआर 2017 के नियम 173 (xiii) में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया गया है कि बोलीदाताओं को बोली प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपनी बोलियों में परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धारा 20.3.2. सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा (1) में यह निर्धारित किया गया है कि निविदाकर्ताओं से निविदा पश्चात कोई संशोधन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अनुमोदित एनआईटी फॉर्म एनडीएमसी–6 (फार्म सीपीडब्ल्यूडी 6 के समान) के ई–टेंडरिंग के पैरा 10 (iv) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों और निविदा खोलने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में सबसे कम बोली दाता द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत हार्ड कॉपी के बीच कोई विसंगति पाई जाती है तो प्रस्तुत की गई बोली अमान्य हो जाएगी।

कार्य के संबंध में एनआईटी की अनुसूची "एफ" के अनुसार, प्रधान तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आवश्यकता और मूल्यांकन के मानदंड के अनुसार उपलब्ध अंक नीचे तालिका 4.5 में दिखाए गए हैं:

तालिका 4.5 प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आवश्यकता

एनआईटी की अनुसूची "एफ" के अनुसार प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और उनकी योग्यताएं	एनआईटी की अनुसूची "एफ" के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि	मार्क्स उपलब्ध हैं मूल्यांकन के मानदंड के अनुसार	न्यूनतम अंक आवश्यक
1	**2**	**3**	**4**
ग्रेजुएट इंजीनियर (सिविल)	4	@0.60 प्रत्येक	2.40
ग्रेजुएट इंजीनियर (इलेक्ट)	2	@0.60 प्रत्येक	1.20
डिप्लोमा इंजीनियर (सिविल)	3	@0.40 प्रत्येक	1.20
डिप्लोमा इंजीनियर (इलेक्ट–I)	1	@0.40 प्रत्येक	0.40
कुल	**10**		**5.20**

अलीगंज में टाइप–2 के 188 फ्लैटों (10 मंजिला टावर) के निर्माण के लिए ₹40.33 करोड़ की निविदा राशि के साथ मेसर्स एनएस एसोसिएट्स को दिए गए समझौते संख्या–2/ईई (बीएम–पीके)/2017–2018 की जांच से पता चला कि मैसर्स एनएस एसोसिएट्स के संबंध में तकनीकी बोली में निविदा के फॉर्म "जी" में बोली के समय अपलोड किए गए विवरण (कार्य के लिए नियोजित किए जाने वाले तकनीकी और प्रशासनिक कर्मियों का विवरण) से अलग था। भौतिक रूप से प्रस्तुत फॉर्म "जी" बोली के समय अपलोड किए गए फॉर्म "जी" के अनुसार, बोलीदाता को 2.40 अंक मिल रहे थे। बोलीदाता के स्पष्टीकरण के आधार पर तकनीकी उप–समिति ने भौतिक रूप से संशोधित फॉर्म "जी" प्राप्त किया और 5 के न्यूनतम आवश्यक अंकों के मुकाबले 5.4 अंक दिए। एजेंसी को अपनी वित्तीय बोली खोलने के लिए तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था। फॉर्म "जी" में बोली के समय अपलोड किए गए विवरण और भौतिक रूप से प्रस्तुत फॉर्म "जी" की हार्ड कॉपी का विवरण **अनुलग्नक–III** और **अनुलग्नक–IV** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स एनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बोली जमा करने के समय अपलोड किए गए बोली दस्तावेजों के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य नहीं थी।

इस प्रकार, कंसल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी (सीईसी) द्वारा तकनीकी बोली की स्वीकृति (प्रधान तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या में संशोधन के आधार पर) अनियमित थी और अनुमोदित एनआईटी फॉर्म "ई–टेंडरिंग के लिए एनडीएमसी–6" के पैरा 10 (iv) और धारा 20.3.2. (1) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 का उल्लंघन था ।

4.5.5.3 प्रदर्शन आयोजित किए बिना वित्तीय बोलियों को अनियमित रूप से खोलना

36 (ख) तकनीकी पात्रता मानदंड के पृष्ठ संख्या 4 पर आरएफपी खंड में यह निर्धारित किया गया है कि बोलीदाता निविदा विनिर्देशों के अनुसार 16 टन सकल वाहन वजन के लिए न्यूनतम 6,000 लीटर और 25 टन सकल वाहन वजन के लिए न्यूनतम 9,000 लीटर कंटेनर क्षमता वाले सीवेज/वाटर रीसाइक्लिंग सिस्टम के साथ जेटिंग–सह–सक्शन मशीन के प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा। एनडीएमसी द्वारा सूचना दिए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भारत में या भारत के बाहर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के इंजीनियरों को ऐसा न करने पर बोली को गैर–उत्तरदायी माना जाएगा और मूल्य बोली खोले बिना अस्वीकृत किया जा सकता है। दिल्ली के बाहर या भारत के बाहर यात्रा की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

मैसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹24.25 करोड़ की निविदा राशि के साथ प्रदान किए गए 2016–17 के समझौते संख्या–36/ईई (एसएम) की जांच, वाटर री–साइक्लिंग तकनीक के साथ 2 नंबर जेटिंग सह सक्शन क्लीनिंग

मशीनों को किराए पर लेना और रखरखाव (सात साल के लिए) से पता चला कि 2 बोलीदाता (3 में से) तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 16 सितम्बर 2016 को तकनीकी रूप से योग्य करार दे दिए गए थे। सीवेज/जल पुनर्चक्रण प्रणाली के साथ जेटिंग–सह–सक्शन मशीन के प्रदर्शन के संबंध में कोई रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं पाया गया।

अपेक्षित प्रदर्शन किए बिना तकनीकी बोलियों को गैर–उत्तरदायी माना जाना चाहिए था और अस्वीकार किया जाना था। प्रदर्शन के बिना वित्तीय बोलियों को खोलना अनियमित था और आरएफपी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था।

4.5.5.4 परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदा की अनियमित स्वीकृति

धारा 20.3.2. सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा (1) में यह निर्धारित किया गया है कि निविदाकर्ताओं से निविदा पश्चात कोई संशोधन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसे किसी भी मामले को फॉर्म सीपीडब्ल्यूडी 6 के प्रावधान के तहत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.3.2 में कहा गया है कि सशर्त छूट सहित किसी भी शर्त के साथ निविदाएं खारिज कर दी जाएंगी। जीएफआर नियम 173 (xiii) में यह भी कहा गया है कि बोलीदाताओं को बोली प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

"अनुबंध संख्या–02/ईई/एसपी/2018–19" की जांच दिनांक 12 मार्च 2019 पुराने सीवर डी–सिल्टिंग के निर्माण पुनर्वास और के.जी. से 84 इंच व्यास वाली ईंट बैरल सीवर लाइन के पुनर्वास के लिए। सी–हेक्सागांव तक मार्ग और शाहजहां रोड से क्यू–प्वाइंट तक मार्ग मेसर्स जिप्सम स्ट्रक्चरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। लिमिटेड, निविदा राशि ₹22.98 करोड़" से पता चला कि एक सलाहकार, मेसर्स टीटीआई कंसल्टिंग इंजीनियर्स (1) प्राइवेट। लिमिटेड को अनुबंध अनुबंध संख्या 03/ईई/एसपी/2017–18 दिनांक 16 अगस्त 2017 के तहत के लिए नियुक्त किया गया था। पुराने सीवर डी–सिल्टिंग और पुनर्वास कार्य के पुनर्वास की परामर्श के लिए ₹27.00 लाख। सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा 28 सितम्बर 2016 को आमंत्रित की गई थी और तकनीकी बोली 10 अक्टूबर 2016 को खोली गई थी।

तकनीकी बोली की जांच करने पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोली लगाने वाले ने संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के तहत एक शर्त रखी थी, यदि सलाहकारों के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित कारणों से समापन अवधि को निर्धारित समापन समय से आगे बढ़ाया जाता है तो परामर्श शुल्क लिया जाएगा। बोली मूल्य में उल्लिखित दर पर सलाहकारों की वास्तविक तैनाती के अनुसार विस्तारित अवधि के दौरान अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। हालाँकि, बोलीदाता द्वारा 26 अक्टूबर 2016 को शर्त वापस ले ली गई। तकनीकी बोली के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में संशोधन के बाद, वित्तीय बोली 28 अक्टूबर 2016 को खोली गई और बोली लगाने वाले को ₹27 लाख के लिए पूर्व–परामर्श का काम सौंपा गया।

मैसर्स टीटीआई की बोली की स्वीकृति से पता चला कि एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.3.2 के संदर्भ में बोलीदाता की सशर्त पेशकश अनियमित थी और इसे अस्वीकार करना आवश्यक था।

4.5.6 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

4.5.6.1 जीएसटी की कम कटौती– ₹8.98 लाख

जीएसटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 605 (ई) के अनुसार 22 जून 2017 को समय–समय पर संशोधित, सभी प्रकार की सफाई, झाड़ू, स्वच्छता और इसी तरह की सेवाओं के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)। अनुबंध करार की सामान्य शर्त के खंड 19ग में कहा गया है कि ठेकेदार को जीएसटी प्राधिकारियों को प्रस्तुत

रिटर्न की प्रतियों के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा अद्यतन रिटर्न दाखिल किया गया है।

मोहन सिंह प्लेस के स्वच्छता कार्य/रखरखाव कार्य से संबंधित कार्य के अभिलेखों की जांच के लिए निविदा राशि मेसर्स आर.के. को ₹1.28 करोड़ जैन एंड संस ने अनुबंध अनुबंध संख्या 21/ईई/बीएम–I/एबी/2016–2017 (आरए बिल संख्या 6 से 12) के माध्यम से खुलासा किया कि वर्ष 1 जुलाई 2017 से 22 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए 18 प्रतिशत की लागू दर पर जीएसटी नहीं काटा गया था। कम कटौती का विवरण नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6 जीएसटी की कम कटौती का विवरण (राशि ₹ में)

आरए बिल सख्या	भुगतान की तारीख	1 जुलाई 2017 के बाद किया गया कार्य/भुगतान की गई राशि	दिनांक 1 जुलाई 2017 से जीएसटी देय है। (कॉलम 4 का 18 प्रतिशत)	वास्तविक जी. एस.टी कटौती/रोकें	अंतर (कॉलम 5–6)
1	2	3	4	5	6
6	04.10.17	907009	138357	0	138357
7	08.03.18	1416371	216057	0	216057
8	30.03.18	652346	99510	72997	26513
9	06.07.18	973366	148480	46427	102053
10	09.01.19	1854832	282940	78655	204285
11	30.03.19	1192089	181844	52496	129348
12	22.07.19	779226	118865	37595	81270
	कुल	**77,75,239**	**11,86,053**	**2,88,170**	**8,97,883**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹11.86 लाख की कुल कटौती योग्य राशि के खिलाफ, विभाग ने ठेकेदारों के बिलों से ₹2.88 लाख का जीएसटी काट लिया। इस प्रकार ₹8.98 लाख कम काटे गए।

ठेकेदार के भुगतान से जीएसटी के कारण कटौती की समीक्षा की जानी थी और दस्तावेजी प्रमाण के साथ सत्यापित किया जाना था कि 12 वें आरएआर (22 जुलाई 2019 तक) के भुगतान तक ठेकेदार द्वारा सरकारी खाते में ₹11.86 लाख की राशि जमा की गई थी।

4.5.6.2 ठेकेदार को जीएसटी का अतिरिक्त भुगतानः ₹1.21 करोड़

एनडीएमसी परिपत्र संख्या 86/एओ (ई–फिन)/डी/18 दिनांक 20 मार्च 2018 पैरा 6.5 विषय पर "वस्तुओं/सेवाओं और मिश्रित अनुबंधों की मौजूदा आपूर्ति पर जीएसटी–प्रभाव को बेअसर करना", यह निर्धारित करता है कि की कर देयता जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले ठेकेदार को जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले लागू सभी निर्धारित करों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए यानी उत्पाद शुल्क, वैट, जिसमें उत्पाद शुल्क पर वैट, प्रवेश कर, चुंगी शुल्क, प्रचलित सेवा कर आदि जो भी लागू हो। भले ही एजेंसी द्वारा ऑन अकाउंट/अंतिम बिलों के लिए भुगतान किया गया हो या नहीं। जीएसटी लागू होने से पहले और जीएसटी लागू होने के बाद कर देनदारी में अंतर की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को की जाएगी या जैसा भी मामला हो, ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

अलीगंज में 188 टाइप–2 फ्लैटों (10 मंजिला टावर) के निर्माण के लिए मैसर्स एनएस एसोसिएट्स को ₹40.33 करोड़ की निविदा राशि के साथ दिए गए समझौते संख्या–2/ईई (बीएम–पीके)/2017–2018 की जांच से पता चला कि ठेकेदार

द्वारा बोली के समय वैट की दर 15 प्रतिशत थी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद जीएसटी की दर 12 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 25 वें आरए बिल तक, ठेकेदार को जीएसटी @ 12 प्रतिशत के बजाय वैट @ 15 प्रतिशत सहित अनुबंध दरों पर भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.72 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। विवरण नीचे तालिका 4.7 में दिखाए गए हैं:

तालिका 4.7 जीएसटी से पहले ठेकेदार की कर देयता (वैट @ 15 प्रतिशत) और जीएसटी के बाद (@12 प्रतिशत) (₹ करोड़ में)

आरए बिल सं	कर सहित बिल का सकल मूल्य	वैट को छोड़कर आरए बिल का शुद्ध मूल्य कॉलम 2 का 15 प्रतिशत (सकल मूल्य)। /115x100)	जीएसटी पूर्व कर देनदारी (कॉलम 3 के तहत उल्लिखित बिल की कुल राशि पर 15% वैट)	पोस्ट जीएसटी देयता (कॉलम 3 के तहत उल्लिखित बिल की शुद्ध राशि पर 12 प्रतिशत)	अतिरिक्त भुगतान (कॉलम 4 – कॉलम 5)
1	2	3	4	5	6
1-25th	27.71	24.10	3.61	2.89	0.72

उपरोक्त के अलावा, जीएसटी के कारण भुगतान की गई ₹0.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली करने के बजाय 15 सितम्बर 2020 को जीएसटी और वैट के अंतर के कारण ठेकेदार को ₹0.49 करोड़ का भुगतान किया गया था। प्रतिपूर्ति राशि सहित कुल अतिरिक्त भुगतान ₹1.21 करोड़ था।

4.5.6.3 आरए बिलों से जीएसटी राशि को न रोकना: ₹9.61 करोड़ ।

जीसीसी के खंड 19 ए में कहा गया है कि जीएसटी अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लागू जीएसटी ठेकेदार के प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा। जीसीसी के खंड 19 सी में कहा गया है कि ठेकेदार को जीएसटी विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की प्रतियों के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा अद्यतित रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जीएसटी पर आदेशों के अनुसार, कार्य अनुबंधों के लिए जीएसटी की दर 12 प्रतिशत है और सेवा अनुबंधों पर यह 18 प्रतिशत है, उदाहरण के लिए: एचएसएन कोड 995424–स्थानीय सीवरेज और पाइपलाइनों की सामान्य निर्माण सेवाएं, एचएसएन कोड 2201 और 9994–सीवर और अपशिष्ट संग्रह और निपटान।

9 अनुबंध करारों में यह पता चला कि ₹9.61 करोड़ का जीएसटी **(अनुलग्नक–V)** जीएसटी जमा प्रमाणपत्र ठेकेदारों को रिटर्न की प्रतियों प्राप्त किए बिना भुगतान के साथ जारी किया गया था, जो अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 19 ए और 19 सी का उल्लंघन था।

4.5.6.4 आयकर की कम कटौती – ₹23.66 लाख

आयकर अधिनियम की धारा 194 सी में कहा गया है कि सरकार या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी भी ठेकेदार को किए गए भुगतान से टीडीएस सकल भुगतान का 2 प्रतिशत या 1 प्रतिशत होगा। कर कटौती 1 प्रतिशत (व्यक्तिगत और एचयूएफ के मामले में) और 2 प्रतिशत (अन्य) पर की जानी चाहिए।

18 अनुबंध समझौतों में यह पता चला था कि सकल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य (जीएसटी काटने के बाद) पर आयकर @ 2 प्रतिशत की कटौती की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹23.66 लाख के आयकर की कम कटौती हुई **(अनुलग्नक–VI)** जिसे वसूल करने की आवश्यकता थी।

4.5.6.5 श्रम उपकर की कम वसूली: ₹15.58 लाख

संविदा करार की सामान्य शर्तों की धारा संख्या 19(ख) में यह निर्धारित किया गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के प्रयोजनार्थ नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण/कार्य की लागत के @1 प्रतिशत का उपकर/ठेकेदार/फर्मों के बिलों से स्त्रोत पर काटा जाएगा।

9 अनुबंध समझौतों में यह पता चला कि काम के सकल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य (यानी जीएसटी राशि की कटौती के बाद) पर 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर काटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.58 लाख की कम कटौती हुई **(अनुलग्नक–VII)** जिसे पुनर्प्राप्त करना आवश्यक था।

4.5.7 अनियमित भुगतान

4.5.7.1 ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि के साथ श्रम लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त किए बिना भुगतान ठेकेदार से – ₹11.08 करोड़

संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 19 में यह निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार कार्य शुरू होने से पहले ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा और कार्य पूरा होने तक उसके पास वैध लाइसेंस बना रहेगा। जीसीसी के खंड 7ए में कहा गया है कि जब तक लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण, जो भी लागू हो, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत किए जाने तक काम के लिए कोई रनिंग अकाउंट बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।

15 संविदा करारों में यह पता चला था कि संविदा करार की सामान्य शर्त के खंड 7क और 19 का उल्लंघन करते हुए श्रम लाइसेंस प्रस्तुत किए बिना ठेकेदार को ₹11.08 करोड़ **(अनुलग्नक–VIII)** का भुगतान किया गया था। इससे ठेकेदारों को भी अनुचित लाभ हुआ।

4.5.7.2 कार्य लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर राशि न रोके जाने पर ₹6.16 करोड़।

अनुबंध की सामान्य शर्त के खंड 5 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अनुमत समय या इन शर्तों के अनुसार विस्तारित समय अनुबंध का सार होगा। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 5.1 में यह भी निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार प्रदर्शन गारंटी के साथ प्रत्येक मील के पत्थर के लिए एक कार्यक्रम चार्ट (समय और प्रगति) प्रस्तुत करेगा और इसे विभाग द्वारा अनुमोदित करेगा। कार्य की मदों को पूरा करने के लिए अनुबंध दस्तावेजों में उल्लिखित समय के सीधे संबंध में चार्ट तैयार किया जाएगा।

एनआईटी के खंड 5 के तहत अनुसूची "एफ" के नीचे दी गई तालिका के अनुसार मील का पत्थर (लक्ष्य), जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अनुसूची "एफ" के अनुसार मील के पत्थर (लक्ष्य)

क्र सं	मील के पत्थर का विवरण (भौतिक)	समय की अनुमति दिनों में (आरंभ तिथि से)	लक्ष्य पूरा न करने की स्थिति में राशि रोक दी जाएगी।
1	2	3	4
1	संपूर्ण कार्य का 1/8वाँ भाग	संपूर्ण कार्य का 1/4 भाग	चालू भुगतान से आश्वासन के अनुरूप आवश्यक प्रगति प्राप्त न हो पाने की स्थिति में। प्रत्येक मील के पत्थर की विफलता के लिए कार्य के निविदा मूल्य का 1 प्रतिशत रोक लिया जाएगा।
2	संपूर्ण कार्य का 3/8वाँ भाग	संपूर्ण कार्य का 1/2 भाग	
3	सम्पूर्ण कार्य का 3/4 भाग	सम्पूर्ण कार्य का 3/4 भाग	
4	पूरा काम	पूरा काम	

8 संविदा करारों में यह पता चला था कि संविदा करार की अनुसूची "एफ" के अनुसार मील के पत्थर (लक्ष्य) प्राप्त नहीं किए गए थे और प्रत्येक कार्य मील के पत्थर को प्राप्त करने में विलंब के लिए निविदा मूल्य की / 1 प्रतिशत राशि को आवश्यकतानुसार नहीं रोका गया था। रोकी जाने वाली कुल राशि ₹6.16 करोड़ थी **(अनुलग्नक–IX)**। अपेक्षित राशि न रोकना अनुबंध का उल्लंघन था और यह दर्शाता है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था।

4.5.7.3 तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण गैर–वसूलीः ₹1.97 करोड़

संविदा करार के खंड 36 में यह निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार अभियंता–प्रभारी के अनुमोदन के लिए स्वीकृति पत्र जारी होने अथवा कार्य प्रारंभ होने के 15 दिनों के भीतर तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार निविदा की स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद और कार्य शुरू होने से पहले, प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में कार्य के प्रभारी प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधि (ओं) के नाम, योग्यता, अनुभव, आयु, पता और अन्य विवरणों को प्रमाण पत्र के साथ सूचित करेगा, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे। ऐसे तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आवश्यकता और उनकी योग्यता और अनुभव अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट से कम नहीं होगा। भले ही फर्म/कंपनी के मामले में ठेकेदार (या भागीदार) स्वयं एक इंजीनियर है, ठेकेदार की ओर से अनुसूची "एफ" में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि/तकनीकी प्रतिनिधि को नियुक्त करना आवश्यक है। .

12 अनुबंध समझौतों में यह पता चला था कि ठेकेदार ने आवश्यकतानुसार तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। उपरोक्त आशय का प्रमाण पत्र भी अभिलेख में नहीं पाया गया था। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के बावजूद विभाग ने अनुसूची "एफ" और संविदा करार के खंड 36 के अंतर्गत यथा अपेक्षित ठेकेदार के आरए बिलों से ₹1.97 करोड़ **(अनुलग्नक–X)** की वसूली के बिना भुगतान कर दिया।

4.5.7.4 ईएसआई और ईपीएफ की प्रतिपूर्ति के कारण अतिरिक्त भुगतानः ₹0.22 करोड़ ।

अनुबंध 2014 और 2019 की सामान्य शर्त के खंड 19 एल में कहा गया है, षनियोक्ता की ओर से ईएसआई और ईपीएफ योगदान का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए नियोक्ता की ओर से इन योगदानों की प्रतिपूर्ति प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को वास्तविक आधार पर की जाएगी। श्रमिकों की तैनाती का सत्यापन प्रभारी अभियंता द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या किसी अन्य उपयुक्त विधि के माध्यम से किया जाएगा।

2 अनुबंध समझौतों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि श्रमिकों की तैनाती के सत्यापन के अभाव में ठेकेदार के आरए बिलों से ईएसआई और ईपीएफ के कारण भुगतान नहीं रोका गया था और ठेकेदार को ईएसआई और ईपीएफ की प्रतिपूर्ति के कारण ₹21.47 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। भुगतान का विवरण नीचे तालिका 4.8 में दिखाया गया हैः

तालिका 4.8 ईएसआई और ईपीएफ की प्रतिपूर्ति के कारण ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान (करोड़ ₹ में)

क्र सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	खाते में भुगतान की गई राशि ईपीएफ और ईएसआई की
1	2	3	4	5
1.	क्रमांक 21/ईई/बीएम–I /एबी/ 2016–2017 दिनांक 03.06.2016 एजेंसीः मेसर्स आर.के. जैन एंड संस	कार्य का नाम अन्य शुल्क (स्वच्छता) का कार्य/रखरखाव कार्य मोहन सिंह स्थान.	1.28	**0.21**
2.	समझौता सं. 22 ईई/ बीएम–III)/2019–20 एजेंसी मे. सर्स विजय त्यागी	एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कें 2018–19 उप प्रमुख निर्माण एवं एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एमएस रेलिंग को ठीक करना।	2.35	**0.01**
	कुल			**0.22**

आरए बिल भुगतान के समय ईपीएफ और ईएसआई की प्रतिपूर्ति को रोके बिना ठेकेदार को किया गया भुगतान अनियमित था और इसकी वसूली आवश्यक थी।

4.5.7.5 ठेकेदार को प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्तिः ₹2.03 लाख।

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 10ए में कहा गया है, ठेकेदार अपने जोखिम और लागत पर, ऐसे समय में और ऐसे स्थान या स्थानों पर ऐसे परीक्षणों के लिए आवश्यक संख्या में नमूने एकत्र करने और तैयार करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा और परीक्षण के सभी प्रभारों और लागत को वहन करेगा, जब तक कि अनुबंध में कहीं और अन्यथा के लिए विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, नियमित क्षेत्र परीक्षण करने के लिए साइट पर एक सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला प्रदान करेगा। प्रयोगशाला कम से कम अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट परीक्षण उपकरणों से लैस होगी।

अलीगंज में टाइप–2 के 188 फ्लैटों (10 मंजिला टावर) के निर्माण के लिए मैसर्स एनएस एसोसिएट्स को ₹40.33 करोड़ की निविदा राशि के साथ दिए गए समझौते संख्या–2/ईई (बीएम–पीके)/2017–2018 की जांच से पता चला कि ठेकेदार द्वारा लैब परीक्षण शुल्क के रूप में ₹4.05 लाख की राशि का दावा किया गया था (अक्टूबर, 2018) और इसके लिए विभाग ने ठेकेदार (दिसंबर–2018) को ₹2.03 लाख की प्रतिपूर्ति की थी जो अनुबंध के खंड 10 ए के अनुसार अनुमेय नहीं था। ठेकेदार को किए गए भुगतान की वसूली की जानी थी।

4.5.7.6 मैसर्स मीटररो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को सी एंड डी कचरे के प्रसंस्करण शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्तिः ₹5.75 करोड़।

आरएफपी की धारा 1.4 (एफ) में कहा गया है कि एनडीएमसी पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) को सीएंडडी कचरे के लिए प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान रियायतग्राही द्वारा डंप किए गए सी एंड डी कचरे के अनुसार, ईडीएमसी आदि की रसीद/गेट पास के खिलाफ सीधे करेगी। ईडीएमसी के पत्र के अनुसार। 19 जून 2018 से प्रोसेसिंग शुल्क की दरें 18 जनवरी 2017 से 23 मई 2018 तक ₹375/– प्रति मीट्रिक टन और 24 मई 2018 से ₹444/– प्रति मीट्रिक टन थीं।

पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के परिवहन और डंपिंग के लिए "अनुबंध संख्या–8/ईई(आरआईपी)/2016–2017 का कार्य" मेसर्स मीटरो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। जिस की निविदा राशि ₹30.84 करोड़ (19वें आरए बिल जुलाई 2021 तक)" से पता चला कि, एनडीएमसी क्षेत्र से एकत्र सी एंड डी कचरे की मात्रा के संदर्भ में ₹5.75 करोड़ का भुगतान ईडीएमसी के बजाय सीधे रियायतग्राही को किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति ईडीएमसी द्वारा जारी किए गए शुल्क बिल प्राप्त किए बिना की गई थी।

बिल प्राप्त किए बिना ईडीएमसी के बजाय रियायतग्राही को सीधे प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान अनियमित था और आरएफपी/रियायत करार के खंड 1.4 (एफ) का उल्लंघन था।

4.5.7.7 वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) के लिए समय–सीमा का पालन न करने के कारण अधिक भुगतान: ₹24.04 लाख

रियायत करार के अनुच्छेद 6.3 में यह निर्धारित किया गया है कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के एक वर्ष के पश्चात् बोली मूल्य में @ 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की मूल्य वृद्धि स्वीकार्य होगी।

अनुच्छेद 5.4 (ए) (VII) में कहा गया है कि परियोजना शुरू करने के उद्देश्य से कम से कम दो संयंत्रों को चालू करने के लिए अंतिम सीओडी दिया जाएगा, लेकिन परियोजना का सीओडी केवल छह महीने की अवधि में समूह की अंतिम परियोजना के सफल कमीशन के बाद दिया जाएगा। रियायत समझौते के अनुसार, निर्माण कार्य शुरू करने की निर्धारित तिथि 14 सितम्बर 2016 थी और निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित तारीख 13 मार्च 2017 (6 महीने) थी।

रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि प्रत्येक समूह (जीपी–1, 2 और 3) के सभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण पूरा होने की निर्धारित तारीख के बाद पूरा हो गया था। समूह–I, II और III में अंतिम एसटीपी का निर्माण कार्य क्रमशः 12 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 और 1 अगस्त 2017 को पूरा किया गया था। इसलिए, अंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथियों को क्रमशः 12 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 और 1 अगस्त 2017 के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 5.4 (ए) (VII) के संदर्भ में वार्षिक वृद्धि @ 5 प्रतिशत क्रमशः 12 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 और 1 अगस्त 2018 को देय थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने सीओडी की वास्तविक तिथि के बजाय सीओडी की अंतिम तिथियों के संदर्भ में वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी थी। अंतिम सीओडी और वास्तविक सीओडी और ठेकेदार को किए गए अतिरिक्त भुगतान का तुलनात्मक विवरण नीचे तालिका 4.9 और 4.10 में दिया गया है:

तालिका 4.9 अनुच्छेद 5.4 (ए) (vii) के संदर्भ में सीओडी की तारीखें और वार्षिक वृद्धि की तारीख (समूह– I, II और III)

ग्रुप नं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	एसटीपी का विवरण	प्रत्येक एसटीपी की अनंतिम वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) पर विचार किया जा रहा है	वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) अनुच्छेद 5.4(ए) (VII) के संदर्भ मे	वह तारीख जब से बोली दर पर 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि लागू हुई थी
1	2	3	4	5	6
I	03/ईईसपी)/2016–2017 मैसर्स एस.एस अभियांत्रिकी निगम (मालिकाना फर्म) और मेसर्स CXLTiton इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स यूरो मार्केटिंग इंडिया (ए स्वामित्व फर्म)	संजय पार्क	12 मार्च 2018	12 मार्च 2018	**12 मार्च 2019**
		कुशक नाला के आसपास सत्य सदन और रेलवे लाइन के बीच 500 केएलडी में पार्क करें	28 जुलाई 2017		
		मोती बाग में रिंग रोड और शांति पथ के जंक्शन के पास 100 केएलडी	28 जुलाई 2017		
		सुभाष परकत नेताजी नगर 100 केएलडी	12 मार्च 2018		
II	01/ईई(एसपी/2016–17 मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	नेहरू पार्क	8 मई 2017	1 अप्रैल 2018	1 अप्रैल 2019
		नयामार्ग की ओर शांति पथ पर गुलाब उद्यान विकसित किया गया 300 केएलडी	1 अप्रैल 2018		
		नीतिमार्ग की ओर शांति पथ पर रोज गार्डन 100 केएलडी	27 जुलाई 2017		
		पेशवा के जंक्शन के बीच में गोल मार्केट रोड और आर.के. आश्रम 200 केएलडी	12 अप्रैल 2017		
III	02/ईई(एसपी/2016–17) मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	लोधी रोड गार्डन 500 केएलडी	1 अगस्त 2017	1 अगस्त 2017	1 अगस्त 2018
		भारती नगर 500 केएलडी	एनडीएमसी द्वारा साइट न सौंपे जाने के कारण एसटीपी का काम वापस ले लिया गया		

तालिका 4.10 30.11.2021 तक किया गया अतिरिक्त भुगतान (समूह– I, II और III समग्र रूप से) (₹ में)

समूह	इस अवधि से	तक की अवधि	महीनों की संख्या	प्रति केएल देय दर	आरए बिल के अनुसार अवधि के लिए प्राप्त शुद्ध मात्रा केएल (केएल में)	आरए बिलों के अनुसार शुद्ध वार्षिक भुगतान	दर प्रति केएल जिस पर भुगतान किया गया (कॉलम 7÷6)	प्रति केएल अतिरिक्त भुगतान। (कॉलम 8–5)	कुल अतिरिक्त भुगतान (कॉलम 9x6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10
I	28 जुलाई 17	12 मार्च 18	7.5	32.00	25741.02	823713.00	32.00	00.00	00.00
	13 मार्च 18	12 मार्च 19	**12**	**32.00**	**241519.77**	**7909818.88**	**32.75**	**0.75**	**181185.47**
	13 मार्च 19	12 मार्च 20	12	33.60	325108.72	11153386.78	34.32	0.72	234078.28
	13 मार्च 20	12 मार्च 21	12	35.28	325458.55	11731460.81	36.05	0.77	250603.08
	13 मार्च 21	30 नवं. 21	12	37.04	206374.74	7744290.30	37.53	0.49	101123.62
कुल					**11,24,212.8**	**3,93,62,681.77**			**767005.45**
II	27 जुलाई 17	31 मार्च 18	8	37	179617.40	6645843.80	37.00	0	
	1 अप्रैल 2018	31 मार्च 19	12	37	306492.60	12076336.20	39.40	2.40	735582.24
	1 अप्रैल 2019	31 मार्च 20	12	38.85	347707.30	13644814.01	39.24	0.39	136385.40
	1 अप्रैल 2020	31 मार्च 21	12	40.79	352535.00	14895136.27	42.25	1.46	515233.62
	1 अप्रैल 2021	30 नवं. 21	8	42.83	221468.60	9736393.72	43.96	1.13	250259.51
कुल					**14,07,830.9**	**5,69,98,536.00**	**214.85**	**19.38**	**1637460.77**
III	1 अगस्त 17	31 जुल. 18	12	31	91614.20	2840040.20	31.00	00.00	00.00
	1 अगस्त 18	31 जुल. 19	12	32.55	140066.60	4559167.83	32.55	00.00	00.00
	1 अगस्त 19	31 जुल. 20	12	34.18	150919.90	5158442.18	34.18	00.00	00.00
	1 अगस्त 20	31 जुल. 21	12	35.89	147047.90	5276686.98	35.89	00.00	00.00
	1 अगस्त 21	30 नवं. 21	4	37.68	24299.70	915613.00	37.68	00.00	00.00
कुल योग (I, II & III)									**24,04,466.22**

उपरोक्त तालिका 4.9 और 4.10 के विश्लेषण से, यह स्पष्ट था कि सीओडी सीओडी की अंतिम तिथियों की तुलना में बाद की तारीखों पर देय थे। रियायतग्राही को एक्टुआई सीओडी के बजाय अंतिम सीओडी की तारीखों से वार्षिक वृद्धि की अनुमति दी गई थी। सीओडी की अंतिम तिथियों से ठेकेदार को वार्षिक वृद्धि की अनुमति देने के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को 30 नवंबर 2021 (लेखापरीक्षा की तारीख) तक ₹24.04 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

4.5.7.8 संविदा करार के खंड 2 के तहत अपेक्षित मुआवजे का न लगाया जानाः ₹2.47 करोड़

अनुबंध, 2014 की सामान्य शर्त के खंड 2 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि ठेकेदार खंड 5 के संदर्भ में अपेक्षित प्रगति बनाए रखने या कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो कार्य में देरी के लिए मुआवजा @ 1.5 प्रतिशत प्रति माह कार्य के निविदा मूल्य या मद या कार्य की वस्तुओं के समूह के निविदा मूल्य के अधीन होगा, जिसके लिए मूल रूप से दिए गए अनुसार पूरा होने की एक अलग अवधि होगी, वसूली की जाएगी। इसके अलावा संविदा, 2014 की सामान्य शर्त के खंड 3 में यह निर्धारित किया गया है कि संविदा का निर्धारण प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित में सूचना देकर किया जा सकता है। सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 की धारा 33.3.1 में कहा गया है कि खंड 2 और 3 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र है और खंड 3 के प्रावधान खंड 2 के तहत मुआवजे की वसूली के बाद भी लागू किए जा सकते हैं।

बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली के पुनर्विकास के लिए अनुबंध संख्या–72/ईई(बीएम–आई)एबी/2017–2018 की जांच मेसर्स सतीश चंद और राजेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। जिस की निविदा राशि ₹24.66 करोड़ से पता चला कि गलत देरी या काम की धीमी प्रगति के लिए खंड 2 के तहत एक कारण बताओ नोटिस 1 जुलाई 2019 को जारी किया गया था और खंड 3 के तहत निर्धारण के लिए कार्यवाही 15 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी, हालांकि कार्य में देरी के लिए ₹2.47 करोड़ (निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) के मुआवजे की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

4.5.7.9 मूल दायरे में शामिल नहीं की गई अतिरिक्त वस्तुओं का अनियमित निष्पादनः ₹1.17 करोड़

अनुबंध 'क' की धारा संख्या 12–वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (9 मई 2013) के अनुसार, कार्यकारी अभियंता के पास अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत या ₹1 लाख, जो भी कम हो, में निर्धारित वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के लिए मंजूरी देने की वित्तीय शक्तियां हैं।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 5.11.1 (3) में कहा गया है कि अतिरिक्त/प्रतिस्थापित वस्तुओं को तैयार करने, उनकी जांच करने और मंजूरी देने वाले अधिकारियों को वस्तुओं के नामकरण की उचित तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें निष्पादित करने के लिए विशिष्ट कारणों को दर्ज करना चाहिए।

2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर) के लिए अनुबंध संख्या–22/ईई(बीएम–III)/2019–20 की जांच, एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एमएस रेलिंग के निर्माण और फिक्सिंग का काम सौंपा गया। मेसर्स विजय त्यागी, निविदा राशि ₹2.35 करोड़ से पता चला कि उन स्थानों का नाम जहां कार्य निष्पादित किया जाना था, कार्य के दायरे में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, जांच से पता चला,

क. अतिरिक्त आइटम (विवरण संख्या 1, 2, 3 और 4) निष्पादित किए गए जो अनुबंध के काम के मूल दायरे में शामिल नहीं थे और काम की प्रकृति के लिए भी प्रासंगिक नहीं थे। विवरण नीचे तालिका 4.11 में दिया गया है:–

तालिका 4.11 सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना अतिरिक्त मदों का भुगतान

क्र. सं.	अतिरिक्त आइटम विवरण क्रमांक	विवरण का कुल मूल्य (₹)	अतिरिक्त आइटम निष्पादित	टिप्पणियां
1	2	393115	विट्रीफाइड टाइल्स, ग्रेनाइट पत्थर आदि	एसई से मंजूरी नहीं ली गई
2	3	1194290	कोटा स्टोन स्लैब फर्श, विट्रीफाइड टाइल्स	एसई से मंजूरी नहीं ली गई
3	4	1438582	यूपीवीसी दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर शटर और विभाजन में डिजाइनर रंगीन ग्लास, स्टेन ग्लास, सख्त ग्लास, सजावटी कप बोर्ड, विंडो सन नियंत्रित ग्लास, डॉक्टर एक्वागार्ड आदि।	एनडीएमसी सचिव से मंजूरी नहीं ली गई
	कुल	**3025987**		

झलेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकारी अभियंता (बीएम–III) ने सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ठेकेदार को ₹22.69 लाख (₹30.26 लाख का 75 प्रतिशत) का भुगतान किया था।

ख. अनुबंध समझौते की मात्रा की अनुसूची (एसओक्यू) के अनुसार कार्य की निम्नलिखित वस्तुओं को कार्य के दायरे के तहत निष्पादित किया जाना था (विवरण नीचे तालिका 4.12 में दिया गया है): –

तालिका 4.12 मात्रा की अनुसूची (एसओक्यू)

आ. इटम संख्या	विवरण	मात्रा	दर (₹)	इकाइयों	राशि (₹)
1	यांत्रिक व्यक्तियों द्वारा उत्खनन में मिट्टी का कार्य	1068.00 m^3	146.40	घन मापी	177715
2	सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध कराना एवं बिछाना	161.00 m^3	3293.31	घन मापी	530223
3	गैर मॉड्यूलर फ्लाई ऐश ईंटों के साथ ईंट का काम	813.00 m^3	5532.35	घन मापी	4497801
4	सीमेंट कंक्रीट उपलब्ध कराना एवं बिछाना	33.00 m^3	5356.42	घन मापी	176762
5	कटिंग, होस्टिंग, फिक्सिंग और पेंटिंग सहित निर्मित ट्यूबलर में स्टील का काम	25265.00 Kg	90.25	किलोग्राम	2280166
6	स्ट्रक्चरल स्टील आदि का उपयोग करके स्टील प्राइमर लगाने की स्थिति में कटिंग, होस्टिंग फिक्सिंग सहित निर्मित अनुभाग/फ्रेमयुक्त कार्य में वेल्डेड स्टील कार्य।	123787.00 Kg	85.95	किलोग्राम	10639493
7	एमएस डिजाइनर भल्ला कैप को एमएस रेलिंग के बेस पूर्ण वेल्डेड ओवर स्क्वायर बार के साथ प्रदान करना और ठीक करना	22594.00 nos	116.15	प्रत्येक	2624293
8	दीवार की लाइनिंग आदि के लिए पत्थर का काम (लाल बलुआ पत्थर)	1050.00 m^2	2044.60	वर्गमीटर	2146830
9	150ग्150ग्70 से 80 मिमी मोटे क्फ स्टोन ब्लॉक उपलब्ध कराना और बिछाना	1050.00 m^2	1067.47	वर्गमीटर	1120844
10	कॉर्पिंग, कॉर्निस स्ट्रिंग कोर्स और प्लिंथ कोर्स में पत्थर का सादा काम (लाल बलुआ पत्थर)	119.00 m^3	41029.55	घन मापी	4882516
11	संगमरमर के पत्थर की सीढ़ियों की पूर्व–तैयार नोजिंग के लिए अतिरिक्त	7000.00 m	306.25	मीटर	2143750
12	फैंसी/डिजाइनर एमएस रेलिंग बनाने के लिए अतिरिक्त	22450.00 Kg	13.98	किलोग्राम	313851
13	अनुमोदित ब्रांड के सिंटेक्टिक इनेमल से पेंटिंग	4318.00 m^2	78.40	वर्गमीटर	338531
14	1 कि.मी. तक सामग्री की ढुलाई	1068.00 m^3	79.96	घन मापी	85397
15	01 किमी से 20 किमी तक की प्रारंभिक सीमा से अधिक भार के लिए गाड़ी	20292.00m^3/Km	10.22	घन मापी/ प्रति कि.मी	207384
16	उपलब्ध खोदी गई मिट्टी को खाई/नींव में भरना	304.00 m^3	125.75	घन मापी	38228
Total					**3,22,03,784**

8वें आरए/प्री–फाइनल बिल से यह पता चला है कि **(अनुलग्नक–XI)** में दर्शाई गई अतिरिक्त मदें निष्पादित की गई थीं जो कार्य की प्रकृति और दायरे के अंतर्गत नहीं आती हैं और ठेकेदार को ₹86.75 लाख का भुगतान किया गया था।

कार्य की प्रकृति के लिए प्रासंगिक नहीं होने वाले कार्य की वस्तुओं का निष्पादन अनियमित था और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 5.11.1 (3) का उल्लंघन था।

4.5.8 प्रक्रियात्मक खामियां

29 ठेकों में लेखापरीक्षा में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियात्मक चूकों की संख्या देखी गई जैसा कि नीचे तालिका–4.13 में बताया गया है। ये खामियां संहिताओं और नियमावली (एनडीएमसी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कार्यकरण में अपनाई गई) में दी गई सभी प्रक्रियाओं और अनुदेशों का सही भावना से पालन और कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इन निर्देशों और कार्य प्रक्रियाओं का पालन न करने से पारदर्शिता की कमी हो सकती है और भविष्य में गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ सकते हैं। चूकों का ब्यौरा सारणी 4.14 और **अनुलग्नक–XII** में दिया गया है।

तालिका 4.13 प्रक्रियात्मक खामियाँ

क्र. सं.	प्रक्रियात्मक अनियमितता की प्रकृति	संदर्भ देना अनुलग्नक XII क्र.सं.
1	डिजाइन और दायरे में इमारत के आर्थिक जीवन का उल्लेख न करना	1-2
2	माप की नमूना जांच के बिना आरए बिलों का भुगतान	3-8
3	आरए बिलों के साथ अनिवार्य परीक्षण का परफॉर्मा संलग्न न करना	9-13
4	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के स्थान पर सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा अग्निशमन कार्य का विस्तृत अनुमान तैयार करना	14-15
5	25वें आरए बिल तक पाइप सीमेंट, स्टील, जी.आई. आदि के लिए सैद्धांतिक खपत विवरण संलग्न न करना	16
6	समय विस्तार की मंजूरी न देना	17-22
7	सुरक्षा जमा के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होना	23
8	टी/एस प्राधिकारी द्वारा अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र की रिकॉर्डिंग न होना	24-25
9	कार्यनिष्पादन गारंटी प्राप्त न करना	26
10	बोली वैधता अवधि का विस्तार न होना	27-30
11	बोली की अधिक वैधता अवधि.	31-34
12	सलाहकार की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्राक्कलन में मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित प्रावधान	35
13	निष्पादन गारंटी का कम प्रावधान (अर्थात् ₹26 लाख के निविदा स्वीकृत मूल्य के 5% के बजाय 2%)।	36
14	आर्किटेक्ट ड्राइंग और वर्किंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग की उपलब्धता के बिना एनआईटी जारी करना	37
15	एनआईटी और विस्तृत अनुमान के अनुमोदन में देरी	38-39
16	₹1.38 लाख की ईएमडी जब्त न करना	40-41

अध्याय-5

विद्युत अभियांत्रिकी विभाग

अनुबंध प्रबंधन (इलेक्ट्रिकल), एनडीएमसी की लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश / मुख्य बातें

- बिजली विभाग सभी सरकारी भवनों सहित अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिजली वितरण के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त के अलावा, विभाग स्ट्रीट लाइटिंग, एनडीएमसी कार्यालयों (वाणिज्यिक भवन, स्कूल, अस्पताल) और एनडीएमसी आवासीय फ्लैटों के विद्युत रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। **(पैरा 5.1)**
- संशोधित ए ए एवं ई एस प्राप्त किए बिना ₹1.57 करोड़ (39.44 प्रतिशत अधिक) की अतिरिक्त खरीद की गई। **(पैरा 5.5.1.2)**
- 4 अनुबंधों में, निविदा राशि/कार्य मूल टीएस के 10 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद विभाग ने संशोधित तकनीकी मंजूरी (टीएस) प्राप्त नहीं की। **(पैरा 5.5.1.3)**
- 5 एनआईटी में, विभाग ने पात्रता मानदंडों में ढील दी और समान कार्य अनुभव और औसत वार्षिक कारोबार की कम वित्तीय क्षमता वाले बोलीदाताओं को अनुमति दी। इसके अलावा, 2 एनआईटी में, विभाग ने कोड प्रावधान का उल्लंघन करते हुए 3 साल के बजाय 1 वर्ष की अनुमानित लागत के आधार पर ₹32 लाख की कम ईएमडी का प्रावधान किया। **(पैरा 5.5.2.1 एवं 5.5.2.2)**
- 7 अनुबंधों में, विभाग ने माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 की धारा 7.3.5 के उल्लंघन में तकनीकी बोलियों में बोलीदाताओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए तकनीकी बोलियां खोलने के बाद नए/अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की। (पैरा 5.5.3.1)
- अनुबंध समझौता/करार संख्या–05/ईई(एस–I)/2020–21 में विभाग ने तकनीकी पात्रता मानदंड में ढील देकर तकनीकी बोलियों में अधूरे दस्तावेजों/जानकारी वाले दो बोलीदाताओं की सशर्त बोलियां स्वीकार कीं। (पैरा 5.5. 3.4)
- तकनीकी मूल्यांकन उप–समिति (टीईसी) के सामने मामला रखे बिना एजेंसी को ₹3.46 करोड़ का ठेका दे दिया गया। (पैरा 5.5.3.5)
- 3 अनुबंधों में, प्रचलित बाजार दरों के बजाय पुरानी दरों, अनुमानित लागत और तकनीकी बोली खोलने के बाद प्राप्त दरों के आधार पर औचित्य विवरण तैयार किए गए थे। (पैरा 5.5.4.1)
- पहली कॉल में ₹87.60 लाख की एल1 बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उचित दरों की तैयारी के लिए कोटेशन बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किया गया था। दोबारा टेंडर करने पर काम ₹1.18 करोड़ में दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹30 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। (पैरा 5.5.4.2)
- विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और सीवीसी दिशानिर्देशों की धारा 20.4.3.2 का उल्लंघन करते हुए, बिना किसी असाधारण स्थिति के दरों को 5 प्रतिशत की भिन्नता की स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के इरादे से एल1 बोलीदाता के साथ बातचीत की। (पैरा 5.5.5.1)

- ₹35.83 करोड़ के 10 अनुबंधों में, 10 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के मुकाबले उचित लागत से 13.79 प्रतिशत से 36.52 प्रतिशत तक कम दर पर निविदाएं स्वीकार की गईं। (पैरा 5.5.5.2)
- 17 अनुबंधों में, कोडल प्रोविजनल के उल्लंघन में एनआईटी में एक शर्त शामिल की गई थी कि प्रदर्शन गारंटी को पुरस्कार पत्र के 14 दिनों के भीतर जमा करने के बजाय आरए बिलों से लॉट के अनुसार कटौती की जाएगी। इस तरह की छूट के परिणामस्वरूप, 2 अनुबंधों में, कोई प्रदर्शन गारंटी जमा नहीं की जा सकी, 8 अनुबंधों में, इसे 51 दिनों से लेकर 343 दिनों तक की देरी से जमा किया गया और 7 अनुबंधों में आरए बिलों से 725 दिनों तक की देरी से पीजी काटा गया। (पैरा 5.5.6.1)
- आपूर्ति के समय एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग के परीक्षण के लिए, विभाग ने नामांकन के आधार पर एक फर्म का चयन किया, और ₹2.31 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। फर्म द्वारा ली गई दरें अन्य फर्म की तुलना में अधिक थीं। तकनीकी योग्यता के समय नमूना परीक्षण के समय कोटेशन प्राप्त करके चयन किया जाता है। (पैरा 5.5.7.3)
- दो अनुबंधों में, विभाग ने ₹2.21 करोड़ (100 प्रतिशत) और ₹0.29 करोड़ (100 प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान किया और एक अनुबंध में, अनुबंध के मूल्य के ₹0.30 करोड़ (50 प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान किया। 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा और आवश्यकतानुसार फर्म से बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना। (पैरा 5.5.8.1)
- अनुबंध समझौता के निष्पादन के बिना 10 नवंबर 2017 से 9 मई 2021 की अवधि के लिए एजेंसी को ₹62.07 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। (पैरा 5.5.8.2)
- 9 अनुबंधों में, आयकर सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर काटा गया था। कटौती की गई कुल राशि ₹15.56 लाख थी। (पैरा 5.5.8.5)
- 10 अनुबंधों में, श्रम उपकर सकल मूल्य के बजाय कार्य के शुद्ध मूल्य पर काटा गया था। श्रम उपकर की कम कटौती ₹6.75 लाख थी। (पैरा 5.5.8.6)
- 5 अनुबंधों में, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 19 और 7ए का उल्लंघन करते हुए, श्रम लाइसेंस प्राप्त किए बिना ठेकेदार को ₹40.28 करोड़ का भुगतान किया गया था। (पैरा 5.5.8.7)
- 16 अनुबंधों में, विभाग ने विस्तृत अनुमान में प्रावधान किए बिना आकस्मिक शुल्क के विरुद्ध ₹55.7 लाख का भुगतान किया। (पैरा 5.5.8.8)
- 8 अनुबंधों में, विभाग ने तकनीकी प्रतिनिधियों की तैनाती न करने और योग्य इंजीनियर द्वारा चालू बिलों में एई द्वारा सत्यापित खंड 36 के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र दर्ज न करने के लिए ठेकेदार पर ₹91.58 लाख का जुर्माना नहीं लगाया। (ओं) ने इसके निष्पादन के दौरान कार्य की देखभाल की थी। (पैरा 5.5.8.11)
- 16 अनुबंधों में, एनआईटी जारी होने की तारीख से लेकर ठेका दिए जाने की तारीख तक निविदा के प्रसंस्करण में लगने वाला कुल समय 4 महीने के मानक के मुकाबले एनआईटी की मंजूरी की तारीख 6 से लेकर 22 महीने तक था (पैरा 5.5.10.1)
- 13 अनुबंधों में, तकनीकी बोली खोलने से लेकर अनुबंध देने तक का समय 3 से 4 महीने की स्वीकार्य अवधि के मुकाबले 6 से 20 महीने तक था।(पैरा 5.5.10.2)
- 13 अनुबंधों में, ए ए एवं ई एस से अनुबंध देने तक की प्रक्रिया में 10 महीने से 11 वर्ष तक का समय लगा। (पैरा 5.5.10.3)

5. संविदा प्रबंधन (विद्युत), एनडीएमसी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

5.1 परिचय

एनडीएमसी के विद्युत विभाग में दो क्षेत्र, विद्युत–I और विद्युत–II हैं, जिनका नेतृत्व मुख्य अभियंता (सीई) करते हैं। मुख्य अभियंताओं को सकल स्तरों पर अधीक्षण अभियंताओं (एसई) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कार्य उप–मंडल स्तर (एई) पर निष्पादित किया जाता है जिसकी निगरानी डिवीजन स्तर (ईई) पर की जाती है। कार्य का भुगतान कार्यकारी अभियंताओं (ईई) की अध्यक्षता में डिवीजन स्तर पर किया जाता है।

विद्युत विभाग सभी सरकारी भवनों सहित अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त के अलावा, विभाग सड़क प्रकाश व्यवस्था, एनडीएमसी कार्यालयों (वाणिज्यिक भवन, स्कूल, अस्पताल) और एनडीएमसी आवासीय फ्लैटों के विद्युत रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है।

विद्युत–II जोन ग्रिड से पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी.टी.एल.) के साथ निकट समन्वय में "सिस्टम कंट्रोल" के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। एनडीएमसी का सिस्टम नियंत्रण निर्माण भवन में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) केंद्र से संचालित होता है। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के ग्रिड स्टेशनों से 66 केवी, 33 केवी और 11 केवी फीडरों के माध्यम से बिजली प्राप्त की जाती है और बी.एस.ई.एस. बिजली आपूर्ति प्रणाली को कुशल, विश्वसनीय, आर्थिक और सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसार बनाए रखा जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा का दायरा

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को कवर करने वाले विद्युत विभाग, एनडीएमसी (18 डिवीजनों) के अनुबंध प्रबंधन की लेखापरीक्षा जुलाई–2022 से जनवरी–2023 की अवधि के दौरान आयोजित की गई थी। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान 18 डिवीजनों द्वारा ₹341.68 करोड़ के कुल 1082 अनुबंध निष्पादित किए गए। ₹231.11 करोड़ (67.63 प्रतिशत) मूल्य के 14 प्रभागों के 54 अनुबंधों **(अनुलग्नक–I)** की लेखापरीक्षा नमूना आधार पर की गई थी। संविदाओं और लेखापरीक्षा के लिए चयन का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 5.1

क्र. सं.	विशिष्ट	₹10 लाख तक.	₹10 लाख से ऊपर और ₹40 लाख तक।	₹40 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक।	₹1 करोड़ से ऊपर और ₹5 करोड़ तक।	₹5 करोड़ से ऊपर.	कुल
1	**ए**	**बी**	**सी**	**डी**	**ई**	**एफ**	**जी**
2	**अनुबंधों की संख्या**	790	227	24	27	14	**1082**
3	**अनुबंधों का मूल्य (करोड़ में)**	27.03	44.22	16.51	60.32	193.60	**341.68 (100** प्रतिशत**)**
4	**चयन मानदंड**	0.50 प्रतिशत	5 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत	–
5	**चयनित**	4	11	12	14	13	**54**
6	**चयनित अनुबंधों का मूल्य (करोड़ में)**	0.39	3.73	9.32	41.49	176.17	**231.11 (67.63** प्रतिशत**)**

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा आयोजित किया गया थाः –

(i) क्या दायित्व उठाने से पहले ए ए एंड ई एस प्राप्त किया गया था।

(ii) क्या तकनीकी मंजूरी (टीएस) और विस्तृत अनुमान (डीई) सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(iii) क्या निविदा दस्तावेज कोड और मैनुअल में प्रदान किए गए मानक दस्तावेज के अनुसार तैयार किया गया था।

(iv) क्या बोलीदाताओं का चयन (तकनीकी मूल्यांकन) एनआईटी मानदंडों के अनुसार किया गया था

(v) क्या अनुबंध प्रदान करते समय स्वीकार की गई दरें उचित थीं

(vi) क्या नियम के अनुसार सफल बोलीदाता से निष्पादन सुरक्षा और प्रतिभूति जमा राशि प्राप्त की गई थी।

(vii) क्या कार्य एनआईटी के अनुसार सौंपा गया था।

(viii) क्या भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया गया था।

(ix) क्या कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया गया था। यदि नहीं, तो समय का विस्तार (ईओटी) प्रदान किया गया था।

(x) चाहे आयकर, श्रम कल्याण उपकर, जीएसटी आदि जैसे अनिवार्य कर हों। आदेशों के अनुसार कटौती की गई और संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित नियमों, दिशानिर्देशों, संहिताओं और मैनुअल के संदर्भ में आयोजित किया गया था।

(i) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और 2019।

(ii) सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

(iii) अनुबंध की सामान्य शर्तें (निर्माण, 2014 और 2019)।

(iv) सामान्य वित्तीय नियम 2005 और 2017।

(v) अनुबंधों पर सीवीसी के दिशानिर्देश।

(vi) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एनडीएमसी दिनांक 9 मई 2013 (समय–समय पर यथा संशोधित)।

(vii) दिल्ली दरों की अनुसूची (डीएसआर)।

(viii) सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव मैनुअल।

(ix) माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017

5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.5.1 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय, स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति

5.5.1.1 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एए एंड ईएस) की समाप्ति के बाद सौंपा गया कार्य

जीएफआर–2017 के नियम 139 (iii) के साथ सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 2.3.5 और सीपीडब्ल्यूडी

वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 3.1.1.5 में कहा गया है कि तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जारी करने से पहले कोई काम नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 30 में कहा गया है कि किसी भी नए शुल्क के लिए मंजूरी, जब तक कि इसे विशेष रूप से नवीनीकृत नहीं किया जाता है, समाप्त हो जाएगी यदि ऐसी मंजूरी जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के दौरान पूरे या आंशिक रूप से कोई भुगतान नहीं किया गया है। परन्तु अन्य बातों के साथ–साथ भंडारों की खरीद के मामले में, यदि निविदाएं स्वीकार कर ली गई हैं अथवा उस स्वीकृति के जारी होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय क्रय संगठन को मांग–पत्र दे दिया गया है, तो भी स्वीकृति व्यपगत नहीं होगी, भले ही उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण या आंशिक रूप से वास्तविक भुगतान न किया गया हो।

5 अनुबंधों में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि कार्य प्रशासनिक अनुमोदन की समाप्ति के बाद सौंपा गया था। आवश्यकतानुसार कोई नया प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (ए ए एंड ई एस) प्राप्त नहीं की गई थी। इसका विवरण नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति की समाप्ति के बाद सौंपा गया कार्य

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	निविदा राशियाँ (₹ करोड़ में)	AA&ES की तारीख	मानक के रूप में ए ए एवं ई एस की वैधता	निविदा स्वीकृति की तिथि	समाप्ति की अवधि
1	21	20.38	23 जुलाई 2013 (₹ 7.11 करोड़) 24 अप्रैल 2014 (₹ 16.58 करोड़)	22 जुलाई 2014 23 अप्रैल 2015	19 जनवरी 2021	6 साल 6 महीने 5 साल 9 महीने
2	27	10.33	20 जून 2017	19 जून 2018	27 अगस्त 2020	2 साल 2 महीने
3	17	9.54	27 जून 2013 (₹ 7.03 करोड़) 24 अप्रैल 2014 (₹ 16.58 करोड़)	26 जून 2014 23 अप्रैल 2015	31 मई 2021	6 साल 11 महीने 6 साल 1 महीना
4	7	2.64	26 अप्रैल 2012	25 अप्रैल 2013	29 दिसंबर 2017	4 साल 8 महीने
5	31	1.26	6 नवंबर 2018	5 नवंबर 2019	6 दिसंबर 2019	1 महीना
कुल		**44.15**				

यह स्पष्ट है कि कोड प्रावधान का उल्लंघन करते हुए 5 अनुबंधों ए ए एंड इ एस की 1 महीने से लेकर 6 साल 11 महीने की अवधि के अंतराल के बाद दिए गए।

5.5.1.2 संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त न होना

एनडीएमसी के दिनांक 9 मई 2013 के परिपत्र सं.डी–72/फिन/2013 के अनुलग्नक 'ए' के खंड संख्या 12 में उल्लिखित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, एनडीएमसी में यह निर्धारित किया गया है कि यदि परिवर्धन एए और ईएस के 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी का संशोधित एए और ईएस प्राप्त किया जाएगा।

अनुबंध करार संख्या–01/ईई(एस–आई)/2020–21 (अनुलग्नक–I, क्रम संख्या 22) की जांच से पता चला कि निविदा अध्यक्ष, एनडीएमसी के सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) के आधार पर संसाधित की गई थी। (7 जनवरी 2016) विद्युत सामग्री की खरीद के लिए एक वर्ष के लिए दर अनुबंध करने के लिए जो डीजीएस एंड डी (दर अनुबंध) जैसे वितरण

ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल, एलटी पैनल और पैकेज सबस्टेशन इत्यादि पर उपलब्ध नहीं थे। एआईपी के आधार पर, निविदा एनडीएमसी अध्यक्ष द्वारा एजेंडा संख्या 05 (बी–आई) दिनांक 6 मई 2020 द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹5.55 करोड़ का कुल व्यय (₹3.98 करोड़ निविदा राशि और ₹1.57 करोड़ की अतिरिक्त खरीद) किया गया था, जो एए और ईएस राशि ₹3.98 करोड़ से 39.44 प्रतिशत अधिक है।

₹1.57 करोड़ (39.44 प्रतिशत अधिक) की अतिरिक्त खरीद के कारण संशोधित ए ए एंड ई एस प्राप्त किए बिना व्यय वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, एनडीएमसी के तहत प्रावधान का उल्लंघन था।

5.5.1.3 तकनीकी मंजूरी (टीएस) में संशोधन न होना

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 2.5.2 में कहा गया है कि तकनीकी मंजूरी 10 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है, जिसके बाद संशोधित "तकनीकी स्वीकृति" आवश्यक होगी।

4 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि निविदा राशि/कार्य टीएस राशि के 10 प्रतिशत से अधिक था। विवरण नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3 तकनीकी स्वीकृति का गैर–संशोधन (₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	तकनीकी स्वीकृति/एनआईटी	निविदा राशि/सकल कार्य किया गया	टी.एस. से ऊपर भिन्नता
1	53	9.43 (13 अप्रैल 2015)	11.78 (10 फरवरी 2020 तक)	24.92 प्रतिशत
2	6	3.05 (6 अक्टूबर 2017)	3.69 (1 मार्च 2019 तक)	21 प्रतिशत
3	31	1.13 (16 मई 2019)	1.42 (अतिरिक्त/अतिरिक्त आइटम सहित) (16 नवंबर 2022 तक)	25.66 प्रतिशत
4	47	0.92	1.08 (17 फरवरी 2020 तक)	17.39 प्रतिशत

उपर्युक्त मामलों में की गई निविदा राशि/कार्य टीएस के 10 प्रतिशत से अधिक था। इसलिए, संशोधित टीएस कोडल प्रावधान के अनुसार प्राप्त किया जाना था। हालांकि, विभाग को यह नहीं मिला। संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना कोडल प्रावधान का उल्लंघन था।

5.5.1.4 ए ए एंड ई एस प्राप्त किए बिना खरीद।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 के नियम 132 में यह निर्धारित किया गया है कि तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जारी करने से पहले कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।

अनुबंध करार संख्या–03/ईई (एम/एस)/2020–21/ई (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 45) की जांच से पता चला है कि यूएसएस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सरोजिनी नगर में श्नाइडर मेक 11 केवी आरएम–6 रिंग मेन यूनिट की खरीद के लिए, ए ए एंड ई एस प्राप्त किए बिना आपूर्ति आदेश (अगस्त–2020) मैसर्स सीके इंजीनियर्स (नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकृत डीलर, ओ. इ. एम.) को ₹9.75 लाख में जारी किया गया था। ए ए एंड इ एस प्राप्त न करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए ।

प्रभाग द्वारा व्यय या कोई दायित्व वहन करने से पहले ए ए एंड इ एस प्राप्त न करना संहिता प्रावधान का उल्लंघन था।

5.5.2 निविदा आमंत्रित करने की सूचना

5.5.2.1 एनआईटी में पात्रता मानदंड में छूट

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 15.7.1.4 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्य के प्रभारी मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक परिशिष्ट–20 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के साथ–साथ बोली मूल्यांकन मानदंडों को अंतिम रूप देंगे। यदि दिशानिर्देशों से कोई विचलन (पैरा 17.7 के तहत निविदाओं को वापस लेने को छोड़कर) आवश्यक समझा जाता है, तो उसे एडीजी से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

दिनांक 9 मई 2013 के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, एनडीएमसी के अनुसार, इंजीनियर–इन–चीफ (ई–इन–सी) मुख्य अभियंता के अगले उच्चतर प्राधिकारी हैं और ई–इन–सी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग एनडीएमसी सचिव द्वारा किया जाएगा क्योंकि कोई ई–इन–सी पद पर नहीं है।

3 अनुबंधों[6] में, संचालन एवं रखरखाव का कार्य 3 वर्षों के लिए निष्पादित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईटी में टेंडर के लिए रखी गई अनुमानित लागत (ईसी) को 3 साल के बजाय एक साल के विस्तृत अनुमान के आधार पर बुलाया गया था। एक वर्ष की अनुमानित लागत के साथ निविदा (एनआईटी) के अनुमोदन के परिणामस्वरूप निविदा में ईएमडी और वित्तीय पात्रता मानदंड को निचले स्तर पर कार्यान्वित किया गया जैसा कि नीचे तालिका 5.4 में दिखाया गया है:

तालिका 5.4 एनआईटी में पात्रता मानदंड में छूट (₹ करोड़ में)

अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	ईएमडी			समान कार्यों का मूल्य		औसत वार्षिक कारोबार	
	मानदंड	प्राप्त किया	अंतर	मानदंड[7]	माँगा गया	मानदंड	माँगा गया
52	0.30	0.10	0.20	6.05 या 9.08 या 12.1	2.02 या 3.02 or 4.03	7.56 (ईसी का 50 प्रतिशत)	2.52 (ईसी का 50 प्रतिशत)
53	0.18	0.06	0.12	3.77 या 5.66 या 7.54	1.26 या 1.88 or 2.51	9.43 (ईसी का 100 प्रतिशत)	3.14 (ईसी का 100 प्रतिशत)

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एनआईटी में पात्रता मानदंडों में छूट के कारण, विभाग ने दो अनुबंधों में ₹32 लाख से कम ईएमडी प्राप्त किया और समान कार्य अनुभव की कम वित्तीय क्षमता और औसत वार्षिक कारोबार वाले बोलीदाताओं को कोडल प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अनुमति दी।

5.5.2.2 समान कार्य अनुभव के पात्रता मानदंड में अनियमित विचलन।

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 (परिशिष्ट–20) की धारा 15.7.1.4 में यह निर्धारित किया गया है कि कार्य के प्रभारी मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक निम्नानुसार पात्रता के साथ–साथ बोली मूल्यांकन मानदंडों को अंतिम रूप देंगे:

[6](1) अनुबंध अनुबंध संख्या 02/ईई(ई)सी-वी/2019-20 (अनुलग्नक-I, क्रम संख्या 52) - 3 साल के लिए ₹15.13 करोड़ और 1 साल के लिए ₹5.04 करोड़ की अनुमानित लागत, (2) अनुबंध अनुबंध संख्या 07/ईई(ई)सी-वी/2015-16 (अनुलग्नक-I, क्रम संख्या 53) - 3 वर्ष के लिए ₹9.43 करोड़ और 1 वर्ष के लिए ₹3.14 करोड़ की अनुमानित लागत।

[7]तीन समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत से कम नहीं, या (ii) दो समान कार्य, प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत का 60 प्रतिशत से कम नहीं, या (iii) एक समान कार्य का मूल्य नहीं अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत से भी कम।

(i) इसी तरह के तीन पूर्ण किए गए कार्यों की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, या

(ii) इसी तरह के दो पूर्ण किए गए कार्य, जिनकी लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत के 60 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है।

(iii) कुल लागत का एक समान पूरा किया गया कार्य अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है।

यदि दिशा–निर्देशों से किसी प्रकार का विचलन (सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 के पैरा 17.7 के तहत निविदाओं को वापस लेने को छोड़कर) आवश्यक समझा जाता है, तो उसे एडीजी (एनडीएमसी में सीई के अगले उच्च प्राधिकारी के बराबर) से अनुमोदित किया जाना चाहिए। दिनांक 9 मई 2013 के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, एनडीएमसी के अनुसार,

इंजीनियर–इन–चीफ (ई–इन–सी) मुख्य अभियंता के लिए अगला उच्च प्राधिकारी है और ई–इन–सी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग सचिव, एनडीएमसी द्वारा किया जाएगा क्योंकि कोई ई–इन–सी पद पर नहीं है।

₹8.79 करोड़ मूल्य के 3 अनुबंधों[8] में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन समान पूर्ण कार्यों के पात्रता मानदंड, जो निविदा में अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बराबर थे, को एनआईटी में 30 प्रतिशत 50 प्रतिशत के रूप में संशोधित किया गया था। अनुमानित लागत का क्रमशः प्रतिशत और 60 प्रतिशत आवश्यक रूप से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बजाय सीई (ई–आई) के अनुमोदन से निविदा में डाला गया।

पात्रता मानदंड को संशोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न करना संहिता प्रावधान का उल्लंघन था।

5.5.2.3 एनआईटी में बोलीदाता के वित्तीय पात्रता मानदंड में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की शर्त न रखना

सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति/इकाई की वित्तीय स्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र सरकार और वाणिज्यिक कार्यालयों द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के बारे में सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट 20 के साथ पढ़े गए सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल 2014 की धारा 15.7.1.4 में कहा गया है कि राशि की सॉल्वेंसी कार्य की अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। यदि दिशानिर्देशों से कोई विचलन (सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल 2014 के पैरा 17.7 के तहत निविदाओं को वापस लेने के अलावा) को आवश्यक माना जाता है, तो इसे एडीजी (एनडीएमसी में सीई के अगले उच्च प्राधिकारी के बराबर) से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

दिनांक 9 मई 2013 के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, एनडीएमसी के अनुसार, इंजीनियर–इन–चीफ (ई–इन–सी) मुख्य अभियंता के अगले उच्चतर प्राधिकारी हैं और ई–इन–सी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग एनडीएमसी सचिव द्वारा किया जाएगा क्योंकि कोई ई–इन–सी पद पर नहीं है।

₹63.5 करोड़[9] के 12 अनुबंधों में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि एनआईटी के वित्तीय पात्रता मानदंड में काम की अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर राशि के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की शर्त नहीं रखी गई थी। इसके अलावा,

[8]03/ईई(एस-I)/2019-20 (₹4.41 करोड़), 02/ईई(एस-II)/2019-20 (₹3.46 करोड़), 05/ईई(एस-II)/2020-21 (₹0.92 करोड़)),

[9]05/ईई(एस-आई)/2020-21 (₹20.38 करोड़), 02/ईई(एस-II)/2020-21 (₹10.33 करोड़) 01/ईई(एस-आई)/2021-22 (₹9.54 करोड़।), 03/ईई(एस- आई)/2019-20 (₹4.41 करोड़) 12/ईई(एस-आई)/2018-19 (₹4.12 करोड़) 01/ईई(एस-आई)/2020-21 (₹3.98 करोड़) , 02/ईई(एस-II)/2019-20 (₹3.46 करोड़), 02/ईई(एस-I)/2021-22 (₹3.38 करोड़), 02/ईई(एस-I)/2019-20 (₹1.41 करोड़) 01/ईई(एस-II)2021-22 (₹1.18 करोड़), 05/ईई(एस-II)/2020-21 (₹92 करोड़), 03/ईई(एस-II)/2019 -20 (₹0.39 करोड़)

एनआईटी में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के पात्रता मानदंड में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

एनआईटी में बोली लगाने वाले के पात्रता मानदंड में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त न रखने से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एनआईटी में पात्रता मानदंड में छूट दी गई थी जो कि कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.2.4 ओईएम से प्रस्ताव मांगने से पहले प्रोप्रायटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट (पीएसी) जारी न करना।

माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के पैरा 4.6.1 "प्रोप्रायटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट" (जीएफआर–2017 के नियम 166 के साथ पढ़ें) में कहा गया है, माल की खरीद में, कुछ वस्तुओं की खरीद केवल मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) या मालिकाना अधिकार वाले निर्माताओं (या उनके अधिकृत डीलरों/स्टॉकिस्टों) से उचित प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित पीएसी (अनुबंध–6) के खिलाफ की जाती है।

माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के पैरा 4.6.2 में कहा गया है,

(i) उपयोगकर्ताओं को ओईएम या पीएसी फर्मों या उनके अधिकृत एजेंटों से किसी आइटम की सोर्सिंग के लिए डीपीएफआर/एसओपीपी के अनुसार उचित स्तर पर औचित्य और अनुमोदन को दर्शाने वाली एक पीएसी को अपने इंडेंट के साथ संलग्न करना चाहिएय

(ii) मालिकाना वस्तुओं को केवल एक नामित निर्माता या उसके अधिकृत डीलर से खरीदा जाएगा जैसा कि पीएसी में दर्ज है

(iii) पीएसी/एकल निविदा खरीद के मामले में ऐसे ठेकों का ब्यौरा खरीद करने वाली इकाई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

₹2.60 करोड़ के मूल्य के 3 अनुबंधों[10] में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि कोई पीएसी जारी नहीं की गई थी और उसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था और ऐसे अनुबंधों का कोई विवरण खरीद इकाई की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।

ओईएम/आपूर्ति के एकल स्त्रोत को मांग पत्र जारी करने से पहले लोक लेखा समिति जारी न करना और वेबसाइटों पर अधिप्राप्ति की निर्धारित दरों को प्रकाशित न करना कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.2.5 एनआईटी में ईएमडी का कम प्रावधान

जीएफआर 2017 के नियम 170 के साथ पढ़े गए माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के पैरा 6.1.1 में कहा गया है कि विज्ञापित या सीमित निविदा जांच के मामले में बोली वैधता अवधि के दौरान बोली वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली को बदलने से बचाने के लिए बोली सुरक्षा प्राप्त की जानी है। बोली प्रतिभूति की राशि सामान्यतः खरीदे जाने वाले माल के अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच होनी चाहिए।

अनुबंध करार संख्या–05/ईई (एस–आई)/2020–21 (अनुलग्नक–1, क्रम संख्या 21) की जांच से पता चला कि कार्य की अनुमानित लागत ₹19.85 करोड़ थी। एनआईटी में विभाग ने ₹39.71 लाख के स्थान पर ₹29.85 लाख के ईएमडी का प्रावधान किया। कोडल प्रावधान के अनुसार, विभाग को ईएमडी के रूप में न्यूनतम ₹39.71 लाख का प्रावधान

[10]05/ईई(ई)एम-33केवी/2018-19(₹2.21 करोड़), 04/ईई(एम-33केवी)/2019-20/ई(₹29.43 लाख), 02/ईई(एम-33केवी)/2020- 21/ई (₹9.75 लाख)

करना चाहिए था यानी काम की अनुमानित लागत का @ 2 प्रतिशत, जिसके परिणामस्वरूप सभी बोलीदाताओं द्वारा ₹9.85 लाख का ईएमडी कम जमा किया गया था, जो कि कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था।

5.5.3 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

5.5.3.1 अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करके तकनीकी बोलियों की अनियमित अर्हता।

माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 की धारा 7.3.5 में कहा गया है कि बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान, क्रेता अपने विवेक से बोली लगाने वाले से बोली पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। जहां तक योग्यता मानदंड के संबंध में दस्तावेज जमा करने का सवाल है, निविदा जमा करने के बाद केवल संबंधित कमी वाले दस्तावेज ही मांगे जाने चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बोली लगाने वाले ने पूर्णता/प्रदर्शन प्रमाणपत्र के बिना आपूर्ति आदेश जमा किया है, तो प्रमाणपत्र मांगा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा निविदा सूचना में यह निर्धारित किया गया है कि निविदाकर्ता को विधिवत स्कैन और अपलोड किए गए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निविदा एं खोलने के बाद ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के अलावा कोई भी नया/अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

₹45.51 करोड़ मूल्य के 7 अनुबंधों[11] में, यह देखा गया कि नए/अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के बाद तकनीकी बोलियों को योग्य घोषित किया गया था। विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5 नए/अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने के बाद तकनीकी बोलियों का अनियमित अर्हता प्राप्त करना

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या	नए/अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए और स्वीकार किए गए
1	1	समान कार्य अनुभव, औसत वित्तीय टर्नओवर, पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक समय में कोई नुकसान नहीं होने के संबंध में सीए प्रमाणपत्र, मूल्य बोली में परिवर्तन/संशोधन/सुझाव के संबंध में घोषणा, प्रदर्शन प्रमाणपत्र की प्रति, सीपीआरआई परीक्षण रिपोर्ट, नवीनतम आईटीआर,
2	2	परीक्षण रिपोर्ट, संख्यात्मक रिले के लिए परीक्षण रिपोर्ट, कैपेसिटर बैंक के गारंटीकृत तकनीकी विवरण, एक ही प्रकार के सभी सी एंड आर पैनल, जीआईएस और विचलन शीट का प्रदर्शन
3.	4	किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कार्य के संबंध में शपथ पत्र (अंडरटेकिंग), पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों से अधिक समय में कोई नुकसान नहीं होने के संबंध में सीए प्रमाण पत्र, परीक्षण रिपोर्ट।
4	5	मूल्य बोली में परिवर्तन/संशोधन/सुझाव, एनआईटी के अनुसार पावर ट्रांसफार्मर के नुकसान, एनआईटी के अनुसार कोर और कॉइल्स के संबंध में घोषणा
5	6	नाइट्रोजन इंजेक्शन अग्नि सुरक्षा प्रणाली, पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन प्रमाणपत्र की प्रति,
6	33	परिशिष्ट–I के अनुसार तकनीकी विशिष्टता और उपकरण विशिष्टता की स्कैन की गई प्रति।
7	34	किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित समान कार्य के संबंध में शपथ पत्र (अंडरटेकिंग), विचलन शीट की अनुसूची, नवीनतम आईटीआर,

[11]02/2018-19/ईई(सी-VI)ई (₹14.5 करोड़), 05/2018-19/ईई(सी-VI)ई (₹13.60 करोड़), 02/ईई(सी-VI)ई/ 2017-18 (₹7.83 करोड़), 01/ईई(सी- VI)ई/2017-18 (₹5.11 करोड़), 06/2018-19/ईई(सी-VI)ई (₹3.69 करोड़), 13/ईई(ई) बीएम-II /2021-22 (₹0.40 करोड़), 11/ईई(ई) बीएम-II /2018-19 (₹0.38 करोड़)।

तकनीकी बोलियां खोलने के बाद योग्यता मानदंड से संबंधित नए/अतिरिक्त दस्तावेजों को मंगाना और नए/अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने के बाद योग्य घोषित करना, माल की खरीद के लिए नियमावली 2017 और एनआईटी के पैरा 7.3.5 का उल्लंघन है।

5.5.3.2 बोलियों की अनियमित अस्वीकृति

जीएफआर 2017 के नियम 170 में कहा गया है कि विज्ञापित या सीमित निविदा पूछताछ के मामले में बोली वैधता अवधि के दौरान बोली लगाने वाले द्वारा अपनी बोली वापस लेने या बदलने से सुरक्षा के लिए, बोली सुरक्षा (जिसे बयाना राशि जमा के रूप में भी जाना जाता है) बोली लगाने वालों से प्राप्त की जानी है। सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)

₹88.04 लाख की निविदा राशि के साथ अनुबंध अनुबंध संख्या–38/ईई(ई)बीएम–1/2020–21 (अनुलग्नक–I, क्रम संख्या 36) की जांच से पता चला कि बयाना राशि जमा की छूट का प्रावधान (उन बोलीदाताओं के लिए एनआईटी में ईएमडी) नहीं बनाया गया था जो एमएसएमई के साथ पंजीकृत थे। दो फर्म मैसर्स सोलेनर्जी रिसर्च प्रा. लिमिटेड और मेसर्स ओक्रिज एनर्जी प्रा. एमएसएमई में पंजीकृत लिमिटेड (तीन में से) ने ईएमडी जमा नहीं की, जिसके कारण दोनों फर्मों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे कहा गया है कि एमएसएमई के लिए ईएमडी की छूट के बारे में मुद्दा मैसर्स सोलनेर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 19 मार्च 2020 को आयोजित बोली–पूर्व बैठक में उठाया गया था, लेकिन विभाग द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।

एमएसएमई के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी प्रस्तुत करने के लिए छूट की अनुमति नहीं देना जीएफआर 2017 के नियम 170 का उल्लंघन है।

5.5.3.3 तकनीकी बोली में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय न दिए जाने के कारण बोलीदाता की अनियमित अस्वीकृति।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 15.7.1.5 में कहा गया है कि तकनीकी निविदाएं खोलने के बाद, कार्यकारी अभियंता एक सप्ताह के भीतर एनआईटी के अनुसार आवश्यकताओं की तुलना में प्रत्येक बोलीदाता की बोलियों में पाई गई कमियों की एक सूची तैयार करेंगे और इन सूचियों को स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को भेज देंगे, जिसमें प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर यह मान लिया जाएगा कि उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई और दस्तावेज नहीं है और बोलियों पर निर्णय तदनुसार लिया जाएगा।

संविदा करार संख्या–07/ईई (ई) सी–वी/2015–16 (अनुलग्नक–1 खंड संख्या 53) की जांच से पता चला कि मैसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी क्योंकि फर्म ने इसी तरह के कार्य अनुभव में डीजी सेट और चिलर की क्षमता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, फर्म ने आईएसओ–9001, आईएसओ–14001 और ओएचएसएएस–18001 के वैध प्रमाणीकरण की आवश्यकता के खिलाफ केवल आईएसओ–9001 प्रमाणन अपलोड किया था। ईई के अनुमोदन से एजेंसी से 26 अगस्त 2015 को ई–मेल के माध्यम से कमी दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, एजेंसी को 27 अगस्त 2015 को डिवीजन और आर एंड डी/प्लानिंग द्वारा एजेंसी के जवाब का एक सप्ताह तक इंतजार किए बिना अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसे 15 सितंबर 2015 को सक्षम प्राधिकारी (सीई) द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।

एक सप्ताह के अनुमेय समय की अनुमति के बिना मेसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित करना कोडल प्रावधान का उल्लंघन था।

5.5.3.4 तकनीकी मूल्यांकन में बोलीदाताओं की अनियमित योग्यता (कवर–II)

माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के परिशिष्ट–3 (iv) में यह निर्धारित किया गया है कि बोलीदाता अपनी तकनीकी–वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। कोई सशर्त बोली की अनुमति/स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को पात्रता के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों और एनआईटी में निर्दिष्ट अन्य सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। संविदा करार संख्या–05/ईई (एस–आई)/2020–21 (अनुलग्नक–1 खंड संख्या 21) की संवीक्षा से पता चला कि तकनीकी बोली[12] (कवर–II) में निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रदान किए जाने अपेक्षित थेः–

(i) एमआईसीएस दस्तावेज (मॉडल कार्यान्वयन अनुरूपता विवरण)

(ii) पी आई सी एस (प्रोटोकॉल कार्यान्वयन अनुरूपता विवरण)

(iii) **केईएमए/सीपीआरआई से अनुरूपता परीक्षण प्रमाण पत्र। (प्रस्तुत)**

(iv) पी आई एक्स आई टी दस्तावेज (उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे)

(v) आईसीडी फाइल

(vi) एससीडी फाइल

तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं ने सूचित किया कि पीओ (खरीद आदेश) प्राप्त होने के बाद विस्तृत इंजीनियरिंग के दौरान बिंदु संख्या 1, 2 और 4 के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगेय बिंदु संख्या 5 और 6 के लिए दस्तावेज एनडीएमसी से अनुमोदित विद्युत स्कीमैटिक्स और तार्किक चित्र प्राप्त होने के खिलाफ कॉन्फिगरेशन फाइल तैयार करने के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। (बिंदु 3 के संबंध में दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था)। दोनों फर्मों ने एनआईटी के अनुसार कवर–2 दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे और इस प्रकार वित्तीय बोली (कवर–III) के लिए पात्र नहीं थे।

दोनों बोलीदाताओं द्वारा सशर्त प्रस्तावों और अधूरे दस्तावेजों/सूचना प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, सीई (ई–आई) द्वारा 4 सितंबर 2020 को दोनों बोलीदाताओं अर्थात मैसर्स गोपावर इलेक्टेक प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मैपल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस की तकनीकी बोली की स्वीकृति के साथ वित्तीय बोली खोलने की मंजूरी दी गई थी। यह ठेका मैसर्स गोपावर इलेक्टेक पीटी लिमिटेड को एल–1 होने के नाते दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने नोट किया किः

ए. 13 मार्च 2020 को आयोजित पूर्व–बोली बैठक के समय किसी भी बोलीदाता द्वारा ऊपर उल्लिखित ऐसी कोई छूट नहीं मांगी गई थी या आवश्यकतानुसार चर्चा नहीं की गई थी।

बी. तकनीकी पात्रता मानदंड में इस तरह की छूट के लिए एनआईटी में कोई संशोधन जारी नहीं किया गया था

सी. बोलियां खुलने के बाद तकनीकी पात्रता मानदंड में ढील दी गई (कवर–I)

[12]अनुबंध-I और अनुबंध-II के एनआईटी शर्तें बिंदु संख्या 20 (यानी आईईसी 61850 के अनुसार रिले के लिए मानक दस्तावेज)।

तकनीकी पात्रता मानदण्डों में ढील देकर, वित्तीय बोलियां खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करके और मैसर्स गोपावर इलेक्टेक प्राइवेट लिमिटेड को ठेका प्रदान करके कवर–II में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण दस्तावेजों/सूचना के साथ सशर्त प्रस्तावों को स्वीकार करना, पारदशता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कमी और सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान न करना दर्शाता है, जो अनियमित है और कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.3.5 मूल्यांकन के लिए तकनीकी मूल्यांकन उप–समिति (टीईसी) के समक्ष निविदाएं प्रस्तुत न करना।

कार्यों की खरीद के लिए मैनुअल 2019 की धारा 5.5.1 (आई) में कहा गया है कि तकनीकी मूल्यांकन उपयुक्तता के संदर्भ में, विवरण, विनिर्देशों, चित्रों और अन्य तकनीकी नियमों और शर्तों की सामान्य रूप से निविदा समिति (टीसी) और विशेष रूप से टीसी के तकनीकी सदस्य (ओं) द्वारा जांच की जाती है। टीसी के बाहर किसी को भी इस मूल्यांकन को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहां तक कि अगर किसी बाहरी विशेषज्ञ की सलाह और रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, तब भी यह विशेष रूप से तकनीकी सदस्य (ओं) और सामान्य रूप से टीसी की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी रिपोर्ट/मूल्यांकन में निहित मूल्यांकन को स्वीकार/अस्वीकार या संशोधित करे।

तकनीकी मूल्यांकन उप समिति (टीईसी) द्वारा बोलियों के मूल्यांकन के संबंध में वित्त विभाग, एनडीएमसी द्वारा प्रसारित स्थायी आदेशों क्रमांक एफडी(यू–1)/एसओ/2005–06/डी दिनांक 11 अप्रैल 2005 के अनुसार, बोलीदाताओं की बोलियों के मूल्यांकन के लिए मामला टीईसी के समक्ष रखा जाना था।

अनुबंध करार संख्या–02/ईई (एस–II)/2019–20 (अनुलग्नक–I, खंड संख्या 26) की जांच से पता चला कि विभाग ने 22 नवंबर 2018 को तकनीकी बोली (कवर–II) खोली थी, लेकिन इसे तकनीकी मूल्यांकन के लिए टीईसी के समक्ष नहीं रखा गया था। तकनीकी निविदाओं के अनुमोदन के समय सीई द्वारा इस कमी को भी इंगित नहीं किया गया था और दो फर्मों मैसर्स पाई स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रेस्टीज केबल इंडस्ट्रीज को मूल्य बोली (कवर–III) खोलने के लिए योग्य घोषित किया गया था। वित्तीय बोली 21 दिसंबर 2018 को खोली गई थी। मैसर्स प्रेस्टीज केबल इंडस्ट्रीज ₹3.46 करोड़ की मूल्य बोली के साथ एल–1 के रूप में उभरी।

टीईसी के समक्ष बोली न लगाने के संबंध में मुद्दा (4 फरवरी 2019) वित्त विभाग (एफडी) द्वारा उठाया गया था। वित्त विभाग की ऐसी टिप्पणियों के बावजूद, मामले को समीक्षा के लिए टीईसी के समक्ष नहीं रखा गया था। विभाग ने भविष्य की सभी निविदाओं में अनुपालन के आश्वासन के साथ (1 मार्च 2019) मामले को एफडी को फिर से प्रस्तुत किया और एफडी द्वारा इसकी सहमति दी गई।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि चूंकि कार्य तकनीकी प्रकृति का था, इसलिए विभाग को तकनीकी मूल्यांकन के लिए टीईसी के समक्ष मामला रखना चाहिए था। एफडी द्वारा सहमति देना और तकनीकी मूल्यांकन उप–समिति (टीईसी) को मामला रखे बिना ठेका प्रदान करना वित्त विभाग, एनडीएमसी के प्रावधानों और स्थायी आदेश का उल्लंघन है।

5.5.4 दरों का औचित्य

5.5.4.1 अवास्तविक आधार पर उचित दरों की तैयारी

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल–2014 की धारा 20.4.3.1 (निविदाओं का औचित्य) में यह निर्धारित किया गया है कि दरों की तर्कसंगतता की जांच के लिए औचित्य विवरण तैयार किया जाएगा। निविदाओं का औचित्य केवल प्रचलित अंकित दरों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और उपयोग की जाने वाली मदें विनिदष्ट मात्रा की हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित मानकों/विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की एसओपी संख्या 4/1 में कहा गया है कि दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, सामग्री और श्रम आदि की बाजार दरों पर विचार करके तकनीकी बोली खोलने से पहले औचित्य तैयार किया जाता है। जैसा कि निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर प्रचलित है

3 अनुबंधों में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि औचित्य विवरण या तो एनआईटी के जारी होने की तारीख से पहले की अवधि से संबंधित पुरानी दरों या बोली प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दरों (प्रचलित बाजार दरों के बजाय) के आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण नीचे तालिका 5.6 में दिया गया है:

तालिका 5.6 अवास्तविक आधार पर उचित दरें (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक	निविदा राशियाँ	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	2	13.60	30 अगस्त 2016 और 2 मई 2017 (18–26 महीने पुराने) के कोटेशन से संबंधित पुरानी दरों के आधार पर औचित्य विवरण तैयार किए गए (25 अक्टूबर 2018)।
2.	40	0.36	अनुमानित लागत (14 फरवरी 2017, 6 महीने पुराना) के आधार पर औचित्य विवरण तैयार किए गए (4 अगस्त 2017)।
3.	25	1.41	13 मार्च 2019 को तकनीकी बोली खुलने के बाद प्राप्त दरों के आधार पर औचित्य विवरण तैयार किये गये (30 सितंबर 2019) बोलियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद (23 जनवरी 2019)

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि औचित्य विवरण प्रचलित बाजार दरों (यथार्थवादी आधार) के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे जो अनियमित है और कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.4.2 उचित दरों की अनियमित तैयारी के परिणामस्वरूप ₹30 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2019 के खंड 5.1.6 में कहा गया है कि निविदाओं का औचित्य निविदाओं की प्राप्ति के अंतिम दिन कार्य स्थल पर प्रचलित सामग्री और श्रम की बाजार दरों के आधार पर तैयार किया जाएगा। एकल बोली प्रणाली के मामले में वित्तीय बोली खोलने की तारीख से पहले और दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में तकनीकी बोली खोलने से पहले औचित्य अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

अनुबंध अनुबंध संख्या–01/ईई (एस–II) 2021–22 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 28) की जांच से पता चला कि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2021 थी, हालांकि उचित दर तैयार करते समय विभाग ने 31 मार्च 2021 (निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 16 मार्च 2021 के बाद) कोटेशन की दर पर विचार किया।

वित्तीय बोली 22 जून 2021 को खोली गई थी। मेसर्स सूरज केबल्स ₹87.60 लाख की बोली वाली एल–1 फर्म के रूप में उभरी। वित्तीय बोली खोलने के बाद, निविदा को (8 सितंबर 2021) इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद उचित दरों की तैयारी के लिए उद्धरण प्राप्त किया गया था।

पुनः निविदा (3 नवंबर 2021) पर, 5 फरवरी 2022 को ₹1.18 करोड़ की निविदा राशि के साथ काम मेसर्स एलकेबी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दिनांक 31 मार्च 2021 के कोटेशन के आधार पर न्यायोचित लागत तैयार करने के कारण अर्थात निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 16 मार्च 2021 के बाद कार्य सौंपे जाने में विलंब हुआ। 10 महीने (यानी 16

मार्च 2021 से 5 फरवरी 2022) जिसमें एनडीएमसी को ₹30.00 लाख (₹1.18 करोड़ – ₹0.88 करोड़) की परिहार्य लागत शामिल है।

5.5.5 मूल्य बोली

5.5.5.1 एल 1 बोलीदाता के साथ अनियमित बातचीत

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.4.3.2 में कहा गया है कि उचित दरों पर 5 प्रतिशत तक के अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है, विशेष स्थितियों और विशेष परिस्थितियों के लिए 10 प्रतिशत तक भिन्नता की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। इस सीमा से अधिक की निविदाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 3 मार्च 2007 के परिपत्र सं 4/3/07 में यह निर्धारित किया गया है कि चूंकि निविदा पश्चात वार्ताएं अक्सर भ्रष्टाचार का स्त्रोत हो सकती हैं, इसलिए यह निदेश दिया जाता है कि कतिपय असाधारण स्थितियों को छोड़कर एल–1 के साथ निविदा पश्चात कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसी असाधारण स्थितियों में मालिकाना वस्तुओं की खरीद, आपूर्ति के सीमित स्रोतों वाली वस्तुएं और ऐसी वस्तुएं शामिल होंगी जहां कार्टेल गठन का संदेह है।

अनुबंध करार संख्या–02/ईई (सी–6)ई/2017–18 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 4) की जांच से पता चला कि बातचीत से पहले एल–1 दर ₹8.19 करोड़ (उचित दरों ₹7.64 करोड़ से 7.16 प्रतिशत अधिक) थी और बातचीत के बाद की दर ₹7.64 करोड़ (न्यायसंगत दरों से 2.49 प्रतिशत अधिक) थी। विभाग ने दरों को कम करने के लिए एल–1 के साथ बातचीत की, इस कारण को दर्ज करते हुए कि "चूंकि एल–1 फर्म की प्रस्तावित दरें उचित दरों के 5 प्रतिशत से अधिक हैं और दरों को उचित लागत के स्तर या उससे नीचे लाने के प्रयास किए जाएंगे"।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि विभाग ने दरों को केवल परिवर्तन की अनुमेय सीमा (5 प्रतिशत) के भीतर लाने के इरादे से बातचीत की, जो सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और सीवीसी दिशानिर्देशों की धारा 20.4.3.2 के संदर्भ में बातचीत करने की आवश्यकता को उचित ठहराने वाली असाधारण स्थिति नहीं थी।

5.5.5.2 उचित दरों में भिन्नता की अनुमेय सीमा से नीचे/अधिक निविदा की स्वीकृति।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 और एसआई की धारा 20.4.3.2। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी 2019) के अध्याय –4 के तहत धारा 11 की संख्या 25 में कहा गया है कि उचित दरों में 5 प्रतिशत तक की भिन्नता को नजरअंदाज किया जा सकता है, विशिष्ट स्थितियों के लिए 10 प्रतिशत तक की भिन्नता की अनुमति दी जा सकती है और विशेष परिस्थितियाँ। ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इस सीमा से अधिक की निविदाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

₹35.83 करोड़ मूल्य के 10 ठेकों में, 13.79 प्रतिशत से 36.52 प्रतिशत (10 प्रतिशत से अधिक) तक की उचित दरों में भिन्नता के साथ निविदाएं स्वीकार की गईं। विवरण नीचे तालिका 5.7 में दिया गया है:–

तालिका 5.7 उचित दरों में भिन्नता की अनुमेय सीमा से नीचे/ऊपर निविदा की स्वीकृति (₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	निविदा राशि	निर्धारित सीमा से अधिक निविदाएं स्वीकार की गईं
1	1	14.50	उचित लागत से 13.79 प्रतिशत कम ₹16.81 करोड़
2	53	8.66	उचित लागत से 15.13 प्रतिशत कम ₹10.20 करोड़
3	5	5.11	उचित लागत से 21.28 प्रतिशत कम ₹6.49 करोड़
4	7	2.64	उचित लागत से 36.52 प्रतिशत कम ₹4.16 करोड़
5	54	1.73	उचित लागत से 16.90 प्रतिशत कम ₹2.09 करोड़
6	28	1.18	उचित लागत ₹1.52 करोड़ से 22.63 प्रतिशत कम
7	47	0.87	₹1.08 करोड़ की उचित लागत से 18.99 प्रतिशत कम
8	33	0.40	उचित लागत से 26.78 प्रतिशत कम ₹0.54 करोड़
9	34	0.38	उचित लागत से 28.08 प्रतिशत कम ₹0.53 करोड़
10	40	0.36	₹0.42 करोड़ की उचित लागत से 16 प्रतिशत कम
कुल		**35.83**	

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह पता चलता है कि ₹35.83 करोड़ मूल्य के 10 ठेकों में निविदाएं 13.79 प्रतिशत से 36.52 प्रतिशत तक की न्यायोचित लागत (अनुमेय भिन्नता) से कम पर स्वीकार की गई थीं। अनुमेय परिवर्तन सीमा से अधिक निविदाओं की स्वीकृति अनियमित है और कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

तालिका 5.7 के बिंदु संख्या 5 पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर–2023) कि निविदाकार ने ₹2.09 करोड़ की उचित दरों से कम दरें उद्धृत कीं। परिषद को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई, तथापि सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद फर्म एम/एस मेक इंजीनियर्स को उनकी उद्धृत दर ₹1.73 करोड़ पर कार्य सौंपा गया।

विभाग का उत्तर कि कार्य सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद दिया गया था, अप्रासंगिक होने के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑडिट आपत्ति सक्षम प्राधिकारी से संबंधित न होकर अनुमेय भिन्नता के उल्लंघन से संबंधित थी।

इसके अलावा, उपरोक्त तालिका 5.7 के बिंदु संख्या 1 से 4 और 6 से 10 के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

5.5.6 प्रदर्शन गारंटी (PG)

माल की खरीद के लिए मैनुअल 2017 की धारा 6.1.2 और 7.6.4, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 21.1 और 19.8 के साथ पढ़ें। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 के एसओपी 2019 के अनुलग्नक–21 की संख्या 11 और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 की धारा 5.1.7 में कहा गया है कि अनुबंध के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रदर्शन सुरक्षा (या प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)) प्राप्त की जानी है। सफल बोली लगाने वाले को अनुबंध प्रदान किया गया। प्रदर्शन सुरक्षा एक निर्दिष्ट तिथि (आम तौर पर पुरस्कार की अधिसूचना के 14 दिन बाद) तक प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए। वारंटी दायित्वों सहित। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बयाना राशि बिना किसी सूचना के स्वचालित रूप से राष्ट्रपति को जब्त कर ली जाती है। प्रदर्शन सुरक्षा पांच (5) से दस (10) प्रति की राशि के लिए होनी चाहिए बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट

अनुबंध के मूल्य का प्रतिशत 31 मार्च 2023 तक मूल्य घटाकर तीन (3) प्रतिशत कर दिया गया है (जैसा कि एम् ओ फ न. फ.9/4/2020–पी पी डी दिनांक 12 नवंबर 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया है).

5.5.6.1 निष्पादन गारंटी के संबंध में एनआईटी में अनियमित खंड

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 अनुबंधों में एनआईटी में एक शर्त शामिल की गई थी कि प्रदर्शन गारंटी आरए बिलों से बहुत वार (अधिनिर्णय पत्र के 14 दिनों के भीतर जमा करने के बजाय) काट ली जाएगी। इस तरह की छूट के परिणामस्वरूप, 2 अनुबंधों में, कोई प्रदर्शन गारंटी जमा नहीं की जा सकी, 8 अनुबंधों में, इसे 51 दिनों से 343 दिनों तक की देरी से जमा किया गया था और 7 अनुबंधों में, पीजी को आरए बिलों से 725 दिनों तक की देरी से काटा गया था। विवरण नीचे तालिका 5.8, 5.8 (1) और (2) में दिए गए हैं:

तालिका 5.8 निष्पादन गारंटी जमा न करना (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (क्रम संख्या) अनुबंध–I)	निविदा राशि	पीजी की राशि	प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	पीजी जमा करने की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	ईएमडी जब्त कर ली जाएगी
1	16	32.44	3.24	21 मार्च 2019	जमा नहीं किया गया	लागू नहीं	0.41
2	28	1.18	0.04	19 फरवरी 2022	जमा नहीं किया गया	लागू नहीं	0.02
कुल							**0.43**

तालिका 5.8(1) निष्पादन गारंटी की विलंबित जमा राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (क्रम संख्या) अनुबंध–I)	निविदा राशि	पीजी की राशि	प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	पीजी जमा करने की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	ईएमडी जब्त कर ली जाएगी
1	27	10.33	0.52	10 अगस्त 2020	12 अक्टूबर 2020	63	0.21
2	17	9.54	0.48	27 मई 2021	11 मई 2022	343	0.18
3	24	4.12	0.21	21 जनवरी 2019	16 जुलाई 2019	177	0.06
4	19	3.38	0.10	29 नवंबर 2021	2 मार्च 2022	93	0.06
5	25	1.41	0.07	15 जुलाई 2019	4 सितंबर 2019	51	0.04
6	29	0.92	0.05	7 दिसंबर 2020	6 मार्च 2021	91	0.02
7	37	0.84	0.04	28 नवंबर 2018	7 मई 2019	**160**	**0***
8	39	0.40	0.02	30 मई 2017	8 सितंबर 2017	**100**	**0***
कुल							**0.57**

*ओईएम केस के कारण ईएमडी की आवश्यकता नहीं है।

तालिका 5.8(2) आरए बिलों से कटौती की गई प्रदर्शन गारंटी (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (क्रम संख्या) अनुबंध–I)	निविदा राशि	पीजी की राशि	प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	पीजी जमा करने की वास्तविक तिथि	दिनों में देरी	ईएमडी जब्त कर ली जाएगी
1	20	25.61	2.56	14 जून 2018	3 जन. 2019 से 10 फरवरी 2021	966	0.35
2	21	20.38	1.02	2 फरवरी 2021	31 मई 2021 से 23 अगस्त 2022	204	0.40
3	22	3.98	0.27	2 मई 2020	14 सितं 2020 से 29 मार्च 2022	661	0.06
4	26	3.46	0.17	25 जून 2019	23 अक्टू 2019 से 19 जनी 2021	569	0.05
5	14	0.86	0.04	10 नवंबर 2017	31 मार्च 2018	140	0.02
6	30	0.39	0.02	28 जून 2019	18 मार्च 2020 से 23 जून	725	0.01
7	18	0.38	0.04	8 अगस्त 2018	24 सितम्बर 2018	46	0.07
कुल							**0.96**

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एनआईटी में अनियमित खंड को शामिल किए जाने के कारण अधिनिर्णय की अधिसूचना से 14 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की जा सकी और ऐसे विलंब के लिए ₹1.96 करोड़ रुपए (₹0.43 करोड़. ₹0.57 करोड़. ₹0.96 करोड़) की ईएमडी जब्त नहीं की जा सकी।

5.5.6.2 कम राशि और कम अवधि के साथ प्रदर्शन गारंटी (पीजी) की स्वीकृति

4 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि ठेकेदार ने कम राशि और कम अवधि के साथ (पीजी) जमा किया था। विवरण नीचे तालिका 5.9 में दिखाया गया है:–

तालिका 5.9 कम राशि और कम अवधि के लिए पीजी

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	समापन का निर्धारित समय	पीजी की राशि एनआईटी के अनुसार	पीजी की वास्तविक राशि जमा की गई	राशि कम जमा की गई	के लिए पीजी प्राप्त किया
1	52	13.60	फरवरी–2020 से फरवरी–2023 तक	0.78	0.66	0.12	3 साल 60 दिन की जगह एक साल
2	53	12.03	जनवरी–2016 से जनवरी–2019 तक	0.43	0.43	0	3 साल 60 दिन की जगह एक साल
3	8	0.72	अक्टूबर–2020 से अक्टूबर–2028 तक	0.02	0.02	0	8 साल 60 दिन की जगह 4 साल
4	54	1.73	दिस–2019 से अगस्त–2021 तक	0.09	0.09	0	पीजी की वैधता 12 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गई जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। कार्य अभी भी प्रगति पर था (जनवरी–2023)

इसके अतिरिक्त, 2 अनुबंधों[13] में लेखापरीक्षा में यह नोट किया गया कि प्रत्येक संविदा में ₹0.04 करोड़ की निष्पादन गारंटी आवश्यकतानुसार जमा नहीं की गई थी।

तालिका संख्या 5.9 के बिंदु संख्या 4 पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर–2023) कि पीजी एफडीआरए/सी संख्या 4127000P00003644 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के रूप में ₹8,66,605/– की राशि ली गई थी। जो स्वतः नवीनीकरण पर है।

चूँकि कार्य दिनांक 30 दिसंबर 2022 को पूर्ण हुआ। पीजी डिवीजन के पास ही रहता है। और उसे जारी नहीं किया जा रहा है" गैर–प्रासंगिक होने के कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीजी के नवीनीकरण/ऑटो नवीनीकरण के दस्तावेजी साक्ष्य न तो रिकॉर्ड पर पाए गए और न ही उपरोक्त उत्तर के साथ संलग्न किए गए। इसके अलावा, उपरोक्त तालिका 5.9 के बिंदु संख्या 1 से 3 के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।

5.5.6.3 आपूर्ति आदेश की अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रदर्शन गारंटी की गैर–कटौती/जमा

एनआईटी के अनुबंध (क्रम संख्या 20) की शर्तों में कहा गया है कि यदि निविदा पर अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश दिया जाता है, तो कुल अतिरिक्त मात्रा राशि (करों और शुल्कों सहित) के 10 प्रतिशत की दर से प्रदर्शन गारंटी की कटौती की जाएगी। अनुबंध के बिलों से या ठेकेदार कुल अतिरिक्त मात्रा (करों और शुल्कों सहित) के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारंटी जमा करेगा जो गारंटी अवधि तक और गारंटी अवधि से 60 दिन बाद तक वैध होगी।

संविदा करार संख्या–06/ईई(एस–आई)/2018–19 (अनुलग्नक–I] खंड संख्या–20) की संवीक्षा से पता चला कि आरए/ अंतिम बिल से ₹40.99 लाख की अतिरिक्त मात्रा के मुकाबले ₹4.10 लाख (10 प्रतिशत) की निष्पादन गारंटी प्राप्त/ कटौती नहीं की गई थी। अतिरिक्त मात्रा के लिए निष्पादन गारंटी प्राप्त न करना दर्शाता है कि एनआईटी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को अनुचित लाभ की अनुमति दी गई थी।

5.5.7 ठेका प्रदान करना

5.5.7.1 एनआईटी की शर्तों और अनुबंध समझौते में अंतर।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.3.2 में कहा गया है कि निविदाकर्ताओं से निविदा के बाद कोई संशोधन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ठेकेदारों की सूचीकरण संबंधी नियमों के अंतर्गत की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मामले की सूचना सूचीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। किसी भी मामले में, इस तरह के संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

₹32.44 करोड़ की निविदा राशि के साथ अनुबंध करार संख्या–14/ईई (एस–आई)/2018–19 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 16) की जांच से पता चला कि एनआईटी की शर्त संख्या 13 में कहा गया है, ष्सामग्री की आपूर्ति आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 5 महीने के भीतर की जाएगी। जबकि, अनुबंध समझौते में निर्धारित किया गया है, "आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 06 महीने के भीतर आपूर्ति पूरी करने की निर्धारित अवधि।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अनुबंध की निर्धारित अवधि के संबंध में एनआईटी की शर्त में संशोधन करके एल–1 बोलीदाता को अनुबंध देते समय पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (जैसा कि सीवीसी दिशानिर्देशों में निर्धारित है) के प्रमुख तत्वों से समझौता किया गया था। 5 महीने से 6 महीने तक और एल1 बोली लगाने वाले को एक महीने का अनुचित लाभ देना।

[13]06/ईई(ई)सी-वी/2015-16 (निविदा राशि ₹0.90 करोड़) और 72/ईई(ई)बीएम-I /2017-18 (निविदा राशि ₹0.79 करोड़)

अनुबंध देने के चरण में एनआईटी के नियमों और शर्तों में संशोधन करना उल्लंघन है जो सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार बोलीदाताओं के बीच पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है।

5.5.7.2 वार्षिक रखरखाव अनुबंध का नवीकरण न होना।

33 केवी एबीबी मेक जीआईएस पैनलों[14] के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध मैसर्स के डी इंजीनियर्स (मैसर्स एबीबी, ओईएम के अधिकृत डीलर) को 1 दिसंबर 2014 से पांच साल के लिए प्रदान किया गया था, जैसा कि 25 नवंबर 2014 को अध्यक्ष एनडीएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, कार्य आदेश वार्षिक आधार पर जारी किए जाने की आवश्यकता थी।

संविदा करार संख्या–01/ईई (एम–33केवी)/2021–22/ई (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 48) की जांच से पता चला कि फर्म को वार्षिक आधार पर कार्य आदेश जारी नहीं किए गए थे। कार्य आदेशों का विवरण नीचे तालिका 5.10 में दिखाया गया है:–

तालिका 5.10 वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए जारी कार्य आदेशों के बीच अनियमित अंतर

वर्ष	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	जीआईएस पैनलों की मात्रा	राशि (₹ लाख में)	अवधि	अंतर
1st	38/ईई(ई)एम–33केवी/2014–15 दिनांक 28 नवंबर 2014	34	27.20	1 दिसंबर 2014 से 30 नवंबर 2015 तक	–
2nd	01/ईई(ई)एम–33केवी/2016–17 दिनांक 1 अप्रैल 2016	33	26.40	1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	1 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 तक (चार महीने)
3rd	23/ईई(ई)एम–33केवी/2017–18 दिनांक 31 अगस्त 2017	33	28.05	31 अगस्त 2017 से 30 अगस्त 2018 तक	1 अप्रैल 2017 से 30 अगस्त 2017 तक (5 महीने)
4th	31/ईई(ई)एम–33केवी/2018–19 दिनांक 26 अक्टूबर 2018	34	28.90	26 अक्टूबर 2018 से 25 अक्टूबर 2019 तक	31 अगस्त 2018 से 25 अक्टूबर 2018 तक (1 माह 26 दिन)
5th	01/ईई(ई)एम–33केवी/2021–22 दिनांक 5 अप्रैल 2021	33	29.70	5 अप्रैल 2021 से 4 अप्रैल 2022 तक	26 अक्टूबर 2019 से 4 अप्रैल 2021 (1 वर्ष 5 माह 10 दिन)

उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि पिछले और बाद के वर्षों के एएमसी के बीच अंतराल अवधि के दौरान वार्षिक रखरखाव कार्य को किसी भी रखरखाव के तहत कवर नहीं किया गया था। इस अंतराल अवधि के दौरान, जीआईएस पैनलों का रखरखाव नहीं किया गया था।

ऊपर उल्लिखित इतनी लंबी अवधि के लिए जीआईएस पैनलों का रखरखाव न करना अनियमित, असुरक्षित और उच्च मूल्य की पूंजीगत परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और पार्टियों के बीच संविदात्मक दायित्वों का भी उल्लंघन है।

5.5.7.3 मैसर्स यूएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनियमित चयन (नामांकन आधार पर) और नमूना परीक्षणों के लिए उच्च दरों पर अवार्ड किया

जीएफआर 2017 के नियम 194 में कहा गया है कि माल की खरीद के एकल निविदा मोड की तर्ज पर प्रत्यक्ष

[14]गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस)

बातचीत/नामांकन द्वारा चयन को केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयुक्त माना जाता है, जहां किसी विशेष सलाहकार का चयन करना आवश्यक हो सकता है, जहां मंत्रालय या विभाग के समग्र हित के संदर्भ में ऐसे एकल–स्रोत चयन के लिए पर्याप्त औचित्य उपलब्ध हो। एकल स्रोत चयन के लिए पूर्ण औचित्य फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए और इस तरह के एकल–स्रोत चयन का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यह निष्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित करेगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया होगी कि कीमतें उचित हैं और समान प्रकृति के कार्यों के लिए बाजार दरों के अनुरूप हैं।

अनुबंध अनुबंध संख्या–14/ईई(एस–आई)/2018–19 (अनुलग्नक–I, क्रम संख्या 16) की जांच से पता चला कि मेसर्स यूएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को बिना कोटेशन प्राप्त किए नमूना परीक्षण करने के लिए नामांकन के आधार पर चुना गया था और सीईई–III द्वारा अनुमोदित किया गया था, कार्य आदेश दिनांक 6 अगस्त 2019 के तहत ₹9.72 लाख (4 नमूनों के लिए 17 प्रकार के परीक्षण) और कार्य आदेश दिनांक 26 अगस्त 2019 के तहत ₹18.90 लाख (7 नमूनों के लिए 15 प्रकार के परीक्षण) बिना किसी औचित्य के।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मैसर्स यूएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ली गई दरें मैसर्स प्लैनेट इलेक्ट्रो लैब दरों की तुलना में अधिक थीं, जो वित्तीय बोली खोलने से पहले नमूना परीक्षण के समय की गई थीं। विवरण नीचे तालिका 5.11 में दिखाया गया है:

तालिका 5.11 नामांकन आधार पर किए गए परीक्षणों के लिए उच्च दरों पर भुगतान (राशि ₹ में)

क्र. सं.	परीक्षण का नाम	तकनीकी योग्यता के समय मेसर्स प्लैनेट इलेक्ट्रो लैब की दर	मेसर्स यू.एल. की दर इंडिया प्रा. लिमिटेड सामग्री की डिलीवरी के समय	अंतर	मात्रा	अतिरिक्त भुगतान (कॉलम नं. 5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	एलएम–79 परीक्षण	14000	25000	11000	11	121000
2	आईके–07 परीक्षण	6000	10000	4000	11	44000
3	आईपी–66 परीक्षण	4000	10000	6000	11	66000
कुल						**231000**

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि कोटेशन न बुलाने के कारण, विभाग को एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग के परीक्षण के लिए ₹2.31 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

5.5.7.4 संविदा करार के निष्पादन में विलंब के कारण बयाना धन जमा राशि को जब्त न करना और निविदा को अस्वीकृत न करना

आपूर्ति आदेश के नियम और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर 10 दिनों के भीतर एक समझौते को निष्पादित करना आवश्यक था, जिसमें विफल रहने पर आपूर्ति आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था और बयाना राशि जमा की राशि जब्त कर ली जाएगी।

3 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि अनुबंध को आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निष्पादित/हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। विवरण नीचे तालिका 5.12 में दिया गया है:

तालिका 5.12 निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध समझौते का निष्पादन न होना (₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशि	आपूर्ति आदेश की तिथि	एनआईटी/आपूर्ति आदेश के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की नियत तारीख	अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	ईएमडी जब्त कर ली जाएगी
1	19	3.38	15 नवंबर 2021	25 नवंबर 2021	24 दिसंबर 2021	0.06
2	26	3.46	11 जून 2019	21 जून 2019	16 सितम्बर 2019	0.05
3	23	3.58	24 अप्रैल 2018	4 मई 2018	29 मई 2018	0.07
		कुल				**0.18**

उपर्युक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट है कि अनुबंध समझौते को एनआईटी/आपूर्ति आदेश में उल्लिखित निर्दिष्ट समय सीमा के बाद निष्पादित/हस्ताक्षरित किया गया था। न तो ₹0.18 करोड़ की ईएमडी राशि जब्त की गई और न ही निविदा को खारिज किया गया।

ईएमडी को जब्त न करना और संविदा करार के निष्पादन/हस्ताक्षर करने में विलंब के बावजूद निविदा को अस्वीकृत न करना एनआईटी/आपूत आदेश की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन है।

5.5.8 ठेकेदार को भुगतान

5.5.8.1 अधिकृत सीमा से अधिक अग्रिम भुगतान करना।

जीएफआर 2017 के नियम 172 (1) को सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 14.4 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि आमतौर पर, प्रदान की गई सेवाओं या की गई आपूर्ति के लिए भुगतान केवल सेवाओं या आपूर्ति के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। तथापि, एयर–कंडीशनरों, कम्प्यूटरों, अन्य महंगे उपस्करों आदि की सर्विसिंग के लिए अनुरक्षण संविदाएं रखने वाली फर्मों द्वारा मांगे गए अग्रिम भुगतान के मामले में अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

निजी फर्मों को इस तरह का अग्रिम भुगतान अनुबंध मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्तानुसार अग्रिम भुगतान करते समय, फर्म से बैंक गारंटी आदि के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्राप्त किए जाने चाहिए।

3 ठेकों[15] में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि दो ठेकों में प्रभाग ने ₹2.21 करोड़ (100 प्रतिशत) और ₹0.29 करोड़ (100 प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान किया और एक अनुबंध में फर्म से आवश्यकतानुसार बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना अनुबंध के मूल्य पर ₹0.30 करोड़ (50 प्रतिशत) का अग्रिम भुगतान किया।

संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक और बैंक गारंटी के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान करना दर्शाता है कि कोडल प्रावधान का उल्लंघन करते हुए फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

5.5.8.2 करार का निष्पादन न होने के कारण अनियमित भुगतान– ₹62.07 लाख

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 23.2 (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद समझौते को निष्पादित करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 23.4 (5) में कहा गया है कि समझौते के निष्पादन के अभाव में, अधीक्षण अभियंता से विशिष्ट मंजूरी के बिना ठेकेदार को पहला भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। जब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

[15]05/ईई(ई)एम-33केवी/2018-19 (अनुबंध मूल्य-₹2.21 करोड़, अग्रिम भुगतान 100 प्रतिशत), 01/ईई(एम-33केवी)/2021-22/ई (अनुबंध मूल्य-₹29.70 लाख अग्रिम भुगतान 50 प्रतिशत), 04/ईई(एम-33केवी)/2019-20/ (अनुबंध मूल्य-₹29.43 लाख अग्रिम भुगतान 100 प्रतिशत),

₹90 लाख की निविदा राशि के साथ अनुबंध करार संख्या–06/ईई (ई)सी–वी/2015–16 (अनुलग्नक–1, क्रमांक 50) की जांच से पता चला कि अध्यक्ष द्वारा 5 वर्ष (10 नवंबर 2015 से 9 नवंबर 2020) की अवधि के लिए ऑडियो विजुअल उपकरणों के रखरखाव/संचालन की स्वीकृति दी गई थी, जिसे 9 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया था। विभाग ने ठेकेदार के साथ समझौता केवल 2 साल की अवधि के लिए यानी 10 नवंबर 2015 से 9 नवंबर 2017 तक निष्पादित किया। 10 नवंबर 2017 से 9 मई 2021 की अवधि के लिए कोई और समझौता निष्पादित नहीं किया गया था। हालांकि, 10 नवंबर 2017 से 9 नवंबर 2020 की अवधि के लिए एजेंसी को ₹52.48 लाख और 10 नवंबर 2020 से 9 मई 2021 तक की विस्तारित अवधि के लिए ₹9.59 लाख का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, समझौता किए बिना एजेंसी को ₹62.07 लाख (₹52.48 लाख + ₹9.59 लाख) का भुगतान करना अनियमित, अनधिकृत और कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.8.3 डीजी सेट के काम न करने के कारण जुर्माने की कम वसूली ₹3.45 लाख

समझौते के दंड खंड की धारा संख्या 3 (ए) के अनुसार, एचएवीसी सिस्टम की किसी भी इकाई, डीजी सेट, किसी भी पैनल, किसी भी केबल/ बस डक्ट को किसी भी दिन किसी भी गलती के कारण काम नहीं करने के लिए वसूली @ ₹2000 प्रति दिन प्रति यूनिट की जाएगी।

संविदा करार संख्या–07/ईई (ई) सी–वी/2015–16 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 53) की संवीक्षा से पता चला कि डीजी सेट नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान कार्यशील नहीं था। विभाग ने दंड खंड के तहत अपेक्षित दंड से कम जुर्माने के कारण वसूली की। नीचे दी गई तालिका 5.13 में दिए गए विवरणः–

तालिका 5.13 जुर्माने की कम वसूली (₹में राशि)

अवधि	दिनों की संख्या	जुर्माना लगाया जाए @ ₹2000/– प्रति दिन	जुर्माना लगाया गया	कम बरामद हुआ (कॉलम 3 – कॉलम 4)
1	2	3	4	5
07.10.2016 से 31.12.2016	86	172000	81783	90217
01.01.2017 से 31.01.2017	31	62000	29208	32792
01.02.2017 से 28.02.2017	28	56000	29208	26792
01.06.2017 से 30.06.2017	30	60000	29208	30792
01.07.2017 से 31.08.2017	62	124000	58417	65583
01.09.2017 से 30.09.2017	30	60000	29208	30792
01.10.2017 से 30.11.2017	61	122000	58417	63583
कुल	**328**	**656000**	**315449**	**340551**

गैर–कार्यात्मक अवधि के लिए काटे जाने वाले कुल दंड की राशि ₹6.56 लाख थी, हालांकि, विभाग ने केवल ₹3.15 लाख की कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.41 लाख की कम कटौती हुई। विभाग को ठेकेदार से कम राशि वसूल करनी चाहिए।

5.5.8.4 कम– जीएसटी रोकना

कार्य संविदा 2019 की सामान्य शर्तों के खंड 37 में यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित सरकार को जीएसटी का भुगतान करना और संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित तिथि के भीतर सांविधिक रिटर्न दाखिल करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। इस प्रकार जमा की गई जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति प्रभारी अभियंता द्वारा तभी की जाएगी जब ठेकेदार सरकार के क्रेडिट को जीएसटी की वास्तविक जमा राशि का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और नियोक्ता के जीएसटीआईएन के खिलाफ परिलक्षित होगा।

3 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन आरए बिलों (जीएसटी सहित) का भुगतान ठेकेदार को जीएसटी जमा का प्रमाण प्राप्त किए बिना जारी किया गया था। विवरण नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है:–

तालिका 5.14 जीएसटी जमा करने का प्रमाण प्राप्त किए बिना जारी की गई जीएसटी की राशि (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशि	सकल कार्य संपन्न	जीएसटी रोका जाए (18 प्रतिशत)	रोकी गई राशि	कम रोकी गई (राशि जारी) (कॉलम 5–कॉलम 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	38	0.79	0.94	0.14	0	0.14
2.	40	0.36	0.21	0.03	0	0.03
3	5	5.11	4.33	0.78	0.17	0.61
कुल		**6.26**	**5.48**	**0.95**	**0.17**	**0.78**

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 3 अनुबंधों में, जीएसटी के कारण ₹0.95 करोड़ रोके जाने थे, हालांकि विभाग ने केवल ₹0.17 करोड़ रोके और ठेकेदारों द्वारा जीएसटी जमा करने का प्रमाण प्राप्त किए बिना ₹0.78 करोड़ की शेष राशि जारी की गई।

जीएसटी जमा करने का प्रमाण प्राप्त किए बिना जीएसटी जारी करना कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.8.5 गणना के लिए गलत आधार के कारण आयकर की कम कटौती @ 2 प्रतिशत ।

आयकर अधिनियम की धारा 194सी को सीपीडब्ल्यूडी 2019 की धारा 5.18.4 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी भी ठेकेदार को किए गए भुगतान से टीडीएस सकल भुगतान का 2 प्रतिशत होगा।

इसके अलावा, अनुबंध करार की सामान्य शर्त यह भी निर्धारित करती है कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए आयकर नियम के तहत लागू आयकर ठेकेदार के प्रत्येक बिल से कटौती/वसूल किया जाएगा।

9 ठेकों में, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि सकल मूल्य के बजाय कार्य के निवल मूल्य (जीएसटी में कटौती के बाद) पर 2 प्रतिशत का आयकर काटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.56 लाख के आयकर की कम कटौती हुई जिसे वसूल करने और सरकार को जमा करने की आवश्यकता है। विवरण नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है:

तालिका 5.15 गणना के लिए गलत आधार के कारण आयकर की कम कटौती @ 2 प्रतिशत
(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशियाँ	किए गए कार्य का सकल मूल्य	काम के सकल मूल्य का @2 प्रतिशत की दर से आइ.ंटी कटौती	कटौती	कम कटौती (कॉलम 5–6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**1**	1449.65	1433.06	28.66	24.29	4.37
2	**2**	1359.86	1356.24	27.12	23.09	4.03
3	**3**	978.86	843.98	16.88	14.30	2.58
4	**4**	783.10	767.85	15.36	13.01	2.35
5	**12**	511.38	77.36	1.55	1.31	0.24
6	**6**	368.95	362.91	7.25	6.15	1.10
7	**7**	263.87	189.78	3.80	3.39	0.41
8	**9**	53.44	**54.03**	**1.08**	0.83	**0.25**
9.	**47**	87.49	**107.68**	**2.15**	1.92	**0.23**
कुल				**103.85**	**88.29**	**15.56**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि 9 अनुबंधों में, कटौती की जाने वाली कर की कुल राशि ₹103.85 लाख थी, जिसके खिलाफ संपर्ककर्ताओं के बिलों के भुगतान से केवल ₹88.29 लाख की कटौती की गई थी। शेष ₹15.56 लाख की राशि ठेकेदारों से वसूल की जानी है और इसे सरकारी खातों में जमा किया जाना अपेक्षित है।

5.5.8.6 श्रम उपकर की कम वसूली

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और एकत्र करने का प्रावधान है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के 2 प्रतिशत से अधिक लेकिन कम से कम 1 प्रतिशत की दर से ऐसी दर को अधिसूचित करने का अधिकार देता है और तदनुसार भारत सरकार ने नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की कुल लागत के 1 प्रतिशत की दर से उपकर अधिसूचित किया है।

संविदा करार की सामान्य शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) के प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण/कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर, रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन, अधिनियम, 1996 होगा। ठेकेदार/फर्मों के बिलों से स्रोत (टीडीएस) पर कटौती की जाएगी।

10 अनुबंधों में लेखापरीक्षा में कहा गया है कि सकल मूल्य के बजाय काम के शुद्ध मूल्य (जीएसटी काटने के बाद) पर 1 प्रतिशत का श्रम उपकर काटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.75 लाख के श्रम उपकर की कम कटौती हुई थी, जिसे वसूल करने और सरकार को जमा करने की आवश्यकता होती है। विवरण नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16 श्रम उपकर की कम कटौती (₹लाख में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशियाँ	किए गए कार्य का सकल मूल्य	श्रम उपकर कार्य के सकल मूल्य का /1 प्रतिशत की दर से कटौती योग्य	कटौती	कम कटौती (कॉलम 5–कॉलम 6)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1	1449.66	1433.06	14.33	12.14	2.19
2	2	1359.86	1356.23	13.56	11.54	2.02
3	3	978.86	843.98	8.44	7.15	1.29
4	12	511.38	77.36	0.77	0.65	0.12
5	5	511.00	511.00	5.11	5.09	0.02
6	6	368.95	362.91	3.63	3.08	0.55
7	7	263.87	189.78	1.90	1.70	0.20
8	44	87.49	107.68	1.08	0.87	0.21
9	9	53.44	54.03	0.54	0.42	0.12
10	10	41.48	31.73	0.32	0.29	0.03
कुल				**49.68**	**42.93**	**6.75**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 10 अनुबंधों में, श्रम उपकर की कुल राशि ₹49.68 लाख थी, जिसके खिलाफ संपर्ककर्ताओं के बिलों के भुगतान से केवल ₹42.93 लाख की कटौती की गई थी। शेष ₹6.75 लाख की राशि ठेकेदारों से वसूल की जानी है और इसे सरकारी खातों में जमा किया जाना अपेक्षित है।

5.5.8.7 लेबर लाइसेंस जमा न करने के कारण ठेकेदार को अनियमित भुगतान

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड–19 में यह निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार को कार्य शुरू होने से पहले ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियमावली–1971 के तहत वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा और कार्य पूरा होने तक वैध लाइसेंस जारी रखना होगा।

इसके अतिरिक्त, संविदा के खण्डों के खण्ड 7क में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक लागू श्रम लाइसेंस, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, जो भी लागू हो, ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत किए जाने तक कार्य के लिए कोई रनिंग एकाउंट बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार को श्रम लाइसेंस जमा किए बिना ₹40.28 करोड़ का भुगतान किया गया था। विवरण नीचे तालिका 5.17 में दिया गया है:

तालिका 5.17 श्रमिक लाइसेंस जमा किए बिना ठेकेदार को भुगतान (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशि	ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया	भुगतान तक
1	1	14.50	14.33	दूसरा आरए बिल
2	2	13.59	13.56	चौथा आरए बिल
3	3	9.79	8.44	दूसरा आरए बिल
4	6	3.69	3.63	पहला आरए बिल
5	10	0.41	0.32	दूसरा आरए बिल
कुल			**40.28**	

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग ने ठेका की सामान्य शर्त के खंड 19 और 7क का उल्लंघन करते हुए वैध श्रम लाइसेंस प्राप्त किए बिना ठेकेदार को ₹40.28 करोड़ का भुगतान किया।

5.5.8.8 आकस्मिक प्रभार के प्रावधान के बिना किया गया व्यय

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 4.1.5 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी कार्य के लिए अनुमानित सभी व्यय के प्रावधान के अलावा, आकस्मिकता का प्रावधान निम्नानुसार रखा जाएगाः (क) ₹1 करोड़ तक की अनुमानित लागत @ 5 प्रतिशत (बी) ₹1 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत @ 3 प्रतिशत से अधिक, न्यूनतम ₹5 लाख के अधीन। आकस्मिकताओं का उपयोग साइट कार्यालय के निर्माण, वॉच एंड वार्ड स्टाफ की नियुक्ति और सर्वेक्षण, सामग्री परीक्षण, आकलन जैसे कार्य कार्यों के लिए किया जा सकता है; संरचनात्मक डिजाइन, चित्र, मॉडल और अन्य क्षेत्र आवश्यकताओं आदि।

16 अनुबंधों में विभाग ने विस्तृत प्राक्कलन में आकस्मिक प्रभार का प्रावधान नहीं किया। तथापि, आकस्मिक प्रभारों के विरुद्ध भुगतान कर दिया गया था। विवरण नीचे तालिका 5.18 में दिया गया है:

तालिका 5.18 आकस्मिकता के प्रावधान के बिना किया गया व्यय

क्र.सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	आकस्मिकता शुल्क का प्रावधान मानक के अनुसार किया जाना है (₹ लाख में)	आकस्मिकता से व्यय (₹ लाख में)
1	21	20.38	19.85	60.00	5.44
2	52	13.27	12.82	38.46	1.60
3	27	10.33	11.31	33.93	10.97
4	17	9.54	9.20	27.59	10.13
5	15	4.40	3.97	11.91	4.65
6	24	4.12	3.20	9.60	1.53
7	22	3.98	2.06	6.18	3.43
8	23	3.58	3.44	10.32	3.88
9	26	3.46	2.73	8.20	3.67
10	19	3.38	3.11	9.34	4.44
11	25	1.41	2.18	6.54	1.27

क्र.सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	आकस्मिकता शुल्क का प्रावधान मानक के अनुसार किया जाना है (₹ लाख में)	आकस्मिकता से व्यय (₹ लाख में)
12	31	1.26	1.13	5.00	1.60
13	28	1.18	1.11	5.00	1.25
14	29	0.93	0.96	4.80	0.95
15	30	0.39	0.49	2.45	0.57
16	18	0.38	0.36	1.80	0.32
कुल					**55.7**

इस प्रकार, विभाग ने विस्तृत प्राक्कलन में प्रावधान किए बिना आकस्मिक मद के तहत ₹55.7 लाख का भुगतान कर दिया जो कि कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

5.5.8.9 प्रथम आरए बिल का अनियमित भुगतान – ₹21.33 लाख

निविदा नोटिस की पात्रता शर्त के खंड संख्या 2 के अनुसार, अन्य संगठन में पंजीकृत ठेकेदार को पहले रनिंग बिल का भुगतान करने से पहले एनडीएमसी में खुद को पंजीकृत करना होगा।

₹1.73 करोड़ की निविदा राशि के साथ अनुबंध समझौते संख्या–6/ईई (ई) सी–II/2019–20 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 54) की जांच से पता चला कि एजेंसी ₹21.33 लाख के पहले आरए बिल के भुगतान (6 नवंबर 2020) के समय एनडीएमसी के साथ पंजीकृत नहीं थी। ठेकेदार ने 1 मई 2021 को अध्यक्ष, एनडीएमसी को पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

इस प्रकार, एनडीएमसी में पंजीकरण से पहले ₹21.33 लाख का भुगतान करना अनियमित है और एनआईटी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है।

5.5.8.10 आपूर्तिकर्ता को किया गया अतिरिक्त भुगतान (तीसरे पक्ष के निरीक्षण शुल्क के कारण) – ₹3.50 लाख

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निबंधन एवं शर्तों के खंड 15.1 में यह निर्धारित किया गया है कि निरीक्षण की विफलता के मामले में, उसी लॉट के लिए असफल और बाद में विफल/सफल निरीक्षण की लागत आपूतकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

अनुबंध अनुबंध संख्या–02/ईई (एस–आई)/2021–22 (अनुलग्नक–1, खंड संख्या 19) की जांच से पता चला कि फर्म (मेसर्स डायनामिक केबल लिमिटेड) ने आपूर्ति आदेश[16] प्राप्त होने के बाद 20 दिसंबर 2021 को निरीक्षण कॉल की पेशकश की। अधिकांश परीक्षण किए गए थे और एफएलआरएस के लिए नमूना भी आवश्यक परीक्षणों के लिए तैयार किया गया था। हालांकि, परीक्षण शुरू होने के बाद, एक मशीन खराब हो गई। मैसर्स डायनामिक केबल ने बताया कि वे एक सप्ताह के भीतर पूरे सेट अप को फिर से व्यवस्थित करेंगे। फर्म ने 23 फरवरी 2022 को पूरे 18 किलोमीटर के लिए पुनः निरीक्षण की पेशकश की और 24 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया।

राइट्स ने (11 मार्च 2022) ₹3.50 लाख (सामग्री के पुनः निरीक्षण के कारण –17.968 किमी) का निरीक्षण शुल्क बिल प्रस्तुत किया था। राइट्स को भुगतान के संबंध में साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं पाए गए।

[16]क्रमांक 02/DP/EE/(S-I)/2021-2022 दिनांक 15 नवंबर 2021।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता ने पहला आरए बिल जमा किया और विभाग ने 25 अप्रैल 2022 को आरआईटीईएस द्वारा दावा किए गए निरीक्षण शुल्क की राशि में ₹3.50 लाख की कटौती किए बिना ₹3.36 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, आपूतकर्ता को ₹3.50 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो वसूली योग्य है।

5.5.8.11 तकनीकी प्रतिनिधि की तैनाती न होना और उसकी वसूली न होना

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 33.14 में कहा गया है कि ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह केवल गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादित करने के लिए कार्य स्थल पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित, योग्य और कुशल पेशेवरों को तैनात करे, और ऐसा करने में उसकी विफलता पर उत्पन्न होने वाले परिणाम।

इसके अतिरिक्त, संविदा करार के खंड 36 में कहा गया है कि ठेकेदार को निविदा की स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद और काम शुरू करने से पहले, प्रभारी अभियंता को नाम, योग्यता, अनुभव, लिखित रूप में सूचित करना होगा। कार्य के प्रभारी प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और कार्य की निगरानी करने वाले अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों की आयु, पता (पते) और प्रमाणपत्रों के साथ अन्य विवरण। ऐसे तकनीकी प्रतिनिधियों की न्यूनतम आवश्यकता और उनकी योग्यता और अनुभव अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट से कम नहीं होगी। यदि ठेकेदार तकनीकी कर्मचारियों को तैनात करने में विफल रहता है तो एनआईटी में अनुसूची "एफ" में उल्लिखित प्रति माह की दर से वसूली की जानी आवश्यक है।

प्रभारी अभियंता ऐसे पत्र की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर ठेकेदार को ऐसे प्रतिनिधि के अनुमोदन या अन्यथा लिखित रूप में सूचित करेगा।

8 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि ठेकेदार ने प्रभारी अभियंता, कार्य के प्रभारी प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी प्रतिनिधियों, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, के नाम, योग्यता, अनुभव, आयु, पता और अन्य विवरणों के साथ लिखित रूप से सूचित नहीं किया था, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे, जिससे पता चलता है कि तकनीकी प्रतिनिधियों को तैनात नहीं किया गया था। उपर्युक्त सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा तैनात किए गए योग्य तकनीकी प्रतिनिधियों की संख्या का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, खंड 36 के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र कि योग्य इंजीनियर (ओं) ने इसके निष्पादन के दौरान काम की देखभाल की थी, को एई द्वारा बिलों को चलाने में दर्ज और सत्यापित नहीं किया गया था। इसका विवरण नीचे तालिका 5.19 में दिया गया है:–

तालिका 5.19 तकनीकी प्रतिनिधि की तैनाती न होना एवं उसकी वसूली

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	महीनों की संख्या	वसूल की जाने वाली राशि (₹)
1	2	13.60	1 मार्च 2019	24 नवंबर 2020	21	6.30 लाख[17]
2	52	13.27	11 फर 2020	12 अक्टूबर 2022	32	14.50 लाख[18]
3	53	8.66	11 जन 2016	10 फरवरी 2020	49	22.21 लाख[19]
4	7	2.64	1 फरवरी 2018	21 अक्टूबर 2019	21	6.30 लाख[20]
5	54	1.73	19 दिसं 2019	27 दिसंबर 2022	36	7.20 लाख[21]

[17] 30000(प्रोजेक्ट मैनेजर)X1X21=₹6,30,000

[18] 27000 (सुविधा प्रबंधक)X1X32 + 18330 (रखरखाव प्रमुख) X 1X32 = ₹14,50,560

[19] 27000 (सुविधा प्रबंधक)X1X49 + 18330 (रखरखाव प्रमुख) X 1X49 = ₹22,21,370

[20] 30000(प्रोजेक्ट मैनेजर)X1X21=₹6,30,000

[21] 10000 (प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि) X2X36 = ₹7,20,000

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	महीनों की संख्या	वसूल की जाने वाली राशि (₹)
6	36	0.88	2 मार्च 2021	30 दिसंबर 2022	21	3.54 लाख[22]
7	47	0.87*	19 अक्टू 2018	15 मार्च 2019	5.5	2.85 लाख[23]
			29 मार्च 2019	3 सितम्बर 2019	4	
8	9	0.53	18 जून 2017	16 मई 2018	11	28.68 लाख[24]
कुल						**91.58** लाख

इस प्रकार, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा तकनीकी स्टाफ की तैनाती न किए जाने के कारण कोई वसूली नहीं की गई थी और ठेकेदारों को ₹91.58 लाख का अनुचित लाभ दिया गया था।

तालिका संख्या 5.19 के बिंदु संख्या 5 पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर–2023) कि मेसर्स मेक इंजीनियर से इंजीनियरिंग प्रभारी श्री अशोक कुमार गोसाईं की डिग्री की प्रति तत्काल संदर्भ के लिए टीओसी नं. 1195455 पेज नं. 39 पर संलग्न है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रभारी अभियंता ने ठेकेदार को काम की निगरानी करने वाले प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधि और तकनीकी प्रतिनिधियों की मंजूरी जारी नहीं की थी। इसके अलावा, खंड 36 के प्रावधानों के तहत प्रमाण पत्र, योग्य इंजीनियरों ने इसके निष्पादन के दौरान काम की देखभाल की थी, दर्ज नहीं किया गया और ए.ई. द्वारा चालू बिलों में सत्यापित नहीं किया गया था। केवल डिग्री/ दस्तावेजों को फाइल में रखना यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य तकनीकी प्रतिनिधियों को तैनात किया गया था।

भाग ए और भाग बी के लिए

5.5.9 कार्य पूरा होना

5.5.9.1 समय विस्तार (ईओटी) प्रदान किए बिना कार्य का निष्पादन

संविदा की सामान्य शर्त के खंड 5.5 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि प्रभारी अभियंता की राय में ठेकेदार द्वारा खंड 5.2 या खंड 5.3 या खंड 5.4 में उल्लिखित घटनाओं से परे और उचित विस्तारित तिथि से परे कारणों से कार्य में विलंब होता है; खंड 3 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रभारी अभियंता मील के पत्थर के पुनर्निर्धारण के बिना कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का विस्तार दे सकता है। ठेकेदार समय के ऐसे विस्तार के लिए देरी के लिए मुआवजे की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा।

4 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद निष्पादित किया गया था। कार्य 10.5 से 13.00 माह की देरी से पूरा हुआ। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी से समय विस्तार के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। विवरण नीचे तालिका 5.20 में दिया गया है:–

[22] 16848 (प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि) X1X21 = ₹3,53,808

[23] 15000 (प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि)X2X9.5= ₹2,85,000

[24] 27000 (सुविधा प्रबंधक) X1X11+18330 (रखरखाव प्रमुख) X1X11+15386 (इलेक्ट्रीशियन) X14X11 = ₹28,68,081

तालिका 5.20 कार्य पूरा होने में देरी और ईओटी का अनुदान न मिलना (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तारीख में	देरी (महीने में)
1	6	3.69	9 नवंबर 2019	24 नवंबर 2020	**12.5**
2	54	1.73	17 अगस्त 2021	30 सितम्बर 2021	**13**
3	31	1.26	13 मार्च 2020	30 जनवरी. 2021	**10.5**

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि 10.5 से 12.5 महीने तक के काम को पूरा करने में देरी हुई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य के लिए समय का विस्तार प्रदान नहीं किया गया था। समय विस्तार के ऐसे नियमितीकरण के अभाव में, विभाग कार्य के निष्पादन में देरी (यदि कोई हो) के लिए मुआवजा नहीं लगा सकता था।

तालिका संख्या 5.20 के बिंदु संख्या 2 पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में, विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर–2023) कि कार्य निष्पादन की निर्धारित तिथि (एस डी ओ सी) 17 अगस्त 2021 है जबकि वास्तविक कार्य निष्पादन की तिथि (ए डी ओ सी) 30 दिसंबर 2022 है, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रोविजिनल समय का विस्तार (ईओटी) प्रदान किया गया।

संपूर्ण निष्पादित कार्य की राशि ₹94,17,756/– पर 10 प्रतिशत राशि यानि ₹9,41,581/– अभी भी डिवीजन के पास है और इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईओटी के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

इस प्रकार, विभाग ने स्वीकार किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईओटी का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है।

5.5.9.2 अंतिम बिल के भुगतान में देरी – देयता का निर्माण

अनुबंध के खंड 7 और 9 के साथ पठित सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 की धारा 33.6 में कहा गया है कि अंतिम माप काम पूरा होने के एक महीने के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कार्य का निविदा मूल्य ₹45 लाख से अधिक और ₹2.5 करोड़ तक है तो कार्यों का अंतिम भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाएगा और यदि कार्य का निविदा मूल्य ₹2.5 करोड़ से अधिक है तो 6 महीने के भीतर किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद अंतिम बिलों के भुगतान में देरी के मामले में, ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तारीख से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाएगा, बशर्ते कि अंतिम बिल हो। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण सही पाया गया। ठेकेदार को भुगतान उसके द्वारा बिल जमा करने पर ही किया जाएगा। यदि ठेकेदार उपर्युक्त के अनुसार बिल जमा करने में विफल रहता है, तो वह ब्याज सहित भुगतान में देरी के कारण सभी दावों को जब्त कर लेता है। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2014 की धारा 30.3 में कहा गया है कि ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत पूर्णता के अंतिम प्रमाण पत्र की तारीख के एक महीने के भीतर या काम के भौतिक समापन के 3 महीने के भीतर, जो भी हो, अंतिम बिल जमा करना चाहिए, जो भी पहले हो (खंड 9)।

2 अनुबंधों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि काम पूरा हो गया था लेकिन लेखापरीक्षा की तारीख (जुलाई–2022) तक अंतिम बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। इसका विवरण नीचे तालिका 5.21 में दिया गया है–

तालिका 5.21 अंतिम बिल के भुगतान में देरी

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I का क्रमांक)	निविदा राशियाँ (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	2	13.60	चौथे आरए बिल तक ठेकेदार को ₹13.56 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग ने 7 दिसंबर 2020 को कार्य का समापन प्रमाण पत्र दर्ज किया। ठेकेदार ने अंतिम बिल जमा कर दिया था लेकिन पूर्णता प्रमाण पत्र की रिकॉर्डिंग के 18 महीने (जुलाई–2022 तक) बीत जाने के बाद भी अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग ने प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की परिहार्य देनदारी बनाई।
2	31	1.26	कार्य दिनांक 30 जनवरी 2021 को पूरा हो गया है। दूसरे आरए बिल तक ₹0.60 करोड़ का भुगतान 18 सितंबर 2020 को किया गया था। 23 महीने के खत्म होने के बाद ठेकेदार द्वारा नवंबर–2022 (लेखापरीक्षा की तारीख तक) तक अंतिम बिल जमा नहीं किया गया था। हालाँकि, विभाग ने आवश्यकतानुसार ब्याज सहित भुगतान में देरी के कारण सभी दावों को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की।

5.5.10 अनुबंध समझौते की प्रक्रिया और प्रदान करने में देरी

5.5.10.1 एनआईटी जारी करने से ठेका देने में देरी

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20ए (अनुलग्नक 12, खंड संख्या 18) में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यों के लिए बोली तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी, यदि 2 बोली प्रणाली में और तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 120 दिनों के भीतर बोली आमंत्रित की जाती है। मामले में, विशिष्ट कार्य के लिए 3 बोली प्रणाली में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 17.5 में कहा गया है कि वेबसाइट पर निविदा के प्रकाशन की तारीख और निविदाओं की प्राप्ति की तारीख के बीच की समय सीमा ₹2 करोड़ के बीच अनुमानित लागत वाले कार्यों के मामले में 10 दिन और 14 दिनों के बीच होनी चाहिए। अनुमानित लागत ₹2 करोड़ से अधिक के साथ काम करता है।

54 अनुबंधों में से, ₹106.17 करोड़ के 16 ठेकों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनआईटी के जारी होने की तारीख से ठेका देने की तारीख तक निविदा की प्रक्रिया में लगने वाला कुल समय एनआईटी के अनुमोदन की तारीख से 6 महीने 12 दिन से लेकर 1 वर्ष 9 महीने 20 दिन तक था, जबकि मानक 120 दिन और 14 दिन था। ब्यौरा **अनुलग्नक–II** में दिया गया है।

बिंदु संख्या 12 (अनुलग्नक–II) पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब (अक्टूबर–2023) में, विभाग ने स्वीकार किया कि एन आई टी जारी करने की तिथि 12 अक्टूबर 2018 है, कार्य सौंपने की तिथि 27 दिसंबर 2019 है और विलंब 1 वर्ष 2 महीने और 15 दिन है।

5.5.10.2 तकनीकी बोली खोलने से ठेका देने में देरी

सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20ए (अनुलग्नक 12, खंड संख्या 18) में यह निर्धारित किया गया है कि कार्यों के लिए बोली तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी, यदि 2 बोली प्रणाली में और तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 120 दिनों के भीतर बोली आमंत्रित की जाती है। मामले में, विशिष्ट कार्य के लिए 3 बोली प्रणाली में बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

54 अनुबंधों में से, 13 ठेकों में लेखापरीक्षा ने नोट किया कि तकनीकी बोली खोलने से ठेका प्रदान करने तक 90/120 दिनों की अनुमेय अवधि की तुलना में 6 महीने (लगभग) से 1 वर्ष 8 महीने तक का कुल समय लिया गया था। ब्यौरा **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

बिंदु संख्या 8 (अनुलग्नक–III) पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब (अक्टूबर–2023) में, विभाग ने स्वीकार किया कि तकनीकी बोली खोलने की तिथि 30 अक्टूबर 2018 थी, कार्य सौंपने की तिथि 27 दिसंबर 2019 थी और विलंब 1 वर्ष 1 माह और 27 दिन का था।

54 अनुबंधों में से, 13 ठेकों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि एए और ईएस से अनुबंध प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण में लगने वाला कुल समय 10 महीने से 11 वर्ष तक था। ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

बिंदु संख्या 10 (अनुलग्नक–IV) पर लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब (अक्टूबर–2023) में, विभाग ने स्वीकार किया, "चूंकि कार्य का प्रमुख भाग डब्ल्यू.ओ. संख्या–डी–928/ईई(सी–II) दिनांक 23 नवंबर 2010 के तहत निष्पादित किया गया था।" अध्यक्ष ने शेष कार्य के लिए नए सिरे से निविदा जारी करने के लिए अनुबंध को समाप्त करने की मंजूरी दे दी। आई पी डी एस में प्रावधान कर शेष कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की गई। काम अंततः 27 दिसंबर 2019 को आवंटित किया गया और अनुबंध देने में 11 वर्ष 10 दिन का समय लगा।

5.5.10.4 काम पूरा होने में देरी

54 अनुबंधों में से, 11 ठेकों में कार्य पूरा होने में निर्धारित तिथि से 1 से 17 माह तक का विलंब हुआ। ब्यौरा **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

पैरा 5.10.1 से 5.10.4 तक, यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक कोड और मैनुअल के अनुसार अनुमत/अनुशंसित निर्धारित समय अवधि की तुलना में निविदाओं के प्रसंस्करण और कार्य के निष्पादन में असामान्य देरी हुई है। इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप जनता अपेक्षित लाभों से वंचित हो गई और राजस्व तथा लागत से अधिक की हानि हुई। विभाग को योजना के समय अनुमोदित इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त समय–सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए। विभाग को ठेका देने के लिए समय–सारिणी का सख्ती से पालन करना चाहिए।

5.5.11 प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ पैरा

संविदा करारों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में स्थल की उपलब्धता के बिना निविदा जारी करना, अपूर्ण एनआईटी का अनुमोदन, संविदा पर हस्ताक्षर करने में विलंब, निविदा की स्वीकृति से पूर्व निविदा की वैधता अवधि का विस्तार न किया जाना आदि जैसी प्रक्रियात्मक कमियों की संख्या पाई गई। ये प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ संहिताओं और नियमावली (एनडीएमसी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के कार्यकरण में अपनाए जाने के लिए अनुमोदित) में दी गई सभी प्रक्रियाओं और अनुदेशों का सही भावना से पालन और कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। इन अनुदेशों और कार्य प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण पारदर्शिता की कमी हो सकती है और भविष्य में गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ सकते हैं। त्रुटियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है।

बिंदु संख्या 8 (अनुलग्नक–VI) पर ऑडिट अवलोकन के जवाब में (अक्टूबर–2023) विभाग ने उत्तर दिया, "मात्राओं की अनुसूची और सामान्य नियमों और निर्देशों के नियम–I में निर्दिष्ट विशिष्टताओं, डिजाइनों, ड्राइंग और लिखित निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा अनुसूची "एफ" में निर्दिष्ट समय के भीतर एनडीएमसी के लिए निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया गया था"। इस प्रकार, विभाग ने स्वीकार किया कि ठेकेदार ने आवश्यकतानुसार विचलन शीट के बजाय केवल उपरोक्त वचन पत्र प्रस्तुत किया था।

अध्याय-6

संपत्ति कर विभाग

एनडीएमसी में संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रहण की लेखा परीक्षा

कार्यकारी सारांश / मुख्य बातें

- एनडीएमसी को यूनिट एरिया मेथड (यूएएम) को जारी रखने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) के फैसले (22 जनवरी 2019) को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद, अधिनियम में संशोधन के बिना यूएएम के तहत कर का निर्धारण और संग्रहण किया गया था। एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन के अभाव में एनडीएमसी द्वारा उपनियम 2009 के लागू करने को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। (पैरा 6.8.1)
- करदाताओं पर मार्च–2022 तक भारी कर बकाया (₹ 6479.72 करोड़) होने के बावजूद, विभाग ने वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए धारा 100, 101 और 102 के तहत आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया। (पैरा 6.8.2.2)
- कर निर्धार्य मूल्य की ₹ 10 करोड़ से ऊपर की 48 संपत्तियां (15053 संपत्तियों में से) कर बकाया की राशि में ₹ 4125.63 करोड़ (64 प्रतिशत) का योगदान करती हैं। (पैरा 6.8.2.1)
- कुल की गई मांग (वर्तमान एवं बकाया कर) के विरुद्ध वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान कर संग्रह क्रमशः ₹ 523.58 (9.08 प्रतिशत), ₹ 646.02 (9.34 प्रतिशत) और ₹ 896.65 (11.77 प्रतिशत) था। (पैरा 6.8.3)
- कुल 15053 संपत्तियों के विरुद्ध, वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः केवल 207 (1.37 प्रतिशत), 331 (2.2 प्रतिशत) और 280 (1.86 प्रतिशत) संख्या में पीटीआर ऑनलाइन दाखिल किए गए थे। (पैरा 6.8.5)
- पीटीआर की प्राप्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था अतः विभाग एक वर्ष में प्राप्त सभी पीटीआर पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कर सका। (पैरा 6.8.6)
- विभाग ने वर्ष 2010–11 से 2021–22 की अवधि से संबंधित 3588 नोटिसों को अंतिम रूप नहीं दिया, जिनमें ₹ 3528.11 करोड़ का कर राजस्व शामिल था (पैरा 6.8.7.1)
- शून्य कर निर्धार्य मूल्य वाली संपत्तियों के वर्तमान निर्धारण योग्य मूल्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹ 591.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। (पैरा 6.8.7.2)
- धारा 72 के तहत 10 परीक्षण–जांच मामलों में नोटिसों को 61 महीने से लेकर 131 महीने की देरी से अंतिम रूप दिया गया, जिसमें ₹ 7.98 करोड़ का संपत्ति कर शामिल था। (पैरा 6.8.7.3)

- (i) धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने में देरी के कारण और (ii) वित्तीय वर्ष के अंत में नोटिस जारी करने के कारण ₹17.37 करोड़ का राजस्व नुकसान देखा गया। (पैरा 6.8.8.1 एवं 6.8.8.2)
- होटल ओबेरॉय (पी–11229) के संबंध में भवन के नवीकरण के पूरा होने की वास्तविक तिथि के बजाय मुख्य वास्तुकार, एनडीएमसी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (13 दिसंबर 2017) से रिक्ति छूट की अनुमति देने के कारण ₹95.45 लाख की हानि (11 अक्टूबर 2017)। {पैरा 6.8.II (i)}
- संपत्तियों 5, सिकंदरा रोड पर स्थित (पी–3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926 और 3927) के संबंध में संपत्ति कर में दो तिहाई के बजाय 100 प्रतिशत छूट की अनुमति देने से ₹3.24 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि इमारत ध्वस्त और मूल्य से वंचित नहीं थी लेकिन आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि के कारण सील कर दिया गया। {पैरा 6.8.II (ii)}
- रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता के कारण ₹5.68 करोड़ के स्थानांतरण शुल्क की वसूली न होना। (पैरा 6.8.12)
- होटल मौर्या शेरेटन के संबंध में 5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की गलत शीघ्र भुगतान छूट लागू करने के कारण ₹40.22 लाख की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई। (पैरा 6.8.14)
- वर्ष 2017 से 2022 की अवधि से संबंधित अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध ₹44.87 लाख के संपत्ति कर की वसूली न होना। (पैरा 6.8.15)

6 एनडीएमसी में संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रहण की लेखापरीक्षा

6.1 परिचय

एनडीएमसी का संपत्ति कर विभाग निजी संपत्तियों पर संपत्ति कर लगाने और एकत्र करने के साथ–साथ सरकारी संपत्तियों पर सेवा–शुल्क लगाने के लिए जिम्मेदार है। नई दिल्ली क्षेत्र में सभी इमारतों और खाली भूमि पर संपत्ति कर लगाया जाता है। करों[25] की दरें परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एनडीएमसी क्षेत्र में 15,053 निजी संपत्तियां और 1,591 सरकारी संपत्तियां हैं जो संपत्ति कर और सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। 2021–22 के दौरान संपत्ति कर विभाग का कुल कर संग्रह (सरकारी संपत्तियों पर सेवा शुल्क सहित) ₹948.45 करोड़ था।

संपत्ति कर एनडीएमसी अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाए गए उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार लगाया, निर्धारित और एकत्र किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

प्रवाह चार्ट

संपत्ति कर लगाने, निर्धारण और संग्रह की प्रक्रिया

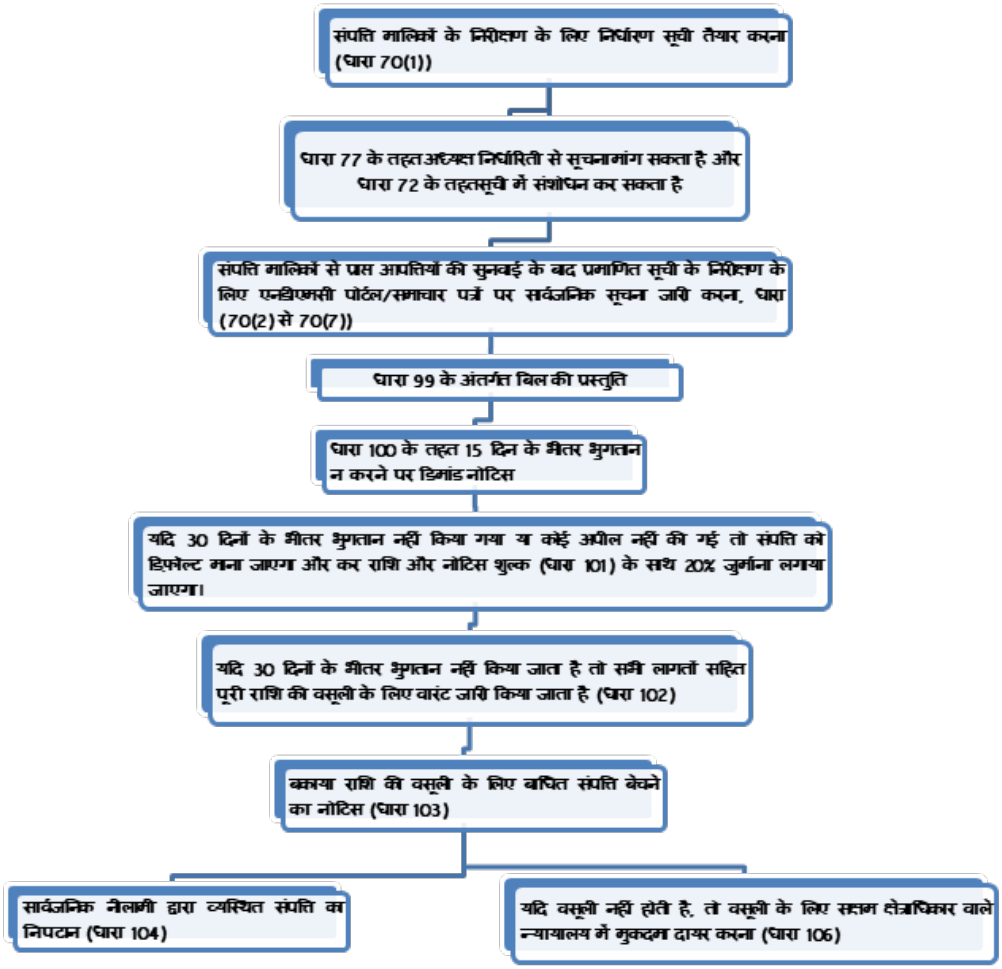

[25]वर्तमान में, संपत्ति के रेटेबल वैल्यू (आरवी) के पहले ₹10 लाख पर 20 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लगाया जाता है, फिर अगले ₹10 लाख पर 25 प्रतिशत और रेटेबल वैल्यू की शेष राशि पर 30 प्रतिशत लगाया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि क्याः–

- एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के तहत कर लगाने और संग्रह से संबंधित प्रावधानों, परिषद के संकल्प, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और लागू अन्य नियमों का पालन किया गया।
- संपत्ति कर और सेवा शुल्क का निर्धारण सही से किया गया था।
- संपत्ति कर के प्रयोजनार्थ भूमि और भवनों के संबंध में आरवी का संशोधन, मूल्यांकन आदेश, नामांतरण और छूट मामलों को करने वाले आदेश आदि सही तरीके से किये गए थे।
- विभागीय निर्देशों के अनुसार मांग और संग्रह रजिस्टर, अन्य रजिस्टरों और रिपोर्टों सहित बनाए गए थे।
- निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण यह जांचने के लिए मौजूद है कि क्या करों की मांगों को समय पर जारी किया गया था, बकाया राशि तुरंत वसूली गई थी और अदालत के आदेशों का अनुपालन किया गया था।

6.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में संपत्ति कर विभाग (एनडीएमसी) की कार्यप्रणाली की जांच कीः –

(i)एनडीएमसी अधिनियम, 1994, (ii) निर्धारण सूचियां/आदेश, (iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, (iv) मूल्यांकन समिति की सिफारिशें, (v) अध्यक्ष, एनडीएमसी का निर्णय, (vi) भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल द्वारा कानूनी राय और (vii) मांग और संग्रह रजिस्टर।

6.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली :

जून–2022 से मई –2023 की अवधि के दौरान वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि को कवर करते हुए 'संपत्ति कर का निर्धारण और संग्रह' पर लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा ने निजी और सरकारी संपत्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए संपत्तियों के चयन के लिए कर योग्य मूल्य (आरवी) को मानदंड के रूप में माना। किसी भी संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन योग्य किसी भी भूमि या भवन का आरवी वार्षिक किराया जिस पर ऐसी भूमि या भवन को यथोचित रूप से वर्ष–दर–वर्ष देने की उम्मीद की जा सकती है उक्त वार्षिक किराए में 10 प्रतिशत के बराबर राशि छूट देने पर प्राप्त होगी। किसी भी भूमि जिस पर कोई ढांचा नहीं हैं, लेकिन निर्माण करने में सक्षम है और किसी भी भूमि का, जिस पर एक भवन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, का कर निर्धार्य मूल्य ऐसी भूमि के अनुमानित पूंजीगत मूल्य के 5 प्रतिशत पर तय किया जाएगा।

निजी और सरकारी संपत्तियों का विवरण और लेखापरीक्षा के लिए चुने गए मामलों की संख्या नीचे तालिका 6.1 में दिखाई गई हैः

तालिका 6.1 लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों का विवरण (करोड़ में)

क्र. सं.	आरवी की रेंज (₹)	संपत्तियों की संख्या		मूल्यांकन योग्य मूल्य (आरवी)		लेखापरीक्षा के लिए संपत्तियों का चयन किया गया				लेखा परी. क्षित निजी संपत्तियों की संख्या	लेखापरीक्षित सरकारी संपत्तियों की संख्या
						मामलों की संख्या		संपत्तियों का कर निर्धार्य मूल्य			
		निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी		
1	10 करोड़ से ऊपर	48	11	1694.85	311.63	48	11	1694.85	311.63	45	11
2	1 करोड़ से ऊपर से 10 करोड़ तक	292	111	806.61	384.69	58	11	161.02	41.57	42	11
3	50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक	327	119	233.21	80.89	32	6	22.85	4.32	20	6
4	10 से 50 लाख तक	2071	235	391.96	67.15	104	2	19.81	0.66	33	2
5	1 से 10 लाख तक	6506	193	262.07	9.26	65	2	2.66	0.14	44	2
6	1 लाख से नीचे	5809	922	16.18	0.88	0	0	0.00	0.00	0	0
कुल:		**15053**	**1591**	**3404.88**	**854.50**	**307**	**32**	**1917.37 (56.31 %)**	**358.32 (41.93 %)**	**184**	**32**

लेखापरीक्षा ने 216 संपत्तियों के मामलों (कुल चयनित मामलों का 64 प्रतिशत) की जांच की, जिसमें ₹ 2006.48 करोड़ (कुल आरवी का 47 प्रतिशत) के आरवी के साथ 48 निजी और 11 सरकारी संपत्तियां शामिल थीं। चयनित फाइलों के शेष 123 मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग अनेक अनुस्मारकों के बावजूद फाइलें/अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा।

6.5 संपत्ति कर संग्रहण

6.5.1 अनुमानित एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

तालिका 6.2 कर की अनुमानित एवं वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमानित प्राप्तियां	प्राप्तियां	स्थानांतरण शुल्क प्राप्तियां	कुल प्राप्तियाँ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(4+5)**
2019-20	650.00	700.00	523.87	163.33	687.20
2020-21	720.00	690.00	648.00	42.79	690.79
2021-22	750.00	750.00	895.92	52.53	948.45

संशोधित अनुमान और वास्तविक कुल प्राप्ति 2019–20 और 2020–21 की अवधि के दौरान लगभग समान थी। लेकिन वर्ष 2021–22 में संशोधित अनुमान के मुकाबले प्राप्तियां 26.46 प्रतिशत से अधिक हो गईं, जो वर्ष के लिए अवास्तविक अनुमानों का संकेत देती हैं।

6.5.2 राजस्व हिस्सेदारी के साथ संपत्तियों की श्रेणियां

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान कुल संपत्ति कर प्राप्तियां (ऑनलाइन/ऑफलाइन) नीचे तालिका 6.3 में दी गई हैं:

तालिका 6.3 संपत्ति कर प्राप्तियाँ (ऑनलाइन/ऑफलाइन) (₹ करोड़ में)

संपत्तियों की श्रेणियाँ	2019-20	2020-21	2021-22
ए. निजी (वाणिज्यिक):			
ऑनलाइन	52.96 (13.42 प्रतिशत)	76.63 (16.53 प्रतिशत)	55.41 (13.20 प्रतिशत)
ऑफलाइन	341.63	386.97	364.28
उप योग (ए)	**394.59**	**463.60**	**419.69**
बी. निजी (आवासीय):			
ऑनलाइन	1.45 (5.63 प्रतिशत)	2.58 (8.46 प्रतिशत)	1.67 (6.07 प्रतिशत)
ऑफलाइन	24.29	27.92	25.82
उप योग (बी)	**25.74**	**30.50**	**27.49**
सी. सरकारी:			
ऑनलाइन	30.26 (29.16 प्रतिशत)	144.36 (94.51 प्रतिशत)	434.1 (96.37 प्रतिशत)
ऑफलाइन	73.52	8.39	16.34
उप योग (सी)	**103.78**	**152.75**	**450.44**
कुल ऑनलाइन प्राप्तियाँ	**84.67 (16.16 प्रतिशत)**	**223.57 (34.56 प्रतिशत)**	**491.18 (54.72 प्रतिशत)**
कुल प्राप्ति(ए+बी+सी)	**524.11**	**646.85**	**897.62**

नोटः उपर्युक्त आंकड़ों में स्थानांतरण शुल्क शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त तालिका से, निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

i) कुल कर प्राप्तियों में निजी (वाणिज्यिक) संपत्तियों का हिस्सा 2019–20 में 75.29 प्रतिशत (₹ 524.11 करोड़ में से ₹ 394.59 करोड़) से घटकर 2021–22 के दौरान 46.76 प्रतिशत (₹ 897.62 करोड़ में से ₹ 419.69 करोड़) हो गया।

ii) वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान निजी (आवासीय) संपत्तियों का हिस्सा 3.06 प्रतिशत (₹ 524.11 करोड़ में से ₹ 25.74 करोड़) से 4.91 प्रतिशत (₹ 897.62 करोड़ में से ₹ 27.49 करोड़) था।

iii) बकाया कर की वसूली के कारण कुल कर प्राप्तियों में सरकारी विभागों का हिस्सा 2019–20 में 19.80 प्रतिशत (₹ 524.11 करोड़ में से ₹ 103.78 करोड़) से बढ़कर 2021–22 में 50.18 प्रतिशत (₹ 897.62 करोड़ में से ₹ 450.44 करोड़) हो गया।

संपत्ति कर की ऑनलाइन रसीद का ग्राफिक निरूपण (प्रतिशत में)

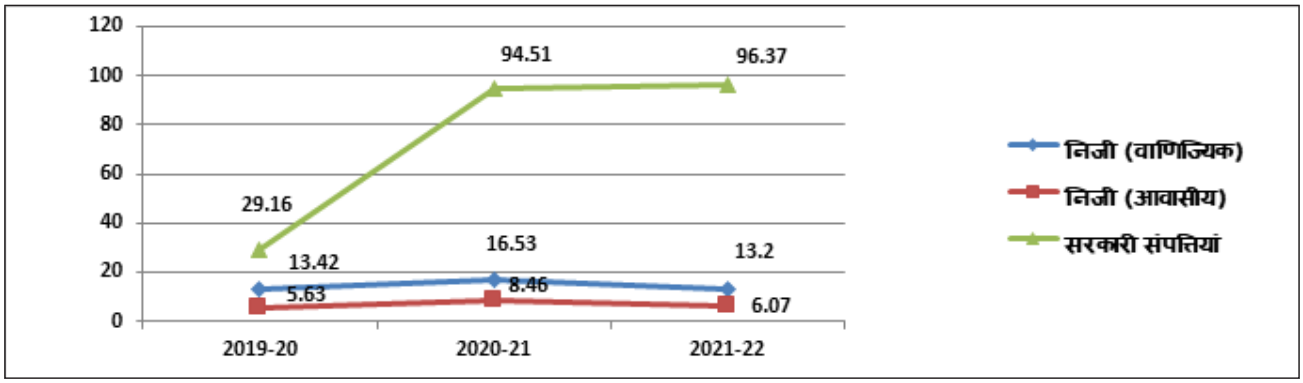

चित्रमय निरूपण से, निम्नलिखित अवलोकन किए जाते हैं:

i) 2019–22 की अवधि के दौरान निजी (आवासीय) से ऑनलाइन कर प्राप्तियां असामान्य रूप से कम थीं। यह वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः 5.63 प्रतिशत , 8.46 प्रतिशत और 6.07 प्रतिशत के दायरे में थी। इसी तरह ऑनलाइन कर प्राप्ति में वाणिज्यिक संपत्तियों की हिस्सेदारी इसी अवधि में क्रमशः 13.42 प्रतिशत, 16.53 प्रतिशत और 13.20 प्रतिशत रही।

ii) वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान कुल संग्रह में संपत्ति कर के ऑनलाइन संग्रह का प्रतिशत 16.15 प्रतिशत से 54.72 प्रतिशत था। इसके अलावा, विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन कर प्राप्तियों में वृद्धि काफी हद तक सरकारी विभागों से प्राप्तियों के कारण थी।

iii) निजी पक्षों से संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान की प्रवृत्ति में 2020–21 की तुलना में 2021–22 में ऑनलाइन भुगतान प्राप्तियों में गिरावट देखी गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम, जो एनडीएमसी जैसा ही एक स्थानीय निकाय है, ने अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्तियों पर संपत्ति कर के निर्धारण के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2004 को यूनिट एरिया पद्धति शुरू की थी। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान, एमसीडी में संपत्ति कर संग्रह का ऑनलाइन हिस्सा क्रमशः 85.48 प्रतिशत, 61.94 प्रतिशत और 83.96 प्रतिशत था, जबकि एनडीएमसी में संपत्ति कर संग्रह का ऑनलाइन हिस्सा क्रमशः 16.16 प्रतिशत, 34.56 प्रतिशत और 54.72 प्रतिशत था। निजी संपत्तियों के संबंध में ऑनलाइन संग्रह के मामले में स्थिति और भी खराब थी, जो एनडीएमसी में कर प्राप्तियों में प्रमुख योगदानकर्ता है। निजी (वाणिज्यिक) संपत्तियों से ऑनलाइन संग्रह वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अवधि के दौरान क्रमशः 13.42 प्रतिशत , 16.53 प्रतिशत और 13.20 प्रतिशत था। यह देखा जा सकता है कि एमसीडी की तुलना में एनडीएमसी कर के ऑनलाइन संग्रह के कार्यान्वयन में बहुत पीछे है।

सिफारिश: एनडीएमसी को संपत्ति कर के ऑनलाइन संग्रह में वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए।

6.6 संपत्ति कर विभाग में जनशक्ति

वर्ष 2021–22 के लिए संपत्ति कर विभाग के स्वीकृत संख्या के समक्ष पद पर व्यक्ति की संख्या नीचे तालिका 6.4 में दी गई है:

तालिका 6.4 स्वीकृत संख्या और पद पर व्यक्ति

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पद पर व्यक्ति	कमी
निदेशक (कर)	01	01	0
उप. निदेशक/संयुक्त. निदेशक (कर)	02	01	01
अनुभाग अधिकारी/सहायक कलेक्टर	02	0	02
प्रधान सहायक/वरि. सहायक/निरीक्षक/कर सहायक	34	08*	26

***इसके अलावा 21 आरएमआर कर्मचारी कर सहायक के रूप में काम कर रहे हैं।**

कर सहायक के पद पर कार्य कर रहे 21 आरएमआर को ध्यान में रखते हुए स्टाफ/अधिकारी संवर्ग में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं है। तथापि, विभाग द्वारा धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने/अंतिम रूप देने तथा बकाया कर की वसूली में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हासिल नहीं की गई है।

6.7 लेखापरीक्षा की बाधाएं

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 59 (3, 8, 9 और 11) में यह परिकल्पना की गई थी कि परिषद के लेखाओं की जांच और लेखापरीक्षा के उद्देश्य से मुख्य लेखा परीक्षक के पास परिषद के सभी खातों और उससे संबंधित सभी अभिलेखों और पत्राचार तक पहुंच होगी और साथ ही मुख्य लेखा परीक्षक परिषद के किसी भी खाते के संबंध में ऐसे प्रश्न और टिप्पणियां कर सकता है जो उसे लेखापरीक्षा और ऐसे प्रत्येक प्रश्न में अपेक्षित है अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियों पर तुरंत विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, सचिव, एनडीएमसी द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी परिपत्र में उपरोक्त निर्देशों को दोहराया गया और लेखापरीक्षा के दौरान रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्रतिक्रिया के लिए क्रमशः 7 कार्य दिवसों और 10 कार्य दिवसों की समय सारणी निर्धारित की गई।

जून–2022 में लेखापरीक्षा टीम द्वारा संपत्ति कर विभाग की लेखापरीक्षा शुरू की गई थी जो मई–2023 में पूरी हुई। लेखापरीक्षा ने 339 फाइलों की मांग की जिसमें से केवल 216 फाइलें लेखापरीक्षा को प्रदान की गईं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान मांगी गई सूचना भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत खाली भूमि/भूखंडों की सूची।

(ii) स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप/सीएनजी स्टेशन, क्लब जैसी संपत्तियों पर देय कर और बकाया राशि का विवरण।

(iii) नामांतरण के लिए प्राप्त प्रकरणों का विवरण एवं उनके निराकरण।

(iv) एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 72 के तहत संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति वार और वर्षवार किए गए जारी नोटिस।

(v) वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान संपत्ति कर विभाग में प्राप्त पीटीआर की सूची।

(vi) पीआईडी संख्या पी–5860 और पी–5862 के मूल्यांकन/यूनिट फाइल का नोटिंग भाग।

विभाग एनडीएमसी अधिनियम में निहित निर्देशों और सचिव, एनडीएमसी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

अभिलेखों का प्रस्तुत न किए जाने से लेखापरीक्षा अधिदेश का प्रयोग गंभीर रूप से सीमित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप एनडीएमसी के अंतर्गत संपत्ति कर विभाग के पदाधिकारियों की जवाबदेही का अभाव दर्शाता है। यह लेखापरीक्षा प्रभावशीलता को भी प्रतिबंधित करता है।

6.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

6.8.1 एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन न होना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 63 की उप–धारा 1 के तहत वार्षिक किराए का निर्धारण) ने संपत्ति कर का लगाना, निर्धारण और संग्रह के लिए उप–नियम 2009 (यूनिट एरिया मेथड (यूएएम) लागू किया। उप–नियमों को 1 अप्रैल 2009 (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2009) से प्रभावी बनाया गया। उप–नियम 2009 के अनुसार, वार्षिक किराया जिसके लिए भूमि और भवनों को वर्ष–दर–वर्ष वांछित देने की उम्मीद है, निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः–

(i) भूमि और भवनों की विशेष श्रेणियां जिन्हें आम तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की संपत्ति नहीं माना जाता है, या स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, गेस्ट हाउस, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल और भूमि और भवनों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि उप–कानून[26] 3 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) उपनियम 4[27] के प्रावधानों के अनुसार अन्य भूमि और भवन।

नए उप–नियम 2009 से व्यथित होकर कुछ मालिकों/निर्धारितियों/संघों ने उप–नियम 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, इस आधार पर कि यूनिट एरिया विधि को नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1994 (एनडीएमसी अधिनियम) में संशोधन किए बिना नए उप–नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस अधिनियम में भूमि के वार्षिक किराए के आधार पर कर योग्य मूल्य के निर्धारण पर विचार किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2017 के अपने फैसले में इन उपनियमों को एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया था।

एनडीएमसी ने 10 अगस्त 2017 के फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक एसएलपी दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2019 के अपने फैसले के तहत उप–नियम 2009 को एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर करार दिया। हालांकि, यह देखा गया कि लागू आदेश 2009 से 2017 की अवधि के दौरान प्रचलित रहा और

95 प्रतिशत करदाताओं ने उप–नियमों 2009 के आधार पर करों का भुगतान कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना उचित नहीं हो सकता है और

[26]i) भूमि का मूल्य = क्षेत्रफल वर्ग मीटर में X भूमि की लागू दर प्रति वर्ग मीटर या भूमि की लागत, जो भी अधिक हो (ii) कवर किए गए स्थान का मूल्य = वर्ग मीटर में कवर किया गया क्षेत्र X आयु कारक X लागू सर्कल दर, भूमि और भवन का वार्षिक मूल्य = 6.5 प्रतिशत X (i+ii)

[27](i) एआरवी = वर्ग मीटर में कवर किया गया क्षेत्र X आयु कारक X उपयोग कारक X अधिभोग कारक X स्थान कारक X आधार दर या (ii) किराए के तहत वाणिज्यिक संपत्ति के मामले में एआरवी = वार्षिक किराया या एआरवी की गणना (i) पर की जाती है, जो भी अधिक हो

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश दिया कि उन करदाताओं के मामले में जिन्होंने उप–नियम 2009 के अनुसार कर का भुगतान किया, उनके कर निर्धारण को फिर से नहीं खोला जाएगा। हालांकि, लागू किए गए उप–नियम उन करदाताओं पर लागू नहीं होंगे जो उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ता थे।

i) एनडीएमसी ने संपत्ति कर की वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों के मुद्दे पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी। एएसजी ने 26 अगस्त 2019 को अपनी कानूनी राय के माध्यम से एनडीएमसी को सलाह दी कि: 95 प्रतिशत श्रेणी के करदाताओं के संबंध में कर योग्य मूल्य को अपनाना, जिन्होंने वर्तमान वर्ष के लिए भी उप–नियमों को स्वीकार कर लिया था और तदनुसार मूल्यांकन सूची प्रकाशित करना।

ii) उन मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना जहां पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

iii) रिट याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिस को पुनर्जीवित करना, ताकि विभाग उनसे करों की वसूली करने में सक्षम हो।

iv) जिन संपत्तियों का उपयोग तुलना के उद्देश्य से किया जा रहा है, उनके विवरण का खुलासा निर्णय लेने से पहले करदाताओं को किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एएसजी की राय के अनुसार, एनडीएमसी को 2018–19 तक केवल 95 प्रतिशत करदाताओं के संबंध में यूएएम का पालन करना था, जिन्होंने उप–नियम 2009 को स्वीकार किया था। जहां तक बाद के वर्षों का संबंध है, एनडीएमसी को यूएएम को जारी रखने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) के निर्णयों के आलोक में एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता थी। 4 वर्ष की अवधि बीत जाने के बावजूद, अधिनियम में संशोधन किए बिना यूएएम के तहत कर का आकलन और संग्रह किया गया। एनडीएमसी अधिनियम में संशोधन के अभाव में एनडीएमसी द्वारा उपनियम 2009 के आवेदन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि उप–नियम, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं के बैच के मालिकों/निर्धारकों/एसोसिएशनों की सूची और संबंधित मूल्यांकन फाइलों का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के संपत्ति कर के पुनः निर्धारण के लिए विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जांच और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकी। विभाग को रिट याचिकाकर्ताओं को उनसे करों की वसूली के लिए जारी किए गए नोटिस को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए थी।

6.8.2 अप्रभावी वसूली प्रक्रिया

6.8.2.1 निजी संपत्तियों पर संपत्ति कर का भारी बकाया:

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, एनडीएमसी क्षेत्र में 15053 निजी संपत्तियां हैं जिनका कुल कर निर्धार्य मूल्य (आरवी) ₹ 3404.88 करोड़ है। 31 मार्च 2022 तक उनके खिलाफ संपत्ति कर की बकाया राशि नीचे तालिका 6.5 में दी गई है:

तालिका 6.5 निजी संपत्तियों में आरवी, कर, छूट, दंड और अतिरिक्त मांगों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं	आरवी की रेंज (₹ में)	निजी संपत्ति की संख्या	आरवी का कुल मूल्य	31 मार्च 21 तक कर बकाया	31 मार्च 21 तक बकाया छूट	2021–22 के दौरान छूट	31 मार्च 21 तक बकाया जुर्माना	2021–22 के दौरान पिछले वर्षों की उठाई गई अतिरिक्त मांग	2021–22 के लिए वर्तमान कर	31 मार्च 2022 को बकाया कर की कुल राशि
A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*
1	10 करोड़ से ऊपर	48	1694.85	3433.60	-0.46	0.00	0.65	341.00	350.84	4125.63
2	1 से 10 करोड़.	292	806.61	1209.68	-7.41	-0.04	2.86	15.63	123.46	1344.18
3	50 लाख से 1 करोड़	327	233.21	351.55	-1.52	-2.36	1.11	-26.24	34.64	357.18
4	10 से 50 लाख	2071	391.96	414.68	-3.85	-3.99	1.83	-29.33	42.54	421.88
5	1 से 10 लाख	6506	262.07	217.12	-6.16	-1.76	1.40	-16.88	18.03	211.77
6	1 लाख से नीचे	5809	16.18	21.82	-0.20	0.00	0.29	-2.94	0.13	19.10
कुल		**15053**	**3404.88**	**5648.45**	**-19.60**	**-8.15**	**8.14**	**281.24**	**569.64**	**6479.72**

उपरोक्त तालिका से, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) ₹ 10 करोड़ से अधिक की आरवी की 48 संपत्तियां (15053 संपत्तियों में से) बकाया कर की राशि का 64 प्रतिशत योगदान करती हैं।

(ii) वर्ष 2020–21 (₹ 5648.45 करोड़) में बकाया की तुलना में वर्ष 2021–22 (₹ 6479.72 करोड़) के दौरान संपत्ति कर के बकाया में 14.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(iii) कर निर्धार्य मूल्य ₹ 1 करोड़ से ₹ 10 करोड़ के बीच वाली 292 संपत्तियों के विरुद्ध 20.74 प्रतिशत (₹ 1344.18 करोड़) कर बकाया था।

(iv) कर बकाया के प्रमुख योगदानकर्ता (निर्धारिती) हैं:

ए) दिल्ली गोल्फ क्लब, पीआईडी नंबर 9903

दिल्ली गोल्फ क्लब पर 31 मार्च 2022 तक ₹ 1517.27 करोड़ की राशि बकाया थी। इसमें यूएएम पद्धति के आधार पर गणना की गई कर देनदारी की ₹ 1261 करोड़ की राशि शामिल है। दिल्ली गोल्फ क्लब उपनियम 2009 के कार्यान्वयन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में एक पक्ष था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश और निर्णय के बावजूद संपत्ति कर विभाग ने उपनियम 2009 के कार्यान्वयन से पहले लागू पद्धति के आधार पर दिल्ली गोल्फ क्लब का कर निर्धार्य मूल्य संशोधित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। नतीजतन, दिल्ली गोल्फ क्लब के खिलाफ बकाया राशि को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है। निर्धारिती ने वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान संपत्ति कर जमा नहीं किया। निर्धारिती ने 2020–21 के दौरान ₹ 7.85 करोड़ का तदर्थ भुगतान किया। कर निर्धार्य मूल्य में संशोधन न करने और कर की वसूली के लिए निर्धारिती के साथ अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप संपत्ति कर का भारी बकाया हो गया है। ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

बी) होटल क्लेरिज पीआईडी –11227 (₹ 20.49 करोड़)

28 मार्च 2019 को वित्तीय वर्ष 2018–19 से तुलनीय किराए के आधार पर मौजूदा आरवी को ₹ 12.58 करोड़ से ₹ 19.42 करोड़ तक संशोधित करने के लिए निर्धारिती को धारा 72 के तहत एक नोटिस जारी किया गया। इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। निर्धारिती ₹ 3.76 करोड़ (₹ 12.58 करोड़ के आरवी के मुकाबले) की वार्षिक मांग के मुकाबले 2019–20 से सालाना ₹ 1.00 करोड़ की एकमुश्त राशि का भुगतान कर रहा था। वसूली प्रक्रिया में खराब वसूली और अनुवर्ती कार्यवाही के कारण कर बकाया 2019–20 में ₹ 14.97 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 20.49 करोड़ हो गया।

सी) होटल अशोका पीआईडी–11255 (₹ 234.82 करोड़)

वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 222.90 करोड़, वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 212.35 करोड़ और वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 234.82 करोड़ (₹ 61.28 करोड़ का वर्तमान आरवी और ₹ 18.37 करोड़ की वार्षिक कर देनदारी) बकाया सहित कुल मांग के मुकाबले करदाता वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान संपत्ति कर के रूप में औसतन ₹ 1.04 करोड़ प्रति वर्ष जमा कर रहा है। जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 तक ₹ 234.82 करोड़ का भारी बकाया जमा हो चुका है। फाइल में कर के आंशिक भुगतान का कारण उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक उपरोक्त तीन करदाताओं के खिलाफ कुल कर बकाया का 25.40 प्रतिशत (₹ 1646 करोड़) बकाया था।

6.8.2.2 बकाया कर की वसूली के लिए एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करना

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 100 में यह प्रावधान है कि यदि जिस कर के लिए धारा 99 के तहत बिल प्रस्तुत किया गया है, उसकी राशि का भुगतान प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष कर के भुगतान के लिए मांग नोटिस उत्तरदायी व्यक्ति को दे सकता है।

अधिनियम की धारा 101 में प्रावधान है कि यदि किसी कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 100 के तहत मांग नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं करता है और यदि ऐसे कर के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है तो उसे डिफॉल्ट में माना जायेगा। ऐसे मामले में, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कर की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं राशि, कर की राशि और नोटिस शुल्क के अलावा जुर्माने के माध्यम से वसूल की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 102 में प्रावधान है कि यदि कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, मांग नोटिस मिलने से 30 दिनों के भीतर, धारा 101 में प्रदान की गई सभी लागत और दंड के साथ देय राशि का भुगतान नहीं करता है। सातवीं अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में जारी वारंट के तहत डिफॉल्टर की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री या अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री से वसूली की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने 216 केस फाइलों की जांच की और पाया कि निर्धारितियों के खिलाफ भारी कर बकाया जमा होने के बावजूद विभाग ने त्वरित वसूली प्रक्रिया के लिए धारा 100, 101 और 102 के तहत आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं किया। कुछ उदाहरण नीचे तालिका 6.6 में दिए गए हैं:

तालिका 6.6 एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करना (₹ लाख में)

क्र. सं.	पीआईडी	धारा 72 के तहत नोटिस जारी किया गया	निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया	संपत्ति का प्रस्तावित/अंतिम रूप दिया गया आर.वी	आरवी की प्रभावी तिथि	यथावत संचित बकाया 31 मार्च 2022
1.	पी–2137	23 मार्च 2017	05.2017	3.09	1 अप्रैल 2016	5.28
2.	पी–381	7 सितंबर 2016	11.2016	1.21	1 अप्रैल 2016	0.48
3.	पी-14183	31 मार्च 2002 29 मार्च 2007	03.2018	14.04 15.93 18.32 21.07 24.23	1 अप्रैल 2001 1 अप्रैल 2006 1 अप्रैल 2009 1 अप्रैल 2012 1 अप्रैल 2015	100.20
4.	पी-13643	23 फरवरी 2011	06.2016	0.97 1.16	1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2013	2.66
5.	पी-4523	–	03.2019	2.60	1 अप्रैल 2016	5.49
6.	पी-13755*	31 मार्च 2017	05.2017	117.56	1 अप्रैल 2016	260.30
7.	पी-1512	22 मार्च 2016	07.2016	24.62	1 अप्रैल 2015	48.66
8	पी-8685	26 मार्च 2016	06.2016	1.45	1 अप्रैल 2015	1.96
9.	पी-4756	–	12.2011	3.51	1 अप्रैल 2010	7.28
10.	पी-5501	28 मार्च 2019	अंतिम रूप नहीं दिया गया	582.42	1 अप्रैल 2018	264.02
11.	पी-312	2 फरवरी 2011 22 मार्च 2016	अंतिम रूप नहीं दिया गया	2.00 2.40	1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2015	5.23

*धारा 100(1) के तहत कार्यवाही शुरू की गई लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस प्रकार, बकाया राशि के भारी संचय के बावजूद विभाग एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने में विफल रहा।

सिफारिश: विभाग को संपत्तियों के कर निर्धार्य मूल्य के आधार पर जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और एनडीएमसी को राजस्व को अधिकतम करने के लिए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक परिच्छेद लागू करना चाहिए।

6.8.3 संपत्तियों के खिलाफ बिल न जारी करना

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 99 के अनुसार, जब कोई संपत्ति कर देय हो जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है जो संपत्ति कर/सेवा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें कर के विवरण और उस अवधि को दर्शाया जाता है जिसके लिए शुल्क लगाया जाता है। रिकॉर्ड की जांच के दौरान यह पाया गया कि उन सभी संपत्तियों के खिलाफ बिल नहीं बनाए गए थे, जिनके लिए संपत्ति पहचान संख्या (पीआईडी नंबर) बनाई गई थी।

पिछले 3 वर्षों के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में संपत्तियों की संख्या, जारी किये गए बिल और निर्धारितियों द्वारा किए गए भुगतान को नीचे तालिका 6.7 में दिखाया गया है:

तालिका 6.7 बिलों का जारी न करना और कम वसूली (₹ करोड़ में)

वर्ष	संपत्तियों की संख्या*	जारी किये गए बिलों की संख्या,	नहीं जारी किये गए बिलों की संख्या	प्रतिशत बिल जारी नहीं किए गए	भुगतान किए गए कर निर्धारितियों की संख्या	निर्धारितियों द्वारा कर भुगतान का प्रतिशत (कॉलम 6÷3)•100	जारी किये गए बिलों की राशि	वास्तविक वसूली	वास्तविक प्राप्ति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019-20	16063	14981	1082	6.74	9095	60.71	5765.88	523.58	9.08
2020-21	16063	15255	808	5.03	9195	60.27	6916.40	646.02	9.34
2021-22	16063	15296	767	4.78	9663	63.17	7619.94	896.65	11.77

स्रोतः संपत्ति कर विभाग द्वारा प्रदान किए गए डेटा।

*एनडीएमसी पोर्टल के अनुसार कुल निजी और सरकारी संपत्तियां 16644 हैं।

उपरोक्त तालिका से, लेखापरीक्षा ने पायाः

i) जिन संपत्तियों के लिए पीआईडी जेनरेट किए गए थे, उन सभी पर बिल जारी नहीं गए थे। विभाग वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान संपत्तियों पर 4.78 प्रतिशत से 6.74 प्रतिशत तक बिल जारी करने में विफल रहा।

ii) वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान केवल 60.71 प्रतिशत , 60.27 प्रतिशत और 63.17 प्रतिशत निर्धारितियों ने कर का भुगतान किया, जो खराब कर वसूली को दर्शाता है।

iii) वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान कुल कर प्राप्ति क्रमशः 9.08 प्रतिशत , 9.34 प्रतिशत और 11.77 प्रतिशत (जारी किये गए बिलों की कुल राशि) थी।

सभी करदाताओं पर बिल जारी ना करने के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

सिफारिशः विभाग को सभी संपत्तियों पर बिल जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए और कर की वसूली बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

6.8.4 सरकारी संपत्तियों से सेवा शुल्क की वसूली न होना

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश[28] दिनांक 19 नवंबर 2009 के अनुसार, भारत सरकार और उसके विभाग, नगर निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसकी गणना संपत्ति कर के @75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 33 1/3 प्रतिशत की दर से की जाती है जो संपत्ति के मालिक द्वारा पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग पर निर्भर करते हैं। नगर निकाय भारत सरकार या उसके विभागों से सेवा शुल्क की वसूली के लिए जबरदस्ती कदम (जैसे सेवाओं को रोकना) का सहारा नहीं लेंगे और न ही राजस्व वसूली कार्यवाही का सहारा लेंगे।

[28]राजकोट नगर निगम और अन्य बनाम यूओआई और अन्य द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 9458-63/2003 में

एनडीएमसी क्षेत्र में केंद्र सरकार की 1591 संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से सेवा शुल्क दो व्यापक श्रेणियों से आते हैं, अर्थात सीपीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के अलावा (जिसमें रक्षा, रेलवे और राज्य सरकार आदि शामिल हैं)। रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि मार्च–2022 तक भारत सरकार संपत्तियों पर ₹ 198.44 करोड़ का सेवा शुल्क बकाया था, जैसा कि नीचे तालिका 6.8 में दिए गए विवरण में दिया गया है:

तालिका 6.8 भारत सरकार संपत्तियों के खिलाफ बकाया (₹ करोड़ में)

वर्ष	माँग			संग्रह			शेष राशि			प्रतिशत बकाया
	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अन्य	कुल(ए)	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अन्य	कुल	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	अन्य	कुल (बी)	(बी/ए)X100
2019-20	423.61	202.73	626.34	66.68	37.11	103.79	356.93	165.62	522.55	83.43
2020-21	447.49	254.54	702.04	53.67	99.09	152.76	393.82	155.45	549.27	78.24
2021-22	475.72	227.16	702.88	377.98	126.46	504.44	97.74	100.70	198.44	28.23

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि:

i) वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः ₹ 626.34 करोड़, ₹ 702.04 करोड़ और ₹ 702.88 करोड़ की कुल मांग के मुकाबले विभाग 16.57 प्रतिशत , 21.76 प्रतिशत और 71.77 प्रतिशत ही प्राप्त कर सका।

ii) 2019–20 के दौरान कुल बकाया राशि ₹ 522.55 करोड़ थी, जो 2020–21 के दौरान मामूली रूप से बढ़कर ₹ 549.27 करोड़ हो गई और 2021–22 के दौरान घटकर ₹ 198.44 करोड़ हो गई, जो सेवा शुल्क के बकाया की महत्वपूर्ण वसूली को दर्शाता है।

सिफारिश: बकाया राशि के संचय से बचने के लिए विभाग को लंबित सेवा शुल्क की वसूली के लिए सरकारी विभागों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए।

6.8.5 ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के लिए विभाग द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

एनडीएमसी ने करदाताओं को अपने संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 2014 में मौजूदा संपत्ति कर सूचना प्रणाली (पीटीआईएस) में व्यापक क्षमता वृद्धि का फैसला किया। वृद्धि का उद्देश्य मांग की स्वचालित गणना करके पीटीआर को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियाओं और समय को कम करके दक्षता में सुधार करना और बकाया राशि में छूट देना था। इसके अलावा, लोक सेवा प्रदायगी प्रणाली में सुधार, पारदर्शी तरीके से पीटीआर का निपटान, कागजी कार्यवाही में कमी, सिस्टम में स्थायी रूप से डेटा का भंडारण और विभिन्न रिपोर्टों के निर्माण के लिए ऐसे डेटा का उपयोग भी अपेक्षित था।

संपत्ति कर विभाग से अपेक्षा की गई थी कि वह 65 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक संग्रह दक्षता प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्णय लेने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर प्रणाली को अंतिम रूप देगा। मई 2016 में, मैसर्स ई–गवर्नमेंट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर के साथ तैयार था और (जुलाई–2016) सीपीयू कोर को 8 में अपग्रेड करने

और 3 समानांतर जेबॉस इंस्टेंस चलाने के लिए मेमोरी को 32 जीबी तक अपग्रेड करने का सुझाव दिया और नए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए हार्ड डिस्क स्पेस को 50 जीबी एप्लिकेशन में अपग्रेड करने का अनुरोध किया। चूंकि प्रणाली के उन्नयन और नए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के रिकॉर्ड फाइल में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लेखापरीक्षा सभी मॉड्यूल के कार्यान्वयन का पता नहीं लगा सकी और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कुल 15053 संपत्तियों के मुकाबले, वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः 207 (1.37 प्रतिशत), 331 (2.2 प्रतिशत) और 280 (1.86 प्रतिशत) पीटीआर ऑनलाइन दाखिल किए गए थे। इन पीटीआर को विभाग द्वारा मैन्युअल रूप से/ऑफलाइन संसाधित किया गया था। इसलिए, पीटीआईएस में पीटीआर दाखिल करने का केवल मॉड्यूल लागू किया गया था और ऑनलाइन प्रसंस्करण/अंतिम रूप मॉड्यूल को लागू नहीं किया गया था। ऑनलाइन प्राप्त पीटीआर के संबंध में पीटीआर की हार्ड कॉपी जमा करने की प्रणाली अभी भी संपत्ति कर विभाग में जारी रखी जा रही थी।

मांग और छूट की स्वचालित गणना करके पीटीआर को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियाओं और समय को कम करके दक्षता में सुधार करने का उद्देश्य ऑनलाइन पीटीआर प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी के कारण विफल हो गया था।

6.8.6 प्राप्त पीटीआर के रिकॉर्ड का रखरखाव न करना

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 77 के तहत हर वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण और उस पर संग्रह के लिए संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) दाखिल किया जाता है। पीटीआर की मैन्युअल फाइलिंग के मामले में, कर के भुगतान की रसीद को डुप्लिकेट में संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अलावा, एनडीएमसी संपत्ति कर के शीघ्र और समय पर भुगतान के लिए संपत्ति मालिकों को 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की छूट देता है। आकलन प्राधिकरण करदाताओं द्वारा दाखिल पीटीआर के आधार पर कर निर्धार्य मूल्य और कर छूट को अंतिम रूप देता है। पीटीआर दाखिल किए बिना कोई छूट नहीं दी जाती है।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि पीटीआर सीआर शाखा में प्राप्त होते हैं और फिर संपत्ति कर विभाग को दिए जाते हैं। तथापि, वर्ष के दौरान प्राप्त पीटीआर का न तो केंद्रीय रजिस्ट्री शाखा में और न ही संपत्ति कर विभाग में कोई रिकार्ड रखा जाता था।

सीआर शाखा ने सूचित किया (30 नवंबर 2022) कि केंद्रीय रजिस्ट्री शाखा की ओर से संपत्ति कर विभाग के प्रति. निधि द्वारा पीटीआर प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें संपत्ति कर विभाग को सौंप दिया जाता है। इसलिए, वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान प्राप्त पीटीआर की संख्या से संबंधित डेटा केंद्रीय रजिस्ट्री शाखा में उपलब्ध नहीं थे। संपत्ति कर विभाग ने भी कई बार याद दिलाने के बावजूद यह उपलब्ध नहीं कराया।

तथापि, विभाग ऐसे पीटीआर का एक रजिस्टर रखता है जिन्हें उनके द्वारा संसाधित और अंतिम रूप दिया जाता है। एनडीएमसी क्षेत्र में 15053 निजी संपत्तियां (वाणिज्यिक और आवासीय) हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान संसाधित पीटीआर का सारांश नीचे तालिका 6.9 में दिया गया है:

तालिका 6.9 अंतिम रूप दिए गए पीटीआर की संख्या

महीना	2019-20		2020-21		2021-22	
	संसाधित और अंतिम रूप दिए गए पीटीआर की संख्या	निर्धारितियों की संख्या	संसाधित और अंतिम रूप दिए गए पीटीआर की संख्या	निर्धारितियों की संख्या	संसाधित और अंतिम रूप दिए गए पीटीआर की संख्या	निर्धारितियों की संख्या
अप्रैल	193	62	0	0	36	9
मई	290	90	49	18	28	5
जून	136	47	297	90	40	9
जुलाई	163	53	343	124	175	51
अगस्त	48	18	262	91	315	90
सितम्बर	231	83	159	53	430	103
अक्टूबर	147	43	61	20	301	63
नवम्बर	90	33	81	28	192	49
दिसम्बर	255	75	124	37	305	74
जनवरी	344	142	264	58	151	34
फरवरी	977	279	135	27	316	64
मार्च	313	94	95	25	370	73
कुल:	**3187**	**1019**	**1870**	**571**	**2659**	**624**
निर्धारितियों का प्रतिशत		**6.77 प्रतिशत**		**3.79 प्रतिशत**		**4.15 प्रतिशत**

प्राप्त पीटीआर की संख्या के रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी पीटीआर संसाधित किए गए हैं। 15053 संपत्तियों के मुकाबले, विभाग ने वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अवधि के दौरान क्रमशः केवल 6.77 प्रतिशत, 3.79 प्रतिशत और 4.15 प्रतिशत संपत्तियों के पीटीआर का प्रसंस्करण किया, जो वर्ष 2019–20 और 2020–21 की तुलना में करदाताओं की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति और 2021–22 में मामूली वृद्धि दर्शाता है। पीटीआर का प्रसस्करण नहीं होने की वजह से टैक्स भुगतान के साल में छूट का लाभ करदाता को नहीं दिया जा सका, जिससे करदाताओं को असुविधा हुई।

सिफारिशः विभाग को समय पर छूट जारी करने के लिए पीटीआर की प्राप्ति और उस पर कार्यवाही का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए।

6.8.7 धारा 72 के तहत जारी किए गए नोटिसों को अंतिम रूप ना देना/विलम्ब

6.8.7.1 धारा 72 के तहत जारी किए गए नोटिसों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹ 3528.11 करोड़ के राजस्व की वसूली न हो पाना

किसी संपत्ति के निर्धार्य योग्य मूल्य (वाणिज्यिक) को तब संशोधित किया जाता है जब संपत्ति के वार्षिक किराए में वृद्धि या कमी होती है। संशोधन के लिए एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 72 के तहत करदाता को एक नोटिस

दिया जाना आवश्यक है, जो प्रस्तावित वार्षिक कर निर्धार्य मूल्य (एआरवी) को इंगित करता है। कर निर्धार्य मूल्य का संशोधन उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी है जिसमें नोटिस जारी किया गया है। करदाता को दिए गए नोटिस के अनुसार, यदि कोई आपत्ति है तो उसे लिखित में दर्ज कराने के लिए 35 दिन का समय दिया जाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया है कि अधिनियम में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा वार्षिक कर निर्धार्य मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए करदाताओं को दिए गए नोटिस में भी समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। समय–सीमा के अभाव में नोटिस लंबे समय तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित रहे।

एक वर्ष में जारी किए गए नोटिसों की संख्या के संबंध में संपत्ति कर विभाग द्वारा कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, विभाग जारी किए गए नोटिसों की संख्या और उनके अंतिम निपटान पर नजर रखने में विफल रहा। तथापि, अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित नोटिसों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। उपलब्ध आंकड़ों से लेखापरीक्षा में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक आरवी को अंतिम रूप देने के लिए 3588 नोटिस लंबित हैं। नीचे तालिका 6.10 में दर्शाए गए लंबित नोटिसों का वर्ष–वार विवरण:–

तालिका 6.10 लंबित नोटिसों और इसमें शामिल कर राजस्व का वर्ष–वार विवरण (₹ करोड़ में)

क्रमांक	नोटिस जारी करने का वर्ष	लंबित नो. टिसों की संख्या	मौजूदा कर निर्धार्य मूल्य	प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य	मौजूदा कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर[29]	प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर	वार्षिक राजस्व शामिल (I-H)	सम्मिलित कुल कर राजस्व*
A	B	C	F	G	H	I	J	K
1	2010-11	757	24.40	334.64	5.99	95.89	89.90	760.03
2	2011-12	254	10.14	54.61	2.27	14.24	11.97	86.69
3	2012-13	260	19.64	197.53	4.67	56.68	52.01	501.39
4	2013-14	290	28.60	217.36	7.41	62.71	55.30	479.11
5	2014-15	296	15.65	47.29	3.37	11.46	8.09	62.20
6	2015-16	383	21.57	146.17	5.23	41.16	35.93	248.56
7	2016-17	499	38.97	238.41	10.32	67.76	57.44	323.36
8	2017-18	132	15.33	130.83	3.98	37.76	33.78	168.88
9	2018-19	659	97.76	478.76	26.50	137.39	110.89	442.81
10	2019-20	20	19.67	92.37	5.74	27.42	21.68	65.05
11	2020-21	30	17.98	656.03	5.15	196.36	191.21	382.41
12	2021-22	8	0.78	26.36	0.17	7.79	7.62	7.62
कुल:		**3588**	**310.49**	**2620.36**	**80.80**	**756.62**	**675.82**	**3528.11**

***राशि की गणना जारी किए गए नोटिस के वर्ष, शामिल अवधि और मौजूदा और प्रस्तावित आरवी के अंतर के आधार पर की गई है।**

उपरोक्त आंकड़ों से, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) इन 3588 मामलों के मौजूदा कर निर्धार्य मूल्य और प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य में अंतर ₹ 2309.87 करोड़ (₹ 2620.36 करोड़ – ₹ 310.349 करोड़) है।

[29]कर गणना:

(ii) कुल संचित कर राजस्व ₹ 3528.11 करोड़ था। नोटिस को अंतिम रूप देने में देरी के कारण एनडीएमसी को इसका एहसास नहीं हो सका।

(iii) 3588 नोटिस पिछले 12 वर्षों से लंबित थे जिनमें से 2019–20 से 2021–22 (3 वर्ष) की अवधि के दौरान 58 नोटिस (1.62 प्रतिशत) लंबित थे। चूंकि उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी किए गए नोटिसों की संख्या से संबंधित आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, लेखापरीक्षा यह टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या विभाग ने पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में पिछले 3 वर्षों में कम संख्या में नोटिस जारी किए हैं या अधिक नोटिसों को अंतिम रूप दिया है और नोटिसों के निपटान में विभाग की दक्षता की जांच करने में भी असमर्थ है।

नमूना मामले जिनमें आरवी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, नीचे तालिका 6.11 में चित्रित किए गए हैं:

तालिका 6.11 नमूना मामले जहां आरवी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (₹ लाख में)

क्र. सं.	संपत्ति का नाम और पीआईडी	नोटिस जारी होने की तिथि	मौजूदा कर निर्धार्य मूल्य	प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य	(वर्षों से) लंबित	वार्षिक कर राजस्व शामिल है	कुल कर राजस्व
1.	906, प्रकाशदीप, (पी–7104)	21 मार्च 2011	1.83	7.55	12	1.14	13.73
2.	अशोक एस्टेट, बीके रोड, (पी –2541)	14 मार्च 2012	2.70	7.15	11	0.89	9.79
3.	फ्लैट नंबर 811, के.जी. मार्ग, (पी –12059)	30 मार्च 2017	2.31	11.92	6	2.00	12.00
4.	एल–10 एवं अन्य, एल–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, (पी –5501)	28 मार्च 2019	259.69	582.43	4	96.82	387.29
कुल						**100.86**	**422.81**

सिफारिश: एनडीएमसी को धारा 72 के तहत जारी किए गए नोटिसों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन आदेश जारी करने के लिए समय सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए। धारा 72 के तहत जारी किए गए नोटिसों का डाटाबेस भी रखा जाए ताकि नोटिसों के निपटान के लिए निगरानी और नियंत्रण किया जा सके।

6.8.7.2 उन संपत्तियों में नोटिस को अंतिम रूप न दिया जाना जहां आरवी शून्य है

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 43 संपत्तियों में मार्च–2022 तक संपत्तियों का आरवी शून्य था। विभाग ने आरवी के निर्धारण के लिए 2000 से 2017 की अवधि के दौरान धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए। इन संपत्तियों का प्रस्तावित आरवी ₹ 203.09 करोड़ था। हालांकि, विभाग ने नोटिस जारी करने की तारीख से 5 से 22 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी आरवी को अंतिम रूप नहीं दिया। नतीजतन, इन संपत्तियों के आरवी शून्य रहे और विभाग को इन संपत्तियों पर राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा प्रस्तावित आरवी और प्रचलित कर दर के आधार पर 31 मार्च 2022 तक ₹ 598.53 करोड़ का संपत्ति कर तैयार किया। 43 संपत्तियों में से, ₹ 200.10 करोड़ (98.53 प्रतिशत) के कर योग्य मूल्य और ₹ 591.58 करोड़ (98.84 प्रतिशत) के प्रत्याशित कर राजस्व वाली 10 संपत्तियों का विवरण नीचे तालिका 6.12 में दिखाया गया है:

तालिका 6.12 प्रस्तावित आरवी और शामिल कर सहित संपत्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संपत्ति आईडी	धारा 72 के तहत नोटिस	कर निर्धार्य मूल्य की अवधि	वर्षों की संख्या	मौजूदा कर निर्धार्य मूल्य	प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य	वार्षिक अपे. क्षित कर*	कुल सम्मिलित कर (8x5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पी-12180	2000-2001/00-01/742	2000-22	22	0	0.684	0.1902	4.18
2	पी-13729	2004-2005/04-05/518	2004-22	18	0	6.426	1.9128	34.43
3	पी-41512	2011-2012/10296	2011-22	11	0	1.89	0.552	6.07
4	पी-15184	2012-2013/11215	2012-22	10	0	46.35	13.89	138.9
5	पी-15185	2012-2013/11220	2012-22	10	0	85.761	25.7133	257.13
6	पी-12191	2013-2014/12320	2013-22	9	0	42.948	12.8694	115.83
7	पी-15327	2013-2014/12163	2013-22	9	0	2.358	0.6924	6.23
8	पी-15057	2014-2015/12971	2014-22	8	0	0.441	0.1713	1.37
9	पी-15387	2015-2016/13248	2015-22	7	0	11.592	3.4626	24.24
10	पी-15084	2016-2017/14869	2016-22	6	0	1.647	0.5331	3.20
कुल						**200.10**		**591.58**

संपत्ति कर विभाग ने सूचित किया कि शून्य आरवी संपत्तियों के संबंध में भौतिक फाइलों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। अतः, इन नोटिसों को अंतिम रूप देने में विलंब के विशिष्ट कारणों का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

सिफारिशः एनडीएमसी को उपरोक्त 10 संपत्तियों के आरवी को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां कुल संपत्ति कर का 98.84 प्रतिशत शामिल है और सभी संपत्तियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

6.8.7.3 कर निर्धार्य मूल्य को अंतिम रूप देने में देरी के कारण राजस्व की वसूली में देरी

धारा 72 के तहत नोटिस को अंतिम रूप देने से संबंधित 10 मामलों में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि संपत्तियों के मूल्यांकन को 61 से 131 महीने की लंबी देरी के बाद अंतिम रूप दिया गया था। विवरण नीचे तालिका 6.13 में दिया गया है:

तालिका 6.13 लंबी देरी के बाद अंतिम रूप दिए गए नोटिसों का विवरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	पीआईडी और नोटिस जारी करने की तारीख	पुराना कर निर्धार्य मूल्य	मूल्यांकन आदेश / विलंब की तिथि (महीने)	नया कर निर्धार्य मूल्य	मूल्यांकन की अवधि शामिल है	पुराने कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर	नए कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर	वार्षिक कर में अंतर	कुल देय कर (6x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पी–6166 19 फरवरी 2011	0.29	12 अक्टूबर 2021/ (127)	2.73	04/2009 -03/2013 (4 वर्ष)	0.06	0.54	0.48	1.96
				3.27	04/2013 -03/2016 (3 वर्ष)	0.06	0.65	0.59	1.77
				3.93	04/2016-03/2021 (5 वर्ष)	0.06	0.79	0.73	3.65
2	पी–241 25 फरवरी 2015	4.55	28 अक्टूबर 2021/ (80)	48.60	12/2017-10/2020 (3 वर्ष)	0.91	13.08	12.17	36.51
3	पी–13460 18 मार्च 2015	5.71	08 फरवरी 2022/ (82)	6.85	07/2015-03/2022 (6 वर्ष)	1.14	1.37	0.23	1.38
4	पी–7954 18 मार्च 2015	1.61	23 मार्च 2022/ (84)	2.89	04/2016-03/2022 (6 वर्ष)	0.32	0.58	0.26	1.56
5	पी–228 23 मार्च 2011 एवं 14 फरवरी 2013	0.02	25 मार्च 2022/ (**131**)	2.52	04/2010-03/2013 (3 वर्ष)	0.01	0.50	0.49	1.47
				3.03	04/2013-03/2016 (3 वर्ष)	0.01	0.60	0.59	1.77
				4.54	04/2016-03/2022 (6 वर्ष)	0.01	0.91	0.90	5.40
6	पी–580 22 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2014	43.35	24 नवंबर 2022/ (120)	128.47	04/2011-03/2013 (2 वर्ष)	11.50	37.04	25.54	51.08
		43.35	24 नवंबर 2022/ (96)	154.16	04/2013-03/2015 (2 वर्ष)	11.50	44.75	33.25	66.50
				373.94	04/2015-03/2018 (3 वर्ष)	11.50	110.68	99.18	297.54
				440.50	04/2018-10/2018 (7 माह)	11.50	130.65	119.15	69.50
				441.90	11/2018-03/2021 (5 माह)	11.50	131.07	119.57	49.82
				520.19	04/2021-03/2022 (1 वर्ष)	11.50	154.56	143.06	143.06
7	पी–9848 29 मार्च 2017	57.24	26 मई 2022/ (**61**)	78.87	04/2016-05/2022 (6 वर्ष)	15.67	22.16	6.49	38.95
8	पी–11900 27 मार्च 2012	14.12	30 मई 2022/ (122)	13.86	04/2011-03/2012 (1 वर्ष)	3.03	2.77	-0.26	-0.26
				14.72	04/2012-03/2013 (1 वर्ष)	3.03	2.94	-0.09	-0.09
				18.80	04/2013-03/2014 (1 वर्ष)	3.03	3.76	0.73	0.73
				20.06	04/2014-03/2015 (1 वर्ष)	3.03	4.52	1.49	1.49
				21.43	04/2015-03/2016 (1 वर्ष)	3.03	4.93	1.90	1.90
				24.86	04/2016-03/2022 (6 वर्ष)	3.03	5.96	2.93	17.58
9	पी–14632 28 मार्च 2015	6.08	6 जुलाई 2020/ (87)	6.99	04/2013-03/2016 (3 वर्ष)	1.22	1.40	0.18	0.54
				8.04	04/2016-03/2019 (3 वर्ष)	1.22	1.61	0.39	1.17
				9.25	04/2019-07/2020 (1 वर्ष)	1.22	1.85	0.63	0.63

क्र. सं.	पीआईडी और नोटिस जारी करने की तारीख	पुराना कर निर्धार्य मूल्य	मूल्यांकन आदेश/विलंब की तिथि (महीने)	नया कर निर्धार्य मूल्य	मूल्यांकन की अवधि शामिल है	पुराने कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर	नए कर निर्धार्य मूल्य पर वार्षिक कर	वार्षिक कर में अंतर	कुल देय कर (6x9)
10	पी–4384 14 फरवरी 2013	5.90	4 जनवरी 2021/ (93)	7.43	04/2012-01/2021 (9 वर्ष)	1.18	1.49	0.31	2.79
					कुल				**798.4**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग को संपत्ति कर के ₹ 798.40 लाख के नोटिस को अंतिम रूप देने में 61 से 131 महीने लग गए। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इसमें शामिल कर की राशि विभाग को प्राप्त हुई थी या नहीं क्योंकि वह मूल्यांकन फाइलों में उपलब्ध नहीं थी। डिमांड और कलेक्शन रजिस्टर भी अपडेट नहीं थे। धारा 72 के तहत नोटिसों को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप निर्धारितियों को अनुचित लाभ हुआ।

यदि उचित समय के भीतर इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

6.8.8 धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने में देरी

6.8.8.1 धारा 72 के तहत नोटिस 4 जनवरी 2016 के बजाय 1 अप्रैल 2019 को जारी होने के कारण संपत्ति कर का नुकसान

एनडीएमसी अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, अध्यक्ष किसी भी समय, मूल्यांकन सूची में संशोधन कर सकता है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी संशोधन के कारण उस वर्ष के प्रारंभ होने से पहले किसी भी अवधि के संबंध में किसी कर या कर में वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें उप–धारा (2) के तहत नोटिस दिया गया है।

पीआईडी नंबर पी–5274 (7, हैली रोड, नई दिल्ली) की जांच से पता चला कि मेसर्स ट्रिनिटी बिल्डकॉन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स यूनिक बिल्डवेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 22 फरवरी 2013 को उपरोक्त संपत्ति खरीदी और इसे 7 अक्टूबर 2019 को नए मालिकों के नाम पर बदल दिया गया। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

मालिकों ने 21 दिसंबर 2015 से मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने का नोटिस दिया):	**16 दिसंबर 2015**
वास्तविक तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ	**4 जनवरी 2016**
संरचना के विध्वंस के पूरा होने की तिथि	**रिकॉर्ड में नहीं मिला**

धारा 72 के तहत नोटिस 9 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था, जिसमें 4 जनवरी 2016 से कर योग्य मूल्य को ₹ 37.37 लाख से बढ़ाकर ₹ 1765.01 लाख करने का प्रस्ताव किया गया था। मालिक के प्रतिनिधि ने 20 जनवरी 2020 को लिखित निवेदन के माध्यम से कहा कि वे वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए मूल्यांकन सूची में संशोधन के कारण किसी भी कर या कर में किसी भी वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जिसमें यह नोटिस प्राप्त हुआ है।

विभाग ने करदाता की दलील पर अनुकूल विचार किया और 1 अप्रैल 2019 से कर योग्य मूल्य को संशोधित करने का निर्णय लिया।

कर निर्धार्य मूल्य के संशोधन के लिए धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने में देरी के कारण, विभाग विध्वंस की वास्तविक तारीख से यानी 4 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ₹ 16.83 करोड़ की संपत्ति कर की मांग को नहीं उठा सका/कर प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि नीचे तालिका 6.14 में बताया गया है:

तालिका 6.14 लंबी देरी के बाद अंतिम रूप दिए गए नोटिसों का विवरण (₹ करोड़ में)

अवधि	महीने	दरयोग्य मूल्य वसूला गया	संशोधित दरयोग्य मूल्य	टैक्स वसूला गया	संशोधित दरयोग्य मूल्य पर देय कर	टैक्स में अंतर
2015-16	03	0.09	4.41	0.03	1.32	1.29
2016-17	12	0.37	17.65	0.10	5.28	5.18
2017-18	12	0.37	17.65	0.10	5.28	5.18
2018-19	12	0.37	17.65	0.10	5.28	5.18
	कुल					**16.83**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने में देरी के कारण विभाग को वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान ₹ 16.83 करोड़ का नुकसान हुआ।

6.8.8.2 वित्तीय वर्ष के अंत में धारा 72 के तहत नोटिस जारी करने के कारण राजस्व की हानि

सेक्शन 72(1) कहता है कि असेसमेंट को सिर्फ उसी वित्त वर्ष से रिवाइज किया जा सकता है, जिसमें नोटिस दिया गया है। हालांकि, के. नरसिम्हिया बनाम एचसी सिंगरी गौड़ा और अन्य के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि नोटिस "भेजना" नोटिस देने के बराबर नहीं है। पीठ ने कहा कि किसी भी चीज को 'देना' तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह उस व्यक्ति के हाथों में नहीं पहुंच जाती जिसे उसे दिया जाना है।

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए 22 मामलों के रिकॉर्ड की जांच–जांच से पता चला कि नीचे तालिका–6.15 में दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए गए थे:

तालिका 6.15 वित्तीय वर्ष के अंत में धारा 72 के अंतर्गत नोटिस (₹ लाख में)

क्र. सं.	पीआईडी नं.	संपत्ति का पता	धारा 72 के तहत जारी नोटिस की तारीख	पुराना एआरवी (₹)	प्रस्तावित एआरवी (₹)
1.	पी-5864	दूसरी मंजिल, एमएसजी 6000 वर्गफुट, हर्ष भवन, ई–ब्लॉक, सीपी	19 मार्च 2008	13.05	194.40
2.	पी-15517	एल–10 पुराना और एल–14 नया, एल ब्लॉक सीपी	26 मार्च 2019	39.50	104.17
3.	पी-9066	2, तीस जनवरी मार्ग	27 मार्च 2019	120.89	491.98
4.	पी-5843	ई–8 से ई–11, ई–13, ई–36, ई–37 और ई–11 (मेज), ई ब्लॉक कनॉट प्लेस	27 मार्च 2017	564.75	697.96
5.	पी-13020	यूनिट 1, (जी.एफ. और एफ.एफ., लेफ्ट साइड) एट, 5, सिकंदरा रोड	27 मार्च 2019	104.09	142.29

क्र. सं.	पीआईडी नं.	संपत्ति का पता	धारा 72 के तहत जारी नोटिस की तारीख	पुराना एआरवी (₹)	प्रस्तावित एआरवी (₹)
6.	पी-5549	एम13, मेज,एफएफ, एम70 एसएफ, एम111 फ्लैट एम–13,13/1, एम ब्लॉक सीपी	27 मार्च 2017	0.90	346.68
7.	पी-9836	दुकान नंबर–38ए और बी, खान मार्केट,	28 मार्च 2022	89.66	183.65
8.	पी-11230	होटल इंपीरियल जनपथ, होटल,	28 मार्च 2019	2786.68	4134.41
9.	पी-9772	82 , गोल्फ लिंक	28 मार्च 2019	1.90	51.74
10.	पी-11227	होटल क्लैरिजेस, होटल	28 मार्च 2019	1257.93	1942.16
11.	पी-11232	होटल एंबेसेडर होटल	28 मार्च 2019	809.55	1476.11
12.	पी-5426	एच1 प्लाजा सिनेमा ऑडिटोरियम और अन्य, एच ब्लॉक कनॉट प्लेस	28 मार्च 2019	181.47	3668.10
13.	पी-5501	एल–10, 11/1, 23/1 से 23/7, 23/8, 23/10, 60, डब्ल्यू.डब्ल्यू., डब्ल्यू/ डब्ल्यू, एम/एफ एवं 63, एल ब्लॉक कनॉट प्लेस	28 मार्च 2019	259.69	582.43
14.	पी-105	दुकान नंबर 6, फ्लैट नंबर 37 और 61, 90, सीपी	30 मार्च 2021	33.28	628.73
15.	पी-111	दुकान नंबर 14, फ्लैट नंबर 45 और 69, 90, सीपी	30 मार्च 2021	97.86	722.94
16.	पी-13910	दुकान नंबर 5 (पिछला भाग), रीगल बिल्डिंग, सीपी	30 मार्च 2021	4.32	49.68
17.	पी-6363	15, सेंट्रल लेन	30 मार्च 2022	25.42	525.17
18.	पी-98	दुकान नंबर 17बी, 18–21, रीगल बिल्डिंग	30 मार्च 2021	2.79	2732.38
19.	पी-12059	फ्लैट नंबर– 811, (एमएसजी 460 वर्ग फुट), नौरंग हाउस	30 मार्च 2017	2.31	11.92
20.	पी-5819	ए21–25, ए31–32,44,45, ए25/39 से 48, ए25/74,80,82, ए25/49,50,69–73, ए25/81, 83–93, 76, टिन शेड 1554 वर्गफुट रसोई 100 वर्ग फुट, एक ब्लॉक	30 मार्च 2011	18.90	1213.38
21.	पी-11653	विभाग 7वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग।	31 मार्च 2021	10.69	172.37
22.	पी- 5362	जी–1 से जी24, जी ब्लॉक, सीपी	31 मार्च 2011	100.87	1733.40

उपर्युक्त कथन में दर्शाए गए दो मामलों (क्रम संख्या 1 और 22) की विस्तृत जांच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) वित्त वर्ष के अंत में धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जाने के कारण राजस्व की हानि: ₹ 54.06 लाख

1 अप्रैल, 2007 से कर योग्य मूल्य को ₹ 13.05 लाख से बढ़ाकर ₹ 194.40 लाख करने के लिए 19 मार्च 2008 को करदाता (पीआईडी संख्या 5864) को धारा 72 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उक्त नोटिस 3 अप्रैल 2008 को यानी अगले वित्तीय वर्ष में करदाता को प्राप्त हुआ था। करदाता ने नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि आरवी में कोई भी संशोधन 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी नहीं होगा क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2008–09 में नोटिस प्राप्त हुआ था। आकलन प्राधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया और 24 अगस्त 2021 के सुधार आदेश न. ए ओ संख्या टी.1–(01)/34/डीडी–(कर–II)/2021 के तहत अपने आदेश में सुधार किया और वर्ष 2007–08 के लिए पुराने आरवी यानी ₹ 13.05 लाख की संपत्ति को बरकरार रखा। इसके परिणामस्वरूप एनडीएमसी को ₹ 54.06.लाख[30] का नुकसान हुआ।

[30]पुराने कर निर्धार्य मूल्य पर टैक्स = ₹10 लाख का 20 प्रतिशत + ₹3,05,000 के शेष कर निर्धार्य मूल्य का 25 प्रतिशत = ₹2,76,250 नई कर निर्धार्य मूल्य पर कर = ₹10 लाख का 20 प्रतिशत + अगले ₹₹10 लाख का 25 प्रतिशत + शेष ₹174,40,000 का 30 प्रतिशत = ₹56,82,000 हानि = ₹56.82 लाख -₹2.76 लाख = ₹54.06 लाख

(ii) नोटिस देने में देरी के कारण नोटिस को चुनौती

धारा 72 के तहत संपत्ति (पीआईडी संख्या 5362) के मालिक को 1 अप्रैल 2010 से आरवी को ₹ 100.87 लाख से ₹ 1733.40 लाख तक संशोधित करने के लिए 31 मार्च 2011 को एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, करदाता को नोटिस 2 अप्रैल 2011 को मिला था। करदाता ने नोटिस (रिट याचिका संख्या 8241/2017) को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि समय पर नोटिस दिए बिना यानी आकलन के वर्ष के भीतर धारा 72 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह मामला अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित था। इससे ₹ 489.94 लाख[31] का संभावित नुकसान हो सकता है।

चूंकि अन्य मामलों में करदाताओं द्वारा नोटिस प्राप्त करने का ब्यौरा संबंधित फाइलों में उपलब्ध नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा उसी वित्तीय वर्ष के भीतर करदाताओं द्वारा नोटिस प्राप्त करने की पावती की तारीख को सत्यापित नहीं कर सकी। अगले वित्तीय वर्ष में इन नोटिसों की प्राप्ति के मामले में, नोटिस को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और एनडीएमसी उस वित्तीय वर्ष से संशोधित प्रत्यावर्तनीय मूल्य को लागू नहीं कर सकती है जिसमें इसे जारी किया गया था और इससे एनडीएमसी को राजस्व का नुकसान हो सकता है।

सिफारिश: एनडीएमसी को राजस्व हानि और मुकदमेबाजी से बचने के लिए करदाताओं द्वारा समय पर नोटिस और इसकी प्राप्तियां सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

6.8.9 तुलनीय किराए के साक्ष्य के बिना कर निर्धार्य मूल्य के संशोधन के लिए नोटिस जारी किए गए

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार मामलों में विभाग ने करदाताओं को तुलनात्मक किराए के आधार पर संपत्तियों के कर योग्य मूल्य को संशोधित करने के लिए नोटिस जारी किए थे। धारा 72 के तहत नोटिस जारी करते हुए विभाग ने उन संपत्तियों के विवरण का खुलासा नहीं किया जिनका उपयोग तुलनीय किराए के उद्देश्य से किया गया था। जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रॉपर्टी किराए पर थी, वह भी फाइल में उपलब्ध नहीं थी।

ऐसे मामले, जहां तुलनीय किराए के प्रमाण नहीं पाए गए थे, नीचे तालिका 6.16 में सूचीबद्ध हैं:

तालिका 6.16 तुलनीय किराए के साक्ष्य के बिना जारी किए गए नोटिस

क्र. सं.	संपत्ति एवं पीआईडी	नोटिस की तारीख धारा 72 के तहत जारी किया गया	मौजूदा आर.वी	प्रस्तावित आर.वी
1.	पी–12059, फ्लैट नं. 811, नौरंग हाउस, के.जी. मार्ग	30 मार्च 2017	2.31	11.92
2.	पी–7104, 906, प्रकाशदीप	21 मार्च 2011	1.83	7.55
3.	पी–3916, यूजीएफ 13 और सीपीएस एमबी–2, अंतरिक्ष भवन	21 मार्च 2011	3.53 (1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2010)	4.47 16.47
4.	पी–13755, फ्लैट नंबर 507, ईस्ट टावर, 25, बाराखंभा रोड	31 मार्च 2017	103.51	117.56

[31]पुराने कर निर्धार्य मूल्य पर कर ₹10 लाख का 20 प्रतिशत + अगले ₹10 लाख का 25 प्रतिशत + शेष ₹80,87,000 का 30 प्रतिशत = ₹28,58,100 नई कर निर्धार्य मूल्य पर कर = ₹10 लाख का 20 प्रतिशत + अगले ₹10 लाख का 25 प्रतिशत + शेष ₹17,13,40,000 का 30 प्रतिशत = ₹5,18,52,000 हानि = ₹518.52 - ₹28.58 = ₹489.94 लाख

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 26 अगस्त 2019 को अपनी कानूनी राय में लेखापरीक्षा के इस तर्क को भी प्रबल किया था कि जिन संपत्तियों का उपयोग तुलना के उद्देश्य से किया जा रहा है, उनका विवरण निर्धारिती को बताया जाना चाहिए।

सिफारिशः विभाग को हमेशा करदाताओं को तुलनीय किराए के सबूत का खुलासा करना चाहिए।

6.8.10 गलत गणना के कारण नुकसान

6.8.10.1 गलत अधिभोग कारक को अपनाना

एनडीएमसी के पीटीआर फॉर्म के अनुदेश 7(क) के अनुसार, स्व–कब्जे वाली आवासीय संपत्ति के लिए अधिभोग कारक 1 है और स्व–कब्जे वाली गैर–आवासीय संपत्ति के लिए यह 1.5 है।

फ्लैट नंबर 421, इंद्रप्रकाश, नई दिल्ली (पीआईडी नंबर पी –2156) वर्ष 1985 में 54.9 वर्गमीटर के कवर स्पेस के साथ निर्मित एक वाणिज्यिक संपत्ति थी। संपत्ति के मालिक ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए स्व–मूल्यांकन आधार पर क्रमशः 22 दिसंबर 2017 और 23 सितंबर 2018 को पीटीआर जमा किए, जिसमें ऑक्यूपेंसी कारक–1, यूज कारक–4, आयु कारक–0.8 और आधार दर ₹1200 शामिल थे। फ्लैट का कर निर्धार्य मूल्य ₹2.11 लाख दिखाया गया था। तथापि, पीटीआर में निहित अनुदेशों के अनुसार अधिभोग कारक 1.5 था और तदनुसार कर योग्य मूल्य ₹3.16 लाख होना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धार्य मूल्य का निर्धारण ₹1.05 लाख (₹3.16 लाख[32] से ₹2.11 लाख) कम हुआ और ₹0.42 लाख[33] (दो वर्ष) के राजस्व की हानि हुई। वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के लिए पीटीआर फाइल में नहीं पाए गए। इसलिए 2019–20 से 2021–22 तक के वर्षों के लिए संपत्ति का कर योग्य मूल्य लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

6.8.10.2 संपत्ति के गलत अधिभोग कारक, आयु कारक और संपत्ति के क्षेत्र को अपनाना

एनडीएमसी के पीटीआर फॉर्म के अनुदेश 7(ए) के अनुसार, वर्ष 2010–11 के लिए स्व–कब्जे वाली गैर–आवासीय संपत्ति के लिए अधिभोग कारक 1 था और वर्ष 2016–17 के बाद यह 1.5 था।

करदाता ने 2010–11 में यूनिट एरिया मेथड के तहत पीटीआर (पी–1830) दाखिल किया जिसका कर निर्धार्य मूल्य ₹0.8 (1989 में निर्मित) आयु कारक और 53.88 वर्ग मीटर की संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर ₹1.72 लाख था। उपर्युक्त पीटीआर को विभाग द्वारा ₹1.72 लाख के कर निर्धार्य मूल्य पर अंतिम रूप दिया गया था।

इसके बाद वर्ष 2016–17 और 2018–19 के लिए पीटीआर में करदाता ने फ्लैट का क्षेत्रफल 46.92 वर्ग मीटर और निर्माण का वर्ष 1979 दिखाया, जो पहले के पीटीआर से अलग था। इसके अलावा, स्व–कब्जे वाली वाणिज्यिक संपत्ति के लिए अधिभोग कारक 1.5 है। हालांकि, करदाता ने वर्ष 2016–17 और 2018–19 के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत पीटीआर में अधिभोग कारक को 1 के रूप में दिखाया था। विभाग ने उपरोक्त अवधि के लिए करदाता द्वारा प्रस्तुत पीटीआर को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कर निर्धार्य मूल्य का निर्धारण ₹1.37 लाख कम हुआ और प्रति वर्ष ₹0.28 लाख कर की कम वसूली हुई, जैसा कि नीचे तालिका 6.17 में दिखाया गया हैः

[32] ₹1200 x 54.9 x 0.8 x 4 x 1.5 = ₹316224

[33] 2 वर्ष x ₹1.05 लाख का 20 प्रतिशत = ₹0.42 लाख

तालिका 6.17 आरवी और कर के आकलन के तहत

विवरण	पीटीआर वर्ष 2016–17 और 2018–19 पर आधारित कर निर्धार्य मूल्य और टैक्स	पीटीआर 2010–11 पर आधारित कर निर्धार्य मूल्य और टैक्स	अंतर
क्षेत्र	46.92	53.88	
आयु कारक	0.7 (1979)	0.8 (1989)	
अधिभोग कारक	1	1.5	
यूज कारक	4	4	
आधार इकाई क्षेत्र मान	1200	1200	
कर निर्धार्य मूल्य	**₹ 1.42 लाख**	**₹ 2.79 लाख**	**₹ 1.37 लाख**
संपत्ति कर @ 20 प्रतिशत	**₹ 0.28 लाख**	**₹ 0.56 लाख**	**₹ 0.28 लाख**

वर्ष 2011–12 से 2015–16, 2017–18 और 2019–20 से 2021–22 के लिए पीटीआर फाइल में नहीं पाए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा में कर निर्धार्य मूल्य की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

6.8.10.3 यूएएम पद्धति को गलत तरीके से अपनाना:

फ्लैट नंबर 509, नई दिल्ली हाउस, नई दिल्ली (पी–1698) के कर निर्धार्य मूल्य को तुलनीय किराए के आधार पर 1 अप्रैल 2012 से ₹8.94 लाख में (23 जून 2017) अंतिम रूप दिया गया था।

इसके अलावा, करदाता के अनुरोध पर आकलन प्राधिकरण द्वारा 18 अगस्त 2020 को यूएएम के तहत संपत्ति के आरवी को फिर से तय करने का आदेश पारित किया गया था, हालांकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उप–नियम 2009 (यूएएम पद्धति) को अल्ट्रा–वाइरस (22 जनवरी 2019) घोषित कर दिया था।

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा पारित सुधार उचित नहीं था क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप एनडीएमसी को ₹4.07 लाख के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे तालिका 6.18 में दिखाया गया है:

तालिका 6.18 राजस्व की हानि (₹ लाख में)

अवधि	तुलनीय किराए के अनुसार कर निर्धार्य मूल्य	यूएएम पद्धति के अनुसार कर निर्धार्य मूल्य	कर निर्धार्य मूल्य में अंतर	राजस्व हानि (कॉलम 4 का 20 प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1 फरवरी 2012 से 31 मार्च 2013 तक	8.94	1.62	7.32	1.46
1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक	8.94	1.94	7.00	1.40
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 तक	8.94	2.91	6.03	1.21
कुल				**4.07**

6.8.11 अनियमित रिक्ति छूट

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 75 में यह निर्धारित किया गया है कि जब कोई नया भवन बनाया जाता है या जब किसी भवन का पुनर्निर्माण या विस्तार किया जाता है या जब कोई भवन जो खाली हो गया है, उस पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है, तो भवन पर आकलित संपत्ति कर के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति इसके पूरा होने या कब्जे की तारीख जो पहले हो या जैसा भी मामला हो, इसके विस्तार या पुनः कब्जे की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अध्यक्ष को लिखित में इसकी सूचना देगा और उक्त तिथि से भवन पर संपत्ति कर का आकलन किया जाएगा।

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 109 के अनुसार, यदि कोई इमारत पूरी तरह से या आंशिक रूप से ध्वस्त या नष्ट हो जाती है या अन्यथा मूल्य से वंचित हो जाती है, तो अध्यक्ष मालिक या कब्जेदार के लिखित में आवेदन पर, उसके कर निर्धार्य मूल्य पर मूल्यांकन किए गए किसी भी कर के ऐसे हिस्से को भेज या वापस कर सकता है जो वह उचित समझता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 110 में यह प्रावधान है कि यदि कोई भवन अपने किरायेदार के साथ लगातार 60 दिनों या उससे अधिक दिनों तक खाली और अनुत्पादक बना रहता है, तो अध्यक्ष उस कर योग्य मूल्य पर आकलित संपत्ति कर के ऐसे हिस्से का दो तिहाई हिस्सा भेज या वापस करेगा। या यह उन दिनों की संख्या के अनुपात में हो सकता है जिनके दौरान उक्त भवन और उसके पास मौजूद भूमि खाली और किराए के अनुत्पादक बने रहे हैं।

एनडीएमसी अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, किसी भी भूमि, भवन या किराए के मालिक, जिसके संबंध में धारा 110 या धारा 111 के तहत कर की छूट या वापसी दी गई है, को ऐसे पुनः कब्जे के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसी भूमि, भवन या घर के पुनः कब्जे की सूचना देनी होगी।

लेखापरीक्षा में दो मामलों में देखा गया जिसमें विभाग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनियमित छूट की अनुमति दी–

(i) होटल ओबेरॉय, नई दिल्ली (पी–11229)

होटल ओबेरॉय, नई दिल्ली ने फरवरी, 2016 में एनडीएमसी को सूचित किया कि 1 अप्रैल 2016 से इसका पूर्ण नवीनीकरण किया जाएगा। 24 महीने की अवधि के भीतर काम पूरा होने की संभावना थी। होटल ने एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 109 के तहत संपत्ति कर में छूट का भी दावा किया।

संपत्ति कर विभाग ने समय–समय पर संपत्ति के निरीक्षण के अधीन धारा 110 के तहत संपत्ति कर के 2/3 हिस्से की छूट पर विचार किया। होटल का निरीक्षण किया गया (26 अप्रैल 2016) और यह पाया गया कि होटल पूरी तरह से नवीकरण के अधीन था।

होटल ने 11 अक्टूबर 2017 को भवन का पूर्णावस्था योजना प्रस्तुत की। तथापि, एनडीएमसी अधिनियम, 1994 में अपेक्षित एनडीएमसी को पुन कब्जा नोटिस नहीं दिया। आर्किटेक्ट विभाग ने 13 दिसंबर 2017 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया। आर्किटेक्ट विभाग से सूचना और पूर्णता रिपोर्ट के आधार पर, संपत्ति कर विभाग ने 1 अप्रैल 2016 से 11 अक्टूबर 2017 की अवधि के लिए ₹846.91 लाख[34] की रिक्ति छूट की अनुमति दी।

इसके बाद, होटल ओबेरॉय ने (21 मई 2018) एनडीएमसी से अनुरोध किया कि वह 31 दिसंबर 2017 तक रिक्ति छूट की अनुमति इस आधार पर दे कि उसने 1 जनवरी 2018 से वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है।

[34]₹552.99 लाख - 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए, ₹293.92 लाख - 1 अप्रैल 2017 से 11 अक्टूबर 2017 की अवधि के लिए

संपत्ति कर विभाग ने होटल ओबेरॉय के अनुरोध पर विचार किया और शेष अवधि यानी 12 अक्टूबर 2017 से 13 दिसंबर 2017 तक के लिए ₹95.45 लाख की रिक्ति छूट की अनुमति दी।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नवीकरण कार्य 11 अक्टूबर 2017 को पूरा हो गया था और शेष अवधि यानी 12 अक्टूबर 2017 से 13 दिसंबर 2017 तक के लिए ₹95.45 लाख की रिक्ति छूट का भत्ता एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 75 के प्रावधान के अनुसार नहीं था।

(ii) 5, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली, पीआईडी– 13020, 13688, 13231, 13238, 13229, 13236 और 13228

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समिति के आदेशों के तहत वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण 5, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली में स्थित 07 इकाइयों को (12 अक्तूबर 2007) सील कर दिया गया था।

कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से 12 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए संपत्ति कर की मांग में छूट के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसे एनडीएमसी अधिनियम की धारा 109 के तहत 19 मार्च 2013 को अध्यक्ष, एनडीएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। 31 मार्च 2013 से लेकर डी–सीलिंग तक की अवधि के लिए छूट को भी मंजूरी दी गई।

तदुपरांत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को निर्धारण आदेश संख्या 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926 और 3927 पारित किए गए और छूट के रूप में ₹9.71 करोड़ (कर का 100 प्रतिशत) की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनडीएमसी अधिनियम की धारा 109 केवल तभी लागू होती है जब कोई इमारत पूरी तरह से या आंशिक रूप से ध्वस्त या नष्ट हो जाती है या अन्यथा मूल्य से वंचित होती है। हालांकि, इस मामले में संपत्ति को न तो ध्वस्त किया गया और न ही नष्ट किया गया, बल्कि करदाताओं द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग के कारण सीलिंग के कारण खाली रह गई। कर के 2/3 तक रिक्ति छूट को एनडीएमसी अधिनियम की धारा 110 के तहत अनुमति दी जानी चाहिए थी, न कि एनडीएमसी अधिनियम की धारा 109 के तहत 100 प्रतिशत । इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2013 तक छूट के रूप में ₹3.24 करोड़[35] की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी गई जिससे एनडीएमसी को नुकसान हुआ।

चूंकि डी–सीलिंग की तारीख फाइल में उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2013 के बाद निर्धारितियों को दी गई रिक्ति छूट और उसके बाद एनडीएमसी को हुए नुकसान का पता नहीं लगा सका।

6.8.12 स्थानांतरण शुल्क की वसूली न होना (पीआईडी सं.पी.–9627): ₹5.68 करोड़

निदेशक/कर, एनडीएमसी की 17 जून 2015 की नोटिंग के अनुसार, एनडीएमसी को स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 64 के तहत स्थानांतरण शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।

दिनांक 16 जुलाई, 2013 को जारी बिक्री प्रमाण पत्र संख्या.आईइन–डीएल37600573340685एल के अनुसार सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली, उपरोक्त संपत्ति को मैसर्स भारती आरबीएम होल्डिंग्स एंड लिमिटेड द्वारा 11 सितंबर 2012 को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ₹156.00 करोड़ की राशि पर खरीदा गया था। उक्त खरीद के एवज, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में ₹11.37 करोड़ का भुगतान किया गया जिसमें एनडीएमसी का 50 प्रतिशत हिस्सा (₹5.68 करोड़) शामिल है और यह एनडीएमसी को देय है। तथापि, 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद एनडीएमसी स्थानांतरण शुल्क के अपने 50 प्रतिशत हिस्से को जो ₹5.68 करोड़ था, प्राप्त नहीं कर सकी।

[35]₹9.71 करोड़ का 1/3 = ₹3.24 करोड़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने मई–2015, सितंबर–2018 और फरवरी–2021 में रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के साथ मामला उठाया। उल्लेखनीय है कि सब रजिस्ट्रार VII, नई दिल्ली ने सूचित किया (मार्च–2016) कि बिक्री प्रमाणपत्र संख्या आईइन–डीएल37600573340685एल दिनांक 16 जुलाई 2013 को उनके कार्यालय से सत्यापित नहीं किया गया था और इसलिए इसकी कॉपी की मांग की। हालांकि, विभाग ने विक्रय प्रमाण पत्र की जगह नीलामी आदेश की प्रति उपलब्ध करायी. एसडीएम/सीओएस (चाणक्यपुरी) ने फिर से एनडीएमसी से श्री के बीच निष्पादित बिक्री प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया। पीताम्बर दत्त एडीजे एवं मेसर्स भारती आरबीएम होल्डिंग्स प्रा. संपत्ति के संबंध में लिमिटेड। विभाग ने आज तक उपलब्ध नहीं कराया।

इस प्रकार, अपेक्षित दस्तावेज प्रदान करने में विफलता और विभाग के आकस्मिक दृष्टिकोण के कारण, ₹5.68 करोड़ की स्थानांतरण ड्यूटी लंबी अवधि के लिए अप्राप्य रही।

सिफारिशः राशि की वसूली के लिए ईमानदारी से और प्रभावी प्रयास शुरू करने की आवश्यकता है।

6.8.13 कर निर्धार्य मूल्य का संशोधन न होना

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 72 (1) (डी) में प्रावधान है कि अध्यक्ष किसी भी समय, किसी भी कर निर्धार्य मूल्य की राशि और उस पर मूल्यांकन की राशि को पर्याप्त कारणों से बढ़ाकर या घटाकर निर्धारण सूची में संशोधन कर सकता है।

कोई संशोधन करने से पहले अध्यक्ष संशोधन से प्रभावित किसी व्यक्ति को कम से कम एक महीने का नोटिस देगा कि वह संशोधन करने का प्रस्ताव करता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार करेगा।

सात मामलों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

i) पी –5378, जी ब्लॉक, कनॉट प्लेसः

अप्रैल, 2001 में इस संपत्ति का कर निर्धार्य मूल्य ₹26.52 लाख तय किया गया था। इसके बाद मार्च–2022 तक करदाता को कोई नया नोटिस नहीं दिया गया। करदाता स्व–निर्धारण के आधार पर संपत्ति कर का भुगतान कर रहा था। धारा 72 के तहत नोटिस 29 मार्च 2023 को जारी किया गया, जो वर्ष 2022–23 के लिए ₹2370.97 लाख के प्रस्तावित कर निर्धार्य मूल्य के साथ था, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। 2001 के बाद से क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्ति के किराए में कई गुना वृद्धि के बावजूद, विभाग वर्ष 2001 से 2021–22 तक कर निर्धार्य मूल्य को संशोधित करने में विफल रहा। एनडीएमसी ने इस अवधि के दौरान संभावित बढ़े हुए कर निर्धार्य मूल्य पर राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

ii) पी–2408, डीसीएम बिल्डिंग, नई दिल्ली

यह संपत्ति 15 मई 2015 से 6 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹5.13 लाख के वार्षिक किराए पर दी गई थी। संपत्ति का कर निर्धार्य मूल्य ₹4.62 लाख तय किया गया था।

लीज डीड के अनुसार, 3 साल पूरे होने के बाद किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। हालांकि, 16 मई 2018 से संपत्ति के आरवी को संशोधित नहीं किया गया। नतीजन, एनडीएमसी को 16 मई 2018 से 15 मई 2021 की अवधि के लिए ₹0.42 लाख[36] के राजस्व का नुकसान हुआ।

[36](₹5.31 लाख - ₹4.62 लाख) X 20 प्रतिशत X 3 वर्ष = ₹0.42 लाख

iii) पी –9702, खान मार्केट, नई दिल्ली

वास्तविक किराए के आधार पर 1 अगस्त 2017 से संपत्ति का कर निर्धार्य मूल्य ₹86.40 लाख तय किया गया था। 4 सितंबर 2018 और 15 जून 2021 के संशोधित लीज डीड के अनुसार संपत्ति का किराया निम्नानुसार था:

- 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 की अवधि के लिए ₹8.00 लाख प्रति माह
- 1 अगस्त 2019 से 9 मई 2021 की अवधि के लिए ₹9.00 लाख प्रति माह
- 15 जून 2021 से 14 जून 2024 की अवधि के लिए ₹9.50 लाख प्रति माह

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने संशोधित किराए के बजाय पुराने किराए के आधार पर कर निर्धार्य मूल्य तय किया।

विभाग द्वारा कर निर्धार्य मूल्य की गणना के लिए संशोधित किराए पर विचार न करने के कारण, एनडीएमसी को ₹6.00 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 6.19 में बताया गया है:

तालिका 6.19 संशोधित किराये पर विचार न करने के कारण राजस्व की हानि (₹ लाख में)

अवधि	महीनों की संख्या	विभाग द्वारा कर निर्धार्य मूल्य पर विचार किया गया	लीज डीड के अनुसार कर निर्धार्य मूल्य	कर निर्धार्य मूल्य में अंतर	कर हानि (₹)
1	2	3	4	5(4-3)	6
1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक	8	57.60	64.80	7.20	2.16
1 अप्रैल 2020 से 14 जून 2021 तक		खाली	खाली	–	शून्य
15 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक	9.5	68.40	81.23	12.81	3.84
कुल					**6.00**

iv) पी–4209, 1002, अंतरिक्ष भवन

कर विभाग ने 31 जनवरी 2018 को उसी इमारत के फ्लैट नंबर 1004 के बराबर ₹9.64 लाख के आरवी को अंतिम रूप दिया, जिसका मासिक किराया @ ₹121 प्रति वर्गमीटर था। 20 दिसंबर 2018 के लीज डीड के अनुसार, उक्त संपत्ति को मेसर्स क्रीट एनर्जी (आई) प्राइवेट लिमिटेड को ₹1.00 लाख @ ₹135.52 प्रति वर्गमीटर के मासिक किराए पर किराए पर दिया गया था।

3 साल की अवधि के लिए तदनुसार, 1 अप्रैल 2018 से संपत्ति का संशोधित आरवी ₹10.80 लाख (135.52x738x12x90 प्रतिशत) होगा।

हालांकि, विभाग ने अभी तक ₹10.80 लाख के आरवी को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसके अलावा, उक्त संपत्ति श्रीमती राखी बंसल और श्रीमती रचना बंसल (बिक्री समझौता दिनांक 20 जनवरी 2020) को बेच दी गई थी। 20 जनवरी 2020 के बाद, यानी नए मालिक द्वारा खरीद के बाद फाइल में संपत्ति के बारे में कोई किराये की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरवी में संशोधन न होने के कारण, एनडीएमसी को 1 अप्रैल 2018 से 20 जनवरी 2020 के दौरान ₹0.41 लाख के कर राजस्व का नुकसान हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 6.20 में दिया गया है:

तालिका 6.20 संशोधित लगान पर विचार न करने के कारण राजस्व की हानि (₹ लाख में)

वर्ष	पुराना कर निर्धार्य मूल्य (₹)	कर निर्धार्य मूल्य (पट्टा समझौते के अनुसार)	कर निर्धार्य मूल्य में अंतर	कर हानि
2018-19	9.64	10.80	1.16	0.24
2019-2020 (20 जनवरी तक)	7.23	8.10	0.87	0.17
कुल				**0.41**

6.8.14 अतिरिक्त छूट की अनुमति:

यदि कर का भुगतान मूल्यांकन समिति द्वारा तय की गई निर्धारित तिथियों तक किया जाता है, तो शुद्ध कर पर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की त्वरित भुगतान छूट की अनुमति है। वर्ष 2020–21 के दौरान 31 दिसम्बर 2020 एवं 31 जनवरी 2021 तक कर का भुगतान करने पर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत की त्वरित भुगतान छूट की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मौर्य शेरेटन होटल (पी–11223) ने 14 जनवरी 2021 को संपत्ति कर का भुगतान किया था और प्रावधान के तहत आवश्यक 5 प्रतिशत (₹ 40.22 लाख) के बजाय ₹ 8.04 करोड़ के संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप करदाता को ₹ 40.22 लाख की अतिरिक्त छूट दी गई।

6.8.15 चेक बाउंस होने के कारण संपत्ति कर की वसूली न होना

संपत्ति कर विभाग करदाताओं से चेक और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कर प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017 से 2022 की अवधि के दौरान संपत्ति मालिकों से प्राप्त ₹ 44.87 लाख मूल्य के 25 चेक बाउंस हो गए। विभाग ने ऐसे अस्वीकृत चेकों के खिलाफ कोई मांग नहीं की। विवरण नीचे तालिका 6.21 में दिया गया है:

तालिका 6.21 अस्वीकृत चेकों का विवरण

क्र. सं.	संपत्ति आईडी	प्राप्ति संख्या	चेक नंबर	चेक तिथि	चेक राशि (₹ में)	बैंक का नाम
1	पी-5501	142419	628141	13 सितम्बर 2017	48150	हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	पी-5812	228554	083790	19 सितम्बर 2022	56105	आईसीआईसीआई बैंक
3	पी-3554	176898	633513	29 अक्टूबर 2020	498524	कॉर्पोरेशन बैंक
4	पी-3573	178903	000146	25 नवंबर 2020	106693	एचडीएफसी बैंक
5	पी-1534	164253	000274	25 मार्च 2019	751739	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
6	पी-1460	180331	639080	2 दिसंबर 2020	99428	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
7	पी-11938	179732	403265	27 नवंबर 2020	4201	पंजाब नेशनल बैंक
8	पी-1714	187247	000209	12 मार्च 2021	151234	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
9	पी-13822	187528	973983	29 दिसंबर 2020	132437	हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	पी-1797	188061	000140	19 मार्च 2021	159037	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
11	पी-1523	190330	435839	29 नवंबर 2021	200000	सिंडिकेट बैंक
12	पी-3992	187652	615424	30 मार्च 2021	21216	इंडियन ओवरसीज बैंक
13	पी-4275	187871	746502	5 अप्रैल 2021	617100	आईडीबीआई बैंक
14	पी-5196	177651	695809	23 नवंबर 2020	11149	भारतीय स्टेट बैंक
15	पी-2815	189844	475375	25 नवंबर 2021	15253	केनरा बैंक
16	पी-13098	175553	000067	25 फरवरी 2020	32748	पंजाब सिंध बैंक
17	पी-14952	143292	000244	18 दिसंबर 2017	83709	एचडीएफसी बैंक
18	पी-12006	187343	073422	11 मार्च 2021	54967	इलाहबाद बैंक
19	पी-678	180396	003082	27 नवंबर 2020	47536	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
20	पी-8302	229464	277337	19 अक्टूबर 1022	1686	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
21	पी-963	137206	117093	29 मार्च 2017	197276	भारतीय स्टेट बैंक
22	पी-187	152428	019091	28 फरवरी 2018	2520	एक्सिस बैंक लिमिटेड
23	पी-9802	174604	000542	30 दिसंबर 2019	206745	एचडीएफसी बैंक
24	पी-9705	187637	389291	30 मार्च 2021	870617	बैंक ऑफ इंडिया
25	पी-9605	228104	064666	20 सितम्बर 2022	117137	आईसीआईसीआई बैंक
कुल					**4487207**	

विभाग ने ऐसे अस्वीकृत चेकों के खिलाफ कर की राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। हालांकि, राशि को करदाता के बही–खाते/खाते में भुगतान के रूप में दिखाया गया है।

सिफारिश: विभाग को एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने के साथ राशि की वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

6.8.16 होटल ललित, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर पर संपत्ति कर नहीं लगाना।

एनडीएमसी अधिनियम 1994 में अधिनियमित किया गया था। धारा 66 (2) के अनुसार यदि किसी किरायेदार को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई भूमि किराए पर दी गई है और ऐसे किरायेदार ने भूमि पर निर्माण किया है, तो भूमि और उस पर निर्मित भवन के संबंध में संपत्ति कर का निर्धारण मुख्य रूप से उक्त किरायेदार पर लगाया जाएगा, चाहे भूमि और भवन ऐसे किरायेदार के कब्जे में हो या ऐसे किरायेदार के उप–किरायेदार के कब्जे में हो।

होटल भारत (द ललित) की फाइलों की जांच करने पर, यह पाया गया कि लगभग 6.0485 एकड़ भूमि का एक भाग एल एंड डीओ ने पत्र दिनांक 17 फरवरी 1981 के माध्यम से बाराखंभा लेन में एनडीएमसी को आवंटित किया। इस प्लॉट को आगे मेसर्स दिल्ली ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को उसके निदेशक के माध्यम से एक फाइव स्टार होटल के निर्माण और कमीशनिंग के लिए लाइसेंस डीड दिनांक 11 मार्च 1981 के माध्यम से लीज/लाइसेंस पर दिया गया था। लाइसेंस की अवधि लाइसेंस समझौते के निष्पादन की तारीख यानी 11 मार्च 1981 से 99 वर्ष थी।

होटल के निर्माण के अलावा, उक्त भूखंड पर होटल ललित ने वाणिज्यिक केंद्र/टावर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड टावर भी बनाया। इन टावरों में कवर किए गए स्थानों को लाइसेंस द्वारा विभिन्न उप–किरायेदारों को किराए पर दिया गया।

यह पाया गया कि प्रारंभ से ही संपत्ति कर के लिए कभी भी संपत्ति का कर निर्धारण नहीं किया गया है। एनडीएमसी अधिनियम, 1994 लागू होने के बाद भी उक्त संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाया गया और न ही वसूला गया। होटल पर बिल जारी नहीं करने से एनडीएमसी को काफी मात्रा में कर राजस्व का नुकसान हुआ है।

अध्याय-7

स्वास्थ्य विभाग

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल, एनडीएमसी के कामकाज का ऑडिट।

कार्यकारी सारांश/मुख्य बातें

- पीएचएम राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से प्रत्यायन (प्रमाणन) प्राप्त किए बिना चल रहा है। (पैरा 7.6.3.11)
- वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान अस्पताल द्वारा जारी 12421 एएनसी कार्डों के मुकाबले केवल 4242 (34.15 प्रतिशत) प्रसव कराए गए। (पैरा 7.6.1.1)
- भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक 93 प्रकार की दवाओं के मुकाबले अस्पताल में केवल 64 प्रकार की आवश्यक दवाएं निर्धारित/उपलब्ध थीं। [पैरा 7.6.1.1 (सी), 7.6.1.2 (बी) और 7.6.1.3 (बी)]
- तीन ओटी में से, एक ओटी जो चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं के लिए थी, सितंबर–2017 से गैर–कार्यात्मक बनी हुई थी। अन्य दो ओटी भी आंशिक रूप से क्रियाशील रहे। [पैरा 7.6.1.2 (ए)]
- नर्सरी में जगह की भारी कमी और परिषद द्वारा अनुमोदित 15 बिस्तरों के मुकाबले केवल 8 बिस्तर होने के कारण, एकल बिस्तरों को अक्सर दो या तीन बच्चों द्वारा साझा किया जाता था। [पैरा 7.6.1.3 (ए)]
- शाम 4 बजे के बाद पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं यानी आपातकालीन ओटी, विशेषज्ञ डॉक्टर, परीक्षण/जांच के लिए महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण ओपीडी और आईपीडी रोगियों की संख्या 2017–18 में 76949 और 1908 से घटकर 2021–22 में 55747 और 1808 हो गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान क्रमशः 1587 मामले लेबर रूम और वार्ड से दूसरे अस्पताल में रेफर किए गए। [पैरा 7.6.1.1 (ए), 7.6.2 (ए), 7.6.3.1 और 7.6.3.3]
- समग्र बिस्तर अधिभोग अनुपात वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक केवल 34.49 प्रतिशत था, जबकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित 80 प्रतिशत था। (पैरा 7.6.3.2)
- रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण, मार्च–2019 से जुलाई–2022 के दौरान रोगी को अल्ट्रासाउंड सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण जैसे लेप्रोस्कोपिक, कोल्पोस्कोप और हिस्टेरोस्कोप का कम/उपयोग नहीं किया गया। [पैरा 7.6.3.4 (ए) और 7.6.3.4 (बी)]
- सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट (उपकरण स्टरलाइजेशन के लिए), एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम (नवंबर 2019 से) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (अगस्त–2018 से फरवरी–2022 तक) के काम न करने से अस्पताल में विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। [पैरा 7.6.3.5 (बी)] 7.6.3.5 (सी) और 7.6.3.5 (डी)]

- भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार प्रदान करने के लिए रसोई की सुविधा की अनुपलब्धता। [पैरा 7.6.3.6 (ए)]
- विशेषज्ञ और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के कैडर अर्थात एनेस्थीसिया, गायनी और रेडियोलॉजिस्ट और तकनीकी कैडर की कमी। तकनीशियन एवं लैब सहायक। डॉक्टरों (जूनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर) और नर्सों, कर्मचारियों के अन्य संवर्गों का इष्टतम तरीके से उपयोग नहीं किया गया। [पैरा 7.6.3.7 (ए)]
- पीएमएच ने केंद्रीय भंडार से प्राप्त और स्थानीय स्तर पर खरीदी गई दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया। (पैरा 7.6.3.9)

7. वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल, एनडीएमसी के कामकाज पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

7.1 परिचय

पालिका मैटरनिटी हॉस्पिटल (पीएमएच), एनडीएमसी की स्थापना 1985 में 30 बिस्तरों के साथ की गई थी। 2013–14 में नवीनीकरण के बाद अस्पताल को अधिक सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया और बिस्तरों की संख्या 30 से बढ़कर 65 (माताओं के लिए 50 बिस्तर और नर्सरी के लिए 15 बिस्तर) हो गई। पीएमएच, एनडीएमसी अपने क्षेत्र के सभी निवासियों और एनडीएमसी के बाहर रहने वाले लोगों को भी मातृत्व सेवाएं प्रदान करता है। इस अस्पताल का मुख्य कार्य सर्वोत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है जैसे मातृत्व एवं शिशु देखभाल से संबंधित शीघ्र निदान, उपचार, पुनर्वास और निवारक उपाय (टीकाकरण) प्रदान करना। प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी), अंतर्गर्भाशयी देखभाल या प्रसव देखभाल (आईपीसी) और प्रसवोत्तर देखभाल (पीएनसी) सुविधा आधारित मातृत्व सेवाओं के प्रमुख घटक हैं। एएनसी भ्रूण के विकास की प्रगति की निगरानी करने और मां और भ्रूण की भलाई का पता लगाने के लिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की प्रणालीगत निगरानी है। आईपीसी के तहत लेबर रूम और ऑपरेशन थियेटर में सुरक्षित प्रसव के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। पीएनसी में विशेष रूप से प्रसव के बाद के 48 घंटों के दौरान मां और नवजात शिशु की चिकित्सा देखभाल शामिल है, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

7.2 लेखापरीक्षा और कार्यप्रणाली का दायरा

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि को कवर करने वाली वर्तमान लेखा परीक्षा, 21 अक्टूबर 2022 से 12 मई 2023 के दौरान जनता को मातृत्व सेवाएं और बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करने, जनशक्ति संसाधनों के प्रबंधन, उपलब्ध मशीनों और उपकरणों के उपयोग, मुफ्त दवाओं के वितरण, गुणवत्ता, रोगी देखभाल की प्रभावशीलता आदि जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की गई थी।

7.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी:

(i) पीएमएच से संबंधित जानकारी एनडीएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध

(ii) भारत सरकार, एनसीटी दिल्ली और एनडीएमसी द्वारा जारी नीति/दिशानिर्देश/निर्देश/आदेश/परिपत्र।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य टूलकिट (एमएनएच दिशानिर्देश), भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) दिशानिर्देश, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) दिशानिर्देश और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) दिशानिर्देश, भारत सरकार

(iv) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017

7.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य हैं:

(i) जनता को मातृत्व सेवाएं और बाल देखभाल प्रदान करने में पीएमएच के कामकाज का आकलन करना।

(ii) यह आकलन करने के लिए कि बाह्य रोगी सेवाओं जैसी लाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं या नहीं, रोगी सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं आदि की व्यवस्था की गई और इन सेवाओं को कुशल और प्रभावी तरीके से वितरित किया गया।

(iii) यह आकलन करने के लिए कि क्या अस्पतालों में नैदानिक सेवाओं, मशीनों और उपकरणों के रखरखाव, दवाओं के भंडारण, आहार सेवाओं, सुविधाओं के रखरखाव आदि से संबंधित पर्याप्त सहायता सेवाएँ मौजूद थीं।

(iv) यह आकलन करने के लिए कि क्या पीएमएच के पास पर्याप्त संसाधन, अर्थात जनशक्ति, बुनियादी ढांचे, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों, उपकरण आदि निर्धारित मानदंडों के अनुसार थे और उन संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

(v) यह आकलन करना कि क्या अस्पतालों के परिसरों के भीतर कर्मचारियों और रोगी सुरक्षा के लिए स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानदंडों और प्रथाओं का पालन किया गया था।

7.5 आभार

लेखापरीक्षा के संचालन में पीएमएच और चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकार करता है।

7.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.6.1 प्रसवपूर्व देखभाल

प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) में गर्भधारण की निगरानी, जटिलताओं के प्रबंधन, प्रजनन पथ संक्रमण (आरटीआई)/यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई), समय से पहले प्रसव और व्यापक गर्भपात देखभाल के लिए सामान्य और पेट की जांच और प्रयोगशाला जांच शामिल है। एएनसी पर विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.6.1.1 प्रसवपूर्व देखभाल रोगी

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए पीएमएच द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए जारी किए गए एएनसी कार्ड[37] तथा पीएमएच में किए गए प्रसव की स्थिति नीचे तालिका 7.1 में दी गई है:

[37]एएनसी कार्ड अस्पताल द्वारा तब जारी किया जाता है जब महिला की गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है और पहली बार जांच/उपचार के लिए रिपोर्ट की जाती है।

तालिका 7.1 एएनसी कार्ड की स्थिति – तथा किए गए प्रसव

वर्ष	जारी किए गए एएनसी कार्डों की संख्या	सामान्य डिलीवरी	सिजेरियन डिलीवरी	पीएमएच में कुल प्रसव कराए गए	एएनसी कार्डों पर की गई डिलीवरी का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2017-18	2890	720	194	914	31.63
2018-19	2711	585	68	653	24.09
2019-20	2383	604	88	692	29.04
2020-21	1824	541	94	635	34.81
2021-22	2613	1023	325	1348	51.59
कुल	**12421**	**3473**	**769**	**4242**	**34.15**

ऊपर से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान अस्पताल द्वारा जारी किए गए 12421 एएनसी कार्डों के मुकाबले केवल 4242 संख्या (34.15 प्रतिशत) प्रसव किए गए। 2021–22 में स्थिति में थोड़ा सुधार (51.59 प्रतिशत) हुआ। 2021–22 में सुधार के साथ भी, लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं अंतिम प्रसव से पहले पीएमएच में आना बंद कर देती हैं। उपरोक्त से पता चलता है कि मरीजों को पूर्ण और संतोषजनक चिकित्सा सेवाएँ नहीं मिल रही थीं जिसके कारण उन्हें अन्य अस्पताल/चिकित्सा केंद्रों का सहारा लेना पड़ा। उपरोक्त के लिए लेखापरीक्षा में पहचाने गए कारणों की चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

पीएमएच ने जवाब दिया (जुलाई–2023) कि मरीजों द्वारा चिकित्सा सेवाएं पूरी नहीं करने का कारण मरीजों का प्रसव के लिए मूल स्थान पर जाना है; कई मरीज प्रसव के लिए निजी नर्सिंग होम जाना पसंद करते हैं; आईसीयू और ब्लड बैंक की अनुपलब्धता, प्रारंभिक गर्भावस्था हानि और रसोई की अनुपलब्धता।

उत्तर से ही संकेत मिलता है कि पीएमएच मरीजों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, जबकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार उप–जिला अस्पताल होने के नाते उसे ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(ए) अपर्याप्त पैथोलॉजिकल जांच सुविधाएं

(i) सरकारी दिशानिर्देश अस्पताल/चिकित्सा केंद्रों में रोग संबंधी जांच करने के लिए सेवाओं का प्रावधान निर्धारित करते हैं। गर्भावस्था की पहचान करने के लिए अस्पताल में एएनसी दौरों के दौरान गर्भावस्था की स्थिति के आधार पर और बाद में प्रसव के साथ–साथ नवजात संबंधी जटिलताओं की जांच के लिए ये परीक्षण निर्धारित और आयोजित किए जाने हैं। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि आपातकालीन जांच सुविधाएं भी चौबीसों घंटे (24x7) प्रदान की जानी हैं।

पीएमएच की पैथोलॉजिकल लैब ने वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान 4.89 लाख[38] जांच/परीक्षण किए। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि टीबी के लिए बलगम, वेट माउंट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, डबल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट और कल्चर एंड सेंसिटिविटी रक्त और मूत्र परीक्षण को छोड़कर अधिकांश निर्धारित परीक्षण पीएमएच की पैथोलॉजिकल लैब में किए गए थे, जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार साथ ही पीएमएच द्वारा भी वांछनीय

[38]एएनसी कार्ड अस्पताल द्वारा तब जारी किया जाता है जब महिला की गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है और पहली बार जांच/उपचार के लिए रिपोर्ट की जाती है।

थे। इसके अलावा, जांच से पता चला कि लैब केवल ओपीडी घंटों के दौरान चल रही थी और अस्पताल में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार चौबीसों घंटे आपातकालीन लैब जांच करने का प्रावधान नहीं किया गया था।

(ii) 2012 से पहले, पीएमएच में एक बहुत ही बुनियादी प्रयोगशाला थी जो प्राचीन उपकरणों के साथ चल रही थी और उस तरह की जांच में सहायक नहीं थी जो स्त्री रोग और बाल चिकित्सा ओपीडी, लेबर रूम/ओटी के साथ–साथ वार्ड और बाल चिकित्सा नर्सरी में आवश्यक थी। परिषद ने प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर, स्त्रीरोग रोगियों और शिशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक उपकरणों की आवश्यकता को महसूस किया और नौ और उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी (नवंबर–2012)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परिषद द्वारा अनुमोदित नौ उपकरणों में से केवल छह उपकरण 2013–14 में खरीदे गए थे। तीन उपकरण अर्थात. स्टिरर (स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक), इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक (इलेक्ट्रोलाइट्स करने के लिए) और एलिसा रीडर और एलिसा वॉशर/सीएलआईए (थायराइड परीक्षण के लिए) आज तक पीएमएच द्वारा नहीं खरीदा गया था।

पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) और स्वीकार किया कि लैब स्टाफ की कमी के कारण, उपरोक्त परीक्षण नहीं किए जा रहे थे और चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान नहीं की जाती थीं। इसके अलावा, इसने उत्तर दिया कि पीएमएच ने एक पूरी तरह से स्वचालित जैव–रसायन विश्लेषक (अप्रैल–2023) हासिल कर लिया है और पहले से ही अन्य नए उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया में है। थायराइड परीक्षण के लिए उपकरणों के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद ने 2012–13 में सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए ऐसे उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी थी और बाद में 2020–21 में थायराइड परीक्षण के लिए उपकरणों को भी मंजूरी दे दी और एक बजट प्रावधान भी बनाया गया, लेकिन फिर भी ऐसे उपकरण नहीं खरीदे गये. उत्तर इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि पर्याप्त संसाधन (मानव/उपकरण आदि) उपलब्ध नहीं होने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

तथ्य यह है कि इन वर्षों के दौरान रोगियों को पूर्ण और संतोषजनक निदान सेवाएं प्रदान नहीं की गईं, जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान किए गए परीक्षणों की संख्या में लगातार कमी आई है (2017–18 में 1.24 लाख से 2021–22 में 0.96 लाख)।

बी) आरटीआई/एसटीआई मामलों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं

प्रजनन पथ संक्रमण (आरटीआई)/यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) का पता लगाने के लिए अस्पताल में एचआईवी और वीडीआरएल जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान नियमित रूप से उपरोक्त परीक्षण (17047 परीक्षण) करने के बाद 45 रोगियों को एचआईवी के रूप में निदान किया गया था। हालाँकि, अस्पताल में आरटीआई/एसटीआई का इलाज नहीं किया गया था और एचआईवी संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की अनुपलब्धता के कारण इन मामलों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया था।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और कहा (जुलाई–2023) कि एनडीएमसी/पीएमएच द्वारा अन्य अस्पतालों को रेफर करने के बजाय ऐसे मामलों को पीएमएच स्तर पर प्रबंधित करने के लिए उपरोक्त दवाओं की खरीद का प्रयास किया जाएगा।

(सी) एएनसी के लिए आवश्यक दवाएं

भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रसवपूर्व देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों के उपचार के लिए 9 प्रकार की आवश्यक दवाओं की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उपरोक्त 4 दवाएं अस्पताल में न तो निर्धारित थीं और न ही उपलब्ध/प्रयुक्त थीं। विवरण नीचे तालिका 7.2 में दिया गया है:

तालिका 7.2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार मातृ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाएं

के दौरान प्रयुक्त औषधियाँ	कुल संख्या अनुशंसित दवाओं की संख्या (आवश्यक दवाएं)	पीएमएच द्वारा निर्धारित दवाएं		कुल निर्धारित दवाएं	अनुशंसित दवाएं जो निर्धारित/ उपयोग नहीं की गईं
		सेंट्रल स्टोर से प्राप्त किया गया	स्थानीय स्तर पर खरीदा गया		
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-5)
प्रसवपूर्व काल	9[39]	2	3 (एक विकल्प सहित)	5	4[40]

अस्पताल में आवश्यक दवाओं का अभाव खराब प्रबंधन का संकेत था जिसके परिणामस्वरूप गर्भावस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। जांच से यह भी पता चला कि 12421 नं. एएनसी जांच के लिए अस्पताल में रिपोर्ट किए गए/आए मरीजों की संख्याय जिनमें से केवल 4242 मामलों (2017–18 से 2021–22) के संबंध में डिलीवरी की गई।

पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि नई और बेहतर दवाओं की उपलब्धता के कारण, भारत सरकार (जेएसएसके) द्वारा अनुशंसित चार दवाएं वर्तमान में उपयोग में नहीं थीं। निर्धारित चार आवश्यक दवाओं जो रोगियों की आवश्यकता और संतुष्टि को पूरा करती है के स्थान पर उपयोग की जा रही पूरक दवाओं का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना उत्तर सामान्य होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। वांछित दवाओं की आपूर्ति की कमी उन कारणों में से एक हो सकती है कि एएनसी जांच के लिए नामांकन की तुलना में प्रसव काफी कम थे।

डी) समय से पहले प्रसव का प्रबंधन

एनएचएम दिशानिर्देशों के अनुसार, गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले पैदा होने वाले शिशुओं, जिन्हें समय से पहले जन्मा शिशु कहा जाता है, में कई चुनौतियाँ होती हैं, जिनमें भोजन करने में कठिनाई, शरीर के तापमान को बनाए रखना और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि शामिल है, जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु भी होती है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कम अवधि के लिए, बीमार और कम वजन वाले नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अस्पताल/चिकित्सा केंद्र में नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (एनबीएसयू) की सुविधा की उपलब्धता की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीएमएच में संबंधित उपकरणों[41] के साथ 15 बिस्तरों वाली सुविधाओं के साथ एनबीएसयू/लेवल–II नर्सरी थी, हालांकि, पीएमएच ने समय से पहले प्रसव के रोगी को उपचार प्रदान नहीं किया था।

[39]1. टैब. आयरन फोलिक एसिड-बड़े सूखे, 2. टैब मेथिल्डोपा आईपी, 3. कैप निफेडिपिन - निफेडिपिन आईपी, 5 मिलीग्राम 4. टैब निफेडिपिन; निफ़ेडिपिन आईपी, 10 मिलीग्राम, 5. टैब लेबेटेल 100 मिलीग्राम, 6. इंज लेबेटालोल, 20 मिलीग्राम, 7. टैब डिगॉक्सिन - डिगॉक्सिन आईपी 250 मिलीग्राम/टैब, 8. इंज मैगुल्फ - मैग्नीशियम सल्फेट आईपी 50 प्रतिशत, 9. टैब फोलिक एसिड आईपी 400 मिलीग्राम।

[40]1. टैब मेथिल्डोपा आईपी 250 मिलीग्राम, 2. कैप निफेडिपिन-निफेडिपिन आईपी, 5 मिलीग्राम, 3. टैब डिगॉक्सिन, 4. इंज मैगसल्फेट-आईपी 50 प्रतिशत

[41]सक्शन मशीन, वाइटल साइन मॉनिटर, शिशु रेडियन वार्मर, बबल सी-पीएपी, एलईडी के साथ फोटोथेरेपी यूनिट, एनआरयू, बिलीरुबिनोमीटर, नवजात वजन स्केल, ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर और कार्डियक मॉनिटर।

ऐसे मामलों को नर्सरी लेवल–II की सुविधाएं उपलब्ध न होने की दलील देकर अन्य चिकित्सा केंद्रों/अस्पतालों में भेजा गया था। अस्पताल का तर्क उचित नहीं है जब एनडीएमसी का एनडीएमसी पोर्टल/नागरिक चार्टर पीएमएच में आपातकालीन सेवाओं और लेवल–II नर्सरी/एनआईसीयू (एनबीएसयू) की उपलब्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके अलावा, परिषद ने 2012–13 में अस्पताल के उन्नयन को मंजूरी देते हुए सात[42] और उपकरणों के साथ 15 बिस्तरों तक की नर्सरी के उन्नयन को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के आपातकालीन रजिस्टर की जांच से पता चला कि समय से पहले प्रसव के क्रमशः पांच और सात आपातकालीन मामलों को अन्य अस्पतालों में भेजा गया था। विवरण नीचे तालिका 7.3 में दिया गया है:

तालिका 7.3 आपातकालीन मामले अन्य अस्पताल से रेफर किए गए

महीना	आपातकालीन मामलों की संख्या	अन्य अस्पताल में रेफर किए गए मामलों की संख्या	समयपूर्व मामले रेफर किये गये
सितम्बर-2020	229	29	5
सितम्बर-2021	369	15	7

एनडीएमसी के सिटीजन चार्टर/वेबसाइट में सुविधाओं की उपलब्धता का उल्लेख करने के बावजूद चिकित्सा सुविधाएं प्रदान न करना और ऐसे रोगियों को अन्य अस्पतालों में रेफर करना अस्पताल अधिकारियों के कमजोर दृष्टिकोण को दर्शाता है।

पीएमएच ने जवाब दिया (जुलाई–2023) कि अस्पताल 34–36 सप्ताह के गर्भ के समय से पहले बच्चे के मामलों का प्रबंधन कर रहा है और 34 सप्ताह से कम के मामलों को रेफर कर रहा है। पीएमएच ने स्वीकार किया है कि 34 सप्ताह से कम समय के मामलों को संदर्भित किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त संसाधनों (मानव और उपकरण आदि) की उपलब्धता के साथ संभालना चाहिए। इसके अलावा पीएमएच ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड नहीं बनाए रखा है कि पैरा में उल्लिखित अन्य अस्पतालों में रेफर किए गए मामले भी 34–36 सप्ताह की श्रेणी में नहीं आते हैं।

7.6.1.2 अंतर–प्रसवीय देखभाल

इंट्रा–पार्टम केयर (आईपीसी) या डिलीवरी देखभाल में इंट्रा–पार्टम अवधि (प्रसव की शुरुआत से बच्चे के जन्म तक की समय अवधि) के दौरान गर्भवती महिला की देखभाल शामिल है। प्रसव के दौरान उचित देखभाल न केवल माताओं और उनके नवजात शिशुओं को बचाती है, बल्कि मृत जन्म, नवजात मृत्यु और अन्य जटिलताओं को भी रोकती है।

आईपीसी की गुणवत्ता काफी हद तक आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की नैदानिक दक्षता पर निर्भर करती है। आईपीसी पर विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(ए) मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटरों की अनुचित कार्यप्रणाली

पीएमएच में ₹ 1.52 करोड़ की लागत से तीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) स्थापित किए गए और अप्रैल–2014 में दो साल की वारंटी और तीन साल के व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) के साथ चालू किए गए। लेखापरीक्षा

[42] ट्रांसपोर्ट इनक्यूबेटर, कार्डियक मॉनिटर, बिलीरुबिनोमीटर, टी-पीस, सी-पीएपी, इन्फैंटोमीटर और डिजिटल वेइंग स्केल।

जांच में इन तीन ओटी के संचालन/कार्य में कमियों और चिकित्सा सेवाओं पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं।

(i) ये ओटी अप्रैल–2019 से वारंटी और सीएमसी से बाहर थे। अप्रैल 2019 में मौजूदा सीएमसी की समाप्ति से पहले सीएमसी को नवीनीकृत करने के प्रयास नहीं किए गए थे। हालांकि इन ओटी की मरम्मत बाद में सितंबर–2022 में की गई थी लेकिन उसके बाद सीएमसी नहीं ली गई है।

(ii) शुरुआत में मरम्मत और सीएमसी के लिए ओटी स्थापित करने वाली कंपनियों के साथ मामला उठाने में और उसके बाद नई बोलियां आमंत्रित करने और ओटी की मरम्मत के आदेश को अंतिम रूप देने में 3 साल से अधिक की अत्यधिक देरी हुई, यानी प्रसंस्करण और अनुमोदन प्राप्त करने आदि में देरी हुई। ओटी की मरम्मत सितंबर–2022 तक ही की जा सकेगी। देरी के कारण मरीज तीन साल से अधिक की लंबी अवधि तक पूर्ण और संतोषजनक सेवाओं से वंचित रहे।

(iii) यह देखा गया कि एक ओटी, जो चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए आपातकालीन मामलों के लिए थी, सितंबर–2017 से गैर–कार्यात्मक बनी हुई थी। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के अक्टूबर और नवंबर महीनों के लिए संदर्भित मामलों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 160 मामलों में से, 58 (36 प्रतिशत) आपातकालीन ओटी की अनुपलब्धता के कारण अन्य अस्पतालों में रेफर किए गए थे। विवरण नीचे तालिका 7.4 में दिया गया है:

तालिका 7.4 आपातकालीन ओटी की अनुपलब्धता के कारण रेफर किए गए मामले

क्र. सं.	माह	संदर्भित मामलों की कुल संख्या	ओटी की अनुपलब्धता के कारण रेफर किए गए मामलों की संख्या
1	**अक्टूबर और नवंबर-2017**	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	--
2	**अक्टूबर-2018**	14	8
	नवंबर-2018	31	8
3	**अक्टूबर-2019**	29	14
	नवंबर-2019	26	12
4	**अक्टूबर-2020**	11	5
	नवंबर-2020	19	8
5	**अक्टूबर-2021**	14	2
	नवंबर-2021	16	1
	कुल	**160**	**58**

जांच से पता चला कि मई–2019 से सितंबर–2022 की अवधि के दौरान, तीन साल से अधिक समय तक इन मशीनों की मरम्मत नहीं होने या सीएमसी के तहत नहीं लाए जाने के कारण दो ओटी निष्क्रिय (आंशिक रूप से कार्यशील) रहे। इस अवधि के दौरान आवश्यकता के आधार पर इन ओटी को किसी तरह वैकल्पिक रूप से संचालित किया गया, जिसके कारण ओटी की सुविधाओं की उपलब्धता के साथ–साथ सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई (2017–18 में 274 संख्याओं से क्रमशः वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में ऑपरेशन की संख्या घटकर 128, 144 और 128 हो गई) ।

(iv) अन्य महत्वपूर्ण उपकरण/मशीनें भी हैं जैसे एनेस्थीसिया मशीन (दो नंबर), आटोक्लेव मशीनें (दो नंबर) जो सुचारू संचालन प्रक्रियाओं के लिए ओटी कक्ष में आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो एनेस्थीसिया मशीनों में से एक अनुपयोगी होने के कारण काम नहीं कर रही है और दूसरी इन मशीनों के लिए एएमसी/सीएमसी नहीं होने के कारण आंशिक रूप से काम कर रही है। इन मशीनों में लगातार गैस लीक होने की समस्या भी देखी गई. विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अधिकांश समय डॉक्टर को हाथों से मैनुअल वेंटिलेशन (मशीन को मैन्युअल रूप से पंप करना) करना पड़ता है जो किसी भी समय घातक हो सकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आटोक्लेव मशीनों[43] के लिए एएमसी/सीएमसी भी दर्ज नहीं किया गया था। एएमसी/सीएमसी की अनुपस्थिति में, ऑटोक्लेव मशीनें या तो ठीक से काम नहीं कर रही थीं या पिछले कुछ वर्षों से अपनी क्षमता से कम काम कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप मशीन पर ओवर लोडिंग हो रही थी और संचालन में देरी हो रही थी और मरीजों को अनावश्यक रूप से इंतजार करना पड़ रहा था।

पीएमएच ने जवाब दिया (जुलाई–2023) कि कोविड–19 महामारी के दौरान विक्रेताओं और कंपनियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं और कार्यालयों में अलग–अलग उपस्थिति के कारण, मॉड्यूलर ओ.टी. की मरम्मत के मामले को संसाधित करने में देरी हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मॉड्यूलर ओ.टी. की मरम्मत का मामला है। और इसकी एएमसी/सीएमसी अप्रैल/मई 2019 से लंबित थी। इसके अलावा, कोविड I और II के प्रत्येक चरण के दौरान मुश्किल से 2–3 महीने का समय बर्बाद हुआ था, लेकिन निर्णय लेने की कमी के कारण इसमें अनावश्यक रूप से तीन साल से अधिक की देरी हुई।

एनेस्थीसिया और आटोक्लेव मशीन के संबंध में पीएमएच ने जवाब दिया कि नई मशीनें खरीदने के प्रयास जारी हैं।

(बी) अंतर्गर्भाशयी देखभाल के लिए आवश्यक दवाएं

भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इंट्रा पार्टम केयर की आवश्यकता वाले रोगियों के उपचार के लिए 55 प्रकार की आवश्यक दवाओं की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उपरोक्त के विपरीत, आईपीसी (प्रसव देखभाल) के लिए अस्पताल में 16 दवाएं[44] न तो निर्धारित थीं और न ही उपलब्ध/उपयोग की गईं। आईपीसी के तीन चरणों यानी सामान्य प्रसव के लिए आवश्यक दवाओं की स्थिति का विवरणय सिजेरियन और विविध. जटिल सी–सेक्शन मामलों के लिए नीचे तालिका 7.5 में दिया गया है:

[43]आटोक्लेव मशीन का उपयोग कुछ जैविक कचरे को कीटाणुरहित करने और मीडिया, उपकरणों और लैब वेयर को स्टरलाइज़ करने के लिए किया जाता है।

[44]1. टैब नाइट्रोफ्यूरेंटोइन-आईपी 100 मिलीग्राम, 2. टैब डाइसाइक्लोमाइन, 500 मिलीग्राम, 3. टैब हयोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड 500 मिलीग्राम, 4. इंजेक्शन के लिए स्टेराइल वॉटर। आईपी-ओएस एमएल, 5. इंजे. कैल्शियम क्लूकोनेट 1 ग्राम, 6. इंजे. मेट्रोनिडाजोल-मेट्रोनिडाजोल आईपी 5 एमजी, 7. इंजे. जेंटामाइसिन-जेंटामाइसिन सल्फेट आईपी, 8. इंज. सेफोटैक्सिम-सेफोटैक्सिम सोडियम आईपी 1 ग्राम, 9. इंज. क्लोक्सासिलिन- क्लोक्सासिलिंग सोडियम आईपी, 10. इंज. लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 प्रतिशत, 11. डेक्सट्रोज़ IV इंज.–डेक्सट्रोज़ 5 प्रतिशत, 12. इंजे. मेनाडायोन यूएसपी 10 एमजी, 13. टैब साल्बुटामोल सल्फेट आईपी 4 एमजी., 14. टैब फ्रूसेमाइड आईपी 40 एमजी, 15. टैब डायजेपाम आईपी 5 एमजी, 16. इंजे. डायजेपाम आईपी 10 मिलीग्राम।

तालिका 7.5 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार आईपीसी के दौरान आवश्यक दवाएं

के दौरान प्रयुक्त औषधियाँ	कुल संख्या अनुशंसित दवाओं की संख्या (आवश्यक दवाएं)	पीएमएच द्वारा निर्धारित दवाएं		कुल निर्धारित औषधियाँ	अनुशंसित दवाएं निर्धारित/प्रयोग नहीं की गईं
		केंद्रीय स्टोर से प्राप्त	स्थानीय स्तर पर खरीदा गया		
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-5)
अंतर्गर्भाशयी (सामान्य) प्रसव	24	7 (5 स्थानापन्न सहित)	12 (1 स्थानापन्न सहित)	19	5
इंट्रापार्टम (सी–सेक्शन) डिलीवरी	16	1	8 (1 स्थानापन्न सहित)	9	7
सी–सेक्शन के कुछ मामलों में विविध दवाओं की आवश्यकता होती है	15	4 (1 स्थानापन्न सहित)	7	11	4
कुल	**55**	**12**	**27**	**39**	**16**

जांच से यह भी पता चला कि आईपीसी या प्रसव देखभाल के दौरान अस्पताल में केवल 71 प्रतिशत आवश्यक दवाएं निर्धारित/उपलब्ध थीं। इसके अलावा, इनमें से भी 31 प्रतिशत दवाएं अस्पताल में उपलब्ध थीं और शेष 69 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर खरीदी गईं। अस्पताल से एकत्र किए गए विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि ओटी में आवश्यक पांच[45] दवाओं में से तीन दवाएंः– इंज. सेसोरकैम (25 अगस्त 2021 से 2 मार्च 2022), इंज ग्लाइकोपाइरालेट (23 अक्टूबर 2019 से 20 सितंबर 2020) और इंज रिंगर लैक्टेट (11 अक्टूबर 2021 से 19 जनवरी 2022) उल्लिखित अवधि के दौरान अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे। इससे पता चलता है कि आवश्यक दवाएं होने के बावजूद, इन्हें न तो एनडीएमसी के सेंट्रल मेडिकल स्टोर द्वारा खरीदकर अस्पताल को उपलब्ध कराया गया और न ही स्थानीय खरीद के माध्यम से अस्पताल द्वारा स्वयं इसकी व्यवस्था की गई।

आईपीसी (प्रसव देखभाल) के लिए अस्पताल में आवश्यक दवाओं की अनुपस्थिति खराब प्रबंधन का संकेत थी जिसके परिणामस्वरूप प्रसव अवधि के दौरान रोगी के स्वास्थ्य में सुधार पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (जुलाई–2023) और इस बात पर सहमत हुआ कि अस्पताल तभी बेहतर ढंग से काम कर सकता है जब सभी दवाओं की आपूर्ति एनडीएमसी के सेंट्रल मेडिकल स्टोर द्वारा प्रचुर मात्रा में की जाती है।

7.6.1.3 प्रसवोत्तर मातृ एवं नवजात देखभाल

(ए) नवजात स्थिरीकरण इकाई में अत्यधिक भीड़

पीएमएच में, 15 बाल चिकित्सा बिस्तरों की सुविधा के साथ एक नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू)/ नर्सरी है। सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, भारत सरकार (मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य दिशानिर्देश) के अनुसार, एनबीएसयू में प्रत्येक बिस्तर रखने के लिए 40 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता है। इन मानकों के आधार पर

[45]इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, इंजे सेसोरकैम, इंजेक्शन ग्लाइकोपाइरालेट, इंजे रिंगर लैक्टेट और इंजेक्शन मेलहर्जिन

15 बिस्तरों के लिए 600 वर्ग फुट की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा, एनडीएमसी के सिटीजन चार्टर/ वेबसाइट के अनुसार, यह अस्पताल 15 बिस्तरों की सुविधाओं के साथ लेवल–II नर्सरी के अंतर्गत आता है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्तमान में एनबीएसयू में केवल आठ बिस्तर रखे गए हैं (जिनमें से 5 रेडियंट वार्मर/ फोटोथेरेपी सुविधाओं से सुसज्जित हैं)। चूंकि वर्तमान एनबीएसयू में इस उद्देश्य के लिए कुल उपलब्ध फर्श क्षेत्र केवल 260 वर्ग फुट है, यहां तक कि एनबीएसयू/नर्सरी में 8 बिस्तर रखना भी निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध है।

इसके अलावा, एनबीएसयू में इन 8 बिस्तरों के उपयोग की स्थिति का तीन महीने (सितंबर–2021, नवंबर–2022 और जनवरी–2023) के लेखापरीक्षा में परीक्षण किया गया है। यह देखा गया कि इस नर्सरी में कई बार अत्यधिक भीड़ होती थी। जांच से पता चला कि इन महीनों में अक्सर एक बिस्तर पर बच्चों की संख्या दोगुनी (59 बार) हो गई। परीक्षण जांच में यह भी देखा गया कि एक बिस्तर पर नवजात शिशुओं के तीन गुना (37 बार) होने के मामले भी सामने आए।

बाकी 7 बेड लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में लगाए गए। इनमें से वार्ड में रखे गए 3 बेड बेकार पड़े थे क्योंकि सभी नवजातों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कंगारू केयर[46] में रखा जा सकता था। शेष चार बाल चिकित्सा बिस्तर जो अस्पताल में लेबर रूम और ओटी में पड़े थे, उनका भी उचित उपयोग नहीं किया गया या नर्सरी में जगह की कमी के कारण केवल अस्थायी व्यवस्था के लिए उपयोग किया गया।

उपरोक्त से पता चलता है कि नर्सरी में न केवल फोटोथेरेपी/वार्मर सुविधाओं वाले बिस्तरों की कमी थी, बल्कि इन बिस्तरों को रखने के लिए जगह की भी भारी कमी थी। 2013–14 में अस्पताल भवन एवं सुविधाओं के नवीनीकरण/ उन्नयन के समय इस कमी को ध्यान में नहीं रखा गया।

उपरोक्त दर्शाता है कि मरीजों को पूर्ण और संतोषजनक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं और नर्सरी में सभी बिस्तरों को रखने के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने सहित नर्सरी में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई 2023)।

(बी) प्रसवोत्तर देखभाल और नवजात शिशु के लिए आवश्यक दवाएं (प्रसवोत्तर देखभाल)।

भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों और नवजात शिशु के उपचार के लिए 29[47] प्रकार की आवश्यक दवाओं की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उपरोक्त के विपरीत, 9[48] दवाएं प्रसव के बाद देखभाल के लिए अस्पताल में न तो निर्धारित की गईं और न ही उपलब्ध/ उपयोग की गईं। प्रसवोत्तर देखभाल के लिए आवश्यक दवाओं की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 7.6 में दिया गया है:

[46]कंगारू देखभाल शिशु को गोद में लेने की एक विधि है जिसमें त्वचा से त्वचा का संपर्क शामिल होता है

[47]1. टैबआयरन फोलिक एसिड आईपी 0.5 मिलीग्राम, 2. टैब डिगॉक्सिन आईपी 250 मिलीग्राम, 3. टैब मेथिल्डोपा आईपी 250 मिलीग्राम, 4. कैप निफेडिपिन, 5. टैब निफेडिपिन आईपी 10 मिलीग्राम, 6. टैब लेबेटालोल 100 मिलीग्राम, 7. इंज. लेबेटालोल, 20 मिलीग्राम, 8. इंजे. ऑक्सीटोसिन आईपी5, 9. इंज.मैगसल्फ आईपी 50 प्रतिशत, 10. हाइड्रॉक्सीएथाइल स्टार्च 6 प्रतिशत आईपी, 11. टैब पेरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम, 12. टैब इबुब्रूफेन 400 मिलीग्राम, 13. टैब/कैप मल्टीविटामिन, 14. टैब डोमफेरिडोन 10 मिलीग्राम, 15 एंटी डी इम्युनोग्लोबुलिन-इंजे. पॉलीक्लोनल ह्मन एंटी आरएचडी 100/300एमजी, 16. इंज. एड्रेनालाईन आईपी, 17. इंज. एमिकासिन, 18. इंजे. एमिनोफाइलिन आईपी, 19. इंजे. एमोसिपिलिन आईपी, 20. इंजे. कैल्शियम क्लूकोनेट आईपी, 21. इंज. डैपामाइन, 22. इंज. डेक्सट्रोज़ आईपी, 23. इंजे. जेंटामाइसिन आईपी, 24. इंजे. फेनोबार्बिटोन आईपी, 25. इंजे. फ़िनाइटोइन बीपी, 26. इंजे. पोटेशियम क्लोराइड, 27. आईएनजे.सोडियम बिरार्बोनेट आईपी, 28. इंजे. आईपी में सोडियम क्लोराइड, 29. इंजे. आईपी के लिए स्टर्ली वॉटर

[48]1. टैब डिगॉक्सिन आईपी 250 मिलीग्राम/टैब, 2. टैब मेथिल्डॉप आईपी 250 मिलीग्राम, 3. कैप निफेडिपने आईपी 5 मिलीग्राम, 4. हाइड्रोक्सीएथाइल स्टार्च 6 प्रतिशत आईपी, 5. एंटी डी इम्युनोग्लोबुलिन-इंजे। पॉलीक्लोनल , 6. इंज. एमिनोफिलाइन आईपी, 7. इंजे. जेंटामाइसिन आईपी, 8. इंजे. पोटेशियम क्लोराइड, 9. इंजे. बाँझ जल आईपी

तालिका 7.6 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रसव देखभाल के लिए आवश्यक दवाएं

के दौरान प्रयुक्त औषधिया	कुल संख्या अनुशंसित दवाओं की संख्या (आवश्यक दवाएं)	पीएमएच द्वारा निर्धारित दवाएं		कुल निर्धारित औषधियाँ	अनुशंसित दवाएं निर्धारित/प्रयोग नहीं की गईं
		सेंट्रल स्टोर से प्राप्त किया गया	स्थानीय स्तर पर खरीदा गया		
1	2	3	4	5(3+4)	6(2-5)
प्रसवोत्तर अवधि	15	5 (एक विकल्प सहित)	5 (एक विकल्प सहित)	10	5
नवजात शिशु	14	2 (एक विकल्प सहित)	8	10	4
कुल	**29**	**7**	**13**	**20**	**9**

जांच से पता चला कि प्रसव के बाद देखभाल के लिए अस्पताल में केवल 69 प्रतिशत आवश्यक दवाएं निर्धारित/उपलब्ध थीं। इसके अलावा, इनमें से भी 35 प्रतिशत दवाएं अस्पताल में उपलब्ध थीं और शेष 65 प्रतिशत स्थानीय स्तर पर खरीदी गईं। प्रसव के बाद देखभाल के लिए अस्पताल में आवश्यक दवाओं का अभाव खराब प्रबंधन का संकेत था, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को जन्म देने के बाद रोगी (मां और नवजात शिशु दोनों) के स्वास्थ्य की रिकवरी पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई–2023) और सहमति व्यक्त की कि अस्पताल तभी बेहतर ढंग से काम कर सकता है जब सभी दवाओं की आपूर्ति एनडीएमसी के सेंट्रल मेडिकल स्टोर द्वारा प्रचुर मात्रा में की जाती है।

7.6.2 बाह्य रोगी सेवाएँ:

पीएमएच में आउटडोर रोगी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, मरीजों ने ओपीडी में अपना पंजीकरण कराया, संबंधित डॉक्टर मरीजों की जांच करते हैं और उसके बाद परामर्श प्रक्रिया के दौरान किए गए निदान के अनुसार डॉक्टर या तो साक्ष्य आधारित निदान के लिए नैदानिक परीक्षण या दवाएं लिखते हैं।

(ए) बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में रोगी भार

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएच में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या की स्थिति नीचे तालिका 7.7 में दी गई है।

तालिका 7.7 ओपीडी में उपस्थित मरीज की स्थिति

वर्ष	पीएमएच में देखे गए बाह्य रोगियों की संख्या	औसत रोगी भार (प्रति दिन) (कुल रोगी ÷ 25×माह की संख्या)	औसत संख्या प्रतिदिन[49] ओपीडी में प्रतिनियुक्त चिकित्सक की संख्या	औसत संख्या प्रत्येक डॉक्टर द्वारा उपस्थित मरीजों की संख्या
2017-18	76949	256	4.16	61.54
2018-19	69427	231	4.16	55.53
2019-20	66575	222	4.16	53.36
2020-21 (कोविड काल)	45433	151	4.16	36.30
2021-22 (आंशिक कोविड अवधि)	55747	186	4.16	44.71
		209	4.16	50.24

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान रोगी भार में 10374 संख्या (13 प्रतिशत) की कमी आई। इसके बाद 2019–20 की तुलना में 2020–21 के दौरान इसमें 21142 संख्या (31.75 प्रतिशत) की कमी आई लेकिन यह कोविड काल के कारण था। इसके बाद, कोविड की स्थिति में सुधार के साथ 2020–21 की तुलना में 2021–22 में रोगी भार फिर से 10314 संख्या (22.70 प्रतिशत) बढ़ गया। हालाँकि, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान ओपीडी में कुल रोगी भार में 21202 रोगियों (28 प्रतिशत) की भारी कमी आई।

इसके अलावा, उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान प्रत्येक डॉक्टर द्वारा ओपीडी में औसतन 50.24 मरीजों को देखा गया। पूछताछ करने पर बताया गया कि ओपीडी में डॉक्टरों को प्रत्येक मरीज के लिए लगभग 20 मिनट का समय देना पड़ता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में विश्लेषण से पता चला कि ओपीडी में प्रत्येक डॉक्टर ने प्रति मरीज 7.76 मिनट[50] दिए। उपरोक्त इंगित करता है कि या तो उपलब्ध डॉक्टरों के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता है या उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ रोगी की देखभाल के लिए अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है।

दूसरे, ओपीडी मरीजों में कमी की उपरोक्त स्थिति यह दर्शाती है कि समय के साथ पीएमएच द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या में इस तरह की कमी के लिए लेखापरीक्षा में पहचाने गए कारण सुविधाओं की कमी (शाम 4.00 बजे के बाद आपातकालीन ओटी, पैथोलॉजिकल लैब और विशेषज्ञ डॉक्टर की अनुपलब्धता), परीक्षण/जांच के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों की गैर–कार्यशीलता/अनुपलब्धता थे। आवश्यक दवाओं की कमी/अनुपलब्धता इत्यादि (इन मुद्दों पर भी प्रासंगिक पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है)।

[49]छह दिनों की जांच की गई ड्यूटी स्लिप के अनुसार ओपीडी में 25 डॉक्टरों की तैनाती के आधार पर औसत निकाला गया (25/6=4.16)।

[50]एक दिन में उपलब्ध कुल समय 390 मिनट (6 घंटे और 30 मिनट) ÷ {औसत रोगी भार (209) ÷ औसत संख्या। प्रति दिन ओपीडी में उपस्थित डॉक्टरों की संख्या (4.16)} =7.76 मिनट

7.6.3 आंतरिक रोगी सेवाएँ:

7.6.3.1 आईपीडी रोगी भार

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पीएमएच में आईपीडी रोगियों की संख्या नीचे तालिका 7.8 में दिखाई गई है:

तालिका 7.8 आईपीडी रोगी की स्थिति

वर्ष	आईपीडी रोगियों की संख्या
2017-18	1908
2018-19	1489
2019-20	1378
2020-21	878
2021-22	1808
कुल	**7461**

2017–18 की तुलना में 2019–20 में आईपीडी रोगियों का भार 530 संख्या (27.77 प्रतिशत) कम हो गया। 2020–21 में भार 500 अंक (36 प्रतिशत) कम हो गया था, लेकिन यह वर्ष कोविड के प्रभाव और जनता की गैर–आवाजाही के कारण चिह्नित किया गया था। हालाँकि, पीएमएच में आईपीडी रोगियों की संख्या में 2021–22 में सुधार हुआ और कोविड की स्थिति में सुधार के साथ यह संख्या 2017–18 के करीब पहुंच गई। आईपीडी सेवाओं से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन की चर्चा नीचे की गई है।

7.6.3.2 बिस्तर अधिभोग दर

बिस्तर अधिभोग दर अस्पताल सेवा की उत्पादकता का एक संकेतक है और यह सत्यापित करने का एक उपाय है कि उपलब्ध बुनियादी ढांचा और प्रक्रियाएं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। सरकार के दिशानिर्देश भारत सरकार ने प्रसूति अस्पताल में तीन दिन रुकने पर बिस्तर अधिभोग दर 80 प्रतिशत निर्धारित की है। सामान्य, सिजेरियन डिलीवरी, ऑपरेशन और अन्य गाइन प्रक्रियाओं के मामलों और बिस्तर पर रहने वाले (बिस्तर अधिभोग अनुपात के साथ) का विवरण तालिका 7.9 में दिया गया है:

तालिका 7.9 अस्पताल के वार्ड कक्ष में बिस्तर अधिभोग की स्थिति

वर्ष	सामान्य प्रसव के मामले	गर्भपात के मामलों की कुल संख्या	एएनसी एवं स्त्री रोग संबंधी मामलों की संख्या	कुल	3 दिनों के प्रवास के लिए आवश्यक बिस्तर की कुल संख्या	सिजेरियन मामले	5 दिनों के प्रवास के लिए आवश्यक बिस्तरों की कुल संख्या	कुल बिस्तर की आवश्यकता	एक वर्ष में कुल उपलब्ध बिस्तर (38*365)	बिस्तर अधिभोग अनुपात[51]
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6 (5*3दिन)	7	8 (7*5दिन)	9 (6+8)	10	11
2017-18	720	56	938	1714	5142	194	970	6112	13870	44.06
2018-19	585	50	786	1421	4263	68	340	4603	13870	33.19
2019-20	604	48	638	1290	3870	88	440	4310	13870	31.07
2020-21	541	12	231	784	2352	94	470	2822	13870	20.32
2021-22	1023	100	360	1483	4449	325	1625	6074	13870	43.79
कुल	**3473**	**266**	**2953**	**6692**	**20076**	**769**	**3845**	**23921**	**69350**	**34.49**

ऊपर से देखा जा सकता है कि बिस्तर अधिभोग अनुपात सभी वर्षों में लगातार कम हुआ है, जो 2017–18 में 44.06 प्रतिशत से घटकर 2020–21 में 20.32 प्रतिशत हो गया, लेकिन बाद में 2021–22 में 43.79 प्रतिशत तक सुधार हुआ। जांच से पता चला कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बिस्तर अधिभोग अनुपात केवल 34.49 प्रतिशत था, जबकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुशंसित 80 प्रतिशत था।

कुल संख्या वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 12421 रोगियों को प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) आईडी नंबर आवंटित किए गए थे, जबकि इस अवधि के दौरान केवल 4242 (34.15 प्रतिशत) प्रसव (सामान्य. सिजेरियन) किए गए ।

इतने कम बिस्तर अधिभोग अनुपात के लिए लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कारणों की पहचान की गई:

(i) शाम 4:00 बजे के बाद रिपोर्ट किए गए सभी मामले जिनमें पैथोलॉजिकल जांच, आपातकालीन ओटी में प्रवेश, विशेषज्ञ की उपलब्धता आदि की आवश्यकता थी, 24x7 लैब और आपातकालीन ओटी के संचालन न होने, विशेषज्ञ की अनुपलब्धता आदि के कारण अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिए गए। .

(ii) अन्य कारण सभी आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता, महत्वपूर्ण जांच उपकरणों का गैर–कार्यात्मक होना है। अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोप आदि, रसोई/कैंटीन सुविधा (आहार) आदि की अनुपलब्धता।

उपरोक्त से पता चलता है कि पूर्ण और संतोषजनक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण कई रोगियों ने बीच में ही अस्पताल आना बंद कर दिया।

[51]बिस्तर अधिभोग अनुपात एक वर्ष में प्रसव की संख्या को अस्पताल में रोगी के दिनों की संख्या (यानी सामान्य प्रसव आदि के लिए 3 दिन और सिजेरियन मामलों के लिए 5 दिन) से गुणा करके 365 दिनों के लिए वार्ड में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या (यानी 38 बिस्तर) से विभाजित किया जाता है।

7.6.3.3 पीएमएच द्वारा अन्य अस्पतालों को रेफर किए गए मामले

पीएमएच का नवीनीकरण वर्ष 2012 से 2014 के दौरान चौबीसों घंटे मातृत्व एवं बाल कल्याण सेवाएं प्रदान करने और बिस्तरों की संख्या में वृद्धि के साथ अधिक रोगियों को इलाज करने के उद्देश्य से किया गया था। यह देखा गया है कि अस्पताल के नवीनीकरण के बावजूद, सिजेरियन (सी–सेक) और अन्य गंभीर मामलों की आवश्यकता वाले प्रसव के मामलों को केवल दिन के समय शाम 4 बजे तक निपटाया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पीएमएच में हुई सामान्य/सीजेरियन डिलीवरी के विवरण/स्थिति और पीएमएच द्वारा अन्य अस्पतालों को भेजे गए मामलों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया है। विवरण तालिका 7.10 में निम्नानुसार दिया गया है:

तालिका 7.10 प्रसव के मामलों का विवरण और पीएमएच द्वारा अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया

वर्ष	सामान्य प्रसव के मामले	सिजे. रियन मामले	कुल	मासिक औसत मामले	केस को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया (प्रसव कक्ष और वार्ड से)	औसत मासिक मामले	पीएमएच में कुल प्रसव के संदर्भित मामलों का प्रतिशत
1	2	3	4=(2+3)	5=(4/12)	6	7=(6/12)	8 (7/5)
2017-18	720	194	914	76.17	435	36.25	47.59
2018-19	585	68	653	54.42	498	41.50	76.26
2019-20	604	88	692	57.67	347	28.92	50.14
2020-21	541	94	635	52.92	174	14.50	27.40
2021-22	1023	325	1348	112.33	133	11.08	9.87
कुल	**3473**	**769**	**4242**	**70.70**	**1587**	**26.45**	**37.41**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान कुल 4242 प्रसव (सामान्य और सिजेरियन) किए गए और इसी अवधि के दौरान 1587 मामले अन्य अस्पतालों में रेफर किए गए। मासिक आधार पर औसतन प्रसव के 71 मामले किए गए और साथ ही 26 मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया, जो इन वर्षों के दौरान कुल प्रसव के मामलों का 37 प्रतिशत है। हालाँकि, घरेलू प्रसव के मामलों में सुधार के साथ 2021–22 के दौरान अन्य चिकित्सा केंद्रों में रेफर किए गए मामलों की स्थिति 10 प्रतिशत तक कम हो गई है।

लेखापरीक्षा ने लेबर रूम और वार्ड में बनाए गए रजिस्टर में दर्ज रेफरल मामलों की एक महीने की स्थिति (अक्टूबर–2018, 2019, 2020 और 2021) की जांच की। संदर्भित मामलों का विवरण नीचे तालिका 7.11 में दिया गया है:

तालिका 7.11 लेबर रूम से अन्य अस्पतालों में रेफर किए गए मामलों का विवरण

क्रम सं.	अवधि	संदर्भित मामलों की संख्या		अपराह्न 4:00 बजे या उसके बाद संदर्भित मामलों की संख्या		शाम 4:00 बजे या उसके बाद रेफर किए गए मामलों का प्रतिशत	
		एलआर	वार्ड	एलआर	वार्ड	एलआर	वार्ड
1.	**अक्टूबर 2017**	लागू नहीं	11	लागू नहीं	5	लागू नहीं	45
2.	**अक्टूबर 2018**	14	8	11	3	79	37

क्रम सं.	अवधि	संदर्भित मामलों की संख्या		अपराह्न 4:00 बजे या उसके बाद संदर्भित मामलों की संख्या		शाम 4:00 बजे या उसके बाद रेफर किए गए मामलों का प्रतिशत	
3.	**अक्टूबर 2019**	29	11	22	3	76	27
4.	**अक्टूबर 2020**	11	1	08	--	73	--
5.	**अक्टूबर 2021**	14	2	11	1	79	50

जांच से पता चला कि पीएमएच की ओपीडी के सामान्य कामकाजी घंटों के बाद (शाम 4:00 बजे या उसके बाद) लेबर रूम से रेफर किए गए मामलों की संख्या अक्टूबर–2018 के महीने के दौरान कुल रेफर किए गए मामलों के 73 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच थी। अक्टूबर–2021 और इन महीनों के दौरान वार्ड 27 से 50 प्रतिशत तक रहा।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि इन मामलों को रेफर करते समय दर्ज किए गए कारणों में आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक, नर्सरी/एनबीएसयू और चिकित्सक की अनुपलब्धता शामिल थी। दर्ज किए गए कारण इस दृष्टि से उचित नहीं थे कि पीएमएच अस्पताल सरकार के दिशानिर्देश अनुसार उप–जिला अस्पताल है जो केवल गंभीर मामलों को संदर्भित करने के अलावा ये सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा शाम 4:00 बजे (दिन के समय) के बाद आवश्यक/प्रदान की जाने वाली सुविधाएं वही हैं जो सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी के मामलों के साथ–साथ दिन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल (नर्सरी) के लिए आवश्यक थीं। शाम 4:00 बजे के बाद संसाधनों (बुनियादी ढांचे, मानव) की उपलब्धता को जनशक्ति (डॉक्टर और नर्स, तकनीशियन) की तैनाती के बेहतर प्रबंधन, महत्वपूर्ण रिक्त पद (विशेषज्ञ/सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि) के खिलाफ भर्ती के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।) और उपकरणों आदि (ओटी/महत्वपूर्ण उपकरण आदि) की समय पर मरम्मत और उन्नयन। शाम 4.00 बजे के बाद चिकित्सा सेवाओं से इनकार और मामलों को अन्य अस्पतालों में रेफर करना उचित नहीं है।

7.6.3.4 नैदानिक सेवाएँ

कुशल और प्रभावी निदान सेवाएं, रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों, सटीक निदान के आधार पर जनता को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए सबसे आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में से एक हैं।

(ए) अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग न करना और मरीजों को उचित सेवाएं प्रदान न करना।

गर्भावस्था के दौरान बेहतर निदान के लिए गर्भवती महिलाओं (रोगियों) को अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आम तौर पर एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान जटिलताओं, यदि कोई हो, की पहचान करने के उद्देश्य से स्कैन करने के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अंतर्गर्भाशयी गर्भावस्था, हृदय गतिविधि, यूएसजी एनटी/एनबी स्कैन, यूएसजी लेवल–II (जन्मजात विसंगति), यूएसजी ग्रोथ स्कैन और कलर डॉपलर (30–34 सप्ताह) और यूएसजी ग्रोथ स्कैन. बीपीएस. कलर डॉपलर (37–38 सप्ताह) के निदान के लिए प्रारंभिक स्कैन) उपरोक्त के अलावा, इन सेवाओं का उपयोग गायनी संबंधी समस्याओं के साथ अस्पताल आने वाले अन्य रोगियों द्वारा भी किया जा रहा है।

इस उद्देश्य के लिए जून–2015 में ₹23.75 लाख की लागत से पीएमएच में अल्ट्रा साउंड मशीन स्थापित की गई थी। अल्ट्रासाउंड मशीन जून–2017 तक वारंटी अवधि के तहत थी और बाद में ₹1.75 लाख की लागत पर एक साल के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) लिया गया था। जो 4 जनवरी 2019 तक वैध था।

लेखापरीक्षा जांच से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां सामने आईं:

(i) फरवरी–2019 में तत्कालीन डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) द्वारा वीआरएस लेने के कारण अस्पताल में कोई रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण पहले प्राप्त सीएमसी की समाप्ति के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन की सीएमसी का नवीनीकरण नहीं किया गया था।

जांच में यह भी पता चला कि पीएमएच ने अक्टूबर–2019 में नए रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती तक उक्त मशीन को चरक पालिका अस्पताल (सीपीएच) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, मशीन को सीपीएच में स्थानांतरित करने के लिए न तो अंतिम निर्णय लिया गया और न ही मार्च–2019 से पीएमएच में इसका उपयोग किया गया (बाद में 40 महीने के अंतराल के बाद अगस्त–2022 से इसका उपयोग शुरू हुआ जब रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं आउटसोर्स की गईं)।

(ii) वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों की संख्या का वर्ष–वार विवरण नीचे तालिका 7.12 में दिया गया है:

तालिका 7.12 अल्ट्रासाउंड सुविधाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों की संख्या का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	महीने की संख्या	सुविधाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या	यूएसजी का मासिक औसत आयोजित किया गया	आउटसोर्स के माध्यम से सुविधा का लाभ उठाने वाले मरीजों की संख्या
1.	2017-18	12	4282	356	-
2.	2018-19 (फरवरी 2019 तक)#	11	2867	260	-
3.	मार्च 2019 से नवंबर 2020	(21)	-	-	310 (15 प्रति माह रोगी)
4.	दिसंबर 2020 से जुलाई 2022	(20)	-	-	-
5.	2022-23 (अगस्त' 2022 से मार्च 2023)	8	3774	472	-
	कुल	**31**	**10923**	**352**	**-**

नोटः रेडियोलॉजिस्ट के सेवानिवृत्त होने के कारण फरवरी–2019 के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन उपयोग में नहीं थी।

* नोटः अल्ट्रासाउंड सुविधा रेडियोलॉजिस्ट की सेवाओं की आउटसोर्सिंग के साथ अगस्त–2022 से शुरू हुई।

लेखापरीक्षा में पता चला कि अप्रैल–2017 से फरवरी–2019 और अगस्त–2022 से मार्च–2023 की अवधि के दौरान प्रति माह औसतन 352 रोगियों (10923/31) ने अल्ट्रासाउंड सुविधा का लाभ उठाया। तदनुसार, मार्च–2019 से जुलाई–2022 (41 महीने) के दौरान लगभग 14432 (352 ग 41) रोगियों को अल्ट्रासाउंड सुविधा की आवश्यकता थी, जब रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन इसके विरुद्ध मात्र 310 मरीजों को ही रेफर किया गया और आउटसोर्स के माध्यम से यह सुविधा निःशुल्क दी गयी. इसके अलावा दिसंबर 2020 से जुलाई 2022 के दौरान ये सेवाएं बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गईं। इस प्रकार, शेष 14122 (14432–310) मरीज (मार्च–2019 से जुलाई–2022) सुविधा से वंचित थे और अपनी जेब से बाजार लागत का भुगतान करके ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बाहरी निदान केंद्रों पर निर्भर थे। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का भारत सरकार का उद्देश्य (जेएसएसके दिशानिर्देश, भारत सरकार) विफल हो गया।

(iii) एक वर्ष की अवधि के लिए ₹4.94 लाख प्रति माह की लागत पर आउटसोर्सिंग निजी फर्म द्वारा अल्ट्रासाउंड की सुविधा अगस्त–2022 से फिर से शुरू की गई। समझौते के अनुसार आउटसोर्सिंग फर्म रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं प्रदान करके मरीजों को अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमएच की अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग करेगी।

ऐसी सेवाओं के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा नव नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बावजूद, पीएमएच एक रेडियोलॉजिस्ट की सेवाओं के लिए ₹4.94 लाख का भारी मासिक शुल्क/पारिश्रमिक दे रहा है, जबकि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को मासिक भुगतान लगभग ₹1.40 – ₹1.50 लाख का पारिश्रमिक मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता के साथ. इतनी अधिक लागत पर उपरोक्त व्यवस्था को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता और इसके परिणामस्वरूप ₹29.96 लाख (अगस्त–2022 से अप्रैल–2023 यानी लेखापरीक्षा की तारीख तक) का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, जांच से पता चला कि विभाग ने केवल 2021 के मध्य से अनुबंध के आधार पर एक रेडियोलॉजिस्ट को नियुक्त करने का प्रयास किया था, हालांकि अभी भी कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

इसलिए, मरीजों को संतोषजनक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थायी समाधान पाने के लिए नियमित/प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और जवाब दिया (जुलाई–2023) कि नियमित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मरीज को लागत प्रभावी तरीके से 24x7 घंटे सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(बी) महत्वपूर्ण उपकरणों का गैर/कम उपयोग

पीएमएच में विभिन्न उपकरण हैं जो मातृत्व सेवा के क्षेत्र में जांच, रोकथाम और संचालन में बहुत उपयोगी हैं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि नीचे चर्चा किए गए 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण या तो अप्रयुक्त थे या कम उपयोग किए गए थे:

(i) लेप्रोस्कोप उपकरण का उपयोग नसबंदी के उद्देश्य से किया जाता है जो एक शल्य प्रक्रिया है जो महिला के लिए स्थायी जन्म नियंत्रण प्रदान करती है। महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को हटाने में रुकावट शामिल होती है। ये नलिकाएं गर्भाशय के दोनों ओर होती हैं और अंडाशय की ओर बढ़ती हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम (एनएफपीपी) के तहत नसबंदी विधि द्वारा जन्म नियंत्रण के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक सुरक्षित निश्चित उपचार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त के अलावा, इस उपकरण का उपयोग रोग संबंधी जटिलताओं के साथ आने वाले रोगियों के संबंध में डिम्बग्रंथि के कैंसर, बांझपन, एंडोमेट्रियोसिस आदि का शीघ्र पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमएच में 5 लेप्रोस्कोपिक उपकरण थे जो 1987 से 2002 के बीच खरीदे गए थे। इन 5 उपकरणों में से, 4 लेप्रोस्कोपिक को 2013 में बेकार घोषित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए आखिरी और एकमात्र लेप्रोस्कोप को भी 2020 में बेकार घोषित कर दिया गया था। अस्पताल ने 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान इस उपकरण से केवल 17 ऑपरेशन/जांचें कीं (36 महीने यानी औसतन 0.5 मामले प्रति माह की दर से)। जांच में पता चला कि उसके बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण उपकरण नहीं खरीदा गया और अस्पताल इतने महत्वपूर्ण उपकरणों से वंचित रह गया। एनएफपीपी के तहत लैप्रोस्कोप नसबंदी द्वारा जन्म नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन भी पराजित हो गया।

(ii) कोल्पोस्कोप का उपयोग आवर्धन की सहायता से असामान्यताओं के घावों की जांच करने के लिए किया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कोल्पोस्कोपी के दौरान बायोप्सी भी संभव है।

पीएमएच में जनवरी–2014 में ₹ 5.19 लाख की लागत से एक कोल्पोस्कोप खरीदा गया था। यह मशीन 2019–20 से काम नहीं कर रही थी और इसके बाद मरीजों को चिकित्सा सेवाएं/प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए मरम्मत/रखरखाव अनुबंध नहीं किया गया था। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान इस मशीन के माध्यम से केवल नौ मामलों का निष्पादन किया गया।

(iii) हिस्टेरोस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से उन स्थितियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है जो असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, अंतर्गर्भाशयी विसंगतियों, लापता कॉपर–टी, अंतर्गर्भाशयी पॉलीप्स के उच्छेदन और बांझ रोगियों में ट्यूबल ओस्टिया का कारण बनती हैं। हिस्टेरोस्कोप उपकरण अगस्त–2010 में ₹ 34.88 लाख की लागत से खरीदा गया था। खरीद के बाद, अस्पताल ने वर्ष 2015 से 2019 के दौरान केवल 04 मामलों में इस मशीन का उपयोग जांच के लिए किया। इसके बाद, मशीन मई–2019 से काम नहीं कर रही है।

उपरोक्त से पता चलता है कि ₹ 34.88 लाख की लागत वाले ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण शुरू में 2019 तक कम उपयोग किए गए थे और उसके बाद गैर–कार्यात्मक होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया था।

पूछताछ करने पर बताया गया कि पर्याप्त तकनीशियन की अनुपलब्धता के कारण इनका उपयोग कम हो रहा था। तथ्य यह है कि इन मशीनों का या तो काम न करने के कारण या तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण ठीक से उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त उपकरणों की अनुपलब्धता/अनुपयोग/कम उपयोग के कारण मरीज पूर्ण एवं संतोषजनक जांच और उपचार से वंचित रह गए।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि नए लेप्रोस्कोप की खरीद और अन्य दो उपकरणों की मरम्मत का मामला पीएमएच द्वारा रखा जा रहा है।

7.6.3.5 संक्रमण नियंत्रण

परस्पर–संक्रमण और इसके प्रसार से बचने के लिए संक्रमण नियंत्रण प्रथाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसमें हाथ–स्वच्छता, एंटीसेप्सिस, व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरणों की नसबंदी, पर्यावरण नियंत्रण और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।

(ए) मानक संचालन प्रक्रियाएं

मरीजों, आगंतुकों और कर्मचारियों में अस्पताल से प्राप्त संक्रमण को रोकने के लिए, अस्पतालों के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के तहत स्वास्थ्य देखभाल केंद्र/अस्पताल द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के रूप में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक अनुसूची तैयार करना आवश्यक है।

पूछताछ करने पर, अस्पताल ने बताया कि अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति (एचआईसीटी) द्वारा तैयार डीपीसीसी के दिशानिर्देशों पर आधारित एसओपी (चेक लिस्ट) का पालन किया जा रहा है। हालाँकि, ऐसे अनुमोदित एसओपी की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा, एचआईसीटी की बैठक के मिनट्स का भी रखरखाव नहीं किया गया। उपरोक्त के अभाव में, लेखापरीक्षा संक्रमण की रोकथाम के लिए अस्पताल में एसओपी के अस्तित्व और कार्यान्वयन की पुष्टि नहीं कर सका।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि अब से, एसओपी की अनुमोदित प्रति एचआईसीटी द्वारा रखी जाएगी और एचआईसीटी की बैठक के सभी मिनटों को भविष्य में उपयोग के लिए रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(बी) केंद्रीय बाँझ आपूर्ति विभाग की अनुपलब्धता

केंद्रीय बाँझ आपूर्ति विभाग (सीएसएसडी) रोगी की सुरक्षा और सर्जिकल उपकरणों से संक्रमण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिकोण से, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सर्जिकल उपकरणों का उचित कीटाणुशोधन किया जाए।

डॉक्टरों की टीम की सिफारिश के आधार पर नवंबर–2012 में काउंसिल द्वारा सीएसएसडी की सुविधा को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, पीएमएच में सर्जिकल उपकरणों के कीटाणुशोधन के लिए कोई सीएसएसडी स्थापित नहीं किया गया था। पूछताछ करने पर, पीएमएच ने उत्तर दिया (फरवरी–2023) कि जगह की कमी के कारण पीएमएच में कोई सीएसएसडी स्थापित नहीं किया गया था।

अस्पताल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद ने डॉक्टरों की टीम द्वारा दिए गए सुझाव पर उचित विचार के बाद पीएमएच परिसर में सीएसएसडी स्थापित करने के प्रावधान को मंजूरी दे दी (नवंबर–2012)। अस्पताल में सीएसएसडी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से सर्जिकल उपकरणों के कीटाणुशोधन के कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि पीएमएच में सीएसएसडी सुविधा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सी) ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में स्थापित वायु शोधन प्रणाली का काम न करना।

सरकारी दिशानिर्देशों (एमएनएच दिशानिर्देशों) के अनुसार, एयर हैंडलिंग यूनिट में वायु शोधन प्रणाली होनी चाहिए। वायु शोधन प्रणाली ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हवा से प्रदूषक (कोई भी पदार्थ जो किसी चीज को गंदा करता है) को हटाने में मदद करता है और ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में संक्रमण दर को कम करता है। ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीवों को कम करने के लिए अगस्त–2013 में ₹7.20 लाख की लागत से तीन वायु शोधन प्रणालियाँ खरीदी गईं और फरवरी–2014 में पीएमएच में स्थापित की गईं।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वायु शोधन प्रणाली के सभी तीन उपकरण नवंबर–2019 से काम नहीं कर रहे थे और उसके बाद इन्हें कार्यात्मक बनाने के लिए मरम्मत/एएमसी नहीं की गई थी।

नवंबर–2019 से वायु शोधन प्रणाली के काम नहीं करने से पीएमएच के ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है।

वायु शोधन प्रणाली के काम न करने पर पीएचएम अपने जवाब (जुलाई–2023) में चुप है, हालांकि, जवाब दिया कि काम न करने के कारण संक्रमण में वृद्धि की कोई सूचना नहीं है। हकीकत तो यह है कि वायु शोधन प्रणाली के तीनों उपकरण अभी भी काम नहीं कर रहे थे।

(डी) एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग न होना

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, पचास बिस्तरों या उससे अधिक वाले प्रत्येक अस्पताल में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित करना अनिवार्य है क्योंकि अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट को सामान्य नगरपालिका कचरे के साथ मिश्रण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिषद ने पीएमएच परिसर में ईटीपी संयंत्र स्थापित करने के लिए (नवंबर–2012) में मंजूरी दे दी।

एनडीएमसी ने जून–2014 में ईटीपी (क्षमता 35 केएलडी) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ₹94.53 लाख (तीन साल की अवधि के लिए ₹8.40 लाख के संचालन और रखरखाव लागत सहित) की राशि का ठेका निजी फर्म को दिया। एनडीएमसी ने समझौते के अनुसार दिसंबर–2014 में फर्म को ₹74.44 लाख की राशि (कुल अनुबंध मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत) जारी की। ईटीपी को अंततः 23 जुलाई 2015 को अस्पताल में चालू किया गया। ₹11.69 लाख (₹20.09 लाख – ₹8.40 लाख) का शेष भुगतान एक महीने के लिए सफल कमीशनिंग और ट्रायल रन पर फर्म को जारी किया जाना था। फर्म ने 31 जुलाई 2018 तक उक्त ईटीपी का संचालन किया और उसके बाद शेष भुगतान जारी करने के अभाव में संयंत्र बंद कर दिया। अंततः सितंबर–2021 में फर्म को भुगतान जारी कर दिया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि प्लांट जुलाई–2015 से जुलाई–2018 तक तीन साल की अनुबंध अवधि के लिए लगातार परिचालन में था। इस अवधि के दौरान फर्म ने शेष भुगतान जारी करने के लिए राजी किया, लेकिन डीपीसीसी अनुमोदित प्रयोगशाला से जल परीक्षण रिपोर्ट जमा करने पर जोर देने के कारण इसे रोक दिया गया, जो कि स्थापना के लिए शेष भुगतान जारी करने के लिए एनआईटी की आवश्यकता नहीं थी। जनवरी–2018 में अनुमोदित प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट जमा करने के बाद भी, भुगतान केवल सितंबर–2021 में जारी किया गया था। इसके अलावा, मामले को संसाधित करने में अत्यधिक देरी के साथ ओ एंड एम लागत भी पार्टी (सितंबर–2021) को जारी की गई थी। चूंकि पीएमएच ने स्थापना लागत के साथ–साथ वार्षिक ओएंडएम शुल्क का शेष भुगतान जारी नहीं किया है, इसलिए फर्म जुलाई–2018 के बाद ईटीपी संचालित करने के लिए आगे नहीं आई।

विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण ईटीपी अगस्त–2018 से फरवरी–2022 (42 महीने) तक गैर–कार्यात्मक और अप्रयुक्त रहा। विभाग ने न तो विक्रेता को भुगतान के मुद्दे का निपटारा किया और न ही ईटीपी चलाने के लिए प्रक्रिया करने और नया ठेका देने के लिए कोई कार्रवाई की। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अस्पताल के कचरे को भी सामान्य सीवरेज के साथ बाहर निकालने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप जनता को स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ा।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया, हालांकि, जवाब दिया (जुलाई–2023) कि ईटीपी कोविड महामारी के कारण कार्यात्मक नहीं था। आगे कहा गया कि ईटीपी को दोबारा शुरू करने में देरी हुई और अब ईटीपी एक साल से पूरी तरह कार्यात्मक है। पीएमएच का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत में अप्रैल/मई–2020 से कोविड महामारी शुरू हुई थी। एजेंसी द्वारा ओएंडएम अनुबंध के नवीनीकरण को स्वीकार न करने के कारण ईटीपी अगस्त–2018 से गैर–परिचालन था क्योंकि उनका भुगतान एनडीएमसी द्वारा रोक दिया गया था। इस प्रकार, तथ्य यह है कि 42 महीनों के दौरान ईटीपी के संचालन न होने के कारण, अस्पताल के कचरे को सामान्य सीवरेज के साथ बाहर निकालने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप जनता को स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ा।

(ई) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए गैर–प्राधिकरण

पीएमएच अस्पताल में बायो मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा अधिकृत है। DPCC तीन वर्षों के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है। प्रमाणपत्र के धारक को इस प्राधिकरण की समाप्ति के एक महीने से पहले नियमों के तहत प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

जांच से पता चला कि DPCC द्वारा PMH को जारी किया गया प्रमाणपत्र केवल जून–2019 तक वैध था। आगे उल्लेख किया गया कि अस्पताल ने आवेदन के साथ जून–2019 में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन डीपीसीसी के साथ दस्तावेज/औपचारिकताओं को पूरा करने में विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण, डीपीसीसी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था और अस्पताल ऐसे प्रमाण पत्र के बिना चलाया जा रहा था। जून–2019 के बाद से आज तक।

पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि नवीनीकृत डीपीसीसी प्रमाणपत्र पीएमएच को 25 मई 2023 को प्राप्त हो गया था, लेकिन, तथ्य यह है कि पीएमएच ने पिछले चार वर्षों के दौरान डीपीसीसी प्रमाणपत्र के बिना अस्पताल में बायो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन किया।

7.6.3.6 आहार सेवा

(ए) पीएमएच में रसोई और कैंटीन सुविधा की अनुपलब्धता

भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देश में परिकल्पना की गई है कि गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पताल में रहने के दौरान (सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन तक और सिजेरियन डिलीवरी के लिए 7 दिन तक) मुफ्त आहार पाने की हकदार हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रसव प्रक्रिया के साथ–साथ प्रसव के बाद रिकवरी की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है। दिशानिर्देशों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, नियमित रसोई के संचालन के अभाव में, अस्पताल को आउटसोर्स के माध्यम से ऐसी सेवाएं लेनी होती हैं, लेकिन ऐसी सेवाएं मरीजों को मुफ्त प्रदान की जानी होती हैं।

हालाँकि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीएमएच में रसोई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह भी पाया गया कि आहार विशेषज्ञों के दो पद स्वीकृत थे, लेकिन वे अब तक भरे नहीं गये। अस्पताल ने गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्स सेवा भी नहीं ली।

उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में, मरीज और उनके परिचारक पास के बाहरी भोजन दुकानों पर निर्भर हो गए हैं। इस प्रकार, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने की सरकार की योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई–2023) और जवाब दिया कि रोगी के हित में पीएमएच में रसोई और कैंटीन सेवाएं शुरू करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास जारी हैं।

7.6.3.7 जनशक्ति संसाधन

अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता और दक्षता काफी हद तक उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों की पर्याप्तता पर निर्भर करती है जैसे मेडिकल, पैरा–मेडिकल और अन्य सहायक कर्मचारी।

(ए) जनशक्ति का गैर–इष्टतम उपयोग

पीएमएच में सैंक्शन स्ट्रेंथ (एसएस) के साथ–साथ पर्सन–इन–पोजिशन (पीआईपी) की स्थिति और मेडिकल, पैरा–मेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की कमी नीचे तालिका 7.13 में दी गई है:

तालिका 7.13 पीएमएच में स्टाफ की स्थिति

	2017-22	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
पीएमएच में स्टाफ की स्थिति	एस एस	पी आई पी	कमी (प्रतिशत)	पीआई पी	कमी (प्रतिशत)	पी आई पी	कमी (प्रतिशत)	पी आई पी	कमी (प्रतिशत)	पीआई पी	कमी (प्रतिशत)
चिकित्सा कर्म. चारी	67	25	42 (63)	36	31 (46)	29	38 (57)	37	30 (45)	40	27 (40)
पैरा मेडिकल स्टाफ	94	54	40 (43)	50	44 (47)	50	44 (47)	47	47 (50)	47	47 (50)
अन्य	41	14	27(66)	15	26 (63)	16	25 (61)	15	26 (63)	15	26 (63)

टिप्पणी: i) मेडिकल स्टाफ – विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट्स और जूनियर रेजिडेंट्स

ii) पैरामेडिकल स्टाफ – नर्सिंग स्टाफ (सहायक मैट्रन, नर्सिंग स्टाफ प्रभारी, स्टाफ नर्स (ग्रुप 'ए'), एएनएम (सहायक)

iii) नर्सिंग मिडवाइफरी) – ग्रुप 'बी', एलएचवी (लेडी हेल्थ विजिटर) – ग्रुप 'बी' , प्रयोगशाला और तकनीकी कर्मचारी।

अन्य कर्मचारियों में फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ, मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी, रसोई कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं पद–पर–व्यक्ति तथा स्वीकृत ताकत के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई है:

(i) लेखापरीक्षा ने विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट जैसे चिकित्सा कर्मचारियों की श्रेणी–वार स्थिति की भी समीक्षा की। विवरण नीचे तालिका 7.14 में दिया गया है:

तालिका 7.14 मेडिकल स्टाफ की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत शक्ति				व्यक्ति–पद पर				कमी			
	विशेषज्ञ	मेडिकल अधिकारी	सीनियर रेजिडेंट	जूनियर रेजिडेंट	विशेषज्ञ	मेडिकल अधिकारी	सीनियर रेजिडेंट	जूनियर रेजिडेंट	विशेषज्ञ	मेडिकल अधिकारी	सीनियर रेजिडेंट	जूनियर रेजिडेंट
2017-18	11	14	21	21	07	08	06	04	04	06	15	17
2018-19	11	14	21	21	07	12	07	10	04	02	14	11
2019-20	11	14	21	21	06	10	05	08	05	04	16	13
2020-21	11	14	21	21	07	10	09	11	04	04	12	10
2021-22	11	14	21	21	07	10	07	16	04	04	14	05

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सबसे अधिक कमी/आवश्यकता सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों (2021–22 में 67 प्रतिशत[52]) और विशेषज्ञ डॉक्टरों (2021–22 में 36 प्रतिशत[53]) के संबंध में थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मरीजों

[52] 21 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 7 की पीआईपी 67 प्रतिशत की कमी के बराबर है।

[53] 11 की स्वीकृत ताकत के मुकाबले 7 की पीआईपी 36 प्रतिशत की कमी के बराबर है

को शाम 4.00 बजे के बाद अन्य अस्पतालों में रेफर करने का एक कारण (या 24x7 सेवाएं नहीं चलाना) विशेषज्ञ और सीनियर रेजिडेंट यानी एनेस्थीसिया की कमी थी (2021–22 में आठ के एसएस के मुकाबले चार पीआईपी जो कि थी) 2022–23 में इसे घटाकर तीन पीआईपी कर दिया गया), याने (2021–22 में 11 के एसएस के मुकाबले छह पीआईपी) और रेडियोलॉजिस्ट (2022–23 में दो के एसएस के मुकाबले शून्य पीआईपी)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विशेषज्ञ श्रेणी के तहत रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पद को न भरने के कारण (रेडियोलॉजिस्ट की सेवानिवृत्ति पर फरवरी–2019 से), मार्च–2019 से जुलाई–2022 तक अल्ट्रासाउंड जांच नहीं की गई (310 मामलों को छोड़कर जो आउटसोर्स एजेंसी द्वारा किए गए थे)। इसके बाद 1 जनवरी 2019 से अगस्त–2022 में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के बजाय रेडियोलॉजिस्ट की सेवाओं को भारी मासिक भुगतान पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किया गया था। यह रोगियों को पूर्ण और संतोषजनक निदान सेवा प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसे पद को भरने की तात्कालिकता को इंगित करता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021–22 में ओपीडी में मरीजों की संख्या 28 प्रतिशत कम हो गई, जबकि 2017–18 से 2021–22 के दौरान उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या 25 से बढ़कर 40 हो गई (मुख्य रूप से जूनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर)। यह इंगित करता है कि इन दो श्रेणियों के तहत डॉक्टरों की बढ़ी हुई संख्या की सेवाओं का उपयोग कमी को पूरा करने के लिए इष्टतम तरीके से नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन ओटी में मरीजों पर उचित ध्यान देने और शाम 4.00 बजे के बाद मरीजों को देखने के लिए कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा चिकित्सा कार्यालयों और जूनियर रेजिडेंट के कैडर में मौजूदा पद पर कार्यरत व्यक्तियों का अधिकतम उपयोग करने की भी आवश्यकता है।

(ii) पैरा–मेडिकल स्टाफ की स्थिति का विवरण। नर्स, तकनीकी कर्मचारी और प्रयोगशाला सहायक नीचे तालिका 7.15 में दिए गए हैं:

तालिका 7.15 पैरा–मेडिकल स्टाफ की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत शक्ति		व्यक्ति–पद पर		कमी		कमी का प्रतिशत	
	नर्स	तकनीशियन / लैब स्टाफ	नर्स	तकनीशियन / लैब स्टाफ	नर्स	तकनीशियन / लैब स्टाफ	नर्स	तकनीशियन / लैब स्टाफ
2017-18	61	33	45	09	16	24	**26.23**	72.73
2018-19	61	33	41	09	20	24	32.79	72.73
2019-20	61	33	40	10	21	23	34.43	**69.70**
2020-21	61	33	40	07	21	26	34.43	78.79
2021-22	61	**33**	40	**07**	21	26	**34.43**	**78.79**

लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि 2017–18 से 2021–22 के दौरान नर्सिंग स्टाफ में 26 से 34 प्रतिशत और तकनीकी स्टाफ (तकनीशियन प्लस लैब असिस्टेंट) में 70 से 79 प्रतिशत की कमी थी। नर्सिंग स्टाफ के कैडर में, वर्तमान पीआईपी बिस्तर अधिभोग अनुपात आदि को देखते हुए पर्याप्त प्रतीत होता है, केवल इस कैडर के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता है। तकनीकी संवर्ग में जहां कमी गंभीर थी (2021–22 में 33 नंबरों के एसएस के मुकाबले 7 पीआईपी), लैब और ओटी सेवाओं को ठीक से और शाम 4.00 बजे (24x7) के बाद भी चलाने के लिए रिक्तियों को प्राथमिकता पर भरने की जरूरत है।

(iii) मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी का एक स्वीकृत पद था लेकिन वह 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान खाली रहा। ऐसे पद न भरे जाने के कारण मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं। लेबर रूम, ओटी, वार्ड, ओपीडी, दवा, स्टोर आदि के रजिस्टर ठीक से नहीं रखे जा रहे थे। मरीजों के पूरे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड पास के स्टाफ क्वार्टर में अव्यवस्थित और दयनीय स्थिति में फेंके जा रहे थे।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक विशेषज्ञों (रेडियोलॉजिस्ट सहित), सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल करने की आवश्यकता और मांग प्रक्रियाधीन है।

7.6.3.8 सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणाली

(ए) अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन न करना।

भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार, अस्पताल और नर्सिंग होम संस्थागत भवनों की श्रेणी में आते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 और दिल्ली फायर सर्विस नियम 2010 में प्रकार, ऊंचाई और क्षेत्र के अनुसार विभिन्न अग्नि सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया गया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अस्पताल में आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं (i) दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के तहत गैर आवासीय भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक है जिसे तीन साल के बाद नवीनीकृत किया जाना है (ii) नियमित निरीक्षण और अग्निशमन अधिकारियों या तीसरे पक्ष के अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल का पुनः निरीक्षण। (iii) अस्पताल के कर्मचारियों के लिए लघु अवधि का प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम (iv) अग्नि और जीवन सुरक्षा ऑडिट।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्निशमन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा पीएमएच को अगस्त–2016 में अगस्त–2019 तक वैधता के साथ जारी किया गया था। नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने में देरी हुई। प्रमाण पत्र अंततः दिसंबर–2022 में पीएमएच द्वारा प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि अस्पताल अगस्त–2019 से बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के चल रहा था। इस अवधि (सितंबर–2019 से नवंबर–2022) के दौरान कर्मचारियों, मरीजों, परिचारकों की सुरक्षा खतरे में थी।

यह भी देखा गया है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नियमित रूप से निरीक्षण/अभ्यास नहीं किया गया। सितंबर–2018 से जून–2022 के दौरान कोई फायर ड्रिल नहीं की गई। इसके अलावा, अग्नि सुरक्षा मानदंडों आदि के संबंध में कर्मचारियों के लिए छोटी अवधि के प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। इसके अलावा, 2017–18 से 2022 की अवधि के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा कोई अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अस्पताल अग्नि सुरक्षा मानदंडों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है।

पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी और फायर ड्रिल का संचालन न करना कोविड महामारी के कारण था। इसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग (डीएफएस) ने नवीनीकरण के लिए लॉकडाउन के दौरान साइट पर निरीक्षण करने से इनकार कर दिया (अप्रैल–2020)। हालाँकि, नवीनीकृत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र 13 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुआ और नियमित अग्नि अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।

पीएमएच का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो पीएमएच ने समय पर नए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया और न ही लॉकडाउन के बाद मामले को आगे बढ़ाया। इसके अलावा, पीएमएच ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अस्पताल अग्नि सुरक्षा मानदंडों का ठीक से पालन नहीं कर रहा था।

(बी) अपर्याप्त सुरक्षा प्रणाली

नवजात शिशुओं की चोरी की किसी भी संभावना से बचने के लिए परिषद ने रोगियों और नवजात शिशुओं के सर्वोत्तम हित में उपलब्ध सुरक्षा बुनियादी ढांचे में खामियों को दूर करने के लिए सुरक्षा कड़ी करने की आवश्यकता महसूस की। इस प्रयोजन के लिए, परिषद ने नवजात शिशुओं और सीसीटीवी प्रणाली के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग (आरएफटी या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन–आरएफआईडी)[54] स्थापित करने के लिए नवंबर–2012 में मंजूरी दे दी। परिषद ने ईपीएबीएक्स प्रणाली को भी मंजूरी दे दी है जो सुरक्षा उद्देश्यों के साथ–साथ आपातकालीन स्थितियों सहित त्वरित रोगी देखभाल के लिए अस्पताल के कर्मचारियों के बीच संचार के लिए आवश्यक होगी। पीएमएच में ये सिस्टम साल 2013 में लगाए गए थे.

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सीसीटीवी सिस्टम के 32 कैमरे चालू थे. हालाँकि आरएफआईडी और ईपीएबीएक्स सिस्टम क्रमशः जनवरी–2016 और फरवरी–2017 से चालू नहीं हैं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नर्सरी ने नए टैग की आवश्यकता के लिए जनवरी–2016 में सेंट्रल स्टोर को मांगपत्र प्रस्तुत किया था। हालाँकि, आरएफआईडी को संचालित करने के लिए टैग के स्टॉक को फिर से भरने के लिए खरीद की प्रक्रिया नहीं की गई थी।

पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि आरएफआईडी प्रणाली को उनके सेटअप के लिए व्यावहारिक/प्रभावी नहीं पाया गया क्योंकि टैग बोझिल थे और बच्चे इन टैगों के साथ सहज नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरएफआईडी प्रणाली की स्थापना से पहले डॉक्टरों की एक टीम ने पीएमएच में विशेष रूप से नवजात शिशुओं के लिए आरएफआईडी प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिनकी चोरी शहर में बहुत आम है। सुझाव के आधार पर काउंसिल ने पीएमएच में आरएफआइडी सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी.

इसके अलावा, ईपीएबीएक्स केवल फरवरी–2017 तक एएमसी अवधि के दौरान चालू था। इसके बाद, ठेकेदार को भुगतान न करने के कारण, उनके द्वारा सेवा बंद कर दी गई। पीएमएच ने उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि नई ईपीएबीएक्स प्रणाली की खरीद के लिए फाइल चल रही है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि कैमरे चालू हैं लेकिन कॉम्पैक्ट फुल प्रूफ सुरक्षा प्रणाली (कैमरे, आरआईडीएफ टैग और ईपीबीईएक्स से युक्त) के कार्यान्वयन का उद्देश्य विफल हो गया है और नवजात शिशुओं की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है।

[54]आरएफआईडी ट्रैकिंग चिकित्सा कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और देखभाल प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अस्पताल में किसी भी मरीज के स्थान का पता लगाने में मदद करती है। रोगी ट्रैकिंग विशेष रूप से नवजात इकाइयों, बाल चिकित्सा विभागों या वृद्धावस्था रोगियों पर नज़र रखने के लिए प्रासंगिक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) एक ऐसी तकनीक है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।

7.6.3.9 औषधि प्रबंधन

दवाओं की समय पर, निर्बाध आपूर्ति और आसानी से उपलब्धता के आधार पर जनता को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए दवाओं की पहुंच, उपलब्धता, रिकॉर्ड रखना और स्टोर में भंडारण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रमुख कार्य हैं।

पीएमएच ने एनडीएमसी के सेंट्रल मेडिकल स्टोर (सीएमएस) से दवाएं प्राप्त कीं और फार्मेसी के माध्यम से ओपीडी रोगियों को और वार्ड, ओटी, नर्सरी और लेबर रूम के माध्यम से इनडोर रोगियों को मुफ्त में वितरित किया। यदि पीएमएच में दवाएं स्टॉक से बाहर थीं और सीएमएस में उपलब्ध नहीं थीं, तो पीएमएच स्टोर ने स्थानीय बाजार से दवा खरीदी। लेखापरीक्षा जांच में पीएमएच में दवाओं की उपलब्धता, वितरण, रिकॉर्ड रखने और भंडारण पर निम्नलिखित कमियां सामने आईं:

(i) पीएमएच स्टोर ने वार्षिक आधार पर दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की अन्य वस्तुओं की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया और पीएमएच को आपूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं को सीएमएस को भेज दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएमएस से मांगी गई दवाओं के मूल्यांकन का कोई मानदंड/आधार नहीं था। वार्षिक मांग के विवरण से पता चला कि मूल्यांकन पिछले वर्ष दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की खपत पर आधारित था, हालांकि, इनके बीच कोई संबंध नहीं था। पिछले वर्ष की खपत और ताजा मांग/मांगी गई मात्रा के बीच भारी अंतर के लिए दर्ज कारणों और औचित्य का भी उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए दवाओं और सर्जिकल वस्तुओं की ताजा मांग के रिकॉर्ड की जांच की गई। मांग का विवरण और मांग का आधार नीचे तालिका 7.16 में दिया गया है:

तालिका 7.16 पिछले वर्ष की खपत के मुकाबले अपेक्षित दवाओं और अपेक्षित मात्रा का प्रतिशत (सीमा) का विवरण

वर्ष	सीएमएस के बयान के अनुसार दवाओं की संख्या		पीएमएच द्वारा अपेक्षित दवाओं की संख्या		पीएमएच द्वारा पिछले वर्ष के दौरान उपभोग नहीं की गई यद्यपि अपेक्षित दवाओं की संख्या		दवाओं की संख्या, सर्जिकल आइटम और पिछले वर्ष की खपत के मुकाबले अपेक्षित मात्रा का प्रतिशत (सीमा)।	
	दवाइयाँ	सर्जिकल आइटम	दवाइयाँ	सर्जिकल आइटम	दवाइयाँ	सर्जिकल आइटम	दवाइयाँ (अनुलग्नक-I)	सर्जिकल आइटम (अनुलग्नक-II)
2020-21	388	135	186	59	8	23	13 (100 प्रतिशत से 1329 प्रतिशत)	15 (100 प्रतिशत से 1400 प्रतिशत)
2021-22	428	137	360	94	47	53	39 (100 प्रतिशत से 30669 प्रतिशत)	24 (100 प्रतिशत से 900 प्रतिशत)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सीएमएस की औषधियों की सूची के अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु मरीजों के उपचार हेतु क्रमशः 388 नम्बर एवं 428 नम्बर की आवश्यकता थी। जिसके विरुद्ध 2020–21 में 186 संख्या

में एवं 2021–22 में 360 संख्या में दवाओं की मांग पीएमएच द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपेक्षित दवाओं की उपरोक्त सूची में वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः 8 दवाएं और 47 दवाएं शामिल हैं, हालांकि पिछले वर्षों में इन दवाओं की खपत शून्य थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2020–21 के दौरान, 13 दवाओं के संबंध में अपेक्षित मात्रा पिछले वर्ष की खपत से 100 से 1329 प्रतिशत अधिक थी और वर्ष 2021–22 के दौरान 39 दवाओं के संबंध में मांगी गई मात्रा पिछले वर्ष की खपत से 100 से 30669 प्रतिशत अधिक थी।

इसी प्रकार सीएमएस की सर्जिकल आइटम की सूची के अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में मरीजों के उपचार हेतु क्रमशः 135 नम्बर एवं 137 नम्बर की आवश्यकता थी। जिसके विरूद्ध 2020–21 में 59 संख्या में सर्जिकल आइटम एवं 2021–22 में 94 संख्या में सर्जिकल आइटम की मांग पीएमएच द्वारा की गई थी। अस्पताल को वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः 23 सर्जिकल आइटम और 53 सर्जिकल आइटम की आवश्यकता थी, हालांकि पिछले वर्षों में इन सर्जिकल आइटम की खपत शून्य थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2020–21 के दौरान, 15 संख्या में सर्जिकल वस्तुओं के संबंध में अपेक्षित मात्रा पिछले वर्ष की खपत से 100 से 1400 प्रतिशत अधिक थी और 24 संख्या में सर्जिकल वस्तुओं के संबंध में अपेक्षित मात्रा वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की खपत से 100 से 900 प्रतिशत अधिक थी।

उपरोक्त इंगित करता है कि उपभोग के संबंध में इंडेंट/मांग रखने में कोई उचित तर्कसंगतता नहीं थी।

i) वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि स्टोर में प्राप्त या जारी की गई सभी वस्तुओं को लेनदेन होने की तारीख पर स्टॉक रजिस्टर (फॉर्म जीएफआर–23) में दर्ज किया जाना चाहिए। हालाँकि, पीएमएच मेडिकल स्टोर ने स्टॉक रजिस्टर (रसीद, जारी और शेष स्टॉक) का रखरखाव नहीं किया था। हालाँकि, मेडिकल स्टोर से प्राप्त दवाओं के संबंध में लेबर रूम, ओटी, वार्ड और नर्सरी में स्टॉक रजिस्टर बनाए रखा जा रहा था लेकिन अनुचित तरीके से। लेबर रूम, ओटी, वार्ड और नर्सरी में स्टोर से दवाएं प्राप्त होने पर इन्हें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और सीधे उसी अनुभाग को जारी किया गया दिखाया जाता था। वार्ड, लेबर रूम और ओटी में भी रोगीवार/बिस्तरवार या दैनिक/समय–समय पर दवाओं की खपत आदि दर्ज नहीं की गई थी। इस प्रकार, वित्तीय नियमों के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव न करने और किसी विशेष दिन पर स्टॉक की मात्रा की अनुपलब्धता के कारण, मरीजों को दवाओं के निर्बाध और समय पर उपलब्ध होने का आश्वासन नहीं मिलने के अलावा दवाओं की चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

हालाँकि, नारकोटिक (यानी पेथेडीन. मॉर्फिन) के नियंत्रण में दवा के स्टॉक का रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखा गया था। मरीज के हिसाब से दवा की खपत का रिकार्ड रखा गया।

ii) पीएमएच ने स्थानीय बाजार से वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः ₹ 15.75 लाख और ₹ 24.61 लाख की दवाएं और अन्य उपभोग्य वस्तुएं खरीदीं। पीएमएच स्टोर में दवा–वार रिकॉर्ड (प्रारंभिक शेष, प्राप्तियां, निर्गम/खपत और दवाओं का अंतिम शेष) की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा स्थानीय खरीद के औचित्य का पता नहीं लगा सकी।

पीएमएच ने दवाओं और उपभोज्य वस्तुओं की चोरी, समाप्ति, क्षति आदि से संबंधित रिकॉर्ड/रजिस्टर नहीं बनाए रखा। ऐसे रिकॉर्ड के अभाव में, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के दुरुपयोग, चोरी, समाप्ति, क्षति आदि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (जुलाई–2023) और जवाब दिया कि मरीजों को प्रतिदिन वितरित की जाने वाली सभी दवाओं की पूरी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाएगी।

7.6.3.10 अन्य चिकित्सा सेवाएँ/सुविधाएँ

एनडीएमसी की परिषद ने अस्पताल के सुचारू संचालन और रोगी को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमएच के परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं/सेवाएं स्थापित करने/प्रदान करने को मंजूरी दे दी। हालाँकि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीएमसी में अब तक निम्नलिखित सुविधाएं/सेवाएं स्थापित/प्रदान नहीं की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में मरीज को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से समझौता हुआ है।

क्र. सं.	सुविधाओं और सेवाओं का नाम	परिषद/बजट द्वारा अनुमोदन की तारीख
1	एक अतिरिक्त इंजेक्शन कक्ष और दो अतिरिक्त बाल चिकित्सा ओपीडी को मंजूरी दी गई। इनमें से पीएमएस में केवल एक अतिरिक्त बाल चिकित्सा ओपीडी (2013–14) शुरू की गई थी। इस प्रकार परिषद के नोट के अनुसार दो इंजेक्शन कक्ष और तीन बाल चिकित्सा ओपीडी की मंजूरी/आवश्यकता की तुलना में पीएमएच में केवल एक इंजेक्शन कक्ष और दो बाल चिकित्सा ओपीडी कार्यरत हैं।	नवंबर-2012
2	लेबर रूम में एक अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा को मंजूरी दी गई। हालाँकि, लेबर रूम में न तो अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई और न ही संचालित की गई। अस्पताल में मौजूदा एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन संचालित की जा रही थी।	नवंबर-2012
3.	एक्स–रे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक एक्स–रे कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि अस्पताल में अभी भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है	अगस्त-2011
4.	अस्पताल में उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (पी. आईडी) की खरीद को मंजूरी दी गई (₹ 10.15 लाख)। हालाँकि, सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह उपकरण न तो खरीदा गया है और न ही स्थापित किया गया है	नवंबर-2012
5	वर्ष 2014–15 और 2016–17 के एनडीएमसी बजट में मौजूदा सार्वजनिक चिकित्सा सुविधाओं के क्लाउड आधारित एकीकरण के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने का प्रस्ताव था और जिसे एनडीएमसी के अस्पतालों में जनवरी–2017 से लागू किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अस्पताल में विभिन्न क्षेत्रों में कोई एमआईएस प्रणाली लागू नहीं की गई है, जैसे एएनसी कार्ड जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड, इनडोर रोगी, ओटी, प्रसव, नवजात शिशु, वार्ड में दी जाने वाली दवाएं, लेबर रूम, ओटी और नर्सरी और रजिस्टर। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मैन्युअल रूप से रखे जाते हैं।	2014-15 और 2016-17
6.	वर्ष 2017–18 के एनडीएमसी बजट में पीएमएच में एक होम्योपैथिक ओपीडी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। हालाँकि, आज तक अस्पताल में कोई होम्योपैथिक ओपीडी चालू नहीं है।	2017-18
7	चिकित्सा विशेषज्ञों की वास्तविक समय की ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग की सुविधा के लिए पीएमएच में एक वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रस्तावित की गई थी। हालाँकि, पीएमएच में अभी तक ऐसी कोई वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।	2016-17

पीएमएच ने उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जुलाई–2023) और आगे उत्तर दिया कि अब पीएमएच के ओपीडी ब्लॉक में तीन बाल चिकित्सा ओपीडी चल रही हैं।

7.6.3.11 अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त न करना।

अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ मानकों और गुणवत्ता जांच के आधार पर अस्पताल को मान्यता (प्रमाणन) प्रदान करता है। एनएबीएच मानक बदलते स्वास्थ्य देखभाल परिवेश में रोगी की सुरक्षा और अस्पताल द्वारा सेवाओं की डिलीवरी की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी अस्पताल द्वारा एनएबीएच मान्यता रोगियों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करती है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पीएमएच ने 2014 में एनएबीएच से मान्यता (प्रमाणन) प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एनएबीएच द्वारा योग्यता मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और गुणवत्ता जांच स्तर की प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहा। अस्पताल ने पिछले आठ वर्षों के दौरान एनएबीएच द्वारा निर्धारित मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

पीएमएच अधिकारियों को अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं में लोगों का विश्वास बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और आवश्यक मानकों का पालन करने का निर्णय लेना चाहिए था।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जुलाई–2023) और उत्तर दिया कि एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

7.6.3.12 शिकायत निवारण

भारत सरकार (जेएसएसके) के दिशानिर्देशों ने प्रसूति अस्पतालों में शिकायत निवारण प्रणाली/तंत्र के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं निर्धारित की हैं।

i) अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों पर शिकायत निवारण प्राधिकारियों के नाम, पता, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल/फैक्स नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

ii) सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्प डेस्क और सुझाव/शिकायत बॉक्स स्थापित करें

iii) सभी स्वास्थ्य केंद्रों में शिकायतकर्ताओं से मिलने और निःशुल्क हक से संबंधित इन शिकायतों के निवारण के लिए प्रति सप्ताह किसी भी दो कार्य दिवस पर निर्धारित घंटे (कम से कम एक घंटा) रखें।

iv) की गई कार्यवाही (प्राप्त शिकायतें, सुनवाई, समय सीमा और शिकायतकर्ताओं के साथ संचार आदि) का उचित रिकॉर्ड बनाए रखें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी के नाम, पते, टेलीफोन, ईमेल आदि के साथ ओपीडी काउंटर के बाहर मरीज के अधिकार और जिम्मेदारी प्रदर्शित की गई थी। साथ ही परिसर में शिकायत/सुझाव पेटी भी उपलब्ध करायी गयी।

हालाँकि, शिकायतों की प्राप्ति, की गई कार्यवाही, ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए लिया गया समय आदि की निगरानी के उद्देश्य से रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, निवारण के लिए न तो कोई समयसीमा तय की गई है और न ही इस दौरान किसी भी समय को तय करने के लिए कोई तंत्र तैयार/स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ताओं से मिलने और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उनकी शिकायतों को सुलझाने के लिए एक दिन (सप्ताह में किसी भी दो दिन के लिए कम से कम एक घंटा)।

पूछताछ करने पर अस्पताल ने बताया कि शिकायतों का निवारण एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शिकायत की प्राप्ति, उसके समय पर निपटान, व्यक्तिगत सुनवाई आदि के उचित दस्तावेज के अभाव में प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का अस्तित्व संदिग्ध है।

पीएमएच ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जुलाई–2023) कि प्राप्त शिकायत, उपस्थिति आदि के संबंध में रजिस्टर में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

निष्कर्ष:

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जानी हैं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि पर्याप्त सेवाएं प्रदान की गई थीं, लेकिन आपातकालीन ओटी, 24X7 लैब सुविधाओं की अनुपलब्धता (मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया था), महत्वपूर्ण उपकरणों का गैर/कम उपयोग, विशेषज्ञ/वरिष्ठ की कमी के कारण पूर्ण और संतोषजनक सेवाओं की कमी थी। रेजिडेंट (एस्थेसिया/रेडियोलॉजिस्ट/ज्ञानी)। मरीज भी अपनी जेब से भुगतान करके पैथोलॉजिकल परीक्षण/जांच, दवाओं, आहार आदि के लिए बाहरी सेवाओं पर निर्भर थे। संक्रमण नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा आदि के क्षेत्र में कमियाँ थीं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जनता को यह आश्वस्त करने के लिए कि अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं, एनएबीएच से मान्यता भी नहीं ली गई है।

इस प्रकार, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वर्णित मानक और दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए मानव के साथ–साथ बुनियादी ढांचे के संसाधनों को बढ़ाने/उन्नयन करने की आवश्यकता है।

अध्याय-8 विद्युत विभाग

अधिशेष बिजली की खरीद और बिक्री का ऑडिट

कार्यकारी सारांश / मुख्य बातें

- अवास्तविक मांग पूर्वानुमान के कारण अधिशेष बिजली की स्थिति। विभाग ने मौसम पूर्वानुमान, उपभोक्ताओं के उपभोग के पैटर्न में बदलाव और तकनीकी आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करके वैज्ञानिक आधार पर अपनी अनुमानित मांग का उचित पूर्वानुमान नहीं लगाया। (पैरा 8.2)
- अधिशेष बिजली खरीदी गई दरों से कम दरों पर बेची गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 156.92 करोड़ का परिहार्य व्यय / हानि हुई और दिल्ली में संचालित अन्य डिस्कॉम के साथ एनडीएमसी की तुलनात्मक स्थिति। (पैरा 8.3)
- डीईआरसी द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक में अनिर्धारित अंतर परिवर्तन (यूआई) तंत्र के माध्यम से बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 9.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। (पैरा 8.4)
- वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने में उपलब्धियों में 14.58 प्रतिशत से 81.97 प्रतिशत तक कमी थी। यह देखा जा सकता है कि डीईआरसी ने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए एनडीएमसी पर कुल ₹ 1.81 करोड़ का जुर्माना लगाया है। (पैरा 8.5)
- बिजली के नए दीर्घकालिक स्रोतों को अंतिम रूप देने और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने में देरी के कारण प्रति वर्ष लगभग ₹ 80 करोड़ का टाला जा सकने वाला अतिरिक्त व्यय है। (पैरा 8.6)

8. अधिशेष बिजली की खरीद और बिक्री पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

8.1 परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) एक नगरपालिका परिषद है जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम 1994 की धारा 195 से 201 के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली वितरण में लगी हुई है। एनडीएमसी नई दिल्ली में निर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में बिजली अधिनियम 2003 के तहत एक डीम्ड लाइसेंसधारी है।

एनडीएमसी आवंटन के अनुसार जनरेटरों के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (एलटीपीपीए) करके सीधे उनसे बिजली खरीद रही है। एलटीपीपीए के तहत, एनडीएमसी केंद्रीय स्टेशनों जैसे एनटीपीसी के दादरी थर्मल पावर स्टेशन–125 मेगावाट (नवंबर–2020[55] से बंद) और राज्य उत्पादन स्टेशनों यानी बदरपुर पावर स्टेशन–125 मेगावाट (अक्टूबर–2018[56] से बंद) और प्रगति पावर स्टेशन–200 मेगावाट (बाहरी रिंग रोड, आईपी एस्टेट और पीपीएस–III/100 पर पीपीएस– I/100 मेगावाट) से बिजली ले रहा है। वर्तमान में, एनडीएमसी दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत केवल पीपीएस–I और पीपीएस–III (200 मेगावाट) से बिजली ले रहा है। दीर्घकालिक स्रोतों से मांग को पूरा करने में किसी भी कमी को अन्य राज्य जनरेटर के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था, पावर बैंकिंग व्यवस्था, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज और अनिर्धारित इंटर चेंज (यूआई) जैसे विभिन्न तरीकों से बिजली की अल्पकालिक खरीद से पूरा किया जाता है। एनडीएमसी द्वारा की गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक बिजली खरीद व्यवस्था के आधार पर, ग्रिड से एनडीएमसी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति का निर्धारण राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा किया जाता है। यदि वास्तविक खपत अनुबंधित बिजली आपूर्ति से कम है, तो अधिशेष को अल्पकालिक तंत्र के माध्यम से बेचा जाता है। द्विपक्षीय, बैंकिंग, पावर एक्सचेंज और अनिर्धारित अंतर परिवर्तन।

8.2 अवास्तविक मांग पूर्वानुमान के कारण अधिशेष बिजली की स्थिति

बिजली खरीद योजना के उद्देश्य से, बिजली विभाग ने प्रत्येक वर्ष के लिए 7 महीने (अप्रैल से अक्टूबर) के लिए बिजली मांग अनुमान (अनुमानित मांग) तैयार किया। ये अनुमान गर्मियों की अवधि के दौरान दीर्घकालिक स्रोतों से बिजली की उपलब्धता पर विचार करने के बाद अल्पकालिक स्रोतों से खरीदी जाने वाली बिजली के अंतर को पूरा करने के लिए किए गए थे। अल्पावधि व्यवस्था (द्विपक्षीय आदि) के तहत बिजली की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली जाती है। विभाग ने ये अनुमान पिछले वर्ष के आंकड़ों (ऐतिहासिक डेटा) के आधार पर लगाए हैं। प्रत्येक वर्ष के शेष 5 महीनों (नवंबर से मार्च) के लिए, लोड की अधिकांश मांग या आवश्यकता पहले से ही उपलब्ध दीर्घकालिक पीपीए से पूरी की जा रही थी, इसलिए अलग से अनुमान नहीं लगाए गए थे।

[55]एनटीपीसी के साथ दीर्घकालिक पीपीए की समाप्ति के कारण बंद कर दिया गया

[56]पावर प्लांट बंद होने के कारण बंद।

वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए एनडीएमसी की अनुमानित अधिकतम मांग और वास्तविक अधिकतम मांग का विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका 8.1 चरम मांग की तुलना में अनुमानित मांग की माहवार स्थिति

महीना	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
	प्रोजेक्ट –एड पीक डिमांड	वास्तविक चरम मांग	अनुमानित शिखर से वास्तविक शिखर मांग का प्रतिशत	प्रोजेक्ट –एड पीक डिमांड	वास्तविक चरम मांग	अनुमानित शिखर से वास्तविक शिखर मांग का प्रतिशत	प्रोजेक्ट –एड पीक डिमांड	वास्त. विक चरम मांग	अनुमानित शिखर से वास्तविक शिखर मांग का प्रतिशत	प्रोजेक्ट –एड पीक डिमांड	वास्तविक चरम मांग	अनुमानित शिखर से वास्तविक शिखर मांग का प्रतिशत
	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	एमयू एस	
अप्रैल	348	310	112.26	310	315	98.41	315	128	**246.00**	315	210	150.00
मई	373	357	104.48	357	353	101.13	353	241	146.47	353	205	172.20
जून	402	388	103.61	388	367	105.72	367	282	130.14	367	322	113.97
जुलाई	379	383	98.96	383	385	99.48	385	293	131.40	385	372	103.49
अगस्त	375	345	108.70	345	345	100.00	345	271	127.30	345	325	106.15
सितम्बर	351	304	115.46	334	357	93.55	357	286	124.82	357	285	125.26
अक्टूबर	301	277	108.66	286	268	106.71	277	229	120.96	268	298	**89.93**
औसत	**361**	**337**	**107.12**	**343**	**341**	**100.58**	**343**	**247**	**138.86**	**341**	**288**	**118.40**

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है जिसके द्वारा चरम मांग का अनुमान वास्तविक चरम मांग से अधिक हो सकता है, हालांकि, सिफारिश की है कि मौसमी बदलावों सहित पीक अवधि और गैर–पीक अवधि के दौरान मांग में अंतर के कारण बिजली की उपलब्धता में कमी उत्पन्न होती है। आवश्यकता के आधार पर क्रय/विक्रय किया जाना आवश्यक है। नियामक ने आगे ऐसी अल्पकालिक बिजली खरीद को अनुकूलित करने का निर्देश दिया। इसलिए, बिजली की मांग के लिए यथार्थवादी अनुमान लगाना और वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार या वास्तविक आवश्यकता के करीब बिजली की सावधानीपूर्वक व्यवस्था करना क्वेंब्ड (विद्युत वितरण कंपनी) की जिम्मेदारी है ताकि बिजली खरीद को इष्टतम स्तर पर रखा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि विभाग गर्मियों की अवधि के दौरान अल्पकालिक स्रोतों से बिजली की खरीद की आवश्यकता का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 महीने (अप्रैल से अक्टूबर) के लिए बिजली की आवश्यकता का अनुमान लगा रहा है। यह देखा गया है कि विभाग मासिक आधार पर (प्रत्येक वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक) अनुमान लगाने के लिए किसी समान (यूनिफार्म) या वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं कर रहा है।

उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 2018–19 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर के महीनों के लिए बिजली की अनुमानित मांग इन महीनों में वास्तविक मांग की तुलना में अधिकांश महीनों में अधिक (90 प्रतिशत से 246 प्रतिशत तक) थी। 2021–22 तक इन सात महीनों में औसत अनुमानित चरम मांग की तुलना में औसत वास्तविक चरम मांग का प्रतिशत वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान 100.58 से 138.86 तक रहा। यह दर्शाता है कि इन वर्षों में और विशेष रूप से 2020–21 (38 प्रतिशत) और 2021–22 (18 प्रतिशत) में बिजली की अनुमानित/अनुमानित आवश्यकता अधिक थी।

विभाग ने मौसम पूर्वानुमान, उपभोक्ताओं के उपभोग के पैटर्न में बदलाव और तकनीकी आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों पर विचार करके वैज्ञानिक आधार पर अपनी अनुमानित मांग का उचित पूर्वानुमान नहीं लगाया। जांच से पता चला कि बिजली विभाग ने अपनी मांग/लोड पूर्वानुमान में सुधार के लिए किसी वैज्ञानिक उपकरण/प्रणाली (जैसेः पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण–स्काडा[57]) का उपयोग नहीं किया क्योंकि एनडीएमसी में मौजूदा एससीएडीए प्रणाली पुरानी है और ठीक से काम नहीं कर रही है। आगे देखा गया कि बिजली विभाग पिछले 4–5 वर्षों से एनडीएमसी में मांग पूर्वानुमान के लिए उचित प्रणाली की अनुपलब्धता और एनडीएमसी में एससीएडीए की स्थापना के काम में तेजी लाने का मुद्दा उठा रहा है। स्काडा की अनुपस्थिति में, विभाग को सटीक मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य से वास्तविक समय डेटा (जैसेः इंट्रा–डे मांग/खपत, ग्रिड से अधिक निकासी या कम निकासी आदि) नहीं मिल रहा था।

अपेक्षित/अनुमानित और वास्तविक चरम मांग के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप एनडीएमसी ने वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अपने उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री के लिए वास्तव में जितनी आवश्यकता थी, उससे अधिक बिजली खरीद ली, जिससे अधिशेष बिजली की स्थिति पैदा हो गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन (सितंबर–2023) को स्वीकार किया और कहा कि बिजली के शेड्यूलिंग में मुख्य प्रमुख कारक/तत्व सटीक वास्तविक समय मांग/विद्युत भार डेटा की उपलब्धता है जो एनडीएमसी के मामले में उपलब्ध नहीं है। आगे कहा गया है कि कार्यात्मक एससीएडीए और एआई आधारित लोड फोरकास्टिंग की अनुपलब्धता के कारण, विभाग ने ऐतिहासिक डेटा या मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड किए गए विद्युत भार के आधार पर अपनी मांगों का अनुमान लगाया है।

तथ्य यह है कि लोड फोरकास्टिंग की वर्तमान प्रणाली में अंतर्निहित अशुद्धि शामिल है और यह एक वास्तविक स्रोत नहीं हो सकता है और बिजली की योजना की आवश्यकता के लिए लोड को सटीक रूप से फोरकास्ट करने के लिए उचित एससीएडीए या एआई आधारित उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.3 अधिशेष बिजली खरीदी गई दरों से कम दरों पर बेची गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 156.92 करोड़ का परिहार्य व्यय/हानि हुई और दिल्ली में संचालित अन्य डिस्कॉम के साथ एनडीएमसी की तुलनात्मक स्थिति

इन वर्षों के दौरान अपने उपभोक्ताओं को खरीदी और बेची गई बिजली की मात्रा से अधिक के परिणामस्वरूप अधिशेष बिजली को बाजार में बेचना पड़ा।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए एनडीएमसी और दिल्ली में कार्यरत अन्य तीन डिस्कॉम द्वारा खरीदी गई बिजली की स्थिति, खरीदी गई बिजली की प्रति यूनिट लागत और अधिशेष बिजली की बिक्री का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान एनडीएमसी द्वारा घाटे पर अधिशेष बिजली की बिक्री और अन्य तीन डिस्कॉम[58] की तुलना में एनडीएमसी की स्थिति का विवरण क्रमशः तालिका 8.2 (ए) और 8.2 (बी) में दिया गया है।

[57]स्काडा (SCADA) एक प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली है जो उच्च स्तरीय प्रक्रिया, पर्यवेक्षी प्रबंधन और नियंत्रण को सक्षम करने और वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डेटा संचार और मानव मशीन इंटरफेस का उपयोग करती है। यह प्रणाली संपूर्ण पारेषण और वितरण नेटवर्क के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए है। इस प्रणाली की उपलब्धता से भार/ऊर्जा की आवश्यकता का सटीक आकलन प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है।

[58]डेटा स्रोत डीईआरसी द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश हैं और एनडीएमसी के संबंध में टैरिफ आदेश और रिकॉर्ड दोनों प्रस्तुत किए गए हैं (अनुलग्नक के रूप में संलग्न)

तालिका 8.2 (ए) एनडीएमसी द्वारा बिजली खरीद और अधिशेष बिजली की बिक्री का विवरण

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
क्र. सं.	वर्ष	सकल बिजली खरीद (एम यू एस)	प्रति यूनिट औसत लागत (₹)	दीर्घकालिक / अल्पकालिक स्रोत से बिजली खरीद				अधिशेष विद्युत (एम यू एस) की बिक्री	अल्पा वधि खरीद की प्रति यूनिट औसत दर (₹)	बेची गई अधिशेष बिजली की प्रति यूनिट औसत दर (₹)	कुल बिज. ली खरीद पर अधिशेष बिजली की बिक्री का प्रतिशत (6/3 x 100)	बिजली की बिक्री की वसूली पर प्रति यूनिट दर में अंतर (7-8) (₹)	कुल मूल्य एमयू x दर प्रति यूनिट ₹ करोड़ में (6x10)
				दीर्घ कालिक (एम यू एस)	प्रति यूनिट दर (₹)	अल्पा वधि (एम यू एस)	प्रति यूनिट दर (₹)						
1	2017-18	**1861.84**	5.05	**1547.72**	5.18	**314.12**	4.42	**353.01**	4.42	2.57	18.96	1.85	65.31
2	2018-19	1706.29	5.53	1454.67	5.68	**251.62**	4.61	**243.93**	4.61	3.56	14.29	1.05	25.61
3	2019-20	1577.96	5.95	1086.48	6.67	491.48	4.37	147.28	4.37	2.53	9.33	1.84	27.10
4	2020-21	1262.62	5.85	786.36	6.89	476.26	4.13	150.23	4.13	2.17	11.90	1.96	29.45
5	2021-22	**1435.91**	6.58	**646.18**	9.5	**789.73**	4.18	210.04	4.18	3.73	14.63	0.45	9.45
	सामान्य दर		5.79		6.78		4.34		4.34	2.91		1.45	
	कुल												**156.92**

तालिका 8.2(बी) अन्य तीन डिस्कॉम द्वारा बिजली की खरीद और अधिशेष बिजली की बिक्री

क्र. सं.	वर्ष	सकल बिजली खरीद (एमयूएस)				अधिशेष बिजली की बिक्री एमयूएस				कुल खरीद से अधिशेष बिजली की बिक्री का प्रतिशत			
		बीवाईपी एल	बीआरपी एल	टीपीडीडी एल	एन डी एम सी	बीवा ईपी एल	बीआ. रपी एल	टी पी डी एल	एन डी एम सी	बीवा. ईपी एल	बीआ. रपी एल	टी पी डी डी एल	एन डी एम सी
1	2017-18	8797.13 @3.56 प्रति यूनिट	15175 @4.11	11373 @4.04	1861.84 **@5.05**	1168.03 @3.45	1537.01 @3.44	1648.03 @3.56	353.01 @2.57	13.27	10.12	14.49	**18.96**
2	2018-19	9983.26 @3.19	14972.07 @4.71	12074.99 @4.61	1706.29 @5.53	1332.45 @3.74	761.89 @4.18	2086.36 @3.71	243.93 @3.56	13.34	5.09	17.27	14.29
3	2019-20	8937.52 @3.94	15141.39 @5.00	10688.00 @4.69	1577.96 @5.95	1502.30 @3.47	1188.00 @4.43	504.10 @2.80	147.28 @2.53	16.80	7.84	4.72	**9.33**
4	2020-21	7320.83 @4.08	13359.00 @4.80	11888.59 @4.98	1262.62 @5.85	546.08 @2.25	770.00 @2.20	1481.13 @2.98	150.23 @2.17	7.46	5.76	12.45	11.90
5	2021-22	9469 @3.32	16020 @4.37	10649.02 @5.32	1435.91 **@6.58**	826.76 @2.82	1078 @2.98	961.64 @3.23	210.04 @3.73	8.73	6.72	9.03	**14.63**
पिछले 5 वर्षों का औसत		**3.63 प्रति यूनिट**	**4.60**	**4.72**	**5.79**	**3.14**	**3.45**	**3.27**	**2.91**	**11.92**	**7.11**	**11.59**	**13.82**
पिछले 2 वर्षों का औसत		**3.70 प्रति यूनिट**	**4.58**	**5.15**	**6.21**	**2.54**	**2.59**	**3.10**	**2.95**	**8.09**	**6.24**	**10.74**	**13.27**

उपरोक्त स्थिति की जांच और विश्लेषण से निम्नलिखित लेखापरीक्षा अवलोकन का पता चला।

(i) यह तालिका 8.2 (ए) से देखा जा सकता है कि एनडीएमसी द्वारा दीर्घकालिक व्यवस्था के माध्यम से खरीदी गई कुल बिजली का प्रतिशत 2017–18 में 83 प्रतिशत (1861.84 एमयू में से 1547.72 एमयू) से घटकर 2021–22 में (1435.91 एमयू में से 646.18 एमयू) 45 प्रतिशत हो गया है। और इसके मुकाबले अल्पकालिक स्रोतों से बिजली का हिस्सा 2017–18 में 17 प्रतिशत (1861.84 एमयू में से 314.12 एमयू) से बढ़कर 2021–22 में 55 प्रतिशत (1435.91 एमयू में से 789.73 एमयू हो गया।) । ऐसा विशेष रूप से अक्टूबर 2018 में एनटीपीसी, बदरपुर और नवंबर–2020 में एनटीपीसी, दादरी के साथ दीर्घकालिक समझौते के बंद होने के बाद नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक समझौतों को समाप्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण हुआ था।

(ii) 2017–18 में, अल्पावधि व्यवस्था के तहत खरीदी गई बिजली की पूरी मात्रा (314.12 एमयू) न केवल अधिशेष बिजली के रूप में बेची गई थी, बल्कि खरीदी गई 38.89 एमयू (दीर्घकालिक स्रोत से) की अतिरिक्त मात्रा भी अधिशेष बिजली के रूप में बेची गई थी (तालिका 8.2 ए)। 2018–19 में भी, अल्पकालिक व्यवस्था के तहत खरीदी गई लगभग पूरी मात्रा अधिशेष निकली। (251.62 एमयू की खरीद के मुकाबले 243.93 एमयू अधिशेष के रूप में बेचा गया)। इससे पता चलता है कि लोड की आवश्यकता का आकलनध्प्रक्षेपण और बिजली की खरीद का प्रबंधन एनडीएमसी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नहीं था।

(iii) यह देखा गया है कि विभाग ने अधिकतम मांग वाले महीनों के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक के समय के लिए अल्पावधि व्यवस्था के तहत बिजली की खरीद का आदेश दिया है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभाग बेहतर दरें प्राप्त करने के लिए (यानी दिन के दौरान ऑफ पीक अवधि के दौरान कम दरों पर) इन आदेशों को दिन के समय भी 3–4 समय स्लॉट में समय अवधि के साथ दे सकता था।

(iv) तालिका 8.2(बी) से देखा जा सकता है, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान एनडीएमसी द्वारा खरीदी गई कुल बिजली की प्रति यूनिट औसत लागत मूल्य ₹5.79 प्रति यूनिट (₹5.05 से ₹6.58 प्रति यूनिट तक) थी। हालाँकि, अन्य 3 वितरण कंपनियों में, बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल में बिजली खरीद की औसत दर क्रमशः ₹3.63, ₹4.60 और ₹4.72 प्रति यूनिट थी। उपरोक्त से पता चलता है कि इन वर्षों के दौरान बिजली खरीद की लागत एनडीएमसी में सबसे अधिक थी।

(v) इसे तालिका 8.2(बी) से देखा जा सकता है, 2017–18 से 2021–22 के दौरान एनडीएमसी में खरीदी गई कुल बिजली में अधिशेष बिजली की बिक्री 9.33 प्रतिशत से 18.96 प्रतिशत तक थी। अधिशेष बिजली की बिक्री में 2017–18 में 18.96 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 9.33 प्रतिशत हो गई, लेकिन 2021–22 में यह फिर से बढ़कर 14.63 प्रतिशत हो गई। पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल बिजली खरीद पर अधिशेष बिजली की बिक्री का औसत प्रतिशत 13.82 प्रतिशत था। यह देखा गया है कि दिल्ली में कार्यरत अन्य 3 डिस्कॉम में, 2017–18 से 2021–22 के दौरान बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल में खरीदी गई कुल बिजली में अधिशेष बिजली की बिक्री का औसत प्रतिशत क्रमशः 11.92, 7.11 और 11.59 था। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान खरीदी गई कुल बिजली में अधिशेष बिजली की बिक्री का औसत प्रतिशत बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल में क्रमशः 8.09, 6.24 और 10.74 था, जबकि एनडीएमसी में यह 13.27 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि एनडीएमसी द्वारा अधिशेष बिजली की बिक्री अन्य वितरण कंपनियों की तुलना में दिल्ली में सबसे अधिक थी।

(vi) इन 5 वर्षों के दौरान अधिशेष बिजली की बिक्री की औसत दर बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल में क्रमशः ₹3.14, ₹3.45 और ₹3.27 प्रति यूनिट थी (तालिका 8.2बी) जबकि एनडीएमसी में बिक्री की औसत दर ₹2.91 प्रति यूनिट थी। (तालिका 8.2बी) इन 5 वर्षों के दौरान। विश्लेषण से पता चलता है कि इन वर्ष के दौरान एनडीएमसी की बिजली की खरीद उच्चतम दर पर थी और अधिशेष बिजली की बिक्री से प्राप्ति सबसे कम थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनडीएमसी लंबी अवधि के साथ–साथ अल्पकालिक स्रोतों से उच्च दरों पर बिजली खरीद रही है और अधिशेष बिजली कम दरों पर बेच रही है। बाजार में कम बिक्री मूल्य की प्राप्ति के कारण, एनडीएमसी अधिशेष बिजली की बिक्री में खरीद या घाटे पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय कर रही है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि डीईआरसी उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए डिस्कॉम द्वारा की गई कुल लागत के आधार पर सालाना बिजली शुल्क तय करता है। और डिस्कॉम द्वारा बिजली की खरीद की लागत प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति की कुल लागतध्व्यय का प्रमुख घटक है। तो, इस अतिरिक्त व्ययध्नुकसान के परिणामस्वरूप अंततः उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ बढ़ता है। 2017–18 से 2021–22 के दौरान अधिशेष बिजली की बिक्री पर होने वाला परिहार्य अतिरिक्त व्ययध्नुकसान ₹ 156.92 करोड़ (तालिका–8.2ए) था जिसे बिजली की खरीद और बिक्री के बेहतर अनुमान और प्रबंधन के साथ कम किया जा सकता था।

विभाग ने जवाब दिया (सितंबर–2023) कि एनटीपीसी बदरपुर (अक्टूबर–2018) और एनटीपीसी दादरी (नवंबर–2020) इस मामले में बिजली की औसत लागत तुलनात्मक रूप से अधिक है, जबकि अन्य डिस्कॉम के पास बड़ी संख्या में दीर्घकालिक उत्पादन संयंत्रों से आवंटन था, जिसमें कोयला और नवीकरण ऊर्जा भी शामिल है, इसलिए उनके पास एनडीएमसी की तुलना में बिजली खरीद की लागत कम थी। विभाग ने आगे जवाब दिया कि डिवीजन ने अक्टूबर–2018 में एनटीपीसी बदरपुर प्लांट के बंद होने और नवंबर–2020 में एनटीपीसी दादरी के साथ पीपीए की समाप्ति के बाद दीर्घकालिक स्रोतों (विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों से) से कम दरों पर बिजली खरीदने के लिए आगे की पहलध्सकारात्मक उपाय किए हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि एनडीएमसी के विशिष्ट लोड पैटर्न के कारण, दिन की तुलना में रात की अवधि के दौरान बिजली की मांग कम थी, इसलिए चरम मांग को पूरा करने के लिए दिन के दौरान अल्पकालिक ऊर्जा खरीदी गई और अतिरिक्त ऊर्जा को बेचकर (अदला–बदली) रात की बिजली का प्रबंधन किया गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनटीपीसी बदरपुर के बंद होने और एनटीपीसी दादरी के साथ पीपीए की समाप्ति का तथ्य विभाग को पहले से ही पता था। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई–2017 में एनडीएमसी क्षेत्र को 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बनाने के निर्देश दिये थे। उपरोक्त को देखते हुए पहले ही प्रयास किये जाने चाहिए थे। आगे की जांच से पता चला कि कार्यवाही शुरू करने के बाद भी कम दरों पर दीर्घकालिक नवीकरणीय स्रोत से बिजली की खरीद के मामलों/मामलों को संसाधित करने में देरी हुई और अभी भी विक्रेताओं के साथ बातचीत/समझौता और नियामक (डीईआरसी) की मंजूरी प्रक्रिया में है।

इसके विपरीत, दिल्ली की अन्य वितरण कंपनियों को इन वर्षों के दौरान लगभग ₹ 3 प्रति यूनिट की काफी कम दरों पर दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था समय पर मिल गई थी।

एनडीएमसी के विशिष्ट लोड पैटर्न के संबंध में उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनडीएमसी क्षेत्र में लागू पैरामीटर दिल्ली में संचालित अन्य डिस्कॉम पर भी लागू थे। एकमात्र अंतर यह था कि विभाग की ओर से कम लागत पर समय पर दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था प्राप्त करने में कमी थी, ऊर्जा भार का सटीक पूर्वानुमान लगाने में कमी थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक अधिशेष बिजली आती थी और पसंदीदा रेड मोड के तहत अतिरिक्त विद्युत की बिक्री पर अधिक दर प्राप्त करने की व्यवस्था अधिशेष बिजली की बिक्री की पूर्व योजना बनाने में कमी थी।

8.4 अनिर्धारित अंतर परिवर्तन (यूआई) तंत्र के माध्यम से बिक्री के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ।

बिजली की अल्पकालिक खरीद और बिक्री के लिए चार तंत्र हैं:

(i) बैंकिंग व्यवस्था

(ii) द्विपक्षीय या तो प्रत्यक्ष या व्यापारी के माध्यम से

(iii) पावर एक्सचेंज

(iv) अनिर्धारित अंतर परिवर्तन या विचलन तंत्र (यूआई का अर्थ है ऊर्जा का अनिर्धारित विनिमय)

डीईआरसी के निर्देशों के अनुसार (टैरिफ–विनियम 2017 के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) बिजली की बिक्री के लिए सबसे पसंदीदा तंत्र बैंकिंग और द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए और सबसे कम पसंदीदा तरीका यूआई होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकिंग और द्विपक्षीय बिक्री पूर्व योजना पर आधारित होती है जबकि यूआई केवल अनियोजित बिक्री या संकटकालीन बिक्री के लिए तदर्थ विधि के रूप में कार्य करता है।

डीईआरसी ने अपने विनियमन–2017 (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) के साथ–साथ अपने टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट किया है कि अधिशेष बिजली की बिक्री से राजस्व को अधिकतम करने के लिए अधिशेष बिजली की बिक्री के लिए एक प्रोत्साहन और हतोत्साहित तंत्र है। इसके अलावा डीईआरसी (बिजनेस प्लान) रेगुलेशन–2017 और डी. ईआरसी (बिजनेस प्लान) रेगुलेशन–2019 के प्रावधानों के अनुसार बिजली खरीद निर्धारण में दक्षता लाने के लिए, यूआई तंत्र के तहत बिजली की बिक्री के लिए आकस्मिक सीमा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी गई शुद्ध बिजली के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। इसके अलावा डीईआरसी ने ग्रिड अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस प्लान विनियमों में 5 प्रतिशत यूआई बिक्री की सीमा निर्दिष्ट की है

यूआई तंत्र के माध्यम से अधिशेष बिजली की बिक्री की स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान डीईआरसी द्वारा प्रस्तावित दंड सहित अतिरिक्त व्यय की स्थिति नीचे तालिका 8.3 (ए) और 8.3 (बी) में दी गई है:

तालिका 8.3 (ए) डीईआरसी द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण

1	2	3	4
क्र. सं.	वर्ष	डीईआरसी टैरिफ ऑर्डर के अनुसार मासिक आधार पर यूआई बिक्री 5 प्रतिशत से अधिक है	5 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने पर डीईआरसी द्वारा जुर्माना लगाया गया
		एमयूएस	(₹ करोड़ में)
1	2017-18	NA	2.64
2	2018-19	4.52	0.92
3	2019-20	14.92	4.15
4	2020-21	32.34	0.80
5	2021-22	14.11	1.30
	कुल		**9.81**

तालिका 8.3 (बी) यूआई तंत्र के माध्यम से अधिशेष बिजली की बिक्री

1	2	3	4		5	6		7	8	9
क्र. सं.	वर्ष	अधिशेष बिज. ली की बिक्री	यूआई के माध्यम से बिक्री		अधिशेष बिजली की कुल बिक्री में यूआई बिक्री का प्रतिशत	अन्य माध्यमों से बिक्री (अर्थातः शक्ति अदला–बदली)		कुल अधिशेष बिक्री में अन्य माध्यमों से यूआई बिक्री का प्रतिशत	प्रति यूनिट दर अंतर	यूआई के माध्यम से बिक्री पर कम प्राप्ति
		(एम यू एस)	(एम यू एस)	दर प्रति यूनिट	(4/3x100)	एम यू एस (3-4)	दर प्रति यूनिट	6/3x100	(6-4)	(4x8) ₹ करोड़ में
1	2017-18	353.01	106.07	1.93	30.05	246.94	2.85	69.95	0.92	9.76
2	2018-19	243.93	35.28	2.13	**14.46**	208.64	3.80	85.54	1.67	5.89
3	2019-20	147.28	64.41	2.08	**43.73**	82.87	2.89	56.27	0.81	5.22
4	2020-21	150.23	64.04	2.43	42.63	86.19	1.97	57.37	(-)0.46	(-)2.95
5	2021-22	210.04	54.71	2.76	26.05	155.33	4.07	73.95	1.31	7.17
		कुल								**25.09**

तालिका 8.3(बी) से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान एनडीएमसी की अधिशेष बिजली की कुल बिक्री में यूआई बिक्री 14.46 से 43.73 प्रतिशत तक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग बैंकिंग और द्विपक्षीय जैसे अधिशेष बिजली की बिक्री के पसंदीदा तरीकों का पता लगाने में विफल रहा और पावर एक्सचेंज के माध्यम से अधिशेष बिजली का निपटान किया। उपरोक्त के अलावा, विभाग ने ज्यादातर हिस्से को कम दरों पर यूआई तंत्र से गुजरने की भी अनुमति दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीईआरसी ने यूआई के माध्यम से अधिशेष बिजली बेचने के लिए वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान यूआई बिक्री के 5 प्रतिशत की आकस्मिक सीमा के मानदंड से अधिक होने पर एनडीएमसी पर ₹ 9.81 करोड़ का जुर्माना लगाया है (तालिका 8.3 ए) इसके अलावा, यूआई के माध्यम से अधिशेष बिजली के निपटान के परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान ₹ 25.09 करोड़ की रकम कम प्राप्त हुई जैसा कि तालिका 8.3 बी में दिखाया गया है।

यह उजागर करना भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में कार्यरत अन्य 3 डिस्कॉम में, यूआई बिक्री वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान डीईआरसी द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा से नीचे थी (वर्ष 2020–21 और 2021–22 का डेटा उपलब्ध नहीं है), इसके बजाय इन डिस्कॉम्स ने डीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इन वर्षों के दौरान कई अवसरों पर प्रोत्साहन अर्जित किया।

इस प्रकार उप–इष्टतम योजना और अवैज्ञानिक अनुमानों के कारण, विभाग हाथ में अधिशेष बिजली की ठीक से पहचान करने में सक्षम नहीं था, इसलिए घाटे/अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए उच्च दरें प्राप्त करने के लिए पसंदीदा तरीकों के तहत अधिशेष बिजली की बिक्री की पूर्व–योजना नहीं बना सका। अंततः यूआई बिक्री को भी उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड अनुशासन को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए नियामक द्वारा निर्दिष्ट आकस्मिक सीमा (5 प्रतिशत) तक रखा जाना चाहिए था।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों (सितंबर–2023) को स्वीकार कर लिया और कहा कि कार्यात्मक एससीएडीए और एआई आधारित लोड फोरकास्टिंग की अनुपलब्धता के कारण सटीक वास्तविक समय की अनुपलब्धता के कारण, विभाग यह तय करने में असमर्थ है कि एनडीएमसी बिजली की ओवरड्रॉल कर रही है या अंडरड्रॉल कर रही है। वास्तविक समय में ग्रिड जिसके परिणामस्वरूप निरंतर विचलन और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान हुआ।

8.5 नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने में विचलन

डीईआरसी के बिजनेस प्लान विनियम 2017 और 2019, उपभोक्ताओं को बिजली की कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और गैर–सौर) की खरीद के लिए प्रत्येक डिस्कॉम के लिए आरपीओ आवश्यकता या लक्ष्य प्रदान करते हैं। विनियमों के अनुसार, डीईआरसी ने हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक आधार पर प्रत्येक डिस्कॉम के लिए आरपीओ लक्ष्य तय किए। वितरण लाइसेंसधारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सौर ऊर्जा की न्यूनतम खरीद के साथ सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा और गैर–सौर ऊर्जा के संयोजन की खरीद के माध्यम से अपने आरपीओ का अनुपालन करेगा। आगे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन न करने पर संबंधित वर्ष के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट सौर और गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के भारित औसत फ्लोर मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से कमी की मात्रा के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। आरपीओ में. डीईआरसी ने वार्षिक आधार पर आरपीओ लक्ष्य हासिल न करने पर एनडीएमसी पर जुर्माना लगाया था। आरपीओ लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.4 आरपीओ लक्ष्य और उपलब्धियाँ

1	2	4			5			6	7
क्र. सं.	**वर्ष**	**डीईआरसी ने तय किए लक्ष्य**			**उपलब्धियां**			**लक्ष्य में कमी**	**डीईआरसी ने लगाया जुर्माना**
								(4-5)	
		सौर	**गैर सौर**	**कुल**	**सौर**	**गैर सौर**	**कुल**		**₹ करोड़ में**
		एमयूएस	एमयूएस	एमयूएस	एमयूएस	एमयूएस	एमयूएस	एमयूएस	
1.	2017-18	34.46	109.65	144.12	6.21	263.24	269.45	28.25* **(81.97 प्रतिशत)**	0.28
2.	2018-19	61.97	123.94	185.91	56.99	94.86	151.85	34.06 (18.32 प्रतिशत)	0.34
3.	2019-20	85.8	130.39	216.25	9.46	143.32	152.78	63.47 (29.35 प्रतिशत)	0.63
4.	2020-21	57.01	80.59	137.60	23.50	94.03	117.54	20.07 **(14.58 प्रतिशत)**	0.20
5.	2021-22	68.06	81.13	149.19	33.53	79.48	113.01	36.18 (24.25 प्रतिशत)	0.36
								कुल	**1.81**

*नोटः– घाटा सौर ऊर्जा के लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सभी वर्षों में विभाग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के लक्ष्य हासिल नहीं किए गए और वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान उपलब्धियों में कमी 14.58 प्रतिशत से 81.97 प्रतिशत तक रही। यह देखा जा सकता है कि डीईआरसी ने इन सभी वर्षों में आरपीओ लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए एनडीएमसी पर कुल ₹ 1.81 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक पीपीए को अंतिम रूप देने की समय पर कार्रवाई सहित बिजली खरीद की बेहतर योजना और प्रबंधन के साथ विभाग द्वारा इस जुर्माने से बचा जा सकता था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन (सितंबर–2023) को स्वीकार कर लिया, हालांकि, कहा कि बड़ी हाइड्रो पावर केवल बोली लगाने वाले द्वारा अल्पकालिक नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था के माध्यम से पेश की गई थी, जिससे आरपीओ लक्ष्य के अनुपालन में मामूली विचलन हुआ।

तथ्य यह है कि इस मामूली विचलन से भी बचा जा सकता था, यदि विभाग ने अल्पकालिक स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय दीर्घकालिक स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की प्रक्रिया समय पर शुरू और पूरी की होती।

8.6 ऊर्जा के नए दीर्घकालिक स्रोतों को अंतिम रूप देने और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने में देरी के कारण प्रति वर्ष लगभग ₹80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय टाला जा सकता है।

एनडीएमसी निम्नलिखित उत्पादन स्टेशनों से बिजली खरीद रही है जिनके साथ एनडीएमसी ने दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं

एनटीपीसी, बदरपुर	-125 मेगावाट
एनटीपीसी, दादरी	-125 मेगावाट
पीपीएस-I, आईपी एस्टेट	-100 मेगावाट
पीपीएस-III, बवाना	-100 मेगावाट
कुल	**-450 मेगावाट**

उपरोक्त बिजली स्टेशनों में से, एनटीपीसी, बदरपुर और दादरी से आपूर्ति क्रमशः अक्टूबर–2018 और नवंबर–2020 से बंद कर दी गई थी। वर्तमान में एनडीएमसी के पास प्रत्येक पावर स्टेशन से 100 मेगावाट के लिए केवल पीपीएस–I और पीपीएस–III के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था है।

15 जुलाई 2017 को सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर हुई बैठक और उसके बाद 16 अगस्त 2017 को विद्युत मंत्री, भारत सरकार द्वारा ली गई बैठक में एनडीएमसी को 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्मार्ट सिटी या ग्रीन एनर्जी सिटी घोषित करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एनडीएमसी और एनटीपीसी को कम दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त बैठक में दी गई समय–सीमा के अनुसार, काम 30 नवंबर 2017 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद एनडीएमसी को 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा में बदलने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और चर्चा के लिए 2017 में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि एनटीपीसी 250 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने और खरीदने के लिए (13 महीने पूरे होने के साथ) एनडीएमसी की ओर से निविदाएं जारी करेगी। इसके साथ ही, NEEPCO से उनके 600MW कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट से 130 डॅ हाइड्रो पावर की खरीद का मामला भी शुरू किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके बाद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।

इसके बाद जनवरी–2019 में एमएनआरई सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी 250 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को मांग देगी। तदनुसार, विभाग ने उपरोक्त मात्रा में बिजली की खरीद के लिए फरवरी–2019 में (पीपीए पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने बाद बिजली की उपलब्धता के साथ) एसईसीआई को एक पत्र जारी किया था। उक्त योजना और उपरोक्त आवश्यकता के लिए पीपीए का मसौदा भी अनुमोदन के लिए डीईआरसी को प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई/अगस्त–2017 में 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा पर स्विच करने के लिए दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी थी। हालाँकि, भारत सरकार की संचालन समिति और डीईआरसी के निर्देशों के अनुपालन में, विभाग ने अल्पकालिक व्यवस्था के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद शुरू की और वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान 113.01 एमयू से 269.45 एमयू तक खरीद हुई। लेकिन एनडीएमसी डीईआरसी द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य 2021–22 में (4.25 प्रतिशत कम) भी हासिल नहीं कर पाई है। यद्यपि दीर्घकालिक व्यवस्था के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कम दरों पर बिजली प्राप्त करने के लिए अल्पावधि व्यवस्था के तहत उच्च दरों पर बिजली की बजाय दीर्घकालिक पीपीए निष्पादित करने के लिए मंत्रालय, एनटीपीसी, एसईसीआई, डीईआरसी आदि के साथ उच्च स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा डीईआरसी ने डिस्कॉम को विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक पीपीए में प्रवेश करने की सलाह दी है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध है। जांच से पता चला कि एनडीएमसी ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं, हालांकि दिल्ली में कार्यरत अन्य डिस्कॉम के पास प्रति यूनिट ₹3.00 से कम दर पर सौर और गैर सौर स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था और पीपीए थे।

अक्टूबर–2018 में एनटीपीसी, बदरपुर और नवंबर–2020 में एनटीपीसी, दादरी से बिजली खरीद की दीर्घकालिक व्यवस्था बंद होने के साथ, एनडीएमसी ने लंबे समय के तहत बिजली की आवश्यकता और बिजली की उपलब्धता के अंतर को पूरा करने के लिए अल्पकालिक व्यवस्था पर भरोसा किया। अवधि व्यवस्था. नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक समझौतों को निष्पादित करने के लिए शीघ्र और समय पर कार्रवाई के परिणामस्वरूप न केवल बिजली की स्थिर आपूर्ति प्राप्त हो सकती थी और एनडीएमसी क्षेत्र को 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा शहर बनाया जा सकता था, अल्पकालिक खरीद के तहत ₹4.18 प्रति यूनिट (2021–22) की औसत कीमत पर आपूर्ति प्राप्त करने के बजाय बल्कि लगभग ₹3–3.25 प्रति यूनिट की तुलनात्मक रूप से कम दर भी प्राप्त हो सकती थी। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक बचत हो सकती है या बिजली खरीद लागत में लगभग ₹80.00 करोड़ प्रति वर्ष (2021–22 x ₹1 प्रति यूनिट में खरीदी गई 790 एमयू) की कमी हो सकती है।

विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर–2023) कि एनडीएमसी को 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए, 450 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद की मात्रा नियामक (डीईआरसी) की मंजूरी प्राप्त करने और पीपीए पर बातचीत/हस्ताक्षर करने के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है। विक्रेताओं आदि ने यह भी कहा कि इन स्रोतों से डिलीवरी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 18 महीने से 36 महीने बाद शुरू होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दीर्घकालिक स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के मामले को संसाधित करने में देरी देखी गई थी और इन वर्षों के दौरान एनटीपीसी, एसईसीआई और डीईआरसी के साथ निर्देशित कार्रवाई का ठीक से पालन नहीं किया गया था।

तथ्य यह है कि एनडीएमसी ने अभी तक किफायती दरों (₹3 से ₹3.25 प्रति यूनिट) पर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद की कोई दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं की है, बल्कि कुछ हद तक सरकार के निर्देशों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। एनडीएमसी को 100 प्रतिशत आरई क्षेत्र बनाना।

8.7 निष्कर्ष

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एनडीएमसी ने न तो कोई वैज्ञानिक उपकरण तैनात किया है और न ही आवश्यक लोड के करीब अपनी मांग का सटीक अनुमान लगाने/आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई है, पसंदीदा तरीकों के माध्यम से अधिशेष बिजली की बिक्री की समय पर पहचान करने और पूर्व–योजना बनाने में विफल रही है। बैंकिंग और द्विपक्षीय ने बेहतर दरें और बिक्री प्राप्ति प्राप्त करने के लिए और बिजली की लागत को कम करने के लिए नई दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था में समय पर प्रवेश करके बेहतर या इष्टतम ऊर्जा खरीद मिश्रण (गैस, हाइड्रो, सौर आदि) प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।

इन कमियों के कारण, एनडीएमसी ने नई नवीकरणीय ऊर्जा दीर्घकालिक पीपीए को अंतिम रूप देने में देरी के कारण प्रति वर्ष लगभग ₹ 80 करोड़ की अतिरिक्त बचत खोने के अलावा बिजली खरीद की लागत को ₹ 168.54 करोड़ तक कम करने का अवसर खो दिया।

अध्याय-9

कल्याण विभाग

एनडीएमसी, नई दिल्ली के शहरी गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मुख्य अंश/कार्यकारी सारांश

- मृत घोषित व्यक्तियों के नाम पर जारी वृद्धावस्था और विधवा पेंशनः ₹7.80 लाख (पैरा 9.3.1.1)
- 13 लाभार्थियों को हितकारी निधि योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति : ₹2.5 लाख. (पैरा 9.3.2.1)
- उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के 410 मामलों में विभाग को लाभार्थियों के दावे के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में 6 से 14 महीने लगे। (पैरा 9.3.2.2)
- बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के 447 मामलों में, कर्मचारियों को उनके बच्चों की शादी के 3 से 8 महीने के बाद जारी किया गया। (पैरा 9.3.2.3)
- हितकारी निधि योजना के तहत कोई लाभ नहीं लेने वाले 9 कर्मचारियों को एकमुश्त लाभ से वंचित करनाः ₹29,400/– (पैरा 9.3.2.4)
- 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना से संबंधित पैनल में शामिल 10 अस्पतालों (चयनित 14 में से) के मेडिकल बिल लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। (पैरा 9.3.3.1)
- पैनल में शामिल अस्पतालों को दवाओं, गुब्बारों (कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के लिए उपचार) आदि की लागत का भुगतान किया गया था, जो पैकेज दर के अंतर्गत शामिल नहीं थेः ₹5.10 लाख (पैरा 9.3.3.2 और 9.3.3.3)

9. एनडीएमसी, नई दिल्ली के शहरी गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण विभाग की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

9.1 परिचय

कल्याण विभाग की स्थापना विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एनडीएमसी में काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने और एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों की जरूरतों जैसे वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता आदि को पूरा करने के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। उपरोक्त के अलावा, कल्याण विभाग कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं जैसे हितकारी निधि योजना, उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना आदि लागू करता है।

9.2 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए शहरी गरीबी उन्मूलन और समाज कल्याण विभाग, एनडीएमसी की उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के तहत वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, हितकारी निधि योजना और अस्पतालों द्वारा दावों के भुगतान जैसी योजनाओं का लेखापरीक्षा किया गया था। 27 मई 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान निदेशक, कल्याण विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन (सितंबर–2022 में) आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विवरण पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

9.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

9.3.1 वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना

9.3.1.1 मृत घोषित किए गए व्यक्तियों के नाम पर अनधिकृत रूप से वृद्धावस्था/विधवा पेंशन जारी करना: ₹7.80 लाख

दिल्ली सरकार ने राज्य में नागरिकों के लाभ के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना को एनडीएमसी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न परिषद संकल्पों (परिषद संकल्प संख्या 3 (K-ii) दिनांक 30 अप्रैल 2003, परिषद संकल्प संख्या 12/K–03 दिनांक 10 जनवरी 2014, परिषद संकल्प संख्या 21(K–01) दिनांक 21 अगस्त 2017 के माध्यम से परिषद के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एनडीएमसी क्षेत्र के पात्र नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आवेदन की तारीख से कम से कम 5 साल पहले एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में रह रहे हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत निर्दिष्ट नियम।

वृद्धावस्था सहायता योजना (अगस्त–2017) के अनुसार, एनडीएमसी 60 से 70 वर्ष के बीच आयु वर्ग के आवेदकों के लिए ₹2,000/– प्रति माह (एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के मामले में ₹2,500 प्रति माह) की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और 70 वर्ष से अधिक आयु पर ₹2,500 प्रति माह।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल–2017 से मार्च–2022 की अवधि के लिए वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना की जांच की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स और सूची में उल्लिखित 9 मामलों (190 में से) में, विभाग ने उनकी मृत्यु के बाद वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के लिए ₹7.80 लाख जारी किए। विवरण नीचे तालिका 9.1 में दिखाया गया है:

तालिका 9.1 वृद्धावस्था/विधवा पेंशन की अनाधिकृत रिहाई

क्र. सं.	नाम/आईडी नंबर/श्रेणी	मृत्यु की तिथि	भुगतान की अवधि	महीने की संख्या	पेंशन (प्रति माह)	मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया
1	2	3	4	5	6	7(5 X 6)
1	रीना/496/डब्लू	7/2016	4/2017 से 3/2022	60	2500	150000
2	दया देवी/597/डब्लू	7/2016	4/2017 से 3/2022	60	2500	150000
3	शांति देवी/606/ओ	7/2016	4/2018 से 3/2019	12	2500	30000
4	अफसरी/691/डब्लू	7/2016	4/2017 से 6/2019 10/ 2019 से 12/2019 7/ 2020 से 12/2020 4/2021 से 9/2021	42	2500	105000
5	आशा देवी/1376/ओ	7/2016	4/ 2017 से 3/ 2022	60	2000	120000
6	नाथू राम/1384/ओ	7/2016	4/ 2017 से 9/2018 10/2019 से 3/2020 7/ 2020 से 3/2022	45	2000	90000
7	बर्फी देवी/1253/ओ	7/2018	7/ 2018 से 9/2018 10/2019 से 3/2022	33	2500	82500
8	सुरजीत सिंह/473/ओ	2/2021	4/2021 से 3/2022	12	2500	30000
9	सवित्री/859/ओ	7/2021	7/ 2021 से 3/2022	9	2500	22500
कुल						**780000**

इस प्रकार विभाग ने अनाधिकृत रूप से 9 मृत व्यक्तियों के खाते में ₹7.80 लाख जारी कर दिये।

विभाग को ऐसे सभी मामलों की जांच करने और यदि राशि निकाल ली गई है तो बैंक/नामांकित व्यक्तियों से राशि वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।

9.3.2 हितकारी निधि योजना

9.3.2.1 हितकारी निधि योजना के तहत 13 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति

हितकारी निधि योजना की योजना जनवरी 1994 से शुरू की गई थी। कर्मचारियों को उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी (दो तक) और कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित को भुगतान और आरएमआर कर्मचारियों को लंबी बीमारी के लिए भुगतान।

काउंसिल संकल्प संख्या 12 (के–05) दिनांक 3 नवंबर 2016 और कार्यालय परिपत्र संख्या–डी/191/एलडब्ल्यूडी/2017 दिनांक 30 जनवरी 2017 में कहा गया है कि उच्च शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति एक कर्मचारी/आरएमआर के दो बच्चों तक के अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। इस तरह की प्रतिपूर्ति एक सरकारी संस्थान, अधिमानतः जीएनसीटीडी, द्वारा समान पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली फीस तक सीमित होगी (यदि कोई समान पाठ्यक्रम नहीं है, तो समान प्रकार का पाठ्यक्रम)।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के मामलों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 मामलों में विभाग ने निर्धारित पाठ्यक्रमों की हकदार राशि से अधिक प्रतिपूर्ति की।

विवरण नीचे तालिका 9.2 में दिखाया गया है।

तालिका 9.2 उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति ₹2.5 लाख

क्र. सं.	क्रम संख्या फाइल में	कर्मचारी का नाम	बच्चे का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)	राशि स्वीकार्य	अधिकता
दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक							
1	27	मोहन लाल	ज्योति	बीएससी तृतीय वर्ष	28000	3500	24500
2	120	हरीश चंद्र ढ़ींगरा	पारुल	एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी	30000	4000	26000
	121			एमए- II	30000	4000	26000
3	322	हेमलता	कशिश	बी.एससी (एच) III	25000	3500	21500
4	336	सुरिंदर सिंह पंवार	राहुल	बी.एससी–द्वितीय	25000	3500	21500
मई से अगस्त 2018							
5	133	मोनिका कपूर	एकता	एमबीबीएस-I	30000	25000	5000
6	155	नीलम	हिताक्षी	एमबीबीएस-I	30000	25000	5000
7	161	यशोदा देवी	मधुकर	पीएच.डी.-I दर्शनशास्त्र	25000	10000	15000
सितंबर से दिसंबर 2018							
8	26	रतन लाल	नेहा	बीए-I	4000	3500	500
9	169	रेखा	मुस्कान	बीएससी (एच)	25000	3500	21500
जुलाई से दिसंबर 2019							
10	346	सुधीर कुमार झा	गोविंद	जीवविज्ञान-IV	25000	3500	21500
जनवरी से सितंबर 2020							
11	18	राजेश यादव	प्रियांशी	एमए/एमएससी. योग विज्ञान-II	25000	4000	21000
12	246	बृज भूषण त्यागी	अनंत त्यागी	कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	25000	3500	21500
13	186	मधु बाला मीना	अंकित कुमार मीना	पीएच.डी	30000	10000	20000
		कुल			**360000**	**109500**	**250500**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विभाग ने 13 कर्मचारियों को उनकी पात्रता से अधिक ₹2.51 लाख का भुगतान किया।

विभाग को ऐसे सभी मामलों की जांच करने और संबंधित लाभार्थियों से राशि की वसूली के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।

9.3.2.2 उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के 410 मामलों में विभाग को लाभार्थियों के दावे के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में 6 से 14 महीने लगे

वित्तीय सहायता लाभार्थियों की तत्काल आवश्यकता के लिए है। अक्टूबर–2020 से जून–2021 की अवधि के लिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के 410 मामलों की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने दावों के प्रसंस्करण और लाभार्थियों को भुगतान करने में अत्यधिक समय लिया था। विवरण नीचे तालिका 9.3 में दिखाया गया है:

तालिका 9.3 उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के भुगतान की धीमी प्रक्रिया (राशि लाख में)

आवेदन का महीना	भुगतान का महीना	भुगतान में देरी (महीने)	आवेदनों की संख्या	राशि का भुगतान
अक्टूबर-2020	दिसंबर–2021	14	42	7.5 6
नवंबर-2020	दिसंबर–2021	13	36	6.21
दिसंबर-2020	दिसंबर–2021	12	53	11.41
जनवरी-2021	दिसंबर–2021	11	58	10.47
फरवरी-2021	दिसंबर–2021	10	71	12.58
मार्च-2021	दिसंबर–2021	9	48	8.53
अप्रैल-2021	दिसंबर–2021	8	43	7.35
मई-2021	दिसंबर–2021	7	17	3.31
जून-2021	दिसंबर–2021	6	42	7.30
कुल			**410**	**74.72**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के 410 मामलों में विभाग को लाभार्थियों के दावे के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में 6 से 14 महीने लग गए थे।

विभाग को लाभार्थियों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने और समय सीमा तय करने की आवश्यकता है।

9.3.2.3 447 मामलों में, बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता कर्मचारियों को उनके बच्चों की शादी के 3 से 8 महीने बाद दी गई थी।

मार्च–2021 से फरवरी–2022 की अवधि के लिए विवाह के लिए वित्तीय सहायता के 447 मामलों में लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने दावों के प्रसंस्करण और लाभार्थियों को भुगतान करने में अत्यधिक समय लिया था। विवरण नीचे तालिका 9.4 में दिखाया गया है:

तालिका 9.4 विवाह के लिए वित्तीय सहायता के भुगतान की धीमी प्रक्रिया (राशि लाख में)

आवेदन का महीना	भुगतान का महीना	भुगतान में देरी (महीने)	आवेदनों की संख्या	राशि का भुगतान
मार्च–2021	नवंबर–2021	8	59	29.50
अप्रैल–2021	नवंबर–2021	7	25	12.50
मई–2021	नवंबर–2021	6	20	10.00
जून–2021	नवंबर–2021	5	36	18.00
जुलाई–2021 से अक्टूबर–2021	फरवरी–2022	4 से 7	117	58.50
नवंबर–2021	फरवरी–2022	3	36	18.00
दिसंबर–2021	फरवरी–2022	2	57	28.50
जनवरी–2022	जून–2022	5	44	22.00
फरवरी–2022	जून–2022	4	53	26.50
कुल			**447**	**223.50**

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि विवाह के लिए वित्तीय सहायता (₹2.24 करोड़) के 447 मामलों में, विभाग ने लाभार्थियों को दावे के प्रसंस्करण और प्रतिपूर्ति में 2 से 8 महीने का समय लिया था।

विभाग को लाभार्थियों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रक्रिया की समीक्षा करने और समय सीमा तय करने की आवश्यकता है।

9.3.2.4 हितकारी निधि योजना के तहत नौ कर्मचारियों को एकमुश्त लाभ से वंचित करना ₹29,400/–

परिषद के संकल्प संख्या 3(XIX) दिनांक 24 मई 2002 के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान हितकारी निधि योजना के तहत कोई लाभ नहीं लेते हैं, उन्हें ₹120/– की वार्षिक राशि प्रदान की जा सकती है। योगदान की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक। 44 मामलों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ कर्मचारियों ने पूरी सेवा अवधि के दौरान एचएनवाई योजना में योगदान दिया, लेकिन पूरी सेवा अवधि के दौरान इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं उठाया। विवरण नीचे तालिका 9.5 में दिखाया गया है:

तालिका 9.5 एचएनवाई के लिए कर्मचारियों द्वारा योगदान और एकमुश्त लाभ के कारण देय राशि

क्र. सं.	नाम, पदनाम	कर्मचारी कोड	अंशदान अवधि	अंशदान राशि	एकमुश्त लाभ
1.	दुर्गा प्रसाद, चौकीदार	295445	4/97 to 1/22	33031	3000
2.	नरिंदर कुमार कटारिया, प्रिंसिपल	259087	1/94 to 1/22	48473	3360
3.	हेम लता, नर्सरी टीचर	263723	1/94 to 1/22	33148	3360
4.	बलजोर, सफाई कर्मचारी	160086	1/94 to 3/21	30148	3240
5.	देवी चाँद, सफाई कर्मचारी	228793	1/94 to 5/21	30748	3240
6.	अशोक कुमार, सफाई कर्मचारी	152950	1/94 to 12/21	30448	3360
7.	इंदरजीत कौर, बेलदार,	245284	1/94 to 4/21	30448	3240
8.	केहर सिंह, बेलदार,	245193	1/94 to 7/21	31897	3360
9.	गुरचरण, आर्किटेक्ट,	251158	1/94 to 3/21	47324	3240
कुल				**318065**	**29400**

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि नौ कर्मचारियों ने पूरी सेवा अवधि के दौरान एचएनवाई योजना के लिए ₹ 3.18 लाख का योगदान दिया। इन कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के दौरान इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। सेवानिवृत्ति के समय ये नौ कर्मचारी एचएनवाई योजना के तहत कोई लाभ न लेने के बदले में ₹ 0.29 लाख के हकदार थे। हालाँकि, इन कर्मचारियों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि 2002 में नीति की समीक्षा के दौरान, योगदान की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक एकमुश्त लाभ की दर ₹ 120 वार्षिक तय की गई थी जो कि ₹ 240 के वार्षिक योगदान का 50 प्रतिशत थी। इसके बाद, वार्षिक योगदान को 2005, 2009 और 2017 में संशोधित किया गया था और समूह ए, बी, सी, डी और आरएमआर के संबंध में वार्षिक योगदान की वर्तमान दर क्रमशः ₹ 6000, ₹ 4800, ₹ 3600, ₹ 2400 और ₹ 1200 है, हालांकि, इस तरह के संशोधन के दौरान एकमुश्त लाभ की समीक्षा नहीं की गई थी। विभाग को नीति की समीक्षा करनी चाहिए और सभी पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त लाभ की राशि जारी करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

9.3.3 उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना

9.3.3.1 वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना से संबंधित 10 सूचीबद्ध अस्पतालों (चयनित 14 में से) के चिकित्सा बिलों का गैर–उत्पादन

एनडीएमसी अधिनियम–1994 की धारा 59(12), यह निर्धारित करती है कि मुख्य लेखा परीक्षक के पास लेखापरीक्षा के उद्देश्य से खातों से संबंधित किसी भी किताब या अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता करने की शक्ति होगी।

वर्ष 2020–21 से 2021–22 के मेडिकल बिलों के लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने 14 सूचीबद्ध अस्पतालों[59] के 1081 मेडिकल बिलों का चयन किया, जिनकी कुल कीमत ₹ 33.51 करोड़ थी। 14 अस्पतालों में से, 10 अस्पतालों के चिकित्सा बिलों से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, 4 अस्पतालों से संबंधित ₹ 6.91 करोड़ के 1081 मेडिकल बिलों के मुकाबले, एनडीएमसी ने ₹ 3.25 करोड़ के केवल 570 मेडिकल बिल

[59]कालरा हॉस्पिटल एसआरसीएनसी प्रा. लिमिटेड, जीवन अनमोल हॉस्पिटल, सुमित्रा हॉस्पिटल, सरोज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सर्वोदिया हॉस्पिटल, प्राइमस सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सेंटर फॉर साइट, बत्रा होसापिटल, जीवन नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल, मलिक रेडिक्स हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, नरिंदर मोहन फाउंडेशन, यूनिवर्सल हॉस्पिटल और यशोधरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च।

प्रस्तुत किए, जो लेखापरीक्षा के लिए चुने गए बिलों के कुल मूल्य का 9.68 प्रतिशत है। विवरण नीचे तालिका 9.6 में दिखाया गया है:

तालिका 9.6 वर्ष 2020–21 से 2021–22 के लिए चिकित्सा बिल

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	मांगे गए बिल (महीनों में)	बिल प्रदान किये गये (महीनों में)	मांगे गए बिल (संख्या)	उपलब्ध कराए गए बिल (संख्या)	मांगे गए बिल (राशि)	प्रदान किए गए बिल (राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरोज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल	24	15	511	382	191.62	146.21
2	जीवन अनमोल हॉस्पिटल	24	7	199	81	86.51	26.95
3	कालरा हॉस्पिटल एसआरसीएनसी प्रा. लिमिटेड	24	8	278	93	367.41	143.41
4	जीवन नर्सिंग होम और अस्पताल	24	3	93	12	45.23	7.93
	कुल			**1081**	**570**	**690.77**	**324.50**

अभिलेखों का गैर–उत्पादन लेखापरीक्षा जनादेश को गंभीर रूप से सीमित करता है और एनडीएमसी अधिनियम–1994 के नियम 59(12) का उल्लंघन है। परिषद से आग्रह किया गया है कि वह जवाबदेही और पारदर्शिता के हित में विभाग को रिकॉर्ड का उत्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दे।

9.3.3.2 गुब्बारे, दवाइयों आदि की लागत के कारण ₹4.83 लाख का अतिरिक्त भुगतान।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के उपचार के लिए अधिकतम दरें (7 फरवरी 2013) तय कीं। 50000 (सेमी–प्राइवेट वार्ड के लिए) और बैलून के साथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ₹55000 और बाद में बैलून के साथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की दरों को संशोधित[60] (मई–2021) करके ₹92690 कर दिया गया। अभिलेखों की जांच से पता चला कि कालरा हॉस्पिटल एसआरसीएनसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिल। लिमिटेड ने एनडीएमसी को बिलों में बैलून कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के उपचार के लिए पैकेज दर से अलग से ₹52200 से ₹56700 तक गुब्बारे की लागत का दावा किया। जबकि उपरोक्त सीजीएचएस पैकेज दर सूची के तहत गुब्बारे की लागत अलग से तय/अधिसूचित नहीं की गई है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में देखा कि एनडीएमसी ने अस्पताल को गुब्बारे के साथ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के उपचार के लिए पैकेज दर के अलावा गुब्बारे की लागत के साथ–साथ दवा आदि की लागत का भी भुगतान किया था। विवरण नीचे तालिका 9.7 में दिखाया गया है:

तालिका 9.7 गुब्बारे, दवाइयों आदि की लागत के कारण अतिरिक्त भुगतान।

क्र. सं.	कार्ड नंबर	चालान नंबर /तारीख	पारित बिल की राशि				स्वीकार्य	अस्वीकार्य भुगतान
			गुब्बारा	दवा/जांच आदि	एंजियोप्लास्टी	कुल	बैलून सहित एंजियोप्लास्टी	
1	8624	सीआर1184/ 9.06.21	52200	6721	106594	165515	106594	58921
2	3762	सीआर1655/18.06.21	52200	9521	89373	151094	89373	61721
3	8748	सीआर 5226/2.1.22	56700	0	174215	230915	174215	56700

[60]सीजीएचएस पैकेज दर दिल्ली और एनसीआर-2014 का क्रमांक 544 अद्यतन 25 मई 2021

क्र. सं.	कार्ड नंबर	चालान नंबर /तारीख	पारित बिल की राशि				स्वीकार्य	अस्वीकार्य भुगतान
			गुब्बारा	दवा/जांच आदि	एंजियोप्लास्टी	कुल	बैलून सहित एंजियोप्लास्टी	
4	61	सीआर 2184/8.8.21	52650	8955	114199	175804	114199	61605
5	8127	सीआर 1682 /14.7.21	52200	9521	114199	175920	114199	61721
6	9756	सीआर 1969 /26.7.21	52200	8955	114199	175354	114199	61155
7	9341	सीआर 437 /8.4.21	52200	8320	105915	166435	105915	60520
8	6488	सीआर 768 /30.4.21	52200	8320	114199	174719	114199	60520
कुल			**422550**	**60313**	**932893**	**1415756**	**932893**	**482863**

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि गुब्बारे और दवाओं की लागत को स्वीकार करके अस्पताल को ₹4.83 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था जो पहले से ही पैकेज दरों के तहत कवर किया गया था।

9.3.3.3 पैकेज दर/हकदार दर से अधिक अस्पतालों को ₹27,118/– के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार के OM No-S-14021/36/2016–डै दिनांक 15 फरवरी 2017 के पैरा 3 (ए) के अनुसार, 'पैकेज दर' का अर्थ है समय से उपचार के लिए रोगी उपचार/डे केयर/नैदानिक प्रक्रिया की एकमुश्त लागत डिस्चार्ज के समय तक प्रवेश की लागत जिसमें दवाओं, नियमित और आवश्यक जांच आदि की लागत शामिल है। परीक्षण जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनडीएमसी ने अस्पतालों को पैकेज दर के अलावा दवा, पैथोलॉजी शुल्क आदि की लागत की प्रतिपूर्ति की। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए उदाहरण नीचे तालिका 9.8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 9.8 अस्पतालों को पैकेज दरों/हकदार दर से अधिक चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति

क्र. सं.	कार्ड नंबर	चालान नंबर	पैकेज आइटम क्र.सं	पैकेज दर/ हकदार दर	एनडीएमसी द्वारा भुगतान की गई राशि	पैकेज दर/पात्रता और दवा आदि से अधिक भुगतान
1	16072	202200052/12.1.22	COVID	30000	41167	11167
2	N.A	18052/ 11.12.21	601	13225	15295	2070
3	8581	CR 1361/21.6.21	477 390	7141 21938	37541	8462
4	8462	00004377/17.6.21	1315	7935	8935	1000
5.	8462	CR 6199/23.2.22	1409	460	1760	1300
6	19092	01590/25.10.21	633	11334	12593	1259
7	3198	CR5274/21.3.21	156	12398	14258	1860
कुल				**104431**	**131549**	**27118**

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पैकेज दरों/लाभार्थियों की पात्रता से परे अस्पताल के दावे को स्वीकार करके और पैकेज की अवधि के दौरान प्रदान की गई दवाओं की लागत का भुगतान करके अस्पताल को ₹27,118/– का अधिक भुगतान किया गया था।

अध्याय–10

संपदा– I एवं वित्त विभाग

जीएसटी के संग्रह पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जीएसटी के संग्रह पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें

- जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(2) के प्रावधानों का पालन न करने के कारण एनडीएमसी पर ₹ 40.32 करोड़ की देनदारियां हैं। इस संबंध में धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 7.09 करोड़ का दंडात्मक ब्याज भी लगाया गया है। (पैरा 10.6.1)
- वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच बकाया मांग में ₹ 1.67 लाख का अंतर आंका गया है। (पैरा 10.6.2)
- बी2बी और बी2सी स्टेटमेंट में दिखाया गया डेटा संयुक्त रूप से 2020–21 के दौरान आरपीटी90ई के मासिक स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता है। (पैरा 10.6.3)

10. जीएसटी संग्रहण पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

10.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जुलाई–2017 से लागू किया गया है और इसके बाद इसे जीएसटी अधिनियम 2017 कहा गया। जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की श्आपूर्तिश पर लगाया जाएगा। जीएसटी व्यवस्था में, वस्तुओं और सेवाओं पर वर्तमान में लगाए गए सभी कर केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) या एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) तक ही सीमित रहेंगे, जैसा भी मामला हो।

एनडीएमसी का एस्टेट–I विभाग इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्टॉल, दुकानें, कार्यालय स्थान और होटल, रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक परिसरों के आवंटन से संबंधित है। विभाग लगभग 3603 वाणिज्यिक संस्थाओं का प्रबंधन करता है और लाइसेंसधारियों को हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच लाइसेंस शुल्क के आधार पर मासिक बिल तैयार करता है जिसमें लाइसेंस शुल्क, लाइसेंस शुल्क का बकाया, ब्याज और जीएसटी शुल्क शामिल होते हैं। लाइसेंस शुल्क प्राप्त करने के बाद, विभाग सरकारी खाते में 18 प्रतिशत (9 प्रतिशत सीजीएसटी और 9 प्रतिशत एसजीएसटी) की दर से संबंधित जीएसटी का भुगतान करता है। एनडीएमसी अधिनियम की शुरुआत (जुलाई–2017) से आज तक लाइसेंस धारियों से जीएसटी एकत्र कर रही है और इसे नकद आधार पर सरकारी खाते में भेज रही है।

10.2 लेखापरीक्षा का दायरा

एनडीएमसी के वित्त विभाग के साथ एस्टेट I में जीएसटी का लेखापरीक्षा जुलाई–2022 में प्रारम्भ किया गया था। लेखापरीक्षा में 2019–20 से 2021–22 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए जीएसटी शुल्क और सरकारी खाते में समय पर प्रेषण की जांच, बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी), बिजनेस टू उपभोक्ता (बी2सी), आरपीटी90ई और जीएसटी की सारांश शीट जिसमें मांग और उसका संग्रह, संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की जांच और एनडीएमसी द्वारा दायर कर रिटर्न दर्शाया गया है, के मासिक विवरणों के डेटा की जांच शामिल है।

10.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

(i) क्या जीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार जीएसटी एकत्र किया जा रहा है और सरकारी खाते में भेजा जा रहा है।

(ii) क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

(iii) क्या एनडीएमसी ने जीएसटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छूट प्राप्त और गैर–छूट वाली वस्तुओं और सेवा इकाइयों को वर्गीकृत किया है।

(iv) क्या विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी सभी मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन किया है।

10.4 लेखापरीक्षा मानदंड

(i) जीएसटी अधिनियम, 2017 और समय–समय पर इसमें संशोधनय

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी नियम और विनियम, दिशानिर्देश और निर्देशय

(iii) एनडीएमसी द्वारा जारी आदेश और परिपत्र

10.5 लेखापरीक्षा बाधाए'

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 59(12) में कहा गया है कि मुख्य लेखा परीक्षक के पास लेखापरीक्षा के उद्देश्य से खातों से संबंधित किसी भी किताब या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की शक्ति होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, अपेक्षित रिकॉर्डध्जानकारी प्रस्तुत करने के लिए संपदा–I और लेखा विभाग को 07 लेखापरीक्षा मांगें और छह अनुस्मारक जारी किए गए थे, हालांकि, बार–बार के प्रयासों के बावजूद, इनपुट टैक्स क्रेडिट के घटक, छूट प्राप्त और गैर–छूट वाली संपत्तियों का विवरण, बी2बी, बी2सी, आरपीटीई90 का डेटा, वर्ष 2019–20 और 2021–22 का डेटा, ईपीआईडी बिल आदि जैसे आवश्यक रिकॉर्ड लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अभिलेखों का गैर–उत्पादन लेखापरीक्षा अधिदेश को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा उपरोक्त अभिलेखों के विवरण का सत्यापन नहीं कर सकी। परिषद से आग्रह किया गया है कि वह जवाबदेही के हित में विभाग को रिकॉर्ड का उत्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दे। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वर्ष 2020–2021 के लिए उपलब्ध कराए गए डेटा और रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

10.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

10.6.1 जीएसटी की देनदारी और ₹ 47.40 करोड़ का दंडात्मक ब्याज।

जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में परिकल्पना की गई है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देनदारी इस धारा के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सेवा की आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी। इसके अलावा, धारा 13(2)(ए) में कहा गया है कि सेवाओं की आपूर्ति का समय आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तारीख होगी।

इसके अलावा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 में कहा गया है कि कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज हर उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसका कोई हिस्सा अवैतनिक रहता है, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ब्याज की गणना जिस दिन ऐसा भुगतान किया जाना था, उस दिन के अगले दिन से किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में 2020–21 की अवधि के आंकड़ों से पता चला कि विभाग ने लाइसेंसधारियों को मासिक आधार पर जीएसटी सहित बिल जारी किए और तदनुसार जीएसटी को सरकारी खाते में नकद आधार पर जीएसटी के साथ लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति पर प्रेषित किया जा रहा है। हालाँकि, उपर्युक्त धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने का दायित्व जीएसटी के प्रावधान के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति के समय उत्पन्न होगा। जीएसटी जांच टीम (डीजीजीआई) ने ई–फाइनेंस विभाग के साथ चर्चा के दौरान यह भी सुझाव दिया कि जीएसटी को उपार्जन के आधार पर एकत्र और जमा किया जाना चाहिए।

विभाग ने अप्रैल–2020 से मार्च–2021 की अवधि के लिए 'जीएसटी मांग, संग्रह और जमा', बी2बी, बी2सी और आरपीटी90ई की महीने–वार सारांश शीट प्रदान की। लेखापरीक्षा ने डेटा का विश्लेषण किया और सरकार को उठाई गई मांग, संग्रहित और जमा किए गए जीएसटी खाता की गणना का विवरण इस प्रकार हैं:

तालिका 10.1 जीएसटी और ब्याज के कारण देनदारी का विवरण (₹ लाख में)

महीना	मांग/बिल जारी किया			एकत्रित एवं जमा किया गया			एकत्रित/जमा किया जाना है				
	एसजी एसटी बकाया सहित	सीजी एसटी बकाया सहित	लाइसेंस शुल्क और जीएसटी पर ब्याज	एसजी एसटी	सीजी एसटी	लाइसेंस शुल्क और जीएसटी पर ब्याज	एसजी एसटी (2–5)	सीजी एसटी (3–6)	लाइसेंस शुल्क और जीएसटी पर ब्याज (4–7)	कुल कर देयता (8+9 +10)	दंडात्मक ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक यानी 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से कॉलम संख्या11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अप्रैल-2020	1390.74	1390.87	484.91	21.30	21.30	0.04	1369.44	1369.57	484.87	3223.88	48.35
मई-2020	1408.88	1409.00	505.50	30.56	30.56	0.18	1378.32	1378.44	505.32	3262.08	48.93
जून-2020	1459.25	1459.38	562.72	30.42	30.42	0.25	1428.83	1428.96	562.47	3420.26	51.30
जुलाई-2020	1511.11	1511.24	621.80	97.25	97.25	4.11	1413.86	1413.99	617.69	3445.54	51.68
अगस्त-2020	1526.98	1527.12	675.70	46.86	46.86	0.76	1480.12	1480.26	674.94	3635.32	54.52
सितंबर-2020	1564.01	1564.15	737.37	79.45	79.45	2.38	1484.56	1484.7	734.99	3704.25	55.56
अक्टूबर-2020	1567.00	1567.14	795.89	49.02	49.02	1.46	1517.98	1518.12	794.43	3830.53	57.45
नवंबर-2020	2475.34	2475.49	1505.50	46.04	46.04	0.83	2429.3	2429.45	1504.67	6363.42	95.45
दिसंबर2020	1639.03	1639.18	869.51	47.85	47.85	1.13	1591.18	1591.33	868.38	4050.89	60.76
जनवरी-2021	1679.26	1679.40	864.38	54.15	54.15	1.90	1625.11	1625.25	862.48	4112.84	61.69
फरवरी-2021	1692.12	1692.27	921.06	60.64	60.64	0.92	1631.48	1631.63	920.14	4183.25	62.74
मार्च-2021	1690.89	1691.04	979.32	158.86	158.86	11.24	1532.03	1532.18	968.08	4032.29	60.48
										कुल	**708.96**

लेखापरीक्षा ने मासिक आंकड़ों से पाया कि जीएसटी देनदारी संचयी रूप से बढ़ी थी, हालांकि, लाइसेंसधारी से उठाई गई मांग के मुकाबले संग्रह कुल मांग के 10 प्रतिशत से कम था। ₹ 43.61 करोड़ की कुल मांग के मुकाबले, विभाग ने मार्च–2021 तक ₹ 3.29 करोड़ एकत्र किए। नतीजतन, एनडीएमसी को 31 मार्च 2021 तक सरकार को जीएसटी के मद में ₹ 40.32 करोड़ की राशि का भुगतान करना था।

इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम की धारा 50 में अवैतनिक कर पर दंडात्मक ब्याज का प्रावधान भी निर्धारित है जो 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021–22 के दौरान मासिक जीएसटी देनदारी पर ₹ 7.09 करोड़ का दंडात्मक ब्याज (1.5 प्रतिशत प्रति माह x 12 महीने = 18 प्रतिशत वार्षिक) निकाला। इस प्रकार, मार्च–2021 तक कुल कर देनदारी ₹ 47.41 करोड़ (₹ 40.32 करोड़ + ₹ 7.09 करोड़) है।

जीएसटी देनदारी और उस पर ब्याज की गणना के लिए उपरोक्त उदाहरण केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं। चूंकि विभाग ने वर्ष 2019–20 और 2021–22 की अवधि के लिए पूरा विवरण प्रदान नहीं किया, इसलिए लेखापरीक्षा उपरोक्त अवधि के लिए जीएसटी देनदारी पर टिप्पणी नहीं कर सका। विभाग से लेखापरीक्षा को सूचना देकर प्राथमिकता के आधार पर बकाया का निपटान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (जनवरी–2023) कि पिछले डेटा यानी जनवरी–2022 से पहले नकद आधार पर बैलेंस शीट में उल्लिखित डेटा के साथ संचय के आधार पर मिलान के

संबंध में मामला जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के साथ प्रक्रिया में है। (डीजीजीआई)। विभाग ने आगे कहा कि उसने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ 1 दिसंबर 2022[61] से आरसीएम प्रक्रिया अपनाई है और इससे पहले जनवरी–2022 से नवंबर–2022 तक का जीएसटी डेटा 9 सितंबर 2022 के एम.ओ.एम. के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर प्रदान किया गया है। .

इस प्रकार विभाग ने ₹47.40 करोड़ की जीएसटी की पिछली देनदारी पर की गई कार्रवाई और संचयन के आधार पर जीएसटी जमा करना शुरू करने की पुष्टि नहीं की है।

10.6.2 सीजीएसटी और एसजीएसटी में बकाया मांग में अंतर।

जीएसटी अधिनियम 2017 में निर्धारित जीएसटी की दरों की अनुसूची के अनुसार, जीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में 9 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा।

वर्ष 2020–21 के लिए सारांश पत्रों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि प्रत्येक माह के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की बकाया मांग में नियमित भिन्नता है जो नीचे दी गई तालिका में परिलक्षित हुई है:

तालिका 10.2 बकाया मांग में अंतर (₹ में)

महीना	सीजीएसटी	एसजीएसटी	अंतर
अप्रैल–2020	130475373	130462095	13278
मई–2020	132771199	132758995	12204
जून–2020	137795864	137782586	13278
जुलाई–2020	142969842	142956564	13278
अगस्त–2020	144449746	144435555	14191
सितंबर–2020	148145925	148131734	14191
अक्टूबर–2020	148446109	148431918	14191
नवंबर–2020	239349443	239335252	14191
दिसंबर–2020	156001510	155987319	14191
जनवरी–2021	158646781	158632590	14191
फरवरी–2021	161478822	161464034	14788
मार्च–2021	161339485	161324697	14788
कुल	**1861870099**	**1861703339**	**166760**

सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच बकाया मांग में अंतर ₹1.67 लाख आंका गया है। इस प्रकार, तथ्य यह है कि विभाग ने सीजीएसटी और एसजीएसटी के शेयरों को उचित रूप से अलग नहीं किया है। लेखापरीक्षा की सूचना के तहत आंकड़ों का मिलान आवश्यक है।

[61]रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म-आइटम 6ए 1.4.1 से लागू था। 25 जनवरी 2018 तक अचल संपत्तियों को किराये पर देने और कर का भुगतान करने की देनदारी प्राप्तकर्ताओं यानी एनडीएमसी के लाइसेंसधारियों पर निहित होगी।

विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी–2023) कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच बकाया मांग में अंतर भुगतान प्राथमिकता पद्धति को अपनाने के कारण था। विभाग का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि भुगतान प्राथमिकता पद्धति सीजीएसटी और एसजीएसटी पर लागू नहीं होती है क्योंकि ये जीएसटी के बराबर हिस्से हैं और एक साथ काटे जाते हैं।

10.6.3 बी2बीऔर बी2सीऔर आरपीटी90ई में दिखाए गए लाइसेंसधारियों की संख्या और जीएसटी की राशि में अंतर

जीएसटी के संग्रह और प्रेषण की प्रक्रिया में, एनडीएमसी बी2बी, बी2सी, आरपीटी90ई और सारांश शीट जैसे विभिन्न विवरण तैयार करता है। ये कथन निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं:–

(i) बी2बी स्टेटमेंट मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह व्यवसायों के बीच लेनदेन का एक रूप है, जैसे कि एक निर्माता और थोक व्यापारी या एक थोक व्यापारी और एक खुदरा विक्रेता शामिल होता है।

(ii) व्यवसाय से उपभोक्ता लेनदेन के संबंध में बी2सी विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाता है।

(iii) आरपीटी90ई विवरण मासिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और B2B और B2C लेनदेन दोनों की वर्तमान और पिछली देनदारियों की अवधि में लाइसेंस शुल्क और जीएसटी से संबंधित संपूर्ण मांग और संग्रह को दर्शाया जाता है।

एनडीएमसी के एस्टेट–I विभाग से संबंधित जीएसटी के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि बी2बी और बी2सी स्टेटमेंट में दर्शाये गए आंकड़े आरपीटी90ई स्टेटमेंट के समेकित डेटा से मेल नहीं खाता है, जो नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 10.3 RPT90ई कथन का डेटा (₹ में)

क्र. सं.	मास	बी2बी और बी2सी के अनुसार लाइसेंसधारियों की कुल संख्या	आरपीटी 90ई के अनुसार लाइसेंस की कुल संख्या	इकाई में अंतर	बी2बी और बी2सी के अनुसार जीएसटी की राशि	RTP90E के अनुसार जीएसटी की राशि	अंतर
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**
1	अप्रैल-2020	1169	1785	-616	4303022	4266096	36926
2	मई-2020	1473	1478	-5	6190166	6130332	59834
3	जून-2020	1714	1729	-15	6133036	6109428	23608
4	जुलाई-2020	1972	1991	-19	19967004	19861966	105038
5	अगस्त-2020	1910	1933	-23	9522563	9450421	72142
6	सितंबर-2020	2046	2070	-24	16167462	16129898	37564
7	अक्टूबर-2020	2151	2177	-26	9994372	9314932	679440
8	नवंबर-2020	1549	2016	-467	9533896	9292920	240976
9	दिसंबर2020	2272	2268	4	9721844	9684634	37210
10	जनवरी-2021	2229	2273	-44	11418950	11022162	396788
11	फरवरी-2021	2268	2315	-47	12241660	12221454	20206
12	मार्च-2021	2347	2394	-47	32923944	32897154	26790
					148117919	**146381397**	**1736522**

तालिका से स्पष्ट है कि बी2बी और बी2सी में लाइसेंसधारियों की संख्या RPT90E से मेल नहीं खाती है, जो वर्ष 2020–2021 के प्रत्येक माह के दौरान (+) 4 से (-) 616 तक भिन्न है।

इसके अतिरिक्त, बी2बी और बी2सी विवरण में दर्शाई गई लाइसेंसधारियों से जीएसटी के कारण एकत्र की गई राशि भी आरपीटी90ई के समेकित विवरण से मेल नहीं खाती। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल अंतर ₹ 17.36 लाख है। दोनों कथनों में दर्शाए गए आंकड़ों का मिलान संबंधित आंकड़ों से किया जाना चाहिए। विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी–2023) कि जब भी क्रेडिट/डेबिट/आईयूटी विवरण यानी विशिष्ट महीने के संबंध में भुगतान प्राप्त/चेक अनादरित होता है और कुछ समय के अंतराल के बाद जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका उस महीने पर प्रभाव पड़ेगा जिसमें यह संबंधित है। हालाँकि, विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में समाधान विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

के माथुर

नई दिल्ली
दिनांकः

(कार्तिकेय माथुर)
मुख्य लेखापरीक्षक

अध्याय–4 (अनुलग्नक– I)
(संदर्भ पैरा 4.5.3.4)
निष्पादन गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होना

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	आरंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	राशि और वैधता की समाप्ति की तारीख (₹)	वह अवधि जिसके लिए निष्पादन गारंटी अमान्य रही
1	2	3	4	5	6	7
1.	2ध्ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	08.04.2017	07.01.2019	2,01,63,357 07.12.2020 तक वैध	07.12.2020 के बाद भी कार्य प्रगति पर है और वैधता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है
2.	92/ईई(बीएम–पीके)/2018–2019 मेसर्स के.के. कंस्ट्रक्शन	बीएम–पीके डिवीजन में स्कूल में सुधार। **उपशीर्षक:** नवयुग स्कूल, जोरबाग एवं एन.पी. में वर्षा जल संचयन गड्ढों का निर्माण। कंपनी एड. डे बोर्डिंग स्कूल, हनुमान रोड, नई दिल्ली।	25.10.2018	24.12.2018	40,858 26.02.2019 तक वैध	26.02.2019 के बाद बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण के बिना 19.03.2021 को कार्य पूरा हुआ
3.	08/ईई(आरआईपी)/2016–2017 मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के संग्रहण, परिवहन और डंपिंग का काम मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। लिमिटेड	18.01.2017	17.01.2024	18,00,000 31.12.2020 तक वैध। इसके अलावा, बैंक गारंटी को दिनांक 01.01.19 से पुनः वैध कर दिया गया। 31.03.2021 से 31.03.2022	01.04.2020 से 30.03.2021 की अवधि के लिए बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण के बिना कार्य निष्पादित किया गया था। (12 महीने) इसके अलावा, बैंक गारंटी को 31.03.2021 से 31.03.2022 से पुनः वैध किया गया था। कार्य प्रगति पर है और 01.04.2022 से 17.01.2024 प्लस 30 दिनों की अवधि के लिए कोई बैंक गारंटी नहीं है जो आरएफपी खंड और आशय पत्र खंड का उल्लंघन है क्योंकि कार्य पूरा होने की अवधि 17.01.2024 है।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	आरंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	राशि और वैधता की समाप्ति की तारीख (₹)	वह अवधि जिसके लिए निष्पादन गारंटी अमान्य रही
1	2	3	4	5	6	7
4.	96/ईई(बीएम–III)/ 2019–20	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग (एएम–16) उप प्रमुखः आदित्य सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अशोक रोड नई दिल्ली में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग आदि	28.08.2019	27.02.2020	24,500 26.08.2020 तक वैध	26.08.2020 से बिना किसी निष्पादन गारंटी के कार्य प्रगति पर है।
5.	22/ ईई(बीएम–III)/2019– 20 मेसर्स विजय त्यागी	एनडीएमसी में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)। उप प्रमुखः एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एमएस रेलिंग का निर्माण और फिक्सिंग।	09.08.2019	08.08.2020	11,86,508 दिनांक 01.07. 2019 से विभिन्न अवधियों के लिए वैध। 28.12.2019 से 03.08.2020 तक	कार्य अभी भी प्रगति पर है और ठेकेदार को आवश्यकतानुसार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है।
6.	71/ ईई(बीएम–III)/2018–2019 मैसर्स शाइमा कॉन्स्ट. कंपनी कंपनी	2018–2019 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बि. ल्डिंग उप प्रमुखः एचसीएम लेन में पालिका सदन और पालिका निकुंज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के टाइप–V अधिकारी फ्लैटों की डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग।	01.03.2019	31.01.2021	22,300 25.07.2019 तक वैध	कार्य 30.01.2021 को पूरा हो गया था और कार्य निष्पादन गारंटी को आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ाया गया था।
7.	53/ ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे.आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्षः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	24.08.2016	23.09.2016	50,500 22.11.2016 तक वैध	कार्य 23.01.2017 को पूरा हो गया था और कार्य निष्पादन गारंटी को आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ाया गया था

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	आरंभ की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	राशि और वैधता की समाप्ति की तारीख (₹)	वह अवधि जिसके लिए निष्पादन गारंटी अमान्य रही
1	2	3	4	5	6	7
8.	31/ईई/बीएम–I/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड	एन.पी. कंपनी–एड में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण। प्राइमरी स्कूल, आर. के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	06.01.2021	05.05.2021	1,58,973 (एफडीआर 10 नग) 13.01.2021 से 08.01.2022 तक वैध	कार्य अभी भी प्रगति पर है और ठेकेदार को कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई एफडीआर की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है।
9.	2018–19 के 28/ईई(एसएम) पर हस्ताक्षर 08.02.2019 मेसर्स दीपक अलाइड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स	जमा कार्य (एनबीसीसी) एसएचः–नेताजी नगर, नई दिल्ली में 600 मिमी व्यास और 900 मिमी व्यास वाली सीवर लाइन का स्थानांतरण।	24.01.2019	23.07.2019	34,82,964 (बैंक गारंटी 23.08.2019 तक वैध है)	कार्य अभी भी प्रगति पर है और ठेकेदार को कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई एफडीआर की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है।

अध्याय–4 (अनुलग्नक–II)
(संदर्भ पैरा 4.5.4.3)
उचित दरों में भिन्नता की अनुमेय सीमा से नीचे/अधिक निविदा की स्वीकृति

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	उचित लागत (₹)	निविदा/ स्वीकृत राशि (₹)	: उतार–चढ़ाव
1	2	3	4	5	6
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/ 2018 – 2019 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 टाइप–II फ्लैट का निर्माण	54, 39, 33, 812	41,45, 07,482	23.80% नीचे
2.	02/ईई(सी–III)/ एबी/2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	87,37,70,240	68,49,11,150	21.61% नीचे
3.	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेडियम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	3,39,09,286	2,16,00,215	36.30% नीचे
4.	40/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स विक्की इंटरप्राइजेज	पालिका केन्द्र भवन में सुधार। **उपशीर्ष:** पालिका केंद्र की विभिन्न मंजिलों पर दो मंजिला ग्लास टफन्ड ग्लास और अन्य विविध कार्य उपलब्ध कराना और ठीक करना।	1,83,685	1,46,158	20.53% नीचे
5.	92/ईई(बीएम–पीके)/2018–2019 मेसर्स के.के. कंस्ट्रक्शन	नवयुग स्कूल जोर बाग एवं एन.पी. कंपनी एड में वर्षा जल संचयन गड्ढों का निर्माण। हनुमान रोड नई दिल्ली में डे बोर्डिंग स्कूल	13,22,767	8,13,105	38.53% नीचे
6.	97/ईई(बीएम–पीके)/2019–2020 मैसर्स नंदिनी इंटरप्राइजेज	एनडीएमसी में माध्यमिक विद्यालय में सुधार। **उप–शीर्ष:** हनुमान लेन स्कूल की छत पर वाटर प्रूफिंग और नया मुधस्का प्रदान करना और छत के प्लास्टर की मरम्मत करना	18,04,683	8,70,218	51.78% नीचे
7.	27/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स वरुण नरूला	जोर बाग बाजार का विकास	32,82,468	27,44,143	16.40% नीचे

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	उचित लागत (₹)	निविदा/ स्वीकृत राशि (₹)	: उतार–चढ़ाव
1	2	3	4	5	6
8.	86/ईई(बीएम–III)/2019–2020 मेसर्स कन्फॉस कंस्ट्रक्शन	2019–2020 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	22,92,10,410	19,84,50,373	13.42% नीचे
9.	03/ईई(बीएम–III)/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2015–2016 के दौरान बीएम–III डिवीजन में भवन की मरम्मत और रखरखाव (विशेष मरम्मत)	18,46,366	5,79,151	69.99% नीचे
10.	01/ईई(बीएम–III)/2015–2016 मैसर्स शिवाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी	एसएचः– फुटपाथ के क्षतिग्रस्त लाल पत्थर के स्लैब को बदलना। तालकटोरा गार्डन में कॉन्सर्टिना और कूड़ेदान उपलब्ध कराना और ठीक करना।	37,88,453	27,58,495	27.19% नीचे
11.	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार एसएचः– पालिका बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उन्नयन।	1,05,09,975	71,53,598	31.94% नीचे
12.	96/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स सबुर आलम	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग (एएम–16) उप प्रमुखः आदित्य सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अशोक रोड नई दिल्ली में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग आदि	17,80,218	4,81,665	72.94% नीचे
13.	22/ईई(बीएम–III)/2019–2020 मैसर्स विजय त्यागी	उप प्रमुखः एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर एमएस रेलिंग का निर्माण और फिक्सिंग।	3,72,14,693	2,34,73,318	36.92% नीचे
14.	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे.आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उप प्रमुखः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	11,65,826	10,09,783	13.39% नीचे
15.	03/ईई(एसपी/2016–17 मैसर्स एस.एस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 नग) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने के लिए और 12 साल तक चलने के लिए (समूह– I) यानी संजय पार्क झील 300 केएलडी, कुशक नाला 500 केएलडी के आसपास सत्य सदानंद रेलवे लाइन के बीच पार्क, रिंग रोड के जंक्शन के पास और मोतीबाग 100 पर शांति पथ केएलडी और सुभाष पार्क, नेताजी नगर 100 केएलडी	17,79,12,000	11,52,00,000	54.43% नीचे

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	उचित लागत (₹)	निविदा/ स्वीकृत राशि (₹)	: उतार–चढ़ाव
1	2	3	4	5	6
16.	01/ईई(एसपी/2016–17 मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन ग्रुप डिपो (समूह– II) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 नंबर) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित किया गया और 12 साल (ग्रुप– II) यानी नेहरू पार्क तक बनाने के लिए है। 500 केएलडी, नीतिमार्ग की ओर शांति पथ पर विकसित गुलाब गार्डन 300 केएलडी, नीतिमार्ग की ओर शांति पथ पर विकसित गुलाब गार्डन 100 केएलडी, पेशवा रोड के जंक्शन और बौद्ध आश्रम के बीच में खिलौने बाजार 200 केएलडी)	18,82,58,400	14,65,20,000	28.49% नीचे
17.	02/ईई(एसपी/2016–17) मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 संख्या) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और 12 वर्षों तक चलने वाली (समूह– III) यानी लोधी गार्डन 500 केएलडी, भारती नगर 500 केएलडी	17,11,44,000	11,16,00,000	53.35% नीचे
18.	31/ईई/बीएम–८/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड	एन.पी. सह–शिक्षा. प्राइमरी स्कूल, आर.के. आश्रम मार्ग.में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण।	47, 91,598	28, 00, 366	41.55% नीचे
19.	25/ईई/ बीएम–I/एबी/2020–2021 दिनांक 18.01.2021 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	बीएम–I डिवीजन के तहत ईएसएस में सुधार, जाफरी स्क्वायर सर्विस सेंटर के तहत विभिन्न ईएसएस में फ्लश दरवाजे शटर रोलिंग शटर, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स और अन्य विविध मरम्मत कार्यों का प्रतिस्थापन।	19,62,107	11,51,472	51.52% नीचे
20.	49/ईई/ बीएम–I/एबी/2019–2020 दिनांक 27.12.2019 मेसर्स वर्मा ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	एमएलए/एलएडी की निधि योजनाः पॉली फाइबर गज़ेबो राजाहुंडर बीएम–८ डिवीजन प्रदान करना और ठीक करना	9,80,626	8,85,015	10.22% नीचे

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	उचित लागत (₹)	निविदा/ स्वीकृत राशि (₹)	: उतार–चढ़ाव
1	2	3	4	5	6
21.	01/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 डी.टी. 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	विभिन्न एनडीएमसी भवनों में यंत्रीकृत हाउसकीपिंग कार्य (समूह–बी) एसएचः– एनडीएमसी क्षेत्र के बाजारों (पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन आदि) में मशीनीकृत हाउस कीपिंग कार्य।	9,01,25,685	6,96,24,000	22.74% नीचे
22.	72/ईई(बीएम–I)/एबी/2017–18 दिनांक। 15.03.2018 मेसर्स सतीश चंद एवं राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास	29,26,17,480	24,66,00,633	15.72% नीचे
23.	2018–19 के 28/ईई(एसएम) पर हस्ताक्षर 08.02.2019 मैसर्स दीपक एलाइड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स	जमा कार्य (एनबीसीसी) एसएचः–नेताजी नगर, नई दिल्ली में 600 मिमी व्यास और 900 मिमी व्यास वाली सीवर लाइन का स्थानांतरण।	6,96,59,274	9,62,27,596	27.61% नीचे
24.	2017–18 के 15/ईई(एसएम) पर 10.07.2017 को हस्ताक्षर किए गए मैसर्स जैन कॉन्स्ट.	एनडीएमसी क्षेत्र नई दिल्ली में विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज का विस्तार। उपशीर्षः अंध महाविद्यालय, पंचकुइया रोड पर क्षतिग्रस्त मैनहोल और सीवरेज लाइन का पुनर्निर्माण। नयी दिल्ली।	16,45,189	9,41,708	43.14% नीचे
25.	01/ईई (सी–I) 2018–2019 दिनांक। 12/06/2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	21,43,49,377	16,00,79,357	25.32% नीचे

अध्याय–4 (अनुलग्नक–III)

(संदर्भ पैरा 4.5.5.2)

कार्य के लिए नियोजित किए जाने वाले तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मियों का विवरण

क्र. सं.	पद	कुल गणना	इस कार्य के लिए नंबर उपलब्ध है	नाम	योग्यता	व्यावसायिक अनुभव और किए गए कार्य का विवरण	ये कैसे इस काम में शामिल होंगे	अंक प्राप्त की अपलोड के अनुसार दस्तावेज़
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	निदेशक	7	1	श्री देवेन्द्र रावत	बीई(सी)	28 साल	सीधे	.60
2	प्रोजेक्ट मैनेजर	7	1	श्री नरेश प्रताप	बीई(सी)	25 साल	सीधे	.60
3	बिलिंग इंजीनियर	5	1	श्री तारिक अज़ीमी	डी.सी.ई	18 साल	सीधे	.40
4	सिविल इंजीनियर	25	1	श्री तस्लीम	डी.सी.ई	10 साल	सीधे	.40
5	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–
7	हिसाब किताब	20	1	श्री संजय कुमार झा	बी.कॉम	10 साल	सीधे	–
8	स्टोर कीपर	40	1	श्री अरुण शर्मा	मध्यवर्ती	08 साल	सीधे	–
9*	पंचों का सरदार	15	1	श्री दिनेश	मध्यवर्ती	12 साल	सीधे	.20
10*	पर्यवेक्षक	55	2	श्री राजेश	बी० ए	10 साल	सीधे	.20
	कुल		**9**					**2.40**

(फॉर्म जी' बोली के समय अपलोड किया गया)

अध्याय–4 (अनुलग्नक–IV)

(संदर्भ पैरा 4.5.5.2)

कार्य में नियोजित किये जाने वाले तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्मिकों का विवरण

(फॉर्म जी' तकनीकी बोलियां खुलने के बाद भौतिक रूप से जमा किया गया)

क्र. सं.	पद	कुल गणना	इस कार्य के लिए नंबर उपलब्ध है	नाम	योग्यता	व्यावसायिक अनुभव और किए गए कार्य का विवरण	ये कैसे इस काम में शामिल होंगे	अंक प्राप्त की अपलोड के अनुसार दस्तावेज़
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	निदेशक	7	1	श्री देवेन्द्र रावत	बीई(सी)	28 साल	सीधे	0.60
2	प्रोजेक्ट मैनेजर	7	1	श्री नरेश प्रताप	बीई(सी)	25 साल	सीधे	0.60
3	**डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर**	**15**	**1**	**श्री अब्दुस सामी**	बीई(सी)	27 साल	सीधे	**0.60**
4	**उप परियोजना प्रबंधक (निर्वाचित)**	**5**	**1**	**श्री मकूद अहमद**	डीईई	34 साल	सीधे	**0.60**
5	**प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर**	**25**	**2**	**हसनैन मुजतबा**	बीटेक (सी)	13 साल	सीधे	**0.60**
6	बिलिंग इंजीनियर	5	1	श्री तारिक अज़ीमी	डी.सी.ई	20 साल	सीधे	.0.40
7	सिविल इंजीनियर	25	1	श्री तस्लीम	डी.सी.ई	10 साल	सीधे	0.40
8	**प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर (चुनाव)**	**5**	**1**	**श्री विषयी राम**	डीईई	23 साल	सीधे	**0.40**
9	**सर्वेक्षक**	**3**	**1**	**श्री राम सहाय**	डी.सी.ई	23 साल	सीधे	**0.40**
10	हिसाब किताब	20	1	श्री संजय कुमार झा	बी.कॉम	10 साल	सीधे	0
11	स्टोर कीपर	40	1	श्री अरुण शर्मा	मध्यवर्ती	08 साल	सीधे	0
12	पंचों का सरदार	15	1	श्री दिनेश	मध्यवर्ती	12 साल	सीधे	0.20
13	पर्यवेक्षक	55	2	श्री राजेश	बी ० ए	10 साल	सीधे	0.20
	कुल							**5.00**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–V)
(संदर्भ पैरा 4.5.6.3)
आरए बिलों से जीएसटी राशि न रोकना

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	भुगतान की गई जीएसटी की राशि (₹)
1	**2**	**3**	**4**
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मेसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 नंबर टाइप–II फ्लैट का निर्माण	26533767
2.	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	1097976
3.	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	2007902
4.	08/ईई(आरआईपी)/2016–2017 मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र से निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कचरे के संग्रहण, परिवहन और डंपिंग का काम मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। लिमिटेड	35231430
5.	86/ईई(बीएम–III)/2019–2020 मेसर्स कन्फॉस कंस्ट्रक्शन 08/ईई(आरआईपी)/2016–2017 मेसर्स मेटेरो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	विद्युत भवन का सुधारः डॉ. एपीजे कलाम रोड (समग्र कार्य) पर ब्लॉक–ए, बी, सी विद्युत भवन कार्यालय परिसर का नवीनीकरण/संशोधन।	13183443
6.	1/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 दिनांक। 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	विभिन्न एनडीएमसी भवनों में यंत्रीकृत हाउसकीपिंग कार्य (समूह–बी) एसएचः एनडीएमसी क्षेत्र के बाजारों (पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन आदि) में मैकेनाइज्ड हाउस कीपिंग वर्क्स	474848
7.	03/ईई(एसपी/2016–17 मेसर्स एस.एस इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (मालिकाना फर्म) और मेसर्स सीएक्सएल टाइटन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट। लिमिटेड और मैसर्स यूरो मार्केटिंग इंडिया (एक स्वामित्व फर्म)	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 संख्या) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और 12 वर्षों तक चलने के लिए **(समूह– I)**	6004477
8.	01/ईई(एसपी/2016–17 मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 संख्या) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और 12 वर्षों तक चलने के लिए **(समूह– II)**	8694692
9.	02/ईई(एसपी/2016–17) मेसर्स इकोसिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना एनडीएमसी क्षेत्र में तीन समूह बुनियादी ढांचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण) में एसटीपी 100 केएलडी से 500 केएलडी (10 संख्या) स्थापित करके अतिरिक्त जल संसाधन विकसित करने और 12 वर्षों तक चलने के लिए **(समूह– III)**	2860162
		कुल	**96088697**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–VI)

(संदर्भ पैरा 4.5.6.4)

आयकर की कम कटौती

क्र. सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	कुल काम किया (₹)	सकल कार्य का 2 प्रतिशत आयकर (₹)	आयकर कटौती (₹)	आयकर की कम कटौती (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मै. सर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 नंबर टाइप–II फ्लैट का निर्माण	24,76,48,495 24वें आरए बिल तक	49,52,970	44,22,295	530675
2.	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मै. सर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	1,02,47,778 प्रथम आरए बिल तक	2,04,955	1,82,996	21959
3.	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मै. सर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–प्प फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	27,71,12,242 25वें आरए बिल तक	55,42,248	49,48,436	593412
4.	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मै. सर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेडियम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	1,01,13,141 प्रथम आरए बिल तक	2,02,263	1,80,592	21671
5.	86/ईई(बीएम–III)/2019–2020 मे. सर्स कन्फॉस कंस्ट्रक्शन	विद्युत भवन का सुधाररू डॉ. एपीजे कलाम रोड (समग्र कार्य) पर ब्लॉक–ए, बी, सी विद्युत भवन कार्यालय परिसर का नवीनीकरण/संशोधन।	12,30,45,467 14वां आरए बिल	2460909	2143944	316965
6.	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार	17,83,779 प्रथम आरए बिल तक	35676	31853	3823
7.	03/ईई/बीएम–111/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	5,86,009 पहला और अं. तिम बिल	11720	10464	1256

क्र. सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	कुल काम किया (₹)	सकल कार्य का 2 प्रतिशत आयकर (₹)	आयकर कटौती (₹)	आयकर की कम कटौती (₹)
1	2	3	4	5	6	7
8.	96/ईई(बीएम–III)/2019–20 मै. सर्स सबूर आलम03/ईई/बीएम–111/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग (एएम–16)	2,31,052 प्रथम आरए बिल तक	4620	4126	494
9.	22/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स विजय त्यागी	2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)।	2,26,72,605 8वें आरए बिल तक	453452	404808	48644
10.	71/ईई(बीएम–III)/2018–19 मैसर्स शाइमा कॉन्स्ट. कं	2018–2019 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	5,25,946 प्रथम एवं अंतिम बिल तक	10519	9392	1127
11.	31/ईई/बीएम–I/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसलि. टंग एंड सप्लाईज प्रा. लिमिटेड	एन.पी. को–एड प्राइमरी स्कूल, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण।	15,36,774 दूस. रे आरए बिल तक	30,735	26,013	4722
12.	25/ईई/बीएम–I/एबी/2020–2021 दिनांक 18.01.2021 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	बीएम–९ डिवीजन के तहत ईएसएस में सुधार, जाफरी स्क्वायर सर्विस सेंटर के तहत विभिन्न ईएसएस में फ्लश दरवाजे शटर रोलिंग शटर, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स और अन्य विविध मरम्मत कार्यों का प्रतिस्थापन।	5,92,389 प्रथम आरए बिल तक	11,848	10,578	1270
13.	49/ईई/बीएम–I/एबी/2019–2020 दिनांक 27.12.2019 मेसर्स वर्मा ग्लो. बल इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	एमएलए/एलएडी की निधि योजनाः पॉली फाइबर गजेबो राजाहुं. डर बीएम–९ डिवीजन प्रदान करना और ठीक करना	8,82,517 प्रथम आरए बिल तक	17,650	15,759	1891
14.	01/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 दिनांक। 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	विभिन्न एनडीएमसी भवनों में यंत्रीकृत हाउसकीपिंग कार्य (समू. ह–बी) एसएचः एनडीएमसी क्षेत्र के बाजारों (पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन आदि) में मशीनीकृत हाउस कीपिंग कार्य।	5,80,86,941 23वें आरए बिल तक	1,16,17,38	1,10,64,18	55320

क्र. सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	कुल काम किया (₹)	सकल कार्य का 2 प्रतिशत आयकर (₹)	आयकर कटौती (₹)	आयकर की कम कटौती (₹)
1	2	3	4	5	6	7
15.	72/ईई (बीएम–I)/एबी/2017–18 दिनांक। 15.03.2018 मेसर्स सतीश चंद एवं राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विक. रास।	5,34,,12,913 7वें आरए बिल तक	10,68,258	9,53,102	114456
16.	2018–19 के 28/ईई(एसएम) पर हस्ताक्षर 08.02.2019 मेसर्स दीपक एलाइड ट्रेडर्स एंड इंजी. नियर्स2018–19	जमा कार्य (एनबीसीसी) एसएचः–नेताजी नगर, नई दिल्ली में 600 मिमी व्यास और 900 मिमी व्यास वाली सीवर लाइन का स्थानांतरण।	9,84,11,382 11वें आरए बिल तक	19,68,228	17,57,346	210882
17.	01/ईई (सी–I)2018–2019 दिनांक। 12.06.2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	7,30,76,984 11वें आरए बिल तक	14,61,540	13,04,946	156594
18.	01/ईई (सी–I)2018–2019 दिनांक। 12.06.2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	1,40,22,855 11वें आरए बिल तक (सु. रक्षित अग्रिम)	2,80,457	शून्य	280457
	कुल					**2365625**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–VII)

(संदर्भ पैरा 4.5.6.5)

लेबर सेस के कारण कम वसूली

क्र. सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	किया गया कुल कार्य (₹)	कटौती की जाने वाली राशि (₹)	कटौती की गई राशि (₹)	कम कटौती (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–7, पुष्प विहार, साकेत में टाइप–2 फ्लैट के 120 नंबर का निर्माण	24,76,48,495 (24वें आरए बिल तक)	24,76,485	22,11,148	265337
2.	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–टप, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	1,02,47,778 प्रथम आरए बिल	1,02,478	91,498	10980
3.	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–प्प फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	27,71,12,442 25वें आरए बिल तक	27,71,124	24,74,218	296906
4.	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेटिडम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	1,01,13,141 प्रथम आरए बिल तक	1,01,131	90,296	10835
5.	97/ईई(बीएम–पीके)/2019–2020 मैसर्स नंदिनी इंटरप्राइजेज	एनडीएमसी में माध्यमिक विद्यालय में सुधार। उप–शीर्षः हनुमान लेन स्कूल की छत पर वाटर प्रूफिंग और नया मुधस्का प्रदान करना और छत के प्लास्टर की मरम्मत करना।	8,46,119 प्रथम एवं अंतिम बिल तक	8,461	7538	923
6.	86/ईई(बीएम–III)/2019–2020 मेसर्स कन्फॉस कंस्ट्रक्शन	गणना के लिए गलत आधार के कारण श्रम कल्याण उपकर की कम कटौती ₹158464/–	12,30,45,46714वें आरए बिल तक	1230455	1071991	158464
7.	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार	17,83,779 प्रथम आरए बिल तक	17838	15927	1911
8.	03/ईई/बीएम–111/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	5,86,009 पहला और अंतिम विधेयक	5860	5232	628
9.	96/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स सबुर आलम	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग (एएम–16)	2,31,052 प्रथम आरए बिल तक	2310	2063	247
10.	22/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स विजय त्यागी	2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)।	2,26,72,605 8वें आरए बिल तक	226726	202434	23992
11.	71/ईई(बीएम–III)/2018–19 मैसर्स शा. इमा कॉन्स्ट. कं	2018–2019 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	5,25,946 प्रथम एवं अंतिम बिल तक	5259	4696	563

क्र. सं	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	किया गया कुल कार्य (₹)	कटौती की जाने वाली राशि (₹)	कटौती की गई राशि (₹)	कम कटौती (₹)
1	2	3	4	5	6	7
12.	02/ईई/एसपी/2018–19 दिनांक. 12.03.2019 मेसर्स जिप्सम स्ट्रक्चरल इंडिया प्रा. लिमिटेड	पुराने सेवार का पुनर्वास, एसएचः– के.जी. से 84 इंच व्यास वाली ईंट बैरल सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग और पुनर्वास। मार्ग से सी–हे. क्सागांव और शाहजहां रोड तक जुलाई 2015 के आधार पर बाजार दर क्यू–प्वाइंट।	23,45,34,295 5वें बिल तक	23,45,343	20,93,966	251377
13.	31/ईई/बीएम–I/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड	एन.पी.को–एड प्राथमिक विद्यालय, आर.के.आ. श्रम मार्ग, नई दिल्ली में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण	15,36,774 दूसरे आरए बिल तक	24,76,485	22,11,148	265337
14.	25/ईई/बीएम–I/एबी/2020–2021 दिनांक 18.01.2021 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	बीएम–1 डिवीजन के तहत ईएसएस में सुधार, जाफरी स्क्वायर सर्विस सेंटर के तहत विभिन्न ईएसएस में फ्लश दरवाजे शटर रोलिंग शटर, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स और अन्य विविध मरम्मत कार्यों को बदलना।	5,92,389 (प्रथम आरए बिल तक)	5,924	5,289	635
15.	49/ईई/बीएम–I/एबी/2019–2020 दिनांक 27.12.2019 मेसर्स वर्मा ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड	एमएलए/एलएडी की निधि योजनाः पॉली फा. इबर गजेबो राजाहुंडर बीएम–प डिवीजन प्रदान करना और ठीक करना	8,82,517 प्रथम और अंतिम बिल तक	8,825	7,880	945
16.	01/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 दिनां.क। 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	विभिन्न एनडीएमसी भवनों में यंत्रीकृत हाउसक. ीपिंग कार्य (समूह–बी) एसएचः– एनडीएमसी क्षेत्र के बाजारों (पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन आदि) में मशीनीकृत हाउस की. पिंग कार्य।	5,80,86,941 23वें आरए बिल तक	5,80,869	5,53,209	27660
17.	01/ईई (बीएम–I)/एबी/2019–20 दिन.ांक 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास।	5,34,12,913 7वें आरए बिल तक	5,34,129	4,76,901	57228
18.	2018–19 के 28/ईई(एसएम) पर हस्.ताक्षर 08.02.2019 मैसर्स दीपक एलाइड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स	जमा कार्य (एनबीसीसी) एसएचः–नेताजी नगर, नई दिल्ली में 600 मिमी व्यास और 900 मिमी व्यास वाली सीवर लाइन का स्थानांतरण।	9,84,11,382 11वां आरए बिल	9,84,114	8,78,673	105441
19.	01/ईई (सी–I)2018–2019 दिनांक 12.06.2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	7,30,76,984 11वें आरए बिल तक	7,30,770	6,52,473	78297
कुल					1557706	**1557706**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–VIII)

(संदर्भ पैरा 4.5.7.1)

ठेकेदार से श्रमिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना भुगतान

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	आरए बिल/अंतिम बिल	भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4	5
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मेसर्स बी. एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–टप्, पुष्प विहार, साकेत में 120 नंबर टाइप–प्प फ्लैट का निर्माण	7वीं आरए तक	95520384
2.	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मैसर्स बी. एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–टप्, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	प्रथम आरए	10247778
3.	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेटिडम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	प्रथम आरए तक है	10113141
4.	03/ ईई/बीएम –111/2020–21 म/स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	प्रथम एवं अंतिम बिल	5 86009
5.	01/ईई/बीएम–111/2015–2016 दिनांक 05. 04.2016 मैसर्स शिवाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी	2015–2016 के दौरान बीएम–III डिवीजन में भवन की मरम्मत और रख. रखाव (विशेष मरम्मत)	दूसरे और अंतिम बिल तक	3077316
6.	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार	प्रथम आरए बिल तक	1783779
7.	22/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स विजय त्यागी	2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)।	8वें आरए बिल तक	22672605
8.	71/ईई(बीएम–III)/2018–19 मेसर्स शाइमा कंस्ट्रक्शन कंपनी	2018–2019 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग	प्रथम एवं अंतिम बिल तक	525946
9.	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे.आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार, उपशीर्षः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	अंतिम बिल तक	1198125
10.	31/ईई/बीएम–प/2020–2021 दिनांक 10.02. 2021	मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड एन.पी.को–एड प्राथमिक विद्यालय, आर.के.आश्रम मार्ग, नई दिल्ली में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौच. ालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण	दूसरे आरए बिल तक	1536774
11.	25/ईई/बीएम–I/एबी/2020–2021 दिनांक 18. 01.2021 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	बीएम–प डिवीजन के तहत ईएसएस में सुधार, जाफरी स्क्वायर सर्विस सेंटर के तहत विभिन्न ईएसएस में फ्लश दरवाजे शटर रोलिंग शटर, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स और अन्य विविध मरम्मत कार्यों का प्रतिस्थापन।	प्रथम आरए तक है	592389

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	आरए बिल/अंतिम बिल	भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4	5
12.	49/ईई/बीएम–I/एबी/2019–2020 दिनांक 27.12.2019 मेसर्स वर्मा ग्लोबल इंफ्राटेक प्रा. लि. मिटेड	एमएलए/एलएडी की निधि योजनाः पॉली फाइबर गजेबो राजाहुंडर बीएम–५ डिवीजन प्रदान करना और ठीक करना	प्रथम आरए बिल तक	882517
13.	72/ ईई (बीएम–५/एबी /2017–18 दिनांक 15.03.2018 म/स सतीश चॉंद एंड राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास।	7वीं आरए तक	53412913
14.	2017–18 के 15/ईई(एसएम) पर 10.07.2017 को हस्ताक्षर किए गए मैसर्स जैन कॉन्स्ट.	एनडीएमसी क्षेत्र नई दिल्ली में विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज का विस्तार। उपशीर्षः अंध महाविद्यालय, पंचकुइया रोड, नई दिल्ली में क्षतिग्रस्त मैनहोल और सीवरेज लाइन का पुनर्निर्माण।	अंतिम बिल तक	1129648
15.	01/ईई (सी–I) 2018–2019 दिनांक। 12/06/2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	दूसरे आरए बिल तक	23948238
		कुल		**110760250**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–IX)

(संदर्भ पैरा 4.5.7.2)

लक्ष्य पूरा न करने पर राशि न रोकना

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा मूल्य/ लागत (₹)	कुल अवधि के साथ प्रारंभ और समापन की निर्धारित तिथियां	मील के पत्थर का विवरण भौ. तिक एवं मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमत समय और पूरा होने की निर्धारित तिथि (मील के पत्थर के अनुसार)	अनुमत समय और पूरा होने की निर्धारित तिथि (मील के पत्थर के अनुसार)	मील का पत्थर हासिल हुआ/नहीं हासिल हुआ	निविदा मूल्य का 1% (₹) की दर से राशि नहीं रोकी जाएगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02/ईई(सी–III)/एबी/ 2018–2019 मैसर्स बी. एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 नंबर टा. इप–प्प फ्लैट का निर्माण	41,45, 7,482	19.09.2018 18.09.2020 24 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	(18.03.2019) (18.09.2019) (18.03.2020) (18.09.2020)	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	16580299
2.	02/ईई (सी–III)/एबी/ 2020–2021 मैसर्स बी. एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	68,49,11,150	02.03.2021 01.03.2023 24 months	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	(02.09.2021) (02.03.2022) (02.09.2022) (02.03.2023)	हासिल नहीं हुआ लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	6849111
3.	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	40,32,67,137	08.4.2017 07.1.2019 21 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%))	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	(15.09.2017) (22.02.2018) (29.07.2018) (07.01.2019)	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	16130685
4.	86/ईइ. (बीएम–III)/2019–2020	विद्युत भवन का सुधार: डॉ. एपीजे कलाम रोड (समग्र कार्य) पर ब्लॉक–ए, बी, सी विद्युत भवन कार्यालय परिसर का नवीनीकरण/संशोध।	19,84,50,373	13.01.2020 12.07.2020 6 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	28.02.2020 12.04.2020 28.05.2020 12.07.2020	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	7938014
5.	46/ईई/ बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य	पालिका बाजार में सुधार	7153597	05.11.2020 04.11.2021 12 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	04.02.2021 04.05.2021 04.08.2021 04.11.2021	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	286143

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा मूल्य/ लागत (₹)	कुल अवधि के साथ प्रारंभ और समापन की निर्धारित तिथियां	मील के पत्थर का विवरण भौ. तिक एवं मूल्य (₹ करोड़ में)	अनुमत समय और पूरा होने की निर्धारित तिथि (मील के पत्थर के अनुसार)	अनुमत समय और पूरा होने की निर्धारित तिथि (मील के पत्थर के अनुसार)	मील का पत्थर हासिल हुआ/नहीं हासिल हुआ	निविदा मूल्य का 1% (₹) की दर से राशि नहीं रोकी जाएगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	96/ ईई(बीएम–III)/ 2019–20 मेसर्स सबुर आलम 2019–2020 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग। उप प्रमुखः आदित्य सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अशोक रोड नई दिल्ली में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग आदि।	4,81,665	28.08.2019 से 27.02.2020 तक	28.08.2019 t o 27.02.2020 6 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	12.10.2019 27.11.2019 12.01.2020 27.02.2020	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	19266
7.	72/ EE(BM–I)/ एबी /2017–18 दत. 15.03. 2018 म/स सतीश चॉंद एंड राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास।	24,54,00,633	22.02.2018 21.08.2019 18 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½ (50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	06.07.2018 21.11.2018 07.04.2019 21.08.2019	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ (9816025-2454006)	7362019
8.	01/ईई (सी–I) 2018–2019 दिनांक। 12/06/2018 मेसर्स ए.के. मेहता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	16,00,79,357	07.06.2018 06.09.2019 15 माह	1/8th (12.5%) 3/8th (37.5%) 3/4th (75%) पूर्ण (100%)	¼ (25%) ½(50%) ¾ (75%) पूर्ण (100%)	(30.09.2018) (22.01.2019) (17.05.2019) (06.09.2019)	हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ हासिल नहीं हुआ	6403174
	कुल								**61568711**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–X)

(संदर्भ पैरा 4.5.7.3)

तकनीकी एवं प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती न होने के कारण वसूली न होना

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	प्रति माह अनुसूची "एफ" के अनुसार वसूली की दर (₹)	इस अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं किया गया	कुल अवधि (महीने)	गैर–तैनाती/विवरण देरी से प्रस्तुत करने के कारण वसूली (₹) (कॉलम 5 ₹ कॉलम 7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	02/ ईई(सी–III)/ एबी/ 2018–2019 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 टाइप–II फ्लैट का निर्माण	275000	05.10.2018 से 31.01. 2022 तक	39	10725000
2.	02/ ईई(सी–III)/ एबी/ 2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	275000	03.02.2021 से 29.10. 2021	8	2200000
3.	27/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स वरुण नरूला	जोर बाग बाजार का विकास	15000	पूर्ण होने की तिथि तक तैनाती नहीं होना	एकमुश्त	15000
4.	86/ ईई(बीएम–III)/ 2019–2020 मेसर्स कन्फॉस कंस्ट्रक्शन	विद्युत भवन का सुधार: डॉ. एपीजे कलाम रोड (समग्र कार्य) पर ब्लॉक–ए, बी, सी विद्युत भवन कार्यालय परिसर का नवीनीकरण/ संशोधन।	180000	13.01.2020 से 31.12. 2021 तक	24	4320000
5.	03/ ईई(बीएम–III)/ 2019–2020 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग एसएचः गोल्फ लिंक सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में विभिन्न फ्लैटों में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग का काम।	15000	19.05.2020 से 31.08.2020 तक	3.5	51000
6.	01/ ईई/ बीएम–111/ 2015–2016 दिनांक 05.04.2016	2015–2016 के दौ. रान बीएम–III डिवीजन में भवन की मरम्मत और रखरखाव (विशेष मरम्मत) एसएचः– फुटपाथ के क्षतिग्रस्त लाल पत्थर के स्लैब को बदलना। तालकटोरा गा. र्डन में कॉन्सर्टिना और कूड़ेदान उपलब्ध कराना और ठीक करना।	15000	10.03.2016 से 18.07. 2016 तक	4	60000

क्र. सं.	अनुबंध संख्या, दिनांक और एजेंसी	कार्य का नाम	प्रति माह अनुसूची "एफ" के अनुसार वसूली की दर (₹)	इस अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं किया गया	कुल अवधि (महीने)	गैर–तैनाती/विवरण देरी से प्रस्तुत करने के कारण वसूली (₹) (कॉलम 5 ₹ कॉलम 7)
1	2	3	4	5	6	7
7.	46/ ईई/ बीएम–III/ 2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार एसएच%– पालि. का बाजार शॉपिंग कॉम्. लेक्स का उन्नयन।	15000	06.11.2020 से 14.02. 2022 तक	15	225000
8.	22/ ईई/ बीएम–III/ 2019–2020 मैसर्स विजय त्यागी	2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)। उप प्रमुखः एनडीएमसी क्षेत्र में वि. भन्न स्थानों पर एमएस रेलिंग का निर्माण और फिक्सिंग।	30000	09.08.2019 से 20.04. 2021	20.33	610000
9.	53/ ईई(बीएम–III)/ 2016–2017 मेसर्स जे.आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्षः पालि. का पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	15000	23.08.2016 से 23.01. 2017 तक	5	75000
10.	25/ ईई/ बीएम–I/ एबी/ 2020–2021 दिनांक 18.01.2021 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	बीएम–९ डिवीजन के तहत ईएसएस में सुधार, जाफरी स्क्वायर सवि. स सेंटर के तहत वि. भन्न ईएसएस में फ्लश दरवाजे शटर रोलिंग शटर, सिरेमिक ग्लेज्ड टाइल्स और अन्य वि. विध मरम्मत कार्यों का प्रतिस्थापन।	30000	09.12.2020 से 08.09. 2021	9	270000
11.	21/ ईई/ बीएम–I/ एबी/ 2016–2017 दिनांक 03.06.2016 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस	अन्य शुल्क (मोहन सिंह प्लेस का स्वच्छता कार्य/ रखरखाव कार्य)।	30000	15.06.2016 से 14.06. 2019 तक	36	1080000
12.	2017–18 के 15/ ईई(एसएम) पर 10.07.2017 को हस्ताक्षर किए गए	मैसर्स जैन कॉन्स्ट. एनडीएमसी क्षेत्र नई दिल्ली में विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज का विस्तार। उपशीर्षः अंध महाविद्यालय, पंचकुइया रोड पर क्षतिग्रस्त मैनहोल एवं सीवरेज लाइन का पुनर्निर्माण। नयी दिल्ली।	15000	06.07.2017 से 19.12. 2017 तक	5.5	82500
	कुल					**19713500**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–XI)

(संदर्भ पैरा 4.5.7.9)

निष्पादित आइटम जो कार्य की प्रकृति और दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं हैं

क्र.सं.	विवरण	मात्रा के बिल	भाग दर	दर	राशि (₹)
ई–6	मशीन कट/अंडे के छिलके पॉलिश, ग्रेनाइट पत्थर की दीवार अस्तर प्रदान करना और ठीक करना।	96.39	4500.00/वर्ग मीटर	6363.72/वर्ग मीटर	433755.00
ई–7	विट्रीफाइड टाइल्स उपलब्ध कराना और बिछाना	46.41	2500.00/वर्ग मीटर	3397.94/वर्ग मीटर	116025.00
ई–8	प्री–कोटेड गैल्वनाइज्ड आयरन प्रोफाइल शीट उपलब्ध कराना और ठीक करना	66.32	350.00/वर्ग मीटर	401.19/वर्ग मीटर	23212.00
ई–9	पूर्व–लेपित गैल्वेनाइज्ड आयरन प्रोफाइल शीट छत सहायक उपकरण प्रदान करना और ठीक करना	13.00	500.00/मीटर.	607.21/मीटर	6500.00
ई–10	पंच्ड टेप के साथ कंसर्टिना कॉइल फेंसिंग प्रदान करना और फिक्स करना, कंसर्टिना कॉइल 600 मिमी व्यास 10 मीटर खुली लंबाई की हेविंग, 50 राउंड प्रति 6 मीटर की लंबाई तक दीवार के 3 मीटर तक मौजूदा कोण वाले लोहे के वाई आकार के साथ 2.4 मिमी या 3 मिमी अलग और 9 क्षैतिज आर.बी.टी. मजबूर कंटीले तारों पर लगाम लगाएं	220.00	160.00/ मीटर.	185.87/मीटर	35200.00
ई–12	डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना और कपड़े के साथ गजेबो के लिए तन्य संरचना को ठीक करना	1.00	275000.00/प्रत्येक	355620.82/ प्रत्येक	275000.00
ई–14	सीमेंट मोर्टार में बिछाए गए पत्थर के स्लैब फर्श को तोड़ना	197.19	79.71/वर्ग मीटर	79.71/वर्ग मीटर	15718.01
ई–15	संगमरमर/ग्रेनाइट पत्थर या उससे ऊपर के पत्थर को लगाने के लिए अतिरिक्त	23.54	160.00/ मीटर	194.07/मीटर	3766.40
ई–16	कोटा स्टोन स्लैब फर्श का पुनः बिछाने	47.67	500.00/वर्ग मीटर	571.46/वर्ग मीटर	23835.00
ई–19	कोटा स्टोन स्लैब फर्श 20 मिमी	65.45	675.00/ वर्गमीटर	844.14/ वग. ंमीटर	44178.75
ई–20	सीढ़ियों के राइजर में कोटा स्टोन स्लैब 20 मिमी मोटा	23.18	725.00/ वर्गमीटर	902.52/ वग. ंमीटर	16805.50
ई–21	18 मिमी मोटी गैंग सॉ कट, मिरर पॉलिश्ड, प्री–मोल्डेड और प्री–पोलिस्ड, मशीन कट या किचन प्लेटफॉर्म, वैनिटी काउंटर, विंडो सिलिस प्रदान करना और ठीक करना	111.33	1950.00/ वर्गमीटर	2443.24/ वर्गमीटर	217093.50
ई–26	डिजाइन के अनुसार एमएस दरवाजे के शटर को एमएस हिंज और धुरी प्रदान करना और ठीक करना।	10	800.00/प्रत्येक	1032.34/प्रत्येक	8000.00
ई–27	विट्रीफाइड फर्श टाइल्स और विभिन्न आकार प्रदान करना और बिछाना	50.53	2400.00/ वर्ग मीटर	3195.80/ वर्गमीटर	121272.00
ई–28	आईएस 15622 की पुष्टि करने वाली प्रीमियम गुणवत्ता वाली दीवार टाइलें प्रदान करना और लगाना	20.28	3100.00/ वर्गमीटर	4127.51/ वर्गमीटर	62868.00
ई–29	आईएस 15622 की पुष्टि करने वाली प्रीमियम गुणवत्ता वाली दीवार टाइलें प्रदान करना और लगाना	2.88	11700.00/ वर्गमीटर	15562.62/ वर्गमीटर	33696.00
ई–30	घरेलू प्रयोजन के लिए डॉक्टर एक्वागार्ड एनरिच एचडी आरओ. यूवी. एमटीडीएस जल शोधक 15 लीटर क्षमता प्रदान करना और ठीक करना	1.00	20000.00/प्रत्येक	24728.34/प्रत्येक	20000.00
ई–31	फैक्टरी में बने दरवाजों के शटर के साथ 62•62 मिमी से 62 मिमी अनुभाग के दरवाजों के फ्रेम उपलब्ध कराना और ठीक करना	1.00	57000.00/प्रत्येक	74758.21/प्रत्येक	57000.00
ई–32	यूपीवीसी दरवाजे, खिड़की, वेंटिलेटर शटर और विभाजन आदि में डिजाइनर रंगीन वर्ग (रेत चुड़ैल प्रकार) प्रदान करना और फिक्स करना, सेंट गोबेन की 5 मिमी मोटाई के सख्त और कांच के साथ वास्तुशिल्प ड्राइंग के अनुसार पूरा करना।	20.00	2700.00/वर्ग फुट।	3546.05/वर्ग फुट	540000.00
ई–33	सेंट गोबेन के 5 मिमी मोटाई वाले सख्त ग्लास के साथ एस.एस. फ्रेम/लकड़ी के फ्रेम में डिजाइनर रंगीन साटन क्लास प्रदान करना और फिक्स करना	2.00	70000.00/प्रत्येक	92930.08/प्रत्येक	140000.00

क्र.सं.	विवरण	मात्रा के बिल	भाग दर	दर	राशि (₹)
ई–34	हेलो ट्यूब, चौनल, प्लेट आदि से बनी एस.एस. रेलिंग को 8 मिमी मोटे सख्त ग्लास के साथ प्रदान करना और ठीक करना	30.80	6000.00/मीटर	7865.32/मीटर	184800.00
ई–35	10 मिमी मोटे एचडीएमआर बोर्ड के साथ 530 मिमी तक की गहराई की बॉक्स प्रकार की सजावटी अलमारी प्रदान करना और ठीक करना	55.27	46500.00/ वर्ग मीटर	62451.21/ वर्गमीट।	2570055.00
ई–36	विंडो सन कंट्रोल ग्लास फिल्म उपलब्ध कराना और लगाना	3.96	1300.00/ वर्गमीटर	1744.19/ वर्गमीटर	5148.00
ई–37	एस.एस. 304 ग्रिड द्वारा ऊपर और नीचे पकड़ के साथ किसी भी आकार की विशेषताओं के साथ अनुमोदित मेक (सेंट गोबेन, एआईएस, एमओडीआई या समकक्ष) के 12 मिमी मोटे कठोर ग्लास प्रदान करना और ठीक करना।	29.73	7400.00/ वर्गमीटर	9661.21/ वर्गमीटर	220002.00
ई–38	12 मिमी मोटे फ्रेम रहित कठोर ग्लास दरवाजा शटर या अनुमोदित ब्रांड और निर्माण प्रदान करना और लगाना	9.15	2600.00/ वर्गमीटर	3359.39/ वर्गमीटर	23790.00
ई–39	75x25 मिमी फ्रेम से बनी एस.एस. टेबल उपलब्ध कराना और स्थापित करना, 40 x40 वर्टिकल लेग, 25x13 मिमी टाई बार, 1.5 मोटी सीएनसी लेजर कटिंग जाली न्न्ट६ बोर्ड शीर्ष पर 25x25 मिमी ब्रासिंग ट्यूब पर लगाया गया है	2.00	15000.00/प्रत्येक	20963.57/प्रत्येक	30000.00
ई–40	75x25 मिमी फ्रेम से बनी एस.एस. टेबल उपलब्ध कराना और स्थापित करना, 40 x40 वर्टिकल लेग, 25x13 मिमी टाई बार, 1.5 मोटी सीएनसी लेजर कटिंग जाली न्न्ट६ बोर्ड शीर्ष पर 25x25 मिमी ब्रासिंग ट्यूब पर लगाया गया है	2.00	26000.00/प्रत्येक	34114.18/प्रत्येक	52000.00
ई–41	विस्टा के लकड़ी के वर्टिकल रोलर बाइंड या अनुमोदित पैटर्न के समकक्ष निर्माण, फोल्डिंग, लॉकिंग व्यवस्था आदि की भारी सुविधाएं प्रदान करना और ठीक करना (लकड़ी का विस्टा 50 मिमी शेड ।स–014)	33.30	7100.00/ वर्गमीटर	9448.75/ वर्गमीटर	236430.00
ई–42	सागौन की लकड़ी से बने लकड़ी के फ्रेम और 18 मिमी मोटाई के सजावटी सागौन लकड़ी के बोर्ड उपलब्ध कराना और लगाना, बोर्ड का आकार 1.3 मिमी x 0.61 मीटर	4.00	14000.00/प्रत्येक	18492.98/प्रत्येक	56000.00
ई–43	सफेद राख की लकड़ी से बनी डिजाइनर लकड़ी की कंसोल टेबल और 18 मिमी मोटी प्लाई टॉप तैयार बोर्ड का आकार 1.23 मिमी x 0.75 मीटर प्रदान करना और स्थापित करना	1.00	48000.00/प्रत्येक	63172.24/प्रत्येक	48000.00
ई–44	सागौन की लकड़ी से बनी डिजाइनर लकड़ी की कुर्सी प्रदान करना और स्थापित करना। कुर्सी की शीट जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले फोम और डिजाइनर कपड़े होते हैं और कुर्सी की शेष सतह के साथ मेलामाइन पॉलिस रबर ब्लॉक पैर आदि के साथ तैयार होता है।	2.00	10000.00/प्रत्येक	13737.18/प्रत्येक	20000.00
ई–45	सागौन की लकड़ी से बने डिजाइनर लकड़ी के सोफे की स्थापना और स्थापना। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फोम और डिजाइनर कपड़े और मेलामाइन पोलिस के साथ तैयार कुर्सी की शेष सतह, पैर पर रबर ब्लॉक आदि शामिल हैं।	1.00	25000.00/प्रत्येक	35087.87/प्रत्येक	25000.00
ई–46	पेयजल कूलर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग जिसमें सभी आवश्यक फिटिंग सहित 80 लीटर प्रति घंटे की चिलर कूइंग क्षमता (उषा और समकक्ष बनाएं) के साथ आरओ का प्रावधान शामिल है।	2.00	115000.00/प्रत्येक	152974.20/ प्रत्येक	230000.00
ई–47	जेट पंप उपलब्ध कराना एवं ठीक करना	2.00	29500.00/प्रत्येक	39358.01/प्रत्येक	59000.00
ई–48	1 एचपी का इलेक्ट्रिक पंप उपलब्ध कराना एवं ठीक करना	4.00	11500.00/प्रत्येक	15250.50/प्रत्येक	460000.00
ई–50	समतलीकरण सहित नींव और कुर्सी में कठोर पत्थर वाली यादृच्छिक मलबे वाली मशीनरी	3.82	2788.85/सेंटेमीटर	2890.71/सेंटीम. ीटर	10653.41
ई–51	एस.एस. फ्रेम सहित (ओशनसाइड संगत फ्यूजिबल ग्लास) के साथ डिजाइनर हाथ से बने स्टेन ग्लास पेंटिंग प्रदान करना और ठीक करना	2.00	80000.00/प्रत्येक	107320.64/ प्रत्येक	160000.00
ई–52	दो स्तर के पेयजल फव्वारे के साथ एक उच्च स्तर के चार वयस्क और एक चार प्रकार के पेयजल फव्वारे की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	1.00	271693.00/प्रत्येक	362257.89/ प्रत्येक	271693.00
ई–53	कांच के दरवाजों आदि में आवश्यक फिटिंग के साथ अनुमोदित बनावट और गुणवत्ता के धातु के दरवाजे के हैंडल उपलब्ध कराना और लगाना।	5.00	2081.00/सेट	2775.12/सेट	10405.00

क्र.सं.	विवरण	मात्रा के बिल	भाग दर	दर	राशि (₹)
ई–54	मौजूदा एल्यूमीनियम फ्रेम की मरम्मत, रबर बिडिंग के प्रतिस्थापन सहित एल्यूमीनियम दरवाजे, खिड़कियां और फिक्स्ड ग्लेजिंग को हटाना और ठीक करना	14.00	13687.00/ वर्गमीटर	18429.64/ वर्गमीटर	191618.00
ई–55	लॉकिंग व्यवस्था के साथ 35ग35ग75 मिमी फ्रेम के साथ एसएस गेट के डिजाइन उपलब्ध कराना और ठीक करना, गोदरेज मेक	3.00	35000.00/ वर्गमीटर	52579.01/ वर्गमीटर	105000.00
ई–56	14 मिमी मोटे कांच (8 मिमी सादा. 5 मिमी मोटा परावर्तक कठोर लेमिनेटेड ग्लास) से बना प्रति गोला ग्लास उपलब्ध कराना और ठीक करना	1.00	430000/प्रत्येक	563400/प्रत्येक	430000.00
ई–57	पीयू कोटिंग के साथ एमएस डिजाइनर फ्रेम पर 75 मिमी मोटी शीर्ष के साथ सागौन की लकड़ी की मेज प्रदान करना और रखना	1.00	91000.00/प्रत्येक	121981/प्रत्येक	91000.00
ई–58	सागौन की लकड़ी की लकड़ी की कुर्सी प्रदान करना और ठीक करना और उच्च घनत्व वाले फैब्रिक कवर फोम के साथ समाप्त करना	4.00	21000.00/प्रत्येक	30838/प्रत्येक	84000.00
ई–59	सभी आवश्यक एस.एस. मकड़ी फिटिंग सहित अनुमोदित मेक (एआईएस/मोदी/फ्लोट/ सेंट गोबिन) की मौजूद संरचना में 19.52 मिमी मोटी लैमिनेटेड सख्त ग्लास प्रदान करना और ठीक करना।	1.00	39000.00/प्रत्येक	52602.48/प्रत्येक	39000.00
ई–60	क्षैतिज शामियाना प्रक्षेपित प्रकार (निश्चित या गोलाकार आकार या अनुमोदित आयातित कपड़े, निश्चित एल्यूमीनियम फ्रेम और सहायक उपकरण आदि के समतुल्य) प्रदान करना और ठीक करना, जिसमें कटिंग और फिक्सिंग शामिल है।	142.38	1100.00/वर्ग फुट	1390.78/वर्ग फुट	156618.00
ई–61	पीछे की ओर शटर और दराज/अलमारियों आदि के अंदर अनुमोदित ब्रांड के 18 मिमी मोटे एचडीएमआर बोर्ड के साथ 530 मिमी तक की गहराई के बॉक्स प्रकार के कप बोर्ड प्रदान करना और लगाना।	16.53	30000.00/ वर्गमीटर	39471.24/ वर्गमीटर	495900.00
ई–62	6 मिमी मोटी वाटर प्रूफ प्लाई के साथ एलईडी मिरर टच लाइट सहित सागौन लकड़ी मोल्ड फ्रेम अनुमोदित मेक और शेड के साथ बेहतर ग्लास (अनुमोदित गुणवत्ता के) और आवश्यक आकार और आकार के दर्पण प्रदान करना और ठीक करना	4.00	15500.00/प्रत्येक	21544.87/प्रत्येक	62000.00
ई–63	6 मिमी मोटी वाटर प्रूफ प्लाई के साथ अनुमोदित मेक और छाया के सागौन लकड़ी के ढाले फ्रेम के साथ बेहतर ग्लास (अनुमोदित गुणवत्ता) और आवश्यक आकार और आकार के दर्पण प्रदान करना और लगाना	6.70	11940.30/प्रत्येक	19599.38/प्रत्येक	80000.01
ई–64	813ग510 मिमी आकार के एक्सोर मेक के पतले रिम टेबल टॉप बेसिन को उपलब्ध कराना और फिक्स करना, जिसमें फिटिंग और ब्रैकेट की पेंटिंग, जहां भी आवश्यक हो, दीवारों को काटना और अच्छा बनाना आदि शामिल है।	2.00	35000.00/प्रत्येक	46702.97/प्रत्येक	70000.00
ई–65	सीपी ब्रास पॉप अप प्रदान करना और ठीक करना, जैक्वार मेक के बेसिन के लिए कचरा आदि पूरा करना	2.00	1600.00/प्रत्येक	2273.50/प्रत्येक	3200.00
कुल					**86,75,237.58**

अध्याय–4 (अनुलग्नक–XII)

(संदर्भ पैरा 4.5.8)

प्रक्रियात्मक चूक

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
1	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 टाइप–II फ्लैट का निर्माण	41,45,07,482	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 2.5. 1 (डी) और (ई) में कहा गया है कि अनुमान के श्डिजाइन और स्कोपश कॉलम में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि, श्सामान्य उपयोग और रखरखाव के तहत, इमारत की अपेक्षा की जाती है। विभिन्न प्रकार की इमारतों का आर्थिक जीवन।	विस्तृत अनुमान के डिजाइन और स्कोप कॉलम में आवश्यकतानुसार भवन के आर्थिक जीवन का उल्लेख नहीं किया गया है।
2	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	68,49,11,150	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित
3	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 3एम/एस बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VII, पुष्प विहार, साकेत में 120 टाइप–II फ्लैट का निर्माण	41,45,07,482	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2014 की धारा 7.10.2 (1) में कहा गया है कि कार्यकारी अभियंता को कार्यों के लिए कम से कम प्रत्येक वैकल्पिक बिल में अपने अधीनस्थों द्वारा दर्ज माप के 10: की परीक्षण जांच करनी चाहिए।	आरए बिलों का भुगतान एई/ईई द्वारा माप की परीक्षण जांच के बिना किया गया था आरए बिलों का विवरण एई एवं ईई द्वारा परीक्षण जांच नहीं किया गया 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं, 18वीं, 21वीं, 22वीं, 24वीं
4	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	40,32,67,137	ऊपर लिखित	चौथा, पांचवां और सातवां ईई द्वारा
5	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेटिडम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलरसिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	2,16,00,215	ऊपर लिखित	ईई द्वारा प्रथम आरए बिल
6	40/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स विक्की इंटरप्राइजेज	पालिका केन्द्र भवन में सुधार। उप प्रमुखः पालिका केंद्र की विभिन्न मंजिलों पर दो मंजिला ग्लास टफन्ड ग्लास और अन्य विविध कार्य उपलब्ध कराना और ठीक करना।	14,65,158	ऊपर लिखित	ईई द्वारा पहला और अंतिम बिल

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
7	22/ईई(बीएम–III)/2019–20	2018–19 के दौरान एनडीएमसी क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत (एस/आर)।	2,34,73,338	ऊपर लिखित	एई द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम
8	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे. आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्षः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	10,09,783	ऊपर लिखित	ईई द्वारा प्रथम एवं द्वितीय
9	02/ईई(सी–III)/एबी/2018–2019 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–टप्, पुष्प विहार, साकेत में 120 टाइप–प्प फ्लैट का निर्माण	41,45,07,482	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 53.7 (प•) में कहा गया है, "प्रत्येक चालू बिल के चरण में भुगतान करने से पहले सामग्री के नियमित परीक्षण पर नजर रखना कार्यकारी अभियंता का दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए, अनुबंध III में दिया गया एक प्रोफार्मा निर्धारित है।	आवश्यकतानुसार अनिवार्य परीक्षण रिपोर्ट का प्रोफार्मा चालू बिलों के साथ संलग्न नहीं पाया गया।
10	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार पालिका बा. जार का उन्नयन	71,53,598	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित
11	2017–18 के 15/ईई(एसएम) पर 10.07. 2017 को हस्ताक्षर किए गएमैसर्स जैन कॉन्स्ट.	एनडीएमसी क्षेत्र नई दिल्ली में विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज का विस्तार, उपशीर्षः अंध महाविद्यालय, पंचकुइया रोड पर क्षतिग्रस्त मैनहोल एवं सीवरेज लाइन का पुनर्निर्माण। नयी दिल्ली।	9,41,708	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित
12	71/ईई(बीएम–III)/2018–19 मैसर्स शाइमा कॉन्स्ट. कं	2018–2019 के दौरान बीएम–III डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बि. ल्डिंग, उप प्रमुखः एचसीएम लेन में पालिका सदन और पालिका निकुंज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के टाइप–V अधिकारी फ्लैटों की डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग।	4,31,227	ऊपर लिखित	विट्रिफाइड टाइल्स 47.65 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्य ₹26,957/– में जल सोखने की क्षमता के परीक्षण के बिना निष्पा. दत किया गया था।
13	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे.आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्षः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	10,09,783	ऊपर लिखित	उपरोक्त परफॉर्मा के अभाव में न तो यह सत्यापित किया जा सका कि पीवीसी सीथेड कॉपर कंडक्टर के इंसोलेशन टेस्ट के अनिवार्य परीक्षण किए गए थे या नहीं।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
14	31/ईई/बीएम–I/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड	एन.पी. कंपनी–एड में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण। प्राइमरी स्कूल, आर. के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	28,00,366	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 16.10 में कहा गया है कि फायर वर्क एक विशेष वस्तु/कार्य है जो एसआई के अंतर्गत आता है। अनुलग्नक–प्प की संख्या 31 (विद्युत कार्यों के लिए विशेष वस्तुओं/कार्यों की सूची)	अग्निशमन कार्य के निष्पादन के लिए विस्तृत अनुमान सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के बजाय सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा तैयार किया गया है क्योंकि आतिशबाजी विद्युत वस्तुओं के अंतर्गत एक विशेष वस्तु/कार्य के अंतर्गत आती है।
15	02/ईई(सी–III)/एबी/2020–2021 मैसर्स बी.एल. गोयल एंड कंपनी	सेक्टर–VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 नंबर टाइप–III फ्लैट (समग्र कार्य)	68,49,11,150	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित
16	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	40,32,67,137	अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 38 में कहा गया है कि काम पूरा होने के बाद और किसी भी मध्यवर्ती चरण में जारी की गई सामग्रियों का मिलान न होने की स्थिति में कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की सैद्धांतिक मात्रा की गणना की जाएगी।	सीमेंट, स्टील, जी.आई. के लिए सैद्धांतिक खपत विवरण। 25वें आरए बिल तक आवश्यकतानुसार पाइप आदि तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है।
17	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	40,32,67,137	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 29.4 में कहा गया है कि ईओटी बिना आवेदन के प्रदान किया जा सकता है। जब ठेकेदार अनुबंध को जीवित रखने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन नहीं करता है तब भी कार्यकारी अभियंता अनंतिम रूप से समय विस्तार देता है	कार्य प्रगति पर है और 31.03.2021 के बाद समय का अनंतिम विस्तार लेखापरीक्षा की तारीख तक प्रदान नहीं किया गया है।
18	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य	पालिका बाजार में सुधार	7153598	ऊपर लिखित	कार्य प्रगति पर है लेकिन लेखापरीक्षा की तारीख तक अनंतिम ईओटी प्रदान नहीं की गई है।
19	03/ईई/बीएम–111/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग एसएचः– गोल्फ लिंक सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में विभिन्न फ्लैटों में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग का काम।	5,79,151	ऊपर लिखित	कार्य 31.08.2020 को पूरा हो गया लेकिन लेखापरीक्षा की तारीख तक ईओटी प्रदान नहीं किया गया। ईओटी की मंजूरी न मिलने के कारण ₹10000/– रोक लिए गए थे।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
20	01/ईई/बीएम–111/2015–2016 दिनांक 05.04.2016 मैसर्स शिवाजी कॉन्स्ट. कं	2015–2016 के दौरान बीएम–III डिवीजन में भवन की मरम्मत और रखरखाव (विशेष मरम्मत) एसएचः – फुटपाथ के क्षतिग्रस्त लाल पत्थर के स्लैब को बदलना। तालकटोरा गार्डन में कॉन्सर्टिना और कूड़ेदान उपलब्ध कराना और ठीक करना।	27,58,495	ऊपर लिखित	कार्य 18.07.2016 को पूरा हुआ। लेकिन लेखापरीक्षा की तारीख तक ईओटी प्रदान नहीं किया गया। ₹82755/– ईओटी की मंजूरी न मिलने के कारण दूसरे और अंतिम बिल से रोक दिए गए थे।
21	96/ईई(बीएम–III)/2019–20 मेसर्स सबूर आलम	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बिल्डिंग उप प्रमुखः आदित्य सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अशोक रोड नई दिल्ली में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग आदि	4,81,665	ऊपर लिखित	कार्य प्रगति पर है लेकिन लेख. ापरीक्षा की तारीख तक अनंतिम ईओटी प्रदान नहीं की गई है।
22	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे. आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्षः पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	10,09,783	ऊपर लिखित	कार्य 23.01.2017 को पूरा हो गया लेकिन लेखापरीक्षा की तारीख तक ईओटी प्रदान नहीं किया गया। ईओटी की मंजूरी न मिलने के कारण आरए बिलों से ₹60587/– रोक लिए गए थे
23	2/ईई(बीएम–पीके)/2017–2018 मैसर्स एन.एस. एसोसिएट्स	अलीगंज, नई दिल्ली में 188 टाइप–II फ्लैट्स (10 मंजिला टावर) का निर्माण	40,32,67,137	अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 1 ए में कहा गया है कि ऊपर कटौती की गई सुरक्षा जमा राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के खिलाफ न्यूनतम रुपये तक जारी किया जा सकता है। 5 लाख इस शर्त के अधीन कि ऐसी बैंक गारंटी की राशि, अंतिम गारंटी को छोड़कर, रुपये से कम नहीं होगी। 5 लाख. बशर्ते कि बयाना राशि के बदले दी गई बैंक गारंटी सहित बैंक गारंटी की वैधता खंड 17 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी जिसे खंड 2 और खंड 5 के प्रावधानों के तहत दिए गए अनुबंध के विस्तार के आधार पर समय–समय पर बढ़ाया जाएगा।	कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा जारी ₹50,00,000/– की बैंक गारंटी संख्या 1FBG04811900001 दिन. ांक 11.10.2019 को ठेकेदार द्वारा ₹50,00,000/– की सुरक्षा जमा राशि (आरए बिल से कटौती) के खिलाफ जमा की गई थी और बीजी थी 31.12.2020 तक वैध। बैंक गारंटी पूर्ण होने की तारीख और न्यूनतम 60 दिनों तक वैध होनी चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि कार्य प्रगति पर था और बीजी को आवश्यकतानुसार पुनः मान्य नहीं किया गया था।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
24	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेडियम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	2,16,00,215	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 5.17.2 में कहा गया है कि अंतिम भुगतान जारी करने के लिए काम को हर तरह से पूरा घोषित करने से पहले, टी/एस प्राधिकरण द्वारा काम का निरीक्षण किया जाएगा। अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र निष्पादित इंजीनियर और टी/एस प्राधिकरण दोनों द्वारा दर्ज किया जाएगा (यदि दोनों प्राधिकरण अलग–अलग हैं)	टीएस प्राधिकरण द्वारा अंतिम पूर्ण. ता प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किया गया है।
25	03/ईई/बीएम–111/2020– मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बि. ल्डिंग, गोल्फ लिंक सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में विभिन्न फ्लैटों में डिस्ट. `परिंग और पेंटिंग का काम	5,79,151	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित
26	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेडियम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	2,16,00,215	क्र.सं. अनुमोदित एनआईटी में अतिरिक्त शर्तों के पृष्ठ 133 पर क्रमांक 3.1 में कहा गया है कि ठेकेदार इस आशय की लिखित वारंटी प्रदान करेगा कि सिंथेटिक हॉकी सरफेस सामग्री की गुणवत्ता और उसके बिछाने, जुड़ने और फिक्सिंग दोनों के मामले में एफआईएच की सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है। सात (7) वर्ष की अवधि के लिए।	ठेकेदार से आवश्यकतानुसार निष्प. ादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।
27	53/ईई(बीएम–III)/2016–2017 मेसर्स जे. आर. प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी	पालिका पार्किंग का सुधार उपशीर्ष: पालिका पार्किंग की छत पर चरखा संग्रहालय के चारों ओर फव्वारे का निर्माण	10,09,783	ऊपर लिखित	एनडीएमसी में पंजीकृत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ठेकेदा. रों (सीएसटी के क्रमांक 1 से 5) को समान कार्यों के अनुभव को अपलोड करने से छूट दी गई थी और तकनीकी रूप से योग्य (इसी तरह के कार्यों के अनुभव को अपलोड किए बिना) घोषित किया गया था।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
28	02/ईई(एसपी)/2018–2019 मेसर्स जि. प्सम स्ट्रक्चरल इंडिया प्रा. लिमिटेड	सीवर का पुनर्वास एसएचः– के.जी. से 84 इंच व्यास वाली ईंट बैरल सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग और पुनर्वास। मार्ग से सी–हेक्सागांव और शाहजहां रोड तक जुलाई 2015 के आधार पर बाजार दर क्यू–प्वाइंट।	22,98,08,000	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.2.3 में कहा गया है कि वित्त अधिकारी से लेकर मुख्य अभियंता तक अपनी शाखा में निविदा की प्रक्रिया के साथ–साथ एसई (पी) के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे ताकि निविदा की वैधता पर नजर रखी जा सके। निविदाओं पर समय पर निर्णय लिया जाता है और उसकी वैधता समाप्त होने से पहले उचित कार्रवाई की जाती है। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.3.2 (4) में कहा गया है कि ऐसे टेंडर के मामले में जहां वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, उसे स्वीकार करने का निर्णय निविदाकर्ता द्वारा वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद ही लिया जाना चाहिए।	बोली 23.12.2018 तक वैध थी और आवश्यकतानुसार बोली वैधता के विस्तार के बिना स्वीकृति पत्र 09.01.2019 को जारी किया गया था।
29	01/ईई (बीएम–५)/एबी/2019–20 दिनां. क। 27.05.2019 मेसर्स आर.के. जैन एंड संस एचएसपीएल	कार्य का नाम विभिन्न एनडीएमसी भवनों में मैकेनाइज्ड हाउस कीपिंग कार्य (समूह–बी) एसएचः एनडीएमसी क्षेत्र के बाजारों (पालिका बाजार, यशवंत प्लेस, चाणक्य भवन आदि) में मैकेनाइज्ड हाउस कीपिंग वर्क्स।	6, 96 ,24,000	ऊपर लिखित	बोली 28.02.2019 (विस्तारित) तक वैध थी और स्वीकृति पत्र आवश्यकतानुसार बोली वैधता के विस्तार के बिना 06.03.2019 को जारी किया गया था।
30	72/ईई(बीएम–५)/एबी/2017–18 दिनांक। 15.03.2018 मैसर्स सतीश चंद एवं राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास।	24,66,00,633	ऊपर लिखित	बोली 28.01.2018 तक वैध थी और आवश्यकतानुसार बोली वैधता के विस्तार के बिना स्वीकृति पत्र 07.02.2018 को जारी किया गया था।
31	52/ईई(बीएम–पीके)/2020–2021 मैसर्स शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	शिवाजी स्टेडियम में नई सिंथेटिक हॉकी सतह (टर्फ) और पीओपी अप स्प्रिंकलर सिस्टम बिछाने/स्थापना प्रदान करना	2,16,00,215	ऊपर लिखित	बोली 30.10.2020 तक वैध थी और आवश्यकतानुसार बोली वैधता के विस्तार के बिना स्वीकृति पत्र 30.11.2020 को जारी किया गया था।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
32	02/ईई/एसपी/2018–19 दिनांक. 12.03.2019 मेसर्स जिप्सम स्ट्रक्चरल इंडिया प्रा. लिमिटेड	सीवर का पुनर्वास एसएचः– के.जी. से 84 इंच व्यास वाली ईंट बैरल सीवर लाइन की डी–सिल्टिंग और पुनर्वास। मार्ग से सी–हेक्सागांव और शाहजहां रोड तक जुलाई 2015 के आधार पर बाजार दर क्यू–प्वाइंट।	22,98,08,000	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20 ए की क्रम संख्या 18 में कहा गया है कि 2 बोली/लिफाफा प्रणाली पर बोलियां आमंत्रित किए जाने की स्थिति में कार्य के लिए बोलियां तकनीकी बोली खोलने की ता. रीख से 90 दिनों तक स्वीकृति के लिए खुली रहेंगी।	निविदाएं दो बोली प्रणाली में बुला. ई गई थीं और एनआईटी अनुमा. दन प्राधिकारी ने बोलियों को 90 दिनों के बजाय बोलियां खोलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुला रहने की अनुमति दी थी।
33	72/ईई (बीएम–प)/एबी/2017–18 दिन. ांक। 15.03.2018 मैसर्स सतीश चंद एवं राजेश कुमार प्रा. लिमिटेड	बापू समाज सेवा केंद्र– पंचकुइया रोड, नई दिल्ली का पुनर्विकास।	24,66,00,633	ऊपर लिखित	निविदाएं दो बोली प्रणाली में बुलाई गई थीं और एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी ने बोलियों को 90 दिनों के बजाय बोलियां खोलने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुला रहने की अनुमति दी थी।
34	2016–17 के 36/ईई(एसएम) पर हस्ताक्षर 07.12.2016 मेसर्स मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्रा. लिमिटेड	जल पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी के साथ 2 जेटिंग सह सक्शन सफाई मशीनों का संचालन और रखरखाव किराए पर लेना (सात वर्षों के लिए)	24,24,94,560	ऊपर लिखित	निविदाएं दो बोली प्रणाली में बुलाई गई थीं और एनआईटी अनुमोदन प्राधिकारी ने बोलियों को 90 दिनों के बजाय बोलियां खोलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुला रहने की अनुमति दी थी।
35	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 32.5 के तहत □2.00 करोड़ और उससे अधिक की अनुमा. नित लागत के साथ कुछ विशिष्ट और पूंजी–गहन कार्यों के संबंध में पूंजीगत गहन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को अग्रिम राशि प्रदान करना, अग्रिम जुटाने का प्रावधान निविदा दस्तावेजों में रखा जा सकता है।	सलाहकार की नियुक्ति के लिए तैयार विस्तृत अनुमान में मो. बलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹1,96,549/– (ए/ए एवं ई/एस राशि ₹19,65,49,500/– का 0.10 प्रतिशत) की राशि शामिल की गई है। गैर–पूंजी गहन होने के कारण विस्तृत अनुमान कार्य में संग्रहण अग्रिम का प्रावधान नहीं किया जाना था। दूसरे, निविदा में (सलाहकार की नियुक्ति के लिए) अनुमानित लागत ₹28,09,675/– जो कि ₹2.00 करोड़ से कम है, मोबिलाइजेशन एडवांस का प्रावधान अनियमित है।

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
36	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित	ऊपर लिखित	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली की धारा 21.1 में यह प्रावधान है कि सफल निविदाकर्ता, जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा जाएगा, को निविदा राशि और कार्य के स्वीकृत मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी।	सलाहकार को प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में ₹26,00,000/– (कार्य प्रदान की गई राशि) का 2 प्रतिशत (5 प्रतिशत के बजाय) यानी ₹52,000/– जमा करने के लिए कहा गया था, जो दर्शाता है कि एजेंसी को अनुचित लाभ की अनुमति दी गई थी, जो अनियमित है और संहिता प्रावधानों के उल्लंघन में.
37	क्रमांक 01/ईई (सी–I)/2018–2019 दिनांक। 12.06.2018 मेसर्स ए.के. मे. हता एंड कंपनी	मोती बाग, नई दिल्ली में कौशल विकास केंद्र का निर्माण	16,00,79,357	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, 2014 की धारा 15.1 (3) में कहा गया है कि कार्य के निविदा दस्तावेज जिसमें ष्कार्य की मात्रा की अनुसूची में संदर्भित चित्रों का एक सेटष शामिल है, को उस प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित किया जाना चाहिए जो नोटिस को मंजूरी देने के लिए सशक्त है। इसे जारी करने से पहले निविदाएं (एनआईटी) आमंत्रित करना। अनुबंध अनुबंध की अनुसूची "एफ" यह भी दर्शाती है कि वास्तुशिल्प डिजाइन का हिस्सा उपलब्ध था	आर्किटेक्ट ड्राइंग और वर्किंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्रमशः 31.08. 2018 और 08.10.2018 को जारी की गई थी, जो दर्शाता है कि 09.01.2018 को जारी एनआईटी की सामग्री और जमीनी हकीकत के बीच विरोधाभास है। ड्राइंग के सेट की उपलब्धता और अनुसूची एफ में यह उल्लेख किए बिना कि ड्राइंग उपलब्ध थे, एनआईटी की मंजूरी अनियमित थी।
38	01/ईई/बीएम–111/2015–2016 दिनांक 05.04.2016 मैसर्स शिवाजी कॉन्स्ट. कं	2015–2016 के दौरान बीएम–III डिवीजन में भवन की मरम्मत और रखरखाव (विशेष मरम्मत) एसएचः– फुटपाथ के क्षतिग्रस्त लाल पत्थर के स्लैब को बदलना। तालकटोरा गार्डन में कॉन्सर्टिना और कूड़ेदान उपलब्ध कराना और ठीक करना।	27,58,495	–	एनआईटी को 09.06.2015 को अनुमोदन के लिए रखा गया था लेकिन इसे 4 महीने 3 दिन बाद 12.10.2015 को मंजूरी दी गई थी ड्राफ्ट एनआईटी के अनुमोदन में देरी के कारण कार्य के निष्पादन में देरी हुई है।
39	46/ईई/बीएम–III/2020–2021 दिनांक शून्य मेसर्स विजय त्यागी	पालिका बाजार में सुधार एसएचः– पालिका बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उन्नयन।	71,53,598	–	एनआईटी को 03.01.2020 को मंजूरी के लिए रखा गया था, लेकिन इसे 27.05.2020 को मंजूरी दी गई, 4 महीने 24 दिन का समय लगा। ड्राफ्ट एनआईटी के अनुमोदन में देरी के कारण कार्य के निष्पादन में देरी हुई है

क्र. सं.	अनुबंध संख्या एवं एजेंसी	कार्य का नाम	निविदा राशि (₹)	मानदंड	अनियमितताओं की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
40	31/ईई/बीएम–I/2020–2021 दिनांक 10.02.2021 मेसर्स शिवनंदन कंसल्टिंग एंड सप्लाई प्रा. लिमिटेड	एन.पी. कंपनी–एड में छात्रों के लिए अतिरिक्त शौचालय ब्लॉक के साथ सुधार/निर्माण। प्राइमरी स्कूल, आर. के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	49,00,888	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, 2019 की धारा 5.2 और एनआईटी की अनुसूची "एफ" के अनुसार, पीजी को आशय पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर और अधिकतम 7 दिनों के भीतर प्रति दिन के आधार पर ब्याज के साथ जमा करना आवश्यक था। सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, 2019 की धारा 5.1.7 के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, बयाना राशि राष्ट्रपति को बिना किसी सूचना के स्वतः ही जब्त कर ली जाती है।	ठेकेदार ने स्वीकृति पत्र जारी होने के 17 दिन बीत जाने के बाद पीजी जमा किया था, जिससे पता चलता है कि ठेकेदार तय समय में पीजी और ईएमडी राशि रु. जमा करने में विफल रहा। ₹98,018/– जब्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई और काम का अनियमित आवंटन हुआ।
41	03/ईई/बीएम–111/2020–21 मैसर्स स्वाति एसोसिएट्स	2019–2020 के दौरान बीएम–111 डिवीजन में ए/आर एंड एम/ओ बि. ल्डिंग एसएचः– गोल्फ लिंक सदन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में विभिन्न फ्लैटों में डिस्टेंपरिंग और पेंटिंग का काम।	19,88,844	ऊपर लिखित	ठेकेदार ने स्वीकृति पत्र जारी होने के 60 दिन बीत जाने के बाद पीजी जमा किया था, जिससे पता चलता है कि ठेकेदार नियत समय में पीजी और रुपये की ईएमडी जमा करने में विफल रहा था। ₹39,777/– जब्त नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई और काम का अनियमित आवंटन हुआ।

अध्याय–5 (अनुलग्नक–I)

(संदर्भ पैरा 5.2)

54 अनुबंधों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध समझौता संख्या	राशि (₹)
1	33 केवी ईएसएस तिलक मार्ग, 33 केवी ईएसएस नेहरू पार्क में 33 केवी आउ. टडोर स्विचगियर को इनडोर जीआईएस स्विचगियर से बदलना और 33 केवी ईएसएस किदवईनगर (पश्चिम) का संवर्द्धन।	02/2018-19/EE**(C-VI)**E	144965302
2	दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में 33 केवी ईएसएस पर 33 केवी जीआईएस और अन्य विद्युत उपकरणों की एसआईटीसी (जमा कार्य)	05/2018-19/EE**(C-VI)**E	135985925
3	एम्स में अतिरिक्त 33 केवी ईएसएस की स्थापनाउप प्रमुखः एम्स, नई दिल्ली में अतिरिक्त 33 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए 33 केवी जीआईएस, 33/11 केवी, 16/20 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरणों की एसआई. टीसी। (जमा कार्य)	01/2021-22/EE(**C-VI**)E	97886057
4	सफदरजंग अस्पताल में इलेक्ट्रिक लोड जारी करने के लिए ईएसएस ट्रॉमा सेंटर में अतिरिक्त 33/11 केवी, 16/20एमवीए पावर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना। एसएचः 33 केवी ईएसएस ट्रॉमा सेंटर (एम्स) में 33 केवी जीआईएस, 16/20 पावर ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरणों की एसआईटीसी (जमा कार्य)	02/EE**(C-VI)**E/2017-18	78310501
5	एनडीएमसी क्षेत्र के विभिन्न ईएसएस पर 66/11 केवी, 16/20 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर और 33/11 केवी, 16/20 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, स्था. पना, परीक्षण और कमीशनिंग।	01/EE(**C-VI**)E/2017-18	51100000
6	दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में 33 केवी ईएसएस की स्थापना। एसएचः 33 केवी ईएसएस दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में 33/11 केवी, 16/20 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की एसआईटीसी। (जमा कार्य)	06/2018-19/EE**(C-VI)**E	36895469
7	एनडीएमसी क्षेत्र के अंदर और बाहर 33झट, 400 वर्ग मिमी/3C, XLPE केबल बिछाना।	01/2018-19/EE**(C-VI)**E	26386795
8	पालिका केंद्र भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर मुखौटा प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने वाली सीएएमसी	01/2021-22/EE(C-IV)E	7200000
9	"जे.जे. को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।" एनडीएमसी क्षेत्र के डी/एन और डी/एस डिवीजन में क्लस्टर एसएचः जे.जे. में अर्थिंग सहित बस बार चौंबर का निर्माण। क्लस्टर 02 नंबर जे.जे. में स्थित है। एनडीएमसी क्षेत्र के डी/एन और डी/एस डिवीजन में क्लस्टर"।	06/EE(E)**C-I**/2017-18	5343810
10	समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिल्ली के स्कूल भवनों में छत के शीर्ष पर सौर पैनल की स्थापना।	04/EE(E)**C-III**/2021-22	4147605
11	मरम्मत एवं रखरखाव– नागरिक सुविधाएं। एस.एच.:– शिवाजी स्टेडियम में स्थापित 04 लिफ्टों का व्यापक वार्षिक रखरखाव और सेवा अनुबंध।	01/EE(E)**C-III**/2021-22	3811346

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध समझौता संख्या	राशि (₹)
12	ब्लॉक ए, बी और सी, विद्युत भवन परिसर, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली का नवीनीकरण/संशोधन। एसएच– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आईपी टेल. ीफोनी समाधान का एसटीसी। (जमा कार्य)	05/2021-22/EE**(C-III)**E	51137710
13	11 केवी ग्रेड (अर्थड), एचटी, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, एल्यूमीनियम कंडक्टर, आ. कार की आर्मर्ड केबल की आपूर्तिरू 400 वर्ग मिमी/ 3 सी (आईएसआई चिह्नित)।	11/EE**(S-I)/**2018-19	44547449
14	एम्प तक के सीटी और 11 केवी 3200/5 तक के 1 एम्प और वीटी के परीक्षण के लिए वर्टिकल रैक प्रकार, प्रीवायर्ड, स्वचालित सीटी और वीटी परीक्षण मशीन की खरीद।	13/EE**(S-I)/**2017-18	8601750
15	11 केवी ग्रेड (अर्थड), एचटी, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, एल्यूमीनियम कंडक्टर, आ. कार की आर्मर्ड केबल की आपूर्तिरू 400 वर्ग मिमी/ 3 सी (आईएसआई चिह्नित)।	03/**EE(S-I)/**2019-20	44062380
16	नाममात्र 3000ज्ञ सीसीटी (वार्म लाइट) की व्यक्तिगत एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग की ऊर्जा कुशल व्यक्तिगत नियंत्रण और निगरानी की आपूर्ति।	14/EE**(S-I)/**2018-19	324372492
17	एचटी 11 केवी, 350 एमवीए सिंगल बस बार इंडोर वीसीबी स्विचगियर पैनल बोर्ड की आपूर्ति इसके अलग नियंत्रण और रिले पैनल के साथ।	01/EE**(S-I)/**2021-22	95385331
18	पालिका केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महोत्सव की पूर्व संध्या पर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने के लिए 3 या 4 वाट बिजली की खपत, 3000ज्ञ (गर्म रोशनी) के एलईडी लैंप की खरीद, प्रत्येक लैंप धारक के बीच 40 सेमी से 45 सेमी की दूरी वाली लैंप श्रृंखला के साथ।	10/EE**(S-I)/**2018-19	3752000
19	11 केवी ग्रेड (अर्थड), एचटी, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, एल्यूमीनियम कंडक्टर, आ. कार की आर्मर्ड केबल की आपूर्तिरू 400 वर्ग मिमी/ 3 सी (आईएसआई चिह्नित)।	02/EE**(S-I)/**2021-22	33752718
20	नाममात्र 3000ज्ञ सीसीटी (वार्म लाइट) की व्यक्तिगत एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग की ऊर्जा कुशल व्यक्तिगत नियंत्रण और निगरानी की आपूर्ति।	06/EE**(S-I)/**2018-19	256126080
21	भ्ज 11ज्ञट, 350डट। सिंगल बस बार टब्ठ स्विचगियर पैनल (इनडोर प्रकार) की आपूर्ति।	05/EE**(S-I)/**2020-21	203780766
22	डीईआरसी द्वारा निर्धारित समय–सीमा को पूरा करने के लिए, एक वर्ष तक की अवधि के लिए दर अनुबंध स्थापित करने के लिए एचटी 11 केवी, 350 एमवीए सिंगल बस बार वीसीबी स्विचगियर पैनल (इनडोर प्रकार) और 11 केवी मोटर चालित 3 वे आरएमयू मीटरिंग (एससीएडीए/डीएमएस के लिए संगत) की खरी. द। उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन प्रदान करने के लिए।	01/EE**(S-I)/**2020-21	39802000

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध समझौता संख्या	राशि (₹)
23	एनडीएमसी क्षेत्र में 400–410 वॉट, 230–240 वॉट और 150–160 वॉट की रेटिंग वाले नाममात्र 3000ज्ञ सीसीटी की ऊर्जा कुशल एलईडी फ्लड लाइट फिटिंग, इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम/सीसीएमएस और हाई मास्ट के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति।	01/EE**(S-I)/**2018-19	35762620
24	भ्ज 11ज्ञट, 350डट। सिंगल बस बार टब्ठ स्विचगियर पैनल (इनडोर प्रकार) की आपूर्ति।	12/EE**(S-I)/**2018-19	41159320
25	इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों और स्मार्ट मीटरों पर स्वीकृति और नियमित परीक्षण करने के लिए 0.02 सटीकता के मानक मीटर के संदर्भ में 02 नग 10 स्थिति पूर्णतः स्वचालित परीक्षण बेंचों की आपूर्ति	02/EE(S-I)/2019-20	14136400
26	1.1 केवी ग्रेड, एल्यूमीनियम कंडक्टर, एक्सएलपीई इंसुलेटेड, 16 वर्ग मिमी/4 सी (मात्रा 294344 मीटर) आकार की बख्तरबंद केबल की खरीद	02/EE**(S-II)/**2019-20	34558929
27	सिंगल ओवरहैंग और डबल ओवरहैंग मोर प्रकार ब्रैकेट और सहायक उपकरण के साथ 06 मीटर और 08 मीटर ऊंचाई के अष्टकोणीय स्ट्रीट लाइट पोल की खरीद	02/EE**(S-II)/**2020-21	103349387
28	एस:7098(भाग–I)/1988 के अनुसार 1.1 केवी ग्रेड एलवी केबल, एल्युमीनियम कंडक्टर, एफआरएलएस एक्सएलपीई इंसुलेटेड, आर्मर्ड, आकार 400 वर्ग मिमी/3.5सी की खरीद	01/EE(S-II)2021-22	11800000
29	एचआरसी फ्यूज बेस की खरीदः –250 एम्प्स, 400 एम्प्स और 630 एम्प्स, 500 वी एसी रेटिंग आईएस के अनुरूपः 13703	05/EE**(S-II)/**2020-21	9227600
30	4 मीटर ऊंचाई के सजावटी कास्ट आयरन पोल की खरीद	03/EE**(S-II)/**2019-20	3915240
31	एनडीएमसी स्कूलों, एनडीएमसी सहायता प्राप्त और नवयुग स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा सिस्टम प्रदान करना	10/EE(E) **BM-II** 2019-20	12631941
32	08 नंबर (एस7) पैसेंजर लिफ्ट कोन का सीएएमसी बापू धाम आवासीय परिसर, चाण्क्य पुरी, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।	33/EE(E) **BM-II** /2021-22	6857206
33	लिफ्ट की स्थापना के बाद 7 वर्षों की अवधि के लिए सीपीएच, मोती बाग नई दिल्ली और सीएएमसी में स्थापित थिसेनक्रुप मेक और ओटीआईएस मेक की 02 लिफ्टों का प्रतिस्थापन।	13/EE(E) **BM-II** /2021-22	3967370
34	बीएम–प्प (ई) डिवीजन के तहत एनडीएमसी क्षेत्र में विभिन्न नगरपालिका भवनों में आईईआई प्रदान करने के लिए वार्षिक दर अनुबंध	11/EE(E) **BM-II** 1/2018	3823822
35	बीएम–प्प डिवीजन के तहत विभिन्न पूछताछ के लिए सामग्री की खरीद	1/EE(E) BM-II /2017-18	975718
36	ग्रिड कनेक्टिविटी रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सीएएमसी	38/ EE(E) BM-I/2020-21	8804004
37	2 नंबर चिलर यार्ड निर्माण की मरम्मत और सर्विसिंग और 2 नंबर का व्यापक एएमसी अनुबंध।	2/ EE(E) BM-I/2019-20	8422320
38	कैरियर के लिए सीएएमसी ने पालिका बाजार में वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलर नंबर–1 और 3 स्थापित किया है।	72/ EE(E) BM-I/2017-18	7944000

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध समझौता संख्या	राशि (₹)
39	वाहक के व्यापक एएमसी ने पालिका बाजार नई दिल्ली में पानी ठंडा केन्द्रापसा. रक चिलिंग यूनिट नंबर –2 स्थापित किया है।	70/ EE(E) BM-I/2017-18	3972000
40	राजपथ के उत्तर में विभिन्न भवनों में पीडीजी आईईआई कार्यों के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध	57/ EE(E) BM-I/2017-18	3569331
41	ओटीआईएस के एएमसी ने प्रगतिभवन में लिफ्टें लगाईं	21/ EE(E) BM-I/2020-21	996653
42	पालिका केन्द्र भवन में विभिन्न क्षमता के एसी की 5 स्टार रेटिंग की एसआईटीसी	39/ EE(E) BM-I/20-21	994171
43	विभिन्न आकार के एच.एस. की खरीद एम/एन क्षेत्र के लिए टाइप जॉइंटिंग किट	10/EE(M/N)/2021-22 dt.25.02.2022	2147010
44	एसएसजी क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीएचईएल और बीको मैज के 11 केवी एचटी पैनलों के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद	16/ EE**(M/S)/**2021-22	2461456
45	यूएसएस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सरोजिनी नगर में श्नाइडर मेक 11 केवी आरएम–टप रिंग मुख्य इकाई की आपूर्ति	3/**EE(M/S)/**2020-21	975000
46	33 केवी एबीबी में पुर्जों की खरीद से एनडीएमसी क्षेत्र में जीआईएस पैनल स्थापित किए गए और दोषपूर्ण एबीबी की मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जों से ईएसएस एच.सी.माथुर लेन में 220 केवी इनकमर के लिए 33 केवी जीआईएस पैनल बनाया गया।	05/EE(E)/**M-33KV**/2018-19	22120387
47	विद्युत सब स्टेशन विद्युत भवन में 50 एमवीए 66/33 केवी पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत।	08/EE(E)/**M-33KV**/2018-19	8749250
48	33 केवी एबीबी के लिए एएमसी ने 5वें वर्ष के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में जीआ. ईएस पैनल स्थापित किए हैं।	01/EE(E)/**M-33KV**/2021-22	2970000
49	ईएसएस स्कूल लेन में 66 केवी जीआईएस ब्रेकर होलक–मेक के जीरो प्रेशर सिलेंडर की आपूर्ति।	04/EE(E)/**M-33KV**/2019-20	2942669
50	कन्वेंशन सेंटर (ब्लॉक–बी), एनडीसीसी चरण– प में स्थापित ऑडियो विजुअल उपकरणों का संचालन।	06/EE(E)**C-V**/2015-16	8996324
51	एनडीसीसी, चरण– प, ब्लॉक–सी में लिफ्ट/लिफ्ट (14 संख्या) की सीएएमसी।	01/EE(E)**C-V**/2019-20	8906551
52	एनडीसीसी, चरण–द्वितीय भवन, ब्लॉक–सी में यंत्रीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।	02/EE(E)**C-V**/2019-20	132709962
53	एनडीसीसी, चरण–द्वितीय भवन, ब्लॉक–सी में यंत्रीकृत सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।	07/EE(E)**C-V**/2015-16	86601833
54	1600 केवीए रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर–03 नग, 1000 केवीए रेटिंग डिस्ट्री. ब्यूशन ट्रांसफार्मर 4 नग एलटी एसीबी पैनलों की कार्टेज, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग दो स्तरीय संरचना में –46 नग, पी एंड एफ बस डक्टिंग और विभिन्न ई/एस/एस पर अर्थिंग सिस्टम प्रदान करना एनडीएमसी का उत्तरी क्षेत्र का रखरखाव	06/2019-20/**EE(C-II)**E	17332107
कुल			**2311134067 (₹ 231.11 Cr.)**

अध्याय–5 (अनुलग्नक–II)

(संदर्भ पैरा 5.5.10.1)

निविदा की प्रक्रिया और अनुबंध देने में देरी

क्र. सं.	सम्पर्क करने का विवरण (अनुलग्नक–I की क्रमांक संख्या)	स्वीकृत निविदा राशि (₹ करोड़ में)	एनआईटी जारी करने की तिथि	कार्य पुरस्कार की तिथि	समय लिया (कॉलम.6– कॉलम.5)
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	21	20.38	06.03.2020	19.01.2021	10 महीने 13 दिन
2	1	14.50	23.03.2017	24.04.2018	1 वर्ष 1 माह 1 दिन
3	2	13.60	20.06.2018	20.02.2019	8 महीने
4	27	10.33	29.12.2018	27.08.2020.	1 वर्ष 7 माह 22 दिन
5.	3	9.79	03.10.2019	27.04.2022	1 साल 9 महीने 20 दिन
6.	17	9.54	31.08.2020	31.05.2021	9 महीने
7.	4	7.83	13.07.2016	08.11.2017	1 साल 3 महीने 25 दिन
8	15	4.41	02.11.2018	06.01.2020.	1 साल 2 महीने 4 दिन
9	22	3.98	04.02.2019	19.05.2020	1 साल 3 महीने 15 दिन
10	6	3.69	20.06.2018	01.03.2019	8 महीने 11 दिन
11	26	3.46	23.10.2018	11.06.2019	7 महीने 18 दिन
12	54	1.73	12.10.2018	27.12.2019	1 साल 2 महीने 15 दिन
13	31	1.26	24.05.2019	16.12.2019	6 महीने 12 दिन
14	14	0.86	29.08.2016	27.10.2017	1 साल 2 महीने 15 दिन
15	10	0.41	02.07.2021	18.01.2022	6 महीने 16 दिन
16	33	0.40	26.06.2020	22.06.2021	11 महीने 26 दिन
कुल अनुबंध मूल्य		**106.17**			

अध्याय–5 (अनुलग्नक–III)

(संदर्भ पैरा 5.5.10.2)

तकनीकी बोली खोलने से लेकर ठेका देने तक लिया गया कुल समय

क्र. सं.	एएम नंबर	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	कार्य पुरस्कार की तिथि	लिया गया समय (कॉलम 5–कॉलम 4)
1		2	3	4	5	6
1	3	1	14.5	04.05.2017	24.04.2018	11 महीने 20 दिन
2	10	2	13.6	21.08.2018	20.02.2019	6 महीने
3	4	3	9.79	22.11.2019	23.07.2021	1 वर्ष 8 माह 2 दिन
4	16	17	9.54	04.11.2020	31.05.2021	6 महीने 26 दिन
5	2	4	7.83	02.09.2016	08.11.2017	1 साल 2 महीने 6 दिन
6	11	6	3.69	06.08.2018	01.03.2019	6 महीने 25 दिन
7	25	26	3.46	22.11.2018	11.06.2019	6 महीने 19 दिन
8	53	54	1.73	30.10.2018	27.12.2019	1 वर्ष 1 महीना 27 दिन
9	44	47	0.87	06.03.2017	09.10.2018	1 साल 7 महीने 3 दिन
10	20	14	0.86	29.08.2016	27.10.2017	1 साल 1 महीना 26 दिन
11	5	9	0.53	18.11.2016	19.06.2017	7 महीने 2 दिन
12	9	10	0.41	28.07.2021	18.01.2022	5 महीने 21 दिन
13	30	33	0.40	08.12.2020	22.06.2021	6 महीने 14 दिन

अध्याय–5 (अनुलग्नक–IV)
(संदर्भ पैरा 5.5.10.3)
ए ए एवं ई एस से कार्य पुरस्कार तक लिया गया कुल समय

क्र. सं.	कार्य का नाम (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	अनुबंध समझौता संख्या	स्वीकृत नि. विदा राशि (₹ करोड़ में)	पीई/एए एवं ईएस के अनुमोदन की तिथि	कार्य पुरस्कार की तिथि	लिया गया समय (कॉलम 6 – कॉलम 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2	(ई)सी–VI/2018–2019	13.60	16.01.2017	20.02.2019	2 साल 1 महीना 4 दिन
2	17	01/ईई/(एस)आई/ 2021–2022	9.54	24.04.2014	31.05.2021	7 साल 1 महीना 7 दिन
3.	4	02/ईई(ई)सी–VI/2017–18	7.83	22.06.2016	08.11.2017	1 वर्ष 4 माह 16 दिन
4	5	1/ईई/(सी–VI)/2017–18	5.11	09.07.2014	23.03.2017	2 साल 8 महीने 14 दिन
5	12	05/2021–22/ईई(सी– III)ई	5.11	06.12.2020	04.12.2021	11 महीने 28 दिन
6	6	6/ईई(ई) सी–VI 2018–19	3.69	30.11.2016	01.03.2019	2 साल 3 महीना 1 दिन
7	23	01/ईई(एस–आई) /2018–19(ई)	3.58	20.06.2017	24.04.2018	10 महीने 4 दिन
8	26	02/ईई(एस–II)/ 2019–20(ई)	3.46	20.06.2017	11.06.2019	1 वर्ष 11 माह 21 दिन
9	19	02/डीपी/ईई/(एस)आई/2021–22	3.38	04.08.2016	24.12.2021	5 साल 4 महीना 20 दिन
10	54	6/ईई (ई)सी–II/2019–20	1.73	17.12.2008	27.12.2019	11 साल 10 दिन
11	31	10/ईई (ई) बीएम–II/2019–20	1.26	06.11.2018	16.12.2019	1 साल 1 महीना 10 दिन
12	14	13/ईई(एस–आई)/ 2017–18	0.86	23.03.2015	27.10.2017	2 साल 7 महीने 4 दिन
13	10	04/ईई (ई) सी–III/2021–2022	0.41	24.12.2019	18.01.2022	2 lky 24 fnu

अध्याय–5 (अनुलग्नक–V)
(संदर्भ पैरा 5.5.10.4)
काम पूरा होने में देरी

क्रम संख्या	कार्य का नाम (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	अनुबंध समझौता संख्या	स्वीकृत निविदा राशि (₹ करोड़ में)	एए और ईएस की तारीख	एनआईटी की मंजूरी की तारीख	कार्य पु. रस्कार की तिथि	एसडीओसी	पूर्ण होने की वास्त. विक तिथि	कार्य पूरा होने में विलंब (कॉलम 9–कॉलम 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	05/ईई(ई)सी–वी1 /2018–19	13.60	16.01.2017	19.06.2018	20.02.2019	25.12.2019	24.11.2020	11 महीने
2.	**17**	01/ईई/(एस)आई/2021–22	9.54	24.04.2014	28.08.2020	31.05.2021	29.10.2021	04.02.2022	3 महीने 6 दिन
3.	**53**	7/ईई(ई)सी–वी/2015–16	8.66	15.12.2015*	10.08.2015	11.01.2016	10.01.2019	10.02.2020	13 महीने
4	**4**	02/ईई(ई)सी–VI/ 2017–18	7.83	22.06.2016	11.07.2016	08.11.2017	16.05.2018	26.02.2019	9 महीने 16 दिन
5	5	1/ईई/(सी–VI)/2017–18	5.11	09.07.2014	10.10.2016	23.03.2017	28.12.2017	20.02.2018	1 महीना 24 दिन
6.	24	12/ईई(ई)/एस–आई/ 2018–19	4.12	00.00.2016	05.10.2018	07.01.2019	26.05.2019	09.07.2019	1 महीना 13 दिन
7.	23	01/ईई(एस–आई) / 2018–19	3.58	20.06.2017	09.11.2017	24.04.2018	07.07.2018	18.01.2019	6 महीने 11 दिन
8.	26	02/ईई(एस–II)/2019–20	3.46	20.06.2017	22.10.2018	11.06.2019	10.10.2019	21.09.2020	11 महीने 1 दिन
9.	31	10/ईई (ई)बीएम–II/2019–20	1.26	06.11.2018	22.05.2019	16.12.2019	13.03.2020	30.01.2021	10 महीने 17 दिन
10	14	13/ईई(एस–आई)/ 2017–18	0.86	23.03.2015	05.08.2016	27.10.2017	11.12.2017	22.02.2018	2 महीने 11 दिन
11	30	03/ईई/(एस–II)/2019–20	0.39	24.04.2014	05.03.2019	14.06.2019	09.09.2019	23.02.2021	17 महीने 14 दिन

*पूर्वव्यापी

अध्याय–5 (अनुलग्नक–VI)
(संदर्भ पैरा 5.5.11 देखें)
प्रक्रियात्मक चूक

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	अनियमितता की प्रकृति	मानदंड	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	**3**	9.79	**साइट की उपलब्धता के बिना निविदा जारी करना।**	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 की धारा 4.10 में कहा गया है कि एनआईटी की मंजूरी से पहले साइट की उपलब्धता आवश्यक है।	एनआईटी 03.10.2019 को जारी की गई थी, जबकि साइट लगभग 7 महीने के बाद 27.04.2022 को ठेकेदार को सौंप दी गई थी।
2	**3**	9.79	**अपूर्ण एनआईटी की अनियमित स्वीकृति।**	सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 15 में कहा गया है कि एनआईटी में अनुसूची ए से एफ तक शामिल होगी।	अनुसूची ए से एफ यानी जुर्माना दर, प्रदर्शन गारंटी जमा करने के संबंध में निर्धारित समय विचलन सीमा, अनुमोदन प्राधिकारी, काम पूरा करने के लिए मील का पत्थर, खंड 36 के तहत तकनीकी कर्मचारियों के गैर–रोजगार के लिए वसूली दर आदि अनुमोदित एनआईटी के साथ नहीं पाए गए।
	2	13.59			
	6	3.69			
3	**3**	9.79	**अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी**	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली–2014 की धारा 23.1 (6) और 23.2 (2) में कहा गया है कि अनुबंध दस्तावेजों के पूर्व निष्पादन के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नि. विदा स्वीकृत होते ही अनुबंध के निष्पादन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।	काम देने की तारीख 23.07.2021 थी और अनुबंध समझौते पर 20 दिन की देरी से 27.08.2021 को हस्ताक्षर किए गए थे।
	39	0.40			फर्म को 16.05.2017 को कार्य आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि तुरंत काम शुरू किया जाए, जबकि अनुबंध समझौते पर लगभग 8 महीने की देरी से 12.03.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
4	**31**	1.26	**ठेकेदार द्वारा वैधता बढ़ाए बिना बोली स्वीकार करना।**	एसओपी नंबर 4/1: सीपीडब्ल्यूडी वर्क मैनुअल की ई–टेंडरिंग एसओपी–2019 पैरा 11(18) / ाारा 20.2.3 (1) के साथ पठित, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 की धारा 20.3.2(4) के साथ पठित है, "यह निर्धारित है यह सुनिश्चित किया गया कि निविदाओं के प्रसंस्करण में कोई देरी न हो और निविदा की वैधता समाप्त होने से पहले समय पर निर्णय ले लिए जाएं।श्श	बोलियों की वैधता 15.10.2019 (निविदा खोलने की तारीख से 90 दिन) तक थी, जबकि निविदा बोली वैधता का विस्तार प्राप्त किए बिना 33 दिनों की देरी से 19.11.2019 को स्वीकार की गई थी।
	53	8.66			बोलियों की वैधता 22.11.2015 (निविदा खोलने की तारीख से 90 दिन) तक थी, जबकि बोली वैधता का विस्तार प्राप्त किए बिना 22 दिनों की देरी से निविदा 15.12.2015 को स्वीकार की गई थी।
	38	0.80			बोलियों की वैधता 06.07.2017 (निविदा खोलने की तारीख से 30 दिन) तक थी, जबकि निविदा को बोली वैधता का विस्तार प्राप्त किए बिना लगभग 6 महीने की देरी से 01.01.2018 को स्वीकार किया गया था।
	49	0.29			बोली की वैधता 22.03.2019 को समाप्त हो गई थी। अनुबंध की स्वीकृति वैधता अवधि का विस्तार प्राप्त किए बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28.05.2019 को अनुमोदित की गई थी।

क्र. सं.	अनुबंध विवरण (अनुलग्नक–I की क्रम संख्या)	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	अनियमितता की प्रकृति	मानदंड	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
5	**49**	0.29	**अनुबंध समझौ. ता के निष्पादन से पहले आपू. र्ति आदेश जारी करना**	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली–2014 की धारा 23.1 (6) और 23.2 (2) में कहा गया है कि अनुबंध दस्तावेजों के पूर्व निष्पादन के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए।	आपूर्ति आदेश 21.06.2019 को जारी किया गया था जबकिय अनुबंध अनुबंध दिनांक 30.08.2019 को 2 माह 9 दिन की देरी से निष्पादित किया गया।
6	**39**	0.40	**सुरक्षा जमा की अतिरिक्त कटौती**	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2014 की धारा 21.2 (1) और (2) में कहा गया है कि सुरक्षा जमा बिल की कुल राशि का 2.5: काटा जाना चाहिए।	विभाग ने ठेकेदारों के चालू बिलों से 2.5 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत की दर से सुरक्षा जमा राशि (यानी ₹4.69 लाख) काट ली, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.30 लाख की अतिरिक्त कटौती हुई।
7	**17**	9.54	**निविदा की वैधता अवधि अधिक होना**	सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली 2019 की धारा 4.14 (निविदाओं की वैधता अवधि) में कहा गया है कि निविदाओं की स्वीकृति की वैधता अवधि तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 75 दिन होगी।	स्वीकृति हेतु निविदा की वैधता 75 दिवस के स्थान पर 120 दिवस की अवधि रखी गयी थी।
	29	0.92			
	36	0.88			आवश्यकतानुसार 75 दिनों के बजाय 90 दिनों तक निविदा स्वीकृति के लिए खुली रखी गई।
8	**54**	1.73	**निविदा दस्तावेजों के साथ विचलन विवरण अपलोड न करने के बावजूद कार्य प्रदान किया गया**	एनआईटी के पृष्ठ 73 के अनुसार, निविदा. कर्ताओं को विचलन शीट की एक अनुसूची प्रस्तुत करनी थी, षनिविदाकर्ता को विचलन, यदि कोई हो, का उल्लेख केवल इस शीट में करना चाहिएष।	ठेकेदार ने आवश्यकतानुसार विचलन पत्रक प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय ष्पात्र समान कार्य बैक टू बैक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित किया गया है/नहीं कराया गया हैष के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। डेविएशन शीट जमा नहीं करने के बावजूद ठेकेदार को अर्हता प्राप्त थी।

अध्याय–7 (अनुलग्नक–I)
(संदर्भ पैरा 7.6.3.9 (i) तालिका 7.16)

(i) वर्ष 2020–21 के लिए दवाओं की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)

क्रम संख्या	वस्तु	2019–20 के दौरान खपत	2020–21 के लिए इंडेंट किया गया	बढ़ी हुई मांग
1	इंजेक्शन जेंटामाइसिन 80 एमजी/2एमएल	750	2000	167
2	टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 एमजी	3200	9000	181
3	आयरन तत्व के समतुल्य टैबलेट फेरस एस्कॉर्बेट.+फोलिक एसिड 100 एमजी. 1.5 एमजी	77750	450000	479
4	टेबलेट अल्पा कैल्सीडोल 0.25 एमसीजी	200	500	150
5	इंजेक्शन मेटक्लोप्रामाइड 5एमजी/एमएल	171	1000	485
6	इंजेक्शन मिथाइलगोमेट्रिन मेलेट 1 एमएल	580	1500	159
7	इंजेक्शन ट्रैनेक्सैमिक एसिड 5 एमएल शीशी एएमपी	70	1000	**1329**
8	टेबलेट मोंटेलुकास्ट सोडियम + लेवोसेटिरिजिन किड टैबलेट 4 एमजी+ 2.5 एमजी	100	300	200
9	टेबलेट एस्कॉर्बिक एसिड 500 एमजी	3400	24000	606
10	टेबलेट ट्रिप्सिन + काइमोट्रिप्सिन 100000 एयू	400	1000	150
11	एसआईपी एल्बेंडाजोल (400 एमजी/10 एमएल)	350	1000	186
12	टेबलेट पैंटोप्राजोल सोडियम 40 एमजी	2000	4000	**100**
13	टेबलेट क्लोट्रिमेसोल वैजाइनल पीसेरीज 100 एमजी	1080	2400	122

(ii) वर्ष 2021–22 के लिए दवाओं की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)

क्रम संख्या	वस्तु	2021–22 के दौरान खपत	2021–22 के लिए इंडेंट किया गया	बढ़ी हुई मांग
1	इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन+क्लैवुलैनिक एसिड IV 1000MG+200 MG	730	3000	311
2	इंजेक्शन एमिकासिन (2ML शीशी) 250 MG/2ML	30	200	567
3	टेबलेट टेल्मिसर्टन 40 एमजी	4500	9000	100
4	टेबलेट टेल्मिसर्टन+हाइड्रोक्लोरोथाजाइड 40 एमजी+12.5 एमजी	1000	6000	500
5	टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी	2460	10000	307
6	टेबलेट ओफ्लॉक्सासिन + ऑर्निडाजोल 200 एमजी+500 एमजी	200	2400	1100
7	टेबलेट विल्डाग्लिप्टिन 50 एमजी	560	2800	400
8	टेबलेट विल्डाग्लिप्टिन+मेटफॉर्मिन एचजीएल 50 एमजी+500 एमजी	7200	15000	108
9	टेबलेट सेफुरोक्साइम 500 एमजी	280	9000	3114
10	कैप्सूल एमोक्सिसिलिन	900	9000	900
11	इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन+क्लैवुलैनिक एसिड IV 500 एमजी + 100 एमजी	100	600	500

क्रम संख्या	वस्तु	2021–22 के दौरान खपत	2021–22 के लिए इंडेंट किया गया	बढ़ी हुई मांग
12	इंजेक्शन टॉरसेमाइड 2 एमएल 10 एमजी/एमएल	30	60	100
13	टेबलेट एमोडिसिलिन किड डीटी 125 एमजी	3000	12000	300
14	टेबलेट उर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड 150 एमजी	10000	20000	**100**
15	टेबलेट उर्सोडॉक्सिकोलिक एसिड 300 एमजी	7350	36000	390
16	टेबलेट लेवोसेटिरिजिन 5 एमजी	1800	12000	567
17	एलिमेंट आयरन के समतुल्य सिरप फेरस एस्कॉर्बेट (150 एमएल) 30 एमजी ईआ. ई/5 एमएल	400	1500	275
18	इंजेक्शन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट 1 एमएल 250 एमजी	50	100	100
19	इंजेक्शन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट 2 एमएल 500 एमजी	200	800	300
20	इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक सोडियम (3एमएल) 75 एमजी/3 एमएल	1260	3000	138
21	टैबलेट ट्रैनेक्सैमिक एसिड+मेफेनैमिक एसिड 500 एमजी+250 एमजी	1800	3600	100
22	टैब ट्रैनेक्सैमिक एसिड 500 एमजी	1800	4000	122
23	इंजेक्शन ट्रैनेक्सैमिक एसिड 5 एमएल शीशी एएमपी 500 एमजी/5 एमएल	240	2800	1067
24	आयरन तत्व के समतुल्य टैबलेट फेरस एस्कॉर्बेट+फोलिक एसिड 100 एमजी+ 1.5 एमजी	142490	500000	251
25	टैबलेट माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन नेचुरल 100 एमजी	4000	8000	100
26	टैबलेट मोंटेलुकास्ट सोडियम+लेवोसेटिरिजिन किड टैबलेट 4 एमजी+2.5 एमजी	400	1000	150
27	सालबुटामोल इनहेलर 200 मीटर खुराक 100 एमसीजी/खुराक	60	150	150
28	इनहेलर साल्मेटेरोल जिनाफोएट+फ्लुटिकासोन प्रोपियोनेट 120 मीटर खुराक 9 एमसीजी	40	150	275
29	कोलेकैल्सिफेरॉल चबाने योग्य टैबलेट 60000 आईयू	400	4000	900
30	टैबलेट इबुप्रोफेन+पैरासिटामनो 400 एमजी+325 एमजी	130	40000	**30669**
31	पोविडीन आयोडीन गार्गल्स (50 एमएल) 2% डब्लू/वी	140	300	114
32	ग्रैन्यूल्स कोलेकैल्सिफेरॉल 60000 IU (1GM)	4500	10000	122
33	तरल एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड+मैग्निसियम हाइड्रॉक्साइड	440	2000	355
34	टेबलेट सेरेटियोपेप्टिडेज 10 एमजी	2600	6000	131
35	लिग्नोकेन एचसीएल टॉपिकल जेली 2% (30 जीएम) 2% डब्ल्यू/वी	820	3000	266
36	हैंड सैनिटाइजर/कीटाणुनाशक (अल्कोहल आधारित) 100 एमएल	1200	12000	900
37	लॉट पोविडोन आयोडीन (500 एमएल) 10% डब्ल्यू/डब्ल्यू	100	300	200
38	डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड	800	2000	150
39	ऑइंट क्लोट्रिमेजोल 1% (15 जीएम) 1% डब्लू/डब्ल्यू	600	2000	233

अध्याय–7 (अनुलग्नक–II)
(संदर्भ पैरा 7.6.3.9 (i) तालिका 7.16)

(i) वर्ष 2020–21 के लिए सर्जिकल वस्तुओं की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)

क्र.सं.	वस्तु	2019–20 के दौरान खपत	2020–21 के लिए इंडेंट किया गया	बढ़ी हुई मांग
1	डिस्प प्लास्टिक शीट	100	500	400
2	(रोगाणुरहित) दस्ताने 6.5""	6000	15000	150
3	सर्जिकल ब्लेड	100	300	200
4	सिरिंज और सुई 5 मि.ली	16000	35000	119
5	सुई 24 गेज	500	1500	200
6	चेहरे के लिए मास्क	3000	6000	**100**
7	फॉलेज कैथेटर 18	50	600	1100
8	शिशु शुल्क ट्यूब 8	140	500	257
9	IV कैनुला आकार 18	400	800	100
10	IV कैनुला आकार 20	765	1800	135
11	IV कैनुला आकार 22	100	200	100
12	IV कैनुला आकार 24	300	600	100
13	IV कैनुला आकार 26	394	800	103
14	एल.पी. सुई 25	100	300	200
15	प्रोक्टोलिसिस – एनीमा	200	3000	**1400**

(ii) वर्ष 2021–22 के लिए सर्जिकल वस्तुओं की वार्षिक मांग (100 प्रतिशत से अधिक)

1	कॉर्ड क्लैंप	700	1500	114
2	बी.टी. सेट	30	80	167
3	डिस्प कट शीट	500	1500	200
4	डिस्प ड्रेप शीट	274	1500	447
5	डिस्प प्लास्टिक शीट	250	500	**100**
6	डिस्प दस्ताने आकार 6" से 7.5" (स्टेराइल)	15500	57000	268
7	डिस्प दस्ताने आकार 6" से 7.5" (रोगाणुरहित)	18000	67000	272
8	डिस्प सिरिंज और सुई 10 मिली	4000	15000	275
9	डिस्प सिरिंज और सुई 1 मिली	3200	15000	369
10	डिस्प सिरिंज और सुई 2 मिली		40000	150
11	डिस्प सिरिंज और सुई 5 मिली	10000	45000	350
12	डिस्प सुई 24 और 26 गेज	400	4000	**900**
13	डिस्प मूत्र बैग	215	700	226
14	फेस मास्क (डिस्प)	17300	55000	218
15	IV कैनुला आकार 22 और 22	500	2500	400
16	IV सेट वयस्क	1055	2500	137
17	ऑक्सीजन (O2) मास्क वयस्क	188	1100	485
18	ऑक्सीजन (O2) मास्क बाल चिकित्सा	30	150	400
19	सक्शन कैचर 8	264	900	241
20	तेगा ड्रम वयस्क	300	1000	233
21	डिस्प पीडियाट्रिक्स शीट्स	1330	3000	126
22	प्रोटोकलिसिस – एनीमा	400	2000	400
23	N95 नकाब	2195	20000	811
24	डायपर नवजात	6560	14000	113

शुद्धिपत्र

अध्याय - 3

(घ) लेखापरीक्षा के निर्देश पर वसूली:-

क्र सं	विभाग	वसूलियों का संक्षिप्त विवरण	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	
1.	कल्याण विभाग	गुब्बारे, दवाइयों आदि की कीमत पर ₹4.83 लाख का अतिरिक्त भुगतान। (AAR-2022 का पैरा 9.3.3.2 - तालिका 9.7 और 9.8)	482863 + 11167 + 1260 (तालिका 9.7 कुल) + (तालिका 9.8 क्रमांक 1) + (तालिका 9.8 क्रमांक 6)	495290
2.		पैकेज दर/हकदार दर से अधिक अस्पतालों को ₹27,118/- के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति (AAR-2022 का पैरा 9.3.3.3- तालिका 9.8)	2070 + 8462 + 1000 + 1300 + 1860 (तालिका 9.8 क्रमांक 2) + (तालिका 9.8 क्रमांक 3) + (तालिका 9.8 क्रमांक 4) + (तालिका 9.8 क्रमांक 5) + (तालिका 9.8 क्रमांक 7)	14692
			कुल	509982
				₹5.10 लाख

श्रम एव जयते
NDMC
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001